खण्ड-368, अंक-3
बुधवार, 21 भाद्रपद, शक संवत् 1906
(12 सितम्बर, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 368 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नों के उत्तर समय से भेजने के शासन को निर्देश ..	3
प्रश्नोत्तर	3–95
अतांराकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न.... ..	95
थानाध्यक्ष श्यामदेव उरवा द्वारा ग्राम सिरसिया के देव–स्थान में पूजा आदि पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
रूप कुण्ड (चमोली) से नर कंकालों की चोरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में हैण्डलूम कारपोरेशन के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96
टांगिया मजदूरों को सुविधाएं देने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96–97
प्रदेश में हैजे के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
प्रशासनिक माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को नियमित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97–98
चुनार घाट गंगा नदी (मिर्जापुर) में स्टीमर के कारण हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98
टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना (फैजाबाद) के प्रबन्धक के तानाशाही रवैये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
मथुरा जनपद में अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह के अपहरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
तहसील स्वार एवं शाहाबाद (रामपुर) की फसलों में कीड़े के प्रकोप से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
सत्रकाल के दौरान नीति विषयक घोषणाएं सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	100–102

विषय	पृष्ठ-संख्या
मेरठ के कमिश्नर द्वारा एक आई० ए० एस० अधिकारी और पुलिस इन्सपेक्टर के बीच झगड़े की जांच से मना करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	102–103
भारत के नियंत्रक-महालेखाकार का प्रतिवेदन 1981–82 (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया) ..	103
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गई)	103
श्री अमीरुद्दीन, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी व रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	103–104
गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	104
तत्कालीन मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	104–105
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	105–108
काशी विद्यापीठ, वाराणसी की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	108–109
कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	109
रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	109
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 (पुरः स्थापित किया गया)	109–110
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 (पुरः स्थापित किया गया)	110
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	110–127
प्रदेश में बाढ़ एवं सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा ..	127–152
वित्तीय वर्ष 1984–85 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा	152–166
1984-85 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान ..	166
अनुदान संख्या 2--आवास एवं नगर भूमि विभाग (स्वीकृत) ..	166
अनुदान संख्या 3--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) (स्वीकृत)	166–167
अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत)	167

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	167
अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)	167
अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ..	167-168
अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग (स्वीकृत) ..	168
अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)	168
अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ..	168
अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ..	168
अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	169
अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ..	169
अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ..	169
अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	169
अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत) ..	170
अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	170
अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ..	170
अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ..	170
अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग (स्वीकृत) ..	171
अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ..	171
अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग (स्वीकृत) .	171
अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग (स्वीकृत) ..	171
अनुदान संख्या 30--पंचायतीराज विभाग (स्वीकृत) ..	172
अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग (स्वीकृत) .	172
अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग (स्वीकृत) .	172
अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) .	172
अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग (स्वीकृत) ..	17

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	..	173
अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	..	173
अनुदान संख्या 39--मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	..	173
अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	..	174
अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	..	174
अनुदान संख्या 46--वन विभाग (स्वीकृत)	.	174
अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	..	174
अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	..	175
अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	..	175
अनुदान संख्या 54--विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	..	175
अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योग (स्वीकृत)	.	175
अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	..	176
अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	..	176
अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवा योजन) (स्वीकृत)	..	176
अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	..	176
अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत)	..	177
अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	..	177
अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	..	177
अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग (स्वीकृत)	..	177
अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)	.	178
अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	..	178
अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	..	178

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन (स्वीकृत) ..	178
अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत) ..	179
अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) ..	179
अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) ..	179
अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ..	179
अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ..	180
अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग (स्वीकृत) ..	180
अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	180
अनुदान संख्या 80--स्पोर्ट्स विभाग (स्वीकृत) .	180
अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	181
अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	181
उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 (पारित) ..	181-190
1980-81 के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 4--न्याय विभाग (स्वीकृत) ..	190
अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) ..	190
अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ..	190
अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग (स्वीकृत)	191
अनुदान संख्या 21--संस्थागत वित्त विभाग (स्वीकृत) ..	191
अनुदान संख्या 22--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ..	191
अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ..	191
अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) ..	192
अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक सवन) (स्वीकृत) .	192

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	..	192
अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	..	192
अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रोद्योग विभाग (स्वीकृत)	..	193
अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)	..	193
अनुदान संख्या 45--श्रम विभाग (सेवा योजन) (स्वीकृत)	..	193
अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	..	193-194
अनुदान संख्या 49--सहकारिता विभाग (स्वीकृत)	..	194
अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	..	194
अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विभाग) (स्वीकृत)	..	194
अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास विभाग (स्वीकृत)	..	194-195
अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	..	195
अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग (स्वीकृत)	..	195
अनुदान संख्या 61--मत्स्य विभाग (स्वीकृत)	..	195
अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) (स्वीकृत)	..	195-196
अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक-भवन) (स्वीकृत)	..	196
अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	..	196
अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	..	196
अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	..	196-197
अनुदान संख्या 84--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण (पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	..	197
अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा रसद विभाग (पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	..	197
अनुदान संख्या 100--मत्स्य विभाग (पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	..	197

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 102--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	..	198
अनुदान संख्या 103--सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	..	198
अनुदान संख्या 104--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	..	198
अनुदान संख्या 110--स्वायत्त शासन विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	..	198-199
अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	..	199
अनुदान संख्या 125--वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	..	199
उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 (पारित)	..	199-204
दर्शक दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्तियों को रिहा किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	204
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	204-205
नत्थियां	..	207-223

प्रेरणा भवन

बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
चन्दर सिंह, श्री (मेरठ)
जंराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
तेजबहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
दर्लीसगार, श्री (आजमगढ़)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्र पाल सिंह राघव, श्री (एटा)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
वंशीधर, श्री (रामपुर)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भीम सिंह सीना, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
ममरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), (गोंडा)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मानपाल सिंह, एडवोकेट (एटा)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेब, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
हरनारायन सिंह, श्री (रायबरेली)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नों के उत्तर समय से भेजने के शासन को निर्देश

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रश्नों के बारे में, चाहे वे तारांकित प्रश्न हों अथवा अतारांकित प्रश्न हों, कहना चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें, कि ऐसे प्रश्न नियमानुसार 48 घंटे पहले भेज दिये जाने चाहिये, किन्तु 2–3 दिन से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि प्रश्नों को मेरे कार्यालय में पौने ग्यारह बजे भेजा जा रहा है, फलतः मेरे कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है। पूर्व में भी ऐसा होता रहा है और उसे रोका गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी प्रश्नों के इस मामले पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 12 सितम्बर, 1984 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों का आवास भत्ता

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित राजकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाला आवास भत्ता वर्ष 1983–84 से मिलना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या—1 श्री पंचानन राय की रुचि पर लिया गया।)

श्री पंचानन राय—

माननीय, मेरी इस प्रश्न में रुचि है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देहात के क्षेत्र में जो राज्य के कर्मचारी रहते हैं क्या आप उनको आवास भत्ते का भुगतान करते हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय, आवास भत्ते का सम्बन्ध रिहाइश की वजह से नहीं था बल्कि इसका सम्बन्ध कार्यस्थल से था।

श्री पंचानन राय—

क्या यह सही है कि नगर सीमा से 8 किलोमीटर के अन्दर जो राजकीय कर्मचारी रहेंगे, उनको आवास भत्ता दिया जायेगा ? इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजकीय कर्मचारी रहते हैं, उनको क्या आप आवास भत्ते का भुगतान कराते हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

कोई कहीं भी रहता हो, उसका इससे सम्बन्ध नहीं है, संबंध इसका कार्यस्थल से है। जो नगरसीमा के 8 किलो मीटर के भीतर है उसको यह भत्ता हम दे रहे हैं।

राजकीय इन्टर कालेज, मासी, अल्मोड़ा में श्री जसवन्त सिंह बिष्ट, वि0 स0 द्वारा आमरण अनशन

**2—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने 9 अगस्त, 1984 से मासी (जनपद अल्मोड़ा) में 17 साथियों के साथ अपनी चार सूत्रीय मांगों हेतु आमरण अनशन किया था, जिन्हें 16 अगस्त, 1984 की मध्यरात्रि 2 बजे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां से मा0 मुख्य मंत्री से

दूरभाष द्वारा हुयी वार्ता में उन्होंने कहा था कि प्रश्नकर्ता की सारी मांगे मान ली हैं ? यदि हां, तो इनको क्रियान्वित करने के लिये राजाज्ञाये व धनराशि क्रमशः किन-किन तिथियों को जारी की गयो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)--

केवल राजकीय इन्टर कालेज मासी में विज्ञान विषय खोले जाने का आश्वासन दिया गया है। तदनुसार आदेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने टेलीफोन पर जो वचन मुझे दिया था, और जिस आधार पर मैंने अपना आमरण अनशन तोड़ा था, उसे बताने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो बचन दिया था, उसी के अनुसार कार्य करने की कृपा करेंगे ? चूंकि माननीय मंत्री जी ने जो आज उत्तर दिया है, वह बिलकुल गलत है और तथ्यहीन है।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, हमारे सम्मानित सदस्य, रानीखेत और साथ ही साथ बुजुर्ग सदस्य कुछ अस्वस्थ हो जांय, शायद कोई भी सेवक उसे पसन्द नहीं करेगा। आमरण व मरण की बात तो दूर रही, हम तो चाहते हैं कि वह अमरत्व के निकट पहुंचे, तो ज्यादा अच्छा होगा। दूरभाष पर माननीय सदस्य ने मुझसे वार्ता की, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। दूरभाष पर यदि बात कही जाएगी, तो मैं मना तो नहीं कर सकता। माननीय सदस्य ने कहा कि सारी मांगें मान ली गई थीं, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की मांगें इतनी लम्बी थीं, कि उन्हें एक साथ मान लिया जाना संभव नहीं है। मैंने उनसे कहा कि इन मांगों पर बात-चीत करने के बाद विचार किया जायेगा। शायद ईश्वर को भी सभी मांगे मान लेने पर कठिनाई होगी। इन मांगों पर परामर्श चल रहा है और आगे भी बात-चीत होती रहेगी।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट --

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूरभाष पर माननीय मुख्य मंत्री जी से हुई वार्ता के पश्चात मैंने अपने साथियो सहित आमरण अनशन को तोड़ा था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ-साफ यह कहा था कि आपकी कोई बड़ी मांगे नही है बहुत छोटी-छोटी मांगे हैं, आप अनशन समाप्त करें और स्वस्थ होकर लखनऊ पहुंचे तो मैं आपकी सभी मांगों को स्वीकार करता हूं।

उनका कहना है कि राजकीय इन्टर कालेजों में विज्ञान के विषय खोले जाने का आश्वासन दिया गया है जो बिल्कुल तथ्यहीन है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गयी तो फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले पर आमरण अनशन करूंगा और यही बात मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से फोन पर भी कही थी तब उन्होंने कहा था कि आपकी मांगे बहुत छोटी-छोटी है आप अच्छे होकर आ जाइये विचार कर लिया जायेगा। तो जो आपने उस रोज आश्वासन दिया था तो क्या उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे या नहीं यह बता दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह बड़ा नाजुक प्रश्न है, इस पर इस तरह में नोक-झोंक करना उचित नहीं समझता।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय विष्ट जी ने जो हड़ताल की थी वह

चार मांगों के सम्बन्ध में थी तो वह चारों मांगे क्या हैं और उसके पूरा न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सिह—

बिष्ट जी की चार मांगों में से पहली मांग यह थी कि "राजकीय इंटर कालेजों मासी, स्याल्दे, उत्तमछानी, देवली खेत और कुनलाखेत में बचन देने पर भी इन्टर कक्षाओं में पर्वतीय दिकास द्वारा विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ नहीं की गई हैं जबकि कई वर्षों से मांग चली आ रही है ।"

इस सम्बन्ध में मैं माननीय बिष्ट जी एवं अन्य माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 24 राजकीय इन्टर कालेजों में विज्ञान विषय की कक्षाएं खोलने का शासन का विचार है । और साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 28 तारीख को जो मीटिंग माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई उसी बैठक में यह तय हुआ है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए 24 विद्यालयों की स्वीकृति दे दी गई है और पहले केवल 10 राजकीय इन्टर कालेज खोले जा रहे थे । जबकि प्रस्ताव 50 विद्यालयों के लिए आए थे परन्तु माननीय सदस्य सिर्फ रानीखेत में ही 4–5 विद्यालय खुलवाना चाहते हैं, जो फिलहाल स्थिति को देखते हुए सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि पूरे पर्वतीय क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ेगा और माननीय सदस्य को भी इसी दृष्टि से सोचना चाहिए ।

इनकी दूसरी मांग है कि प्रत्येक विकास खन्ड रानीखेत तहसील में राजकीय कन्या हायर सेकेन्ड्री स्कूल की मांग के होते हुए भी वह स्वीकार नहीं की गई जबकि इस तहसील में कन्याओं की शिक्षा का अत्यन्त अभाव है । इनकी तीसरी मांग है कि वन अधिनियम के अन्धानुकरण के कारण पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजनाओं पर जो बुरा असर पड़ा है, उसके सम्बन्ध में बार–बार ध्यान दिलाये जाने पर भी कोई कदम न उठाने पर सारी विकास योजनाएं पर्वतीय क्षेत्र में ठप पड़ गई हैं, लेकिन शासन उस अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है और चौथी मांग इनकी यह है कि वर्ष 1979 में स्थापित राजकीय महाविद्यालय स्याल्दे के भवन की अभी तक स्वीकृति न दिये जाने से इस पिछड़े क्षेत्र की जनता में घोर असन्तोष है।"

श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर, इनसे कहिए यह संक्षेप में बता दें ।

श्री गुलाब सिह––

इनकी तीसरी मांग के संदर्भ में मान्यवर यह कहना है कि वह बात अपनी जगह सही है कि वन संरक्षण अधिनियम के कारण पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजनाओं पर असर बुरा पड़ा है लेकिन यह प्रश्न भारत सरकार से सम्बन्धित है ।

श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से कहें कि यह संक्षेप में बता दें ।

श्री गुलाब सिह––

इसके अलावा इन्होंने एक स्कूल के भवन निर्माण की बात कही है । इसके लिए जब जमीन उपलब्ध हो जायगी तब विचार किया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन––

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रगट करता हूं कि उन्होंने सच्चे या झूठे आश्वासन देकर माननीय बिष्ट जी की जान बचा दी । क्या यह देखते हुए कि जितनी भी मांगे हैं वे शिक्षा से सम्बन्धित हैं और पहाड़ी प्रदेश को शिक्षा के मामले में बैकवर्ड माना जा चुका है, निश्चित किया जा चुका है । इन चीज को सामने रखते हुए क्या उन मांगों को शीघ्रातिशीघ्र इसी शिक्षा सत्र में पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सिंह--

जैसा मैंने अभी बताया कि इस वर्ष हमने, जो संख्या पहले से निर्धारित थी उसको दुगनी कर दी है, अब मैं समझता हूं कि ऐसे साधन हमारे पास नहीं हैं कि इस साल इन मांगों को स्वीकार किया जाना सम्भव हो । अगले वर्ष जब बात आयगी तब देखेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय सदस्य मुरादाबाद से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने 'झूठे आश्वासन' शब्द का प्रयोग किया है, यह असंसदीय है । इसके बजाय अगर वह 'असत्य' या 'सत्य से परे' कहते तो अच्छा होता ।

श्री अध्यक्ष --

मैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

वह बात स्पष्ट हो गई कि यह जो कार्यवाही हुई बिष्ट जी की भूख हड़ताल वगैरह की, उसका कारण यह था कि विधायकों को पता नहीं रहता है कि सरकार के साधन क्या हैं और सरकार क्या कर सकती है । क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि पर्वतीय विकास परिषद की तत्काल मीटिंग बुलाकर उसमें विधिवत जो कार्य किए जा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, उस पर विचार किया जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, तत्काल तो नहीं लेकिन अगले महीने इसकी बैठक बुलायेंगे । सम्मानित सदस्य ने कहा है, पर्वतीय विकास में आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है । यह जो सोचने का तारीका है कि केवल शिक्षा प्रधान विकास हो, इससे निर्धनता को कम नहीं किया जा सकता । यह सारे सदन के सोचने की बात है कि क्या हमारी दिशा हो और क्या "थ्रस्ट" हो । इस सम्बन्ध में हम अवश्य पर्वतीय विकास परिषद की बैठक बुलायेंगे कि योजना में प्राथमिकतायें क्या होनी चाहियें और गैर राजनीतिक पहल से आर्थिक साधनों को देखते हुए गम्भीरता-पूर्वक चर्चा करेंगे ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

जैसा कि आपने स्वीकार किया कि अनशन के दौरान टेलीफोन पर बात हुई और आपने आश्वाशन दिया कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया गया और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न के उत्तर में दे दिया है, इसकी कोई आवश्वकता नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मुझे बड़ा दुख है कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि मैंने टेलीफोन किया । वास्तविकता यह है कि जब मुझे गिरफ्तार करके मेरे साथियों के साथ जिला मुख्यालय अस्पताल में लाया गया तो इन्हीं के दल के तमाम लोग वहां आये और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन मिलाया और मुझसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिये, वे आपसे बात करना चाहते हैं । मैंने इसी बात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने जब बचन दिया कि आप अपना अनशन समाप्त कीजिये, मैं सारी मांगों को मानने के लिए तैयार हूं, ठीक होकर आ जाइए, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, तब मैंने अनशन समाप्त किया । यह शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के थे ।

माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझसे यह कहा था, तो मैंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जैसी कि आपकी आदत है कि आप कह कर भूल जाते हैं तो कहीं आपने मेरी मांग को न माना तो मैं आपके बंगले पर अनशन करूंगा । तो मैं अब यह

जानना चाहता हूं कि क्या मैं अब माननीय मुख्य मंत्री के बंगले पर अनशन करने के लिए बैठूं क्योंकि मेरी मांगे नहीं मानी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मेरे साथ वहां पर आदमी अनशन पर बैठे हुये थे जब टेलीफोन मिला कर मुझसे माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करायी गयी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी मांगों को स्वीकार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हम सम्मानित सदस्य को दुखी नहीं करना चाहते हैं । वे कहते हैं कि हमारी तरफ से टेलीफोन बुक किया गया तो चलो मैं यही माने लेता हूं कि उनकी तरफ से नहीं बल्कि मेरी तरफ से टेलीफोन बुक करके बात करायी गयी । यह कोई तर्क का विषय नहीं है कि टेलीफोन किसने बुक किया परन्तु पर्वतीय विकास का जो प्रश्न है यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, यह कोई अनशन करने का प्रश्न नहीं है, यह विकास का प्रश्न है । यदि अनशन से ही प्रश्न हल हो सकता है तो हम सब इसके लिए अनशन करने को तैयार हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1985 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री दूधनाथ राजभर—

[1ले शुक्रवार में 38(2) के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जिले के ब्लाक तुलसीपुर हरैया, गंसड़ी आदि में सिंचाई व्यवस्था किए जाने की मांग

*2—श्री अकबाल हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री की जानकारी है कि जनपद गोंडा में राप्ती नदी के पार क्षेत्र (तुलसीपुर, हरैया गंसड़ी एवं पचपेड़वा ब्लाक) जहां भूमि के नीचे पानी तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु है काफी गहराई में, जिससे कृषक नलकूप लगाने में अक्षम हैं, तथा क्षेत्र में नहरों का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए क्या उपाय कर रही है ? क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए विश्व-बैंक की किसी योजना से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयत्न कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं कि यही प्रश्न मैंने 10 फरवरी, 1984 को किया था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने 10 अप्रैल, 1984 को कहा कि "सूचना एकत्र की जा रही है ।" और आज दिन तक ये फिर अभी सूचना ही एकत्र कर रहे हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को स्थिति से अवगत कराते हुए यह जानना चाहता हूं कि वहां पर भू-जल सर्वेक्षण के अनुसार ट्रांस राप्ती एरिया में जल काफी नीचे है, इससे सिंचन क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती है । इससे पूर्व ट्रांस राप्ती एरिया में ट्यूबवेल नहीं लगाये गये क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हुए । लेकिन अब पचपेड़वा, गंसड़ी,

तुलसीपुर, हरैया तथा सतघेरवा विकास खंडों में जहां पर टयूबवेल सक्सेसफुल होते हैं वहां डीप बोरिंग करके टयूबवेल लगाये गये हैं । जब जयपुरवा, लक्ष्मी-नगर और सिहमुहाई में टयूबवेल सक्सेसफुल हैं, तो इन टयूबवेलों के लगाने में किस तरह का सर्वेक्षण होता है ? तो कौन सी सूचना आपको चाहिए कि आप टयूबवेल लगवायेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

ट्रान्स राप्ती एरिया में, यह सही है कि पहले टयूबवेल नहीं लगते थे, क्योंकि जिस तरह से पानी मिलना चाहिए । वहां पर नहीं मिलता था । बहुत डीप बोरिंग की आवश्यकता होती थी । जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा, वहां पर प्रयास किया गया और कुछ नलकूप लगे और वह सक्सेसफुल हुए । जहां तक नलकूपों के आबंटन का प्रश्न है, जिला प्लान के तहत जो कमेटी बनी है उस कमेटी द्वारा होता है । आप जानते हैं कि चयन समिति में टयूबवेल्स का सेलेक्शन होता है । टयूबवेल का एलाटमेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है उसमें किया जाता है । डिस्ट्रिक्ट प्लान में यह तय किया जाता है कि कहां पर नलकूप लगाया जाये ।

श्री अकबाल हुसैन--

मैं सिंचाई मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि ट्रान्स राप्ती में सरजू नहर योजना के अन्तर्गत मुख्य राप्ती नहर बनायी जा रही है और उसका बैराज भी बना दिया गया है, लेकिन धन की कमी के कारण उसको पूरा नहीं किया जा रहा है । उसके लिए धन का आबंटन नहीं किया गया है । यह मुख्य राप्ती नहर 61 करोड़ रुपये से बन रही थी और वह रोक दी गयी है, 1990 तक । वहां पर इस तरह से जो सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा रही थी, उसको रोक दिया गया है । मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि मुख्य राप्ती नहर के निर्माण को रोक दिया गया है जिसके कारण वहां की सिंचाई क्षमता समाप्त हो गयी है, इसके निर्माण को 1990 तक रोका गया है तो 1990 तक सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध हो सकेंगे, तो मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए नलकूपों का कोई विशेष आबंटन करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात सही है कि जिस तेजी से नहर बनाने की योजना चल रही थी, वह कम हो गयी है । शारदा सहायक योजना के बनाने से जो समस्या सीपेज की पैदा हो गयी है, उसके किनारे के जो गांव हैं वह सीपेज की समस्या से परेशान हैं । इस सदन में भी कई बार यह प्रश्न उठा और बराबर चर्चा होती है । जो कठिनाई शारदा सहायक परियोजना से हुआ है उससे अधिक समस्या सरजू परियोजना से होने वाली है क्योंकि वहां पर वाटर लेविल बहुत ऊंचा है । सीपेज के अलावा और भी बहुत सी समस्या बन जायेगी । शारदा सहायक परियोजना में जो जो प्राब्लम पैदा हुई उसको सरयू योजना में पैदा नहीं होना देना चाहते हैं । इसी को देखकर काम किया जायेगा । माननीय सदस्य की जो चिन्ता है उसको देखा जायेगा ।

इटावा और फर्रुखाबाद निचली गंगा नहर की बलरु कुलासर माइनर का निर्माण

*3--श्री धनीराम वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि निचली गंगा नहर जो इटावा और फर्रुखाबाद होकर बहती है, के कनसुआ राजबहा के दस मील एक के फर्लांग, (हरदू कोठी के पास) से पांच वर्ष पूर्व कोई माइनर बलरु कुलशरधिपारा आदि ग्रामों की भूमि की सिंचाई हेतु खोदी गई थी जिसका शेष पांच प्रतिशत भाग की खुदाई न होने के कारण सिंचाई नहीं हो रही है जिससे न तो किसानों को लाभ हो सका है और

ही सरकारी धन का सदुपयोग ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिशीघ्र माइनर के शेष भाग को पूरा कराएगी ?

उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

जी हां ।

बर्रू कुलासर माइनर 4.40 कि0 मी0 लम्बी जो कि कंसुआ राजबाहा के कि0 मी0 16.400 (मील 10 फ0 2) बायीं पटरी से निकाली गयी है, का 0 40 कि0 मी0 लम्बाई का भाग काश्तकारों द्वारा अदालत से स्टे-आर्डर लाने के कारण निर्माण नहीं कराया जा सका ।

अदालत के आदेशानुसार माइनर के निर्माण हेतु छूटे हुए भाग के लिए ली जाने वाली भूमि का प्रतिकर वितरित हो जाने के पश्चात निर्माण कराया जा सकता है । भू प्रतिकर के निमित्त पूरी माइनर का भूमि अध्याप्ति प्रकरण बनाकर अधिशासी अभियन्ता, कानपुर प्रखंड निचली गंगा नहर, कानपुर द्वारा दिनांक 10-2-81 को अवशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कानपुर को भेजा जा चुका है । जैसे ही उनके द्वारा भू प्रतिकर वितरित कर दिया जायगा, माइनर के शेष भाग का निर्माण कर दिया जावेगा ।

ट्रक संख्या यू0 टी0 सी0 9963 पर बकाया रजिट्रेशन शुल्क एवं रोड टैक्स

*4—श्री प्रियदशी जेतली (अनुपस्थित)—

प्रथम सत्र 84 के पहले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 156 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9963 का स्वस्थता प्रमाण-पत्र 12-2-82 तक तथा मालकर 10-3-81 तक तथा मार्गकर 31-3-82 का बकाया था, तो इस दौरान बकाया करों को 1981 तथा 1982 में वसूल न किए जाने का क्या कारण है तथा बकाया करों को वसूल करने का प्रमाण-पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को कब जारी किया गया ? क्या वर्ष 1981-82 में आर0 टी0 ओ0, लखनऊ द्वारा बकाया वसूल न करने तथा बंध प्रपत्र को अनुपस्थिति में वाहन को अधिग्रहण न करने के लिए जो अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

प्रश्नगत गाड़ी का मालकर केवल 10-6-80 तक ही जमा है । 11-6-80 से 10-3-81 तक लम्पसम समझौते के अन्तर्गत देय मालकर की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ को 7-9-83 को भेजा गया) 11-3-81 से 31-3-82 का मालकर वसूल करने हेतु भी वाहन स्वामी को मांग पत्र भेजे गये जो डाक द्वारा वापस कर दिए गए इस सम्बन्ध में 30-6-83 को जिलाधिकारी लखनऊ को वसूली प्रमाण-पत्र भेजा गया चूंकि प्रश्नगत गाड़ी चेकिंग के दौरान कभी नहीं पकड़ी जा सकी अत: उसे डिटेन करके सीज करना सम्भव न हो सका । वर्ष 1981 तथा 82 में कर की वसूली के लिए कार्यवाही न करने के लिए सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम चान्दनी व हुडडो नदी के बीच भूमि का कटाव

*5—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिवनारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चान्दनी के अन्तर्गत जगबुड़ा (हडड) नदी से पिछले कई वर्षों से लगातार टाकव

हो रहा है ? इस कटाव से तीन सौ एकड़ भूमि नष्ट हो चुकी है ? क्या इस कटाव को रोकने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

ग्राम चान्दनी व हुडडी नदी के बीच में वन विभाग की भूमि है जिसका कटाव गत तीन चार वर्षों से हो रहा है । वर्ष 1983-84 में वर्षाकाल के बाद तक अनुमानित लगभग 50 एकड़ भूमि कट चुकी है ।

उक्त कटाव को रोकने हेतु 7.26 लाख रुपये की एक परियोजना जिसके अन्तर्गत पांच 20 मीटर लम्बी ठोकरें बनाने का प्राविधान था, बनायी गयी थी जो मुख्य अभियन्ता समिति द्वारा मार्च, 1984 की बैठक में पूर्ण विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दी गयी है ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम चान्दनी के बारे में पिछले सत्र में भी मैंने सवाल किया था और माननीय मन्त्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि वे स्वयं ग्राम चान्दनी जायेंगे और वहां का निरीक्षण करके उसे देखेंगे । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वे वहां अभी तक नहीं गये । मैंने लिखकर भी दिया और उनसे प्रार्थना भी की कि वहां पर अनुसूचित जाति के गरीब थारू भोक्सा लोग रहते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि जो आपको रिपोर्ट दी गई है, जिन अधिकारियों ने दी है, उन्होंने वहां का निरीक्षण किया भी है या नहीं, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर लगभग 2 हजार परिवार अनुसूचित जाति के हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो सूचना दे रहे हैं, प्रश्न कीजिये ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं कि वहां पर दो हजार अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं । आपने उत्तर दिया कि 1984 में वहां के लिये 7 लाख 26 हजार की योजना बनी थी किन्तु वह स्वीकार नहीं की गई है । तो इसके लिये क्या कोई नयी योजना माननीय मन्त्री जी बना रहे हैं ताकि भूमि के इस कटाव को रोका जा सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता सही है । अभी तक वहां वन भूमि कट रही थी और नियम यह है कि जब तक आबादी की भूमि न कटे तब तक कटान के कार्य में पैसा खर्च नहीं करते हैं । कहीं-कहीं ऐसी भूमि का कटान होता रहता है । लेकिन वैसा हम वहीं खर्च करते हैं जहां आबादी कट रही हो । माननीय सदस्य की बात सही है कि गांवों के करीब कटान हो रहा है और उसी को बचाने के लिये हम योजना बना रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह समस्या वन विभाग और सिंचाई विभाग, दो विभागों की समस्या साथ-साथ है । माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हुये हैं, कभी-कभी दो विभागों की आपस की खींचतान में जनता को कष्ट दिया जाता है । आपने उत्तर में कहा है कि वह वन विभाग की जमीन है उस पर आपने योजना बनायी है जिसे अस्वीकार कर दिया है । क्या आप यह बतलायेंगे कि कौन सी योजना आप बना रहे हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह योजना भी विचारोपरान्त अस्वीकार कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसी बात नहीं है । माननीय सदस्य इसे समझे नहीं हैं । यह वन

विभाग की भूमि का झगड़ा नहीं है। वन विभाग की भूमि कट रही है, उसका झगड़ा नहीं है। गांवों की आबादी की जमीन भी कटने लगी, गांव खतरे में है इसलिये बचाव कार्य हम कर रहे हैं।

नैनीताल जिले का निर्माणाधीन जमरानी बांध

*6--राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल जिले में निर्माणाधीन जमरानी बांध का निर्माण कार्य रोका जा रहा है जबकि अनेक वर्षों से हो रहे इस निर्माण कार्य पर काफी धन व्यय हो चुका है? यदि हां, तो कार्य रोकने का कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जमरानी बांध का निर्माण कार्य रोका नहीं गया है।

इस बांध के प्रथम चरण के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। द्वितीय चरण के कार्यों हेतु विस्तृत पुनरीक्षित प्राक्कलन केन्द्रीय जल-आयोग की स्वीकृति हेतु भेजा गया है जहां इसका परीक्षण किया जा रहा है।

*7--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त]

देवरिया जिले के नेवई अमवा ताल की ड्रेन का निर्माण एवं अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*8--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत नेवई अमवा ताल ड्रेन वर्ष 77-78 में बनी? यदि हां, तो किसानों को जिनकी भूमि ड्रेन में निकली, उनको आज तक मुआवजा न देने का कारण क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री नन्द किशोर सिंह--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा सवाल 28-2-84 का था और उसके बाद यह 11-4-84 को स्थगित हुआ। यह कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह हजारों किसानों का मामला है। तो कब तक इसके बारे में सूचना आ जायेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इसमें मुआवजे का प्रश्न था। इसलिये जिलाधिकारी से सूचना मंगायी जा रही है। जैसे ही सूचना आ जायेगी, आपको सूचना दी जायेगी।

वाराणसी जिले के चौलापुर माइनर से धरसौना ग्राम को क्षति

*9--श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि केराकत रजबहा जौनपुर से धरसौना माइनर निकाली गयी है जिसमें इधर पिछले साल से इस माइनर में इतना अधिक पानी आ रहा है कि लाभ के बजाय किसानों का नुकसान हो रहा है क्योंकि माइनर का किनारा और पटरी लगभग जमीन के बराबर हो गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी धरसौना माइनर की रीमार्डलिंग कराने की योजना बनायेंगे? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक पूरी करा दी जायगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

केराकत राजबाहा जौनपुर से धरसौना माइनर के नाम से कोई माइनर नहीं निकाली गई है। केराकत रजबाहा के कि0 मी0 43:0 दाहिनी पटरी से चौलापुर माइनर निकलती है, जिसके लगभग 13 कि0 मी0 पर धरसौना गांव स्थित है। चौलापुर माइनर के नीचे भैंसा पम्प नहर के बनने पर केराकत

रजबाहे की तली का ढाल उल्टा कर दिया गया था, इससे चौलापुर में अधिक पानी जाता था । अब शारदा सहायक का पानी आने पर केराकत रजवाहे का ढाल ठीक कर दिया गया है और समस्या समाप्त हो गई है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि चौलापुर माइनर के नीचे नहर बनने पर केराकत रजबहे की तलहटी उल्टी कर दी गई है जिसकी वजह से चौलापुर में अधिक पानी जाता था । यह गलत है मेरी जानकारी है कि माइनर का किनारा और पटरी दोनों बराबर हो गई इससे उसमें अधिक पानी आया ।

इधर एक साल से शारदा सहायक से पानी जाने से पानी का बहाव ज्यादा हुआ । और वह सड़क, नहर की पटरी और नहर के किनारे दोनों बराबर हो गये हैं क्योंकि उसमें पानी कभी आया ही नहीं और बरसात में मिट्टी और पानी भरता गया । जब उसमें पानी गया तो वह बाहर बह कर आ गया उससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ । चोलापुर की जो सर्विस रोड है वह बिलकुल खराब हो गयी है उसमें ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है । पैदल चलने के तो सवाल ही नहीं होता । तो क्या माननीय मंत्री जी धरसौना से गढ़सरा तक सर्विस रोड में दो फुट मिट्टी डला कर उसे ठीक करा देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

पहले केराकत रजबहे से जो पानी आता था उसे ठीक कर दिया गया है उसे ऊंचा करके दूसरी तरफ नीचा कर दिया गया । शारदा सहायक बो बनने से पानी पहुंचने लगा है और आग का हिस्सा ठीक कर दिया गया है । अगर कहीं कोई दिक्कत है तो माननीय विधायक उसे बतायेंगे तो ठीक करा दिया जायेगा ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, धरसौना से गड़सरा तक की सर्विस रोड बिलकुल खराब हो चुकी है । क्योंकि बीच में नहर के कटने से पानी बहने लगता है । तो उस सड़क को कम से कम दो फीट मिट्टी डाल कर ऊंचा करने की कृपा करेंगे ताकि सड़क ठीक हो सके ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि अगर कहीं पर कोई जरूरत हुई और माननीय विधायक बतायेंगे तो उसे ठीक करा देंगे ।

शाहजहांपुर के तृतीय सिंचाई खंड की नहरों की कथित सिंचाई

*10--श्री जगदीश सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में सिंचाई खंड नं0 3 में वर्ष 83 में कुछ नहरों की सफाई दिखाकर पैसा निकाल लिया गया जबकि उन तारीखों में नहरों में पानी चला ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद शाहजहांपुर में तृतीय उप खण्ड न कि "सिंचाई खंड नं0 3" में वर्ष 83 में चलती नहरों की सफाई दिखाकर पैसा निकाले जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर देहात को उद्योग शून्य घोषित करने के पश्चात् उद्योगों की स्थापना प्राप्त प्रार्थना-पत्र

*11--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर देहात को उद्योग शून्य जनपद घोषित करने के पश्चात कितने उद्यमियों

ने उद्योग लगाने हेतु सरकार को प्रार्थना-पत्र दिया है ? इन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कानपुर देहात को उद्योग शून्य जनपद घोषित करने के पश्चात उद्यमियों से 17 आवेदन-पत्र भारी उद्योग लगाने हेतु प्राप्त हुये हैं जिनमें 13 आवेदन पत्रों पर भारत सरकार को आशय पत्र जारी करने हेतु संस्तुति भेजी जा चुकी है । भारत सरकार द्वारा 4 आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं । लघु उद्योग के क्षेत्र में 702 इकाइयों का प्रस्तावित पंजीकरण, 73 इकाइयों का स्थाई पंजीकरण किया गया है । उक्त अवधि में 2 लाख से अधिक पूंजी निवेश की 29 इकाइयां स्थापित हुई । इन इकाइयों को वित्तीय सहायता भवन सामग्री इत्यादि की सुविधा दिलाई जा रही है ।

श्री भूधर नारायण मिश्रा---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 17 आवेदन-पत्र भारी उद्योग के प्राप्त हुए जिसमें से 13 की संस्तुति आशय-पत्र जारी करने की भारत सरकार को कर दी गयी है और 4 को आशय-पत्र जारी हो गये हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कानपुर देहात जनपद उद्योग में शून्य जिला घोषित है और काफी समय से वहां कोई उद्योग नहीं स्थापित हुए हैं । आज प्रश्न के माध्यम से जानकारी हुई कि कितने आशय-पत्र भारी उद्योग के प्राप्त हुये और केवल 4 आशय-पत्र भारत सरकार ने स्वीकृत किये हैं, तो उन उद्योगों क लगाने के लिए यू० पी० एफ० सी० से कोई ऋण या सहायता के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जैसी हमारी नीति है कि जो उद्योग हीन जिले हैं, जिसमें कानपुर देहात भी आता है उनको इतनी ज्यादा सुविधायें दे रखी हैं, भारत सरकार ने ताकि लोग वहां उद्योग लगायें । माननीय मुख्य मंत्री जब केन्द्र में उद्योग मंत्री थे तो इन्होंने घोषणा भी 1983 में किया था कि यहां हमारे जो देश के उद्योग विहीन जिले हैं, उनमें नई नई सुविधायें दी जायेंगी और 25 प्रतिशत कैपिटल सेन्टर सब्सिडी दी जाती है । इसके अलावा और बहुत सी छूटें भारत सरकार और राज्य सरकार दे रही हैं । जो सुविधायें दी गयीं हैं, उनको देखते हुये जब कि यह जिले उद्योग विहीन घोषित नहीं किये गये और जहां उद्योग नहीं लगते थे, जैसा कि कानपुर देहात के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां कोई उद्योग लगाने वाला नहीं जाता था किन्तु आज जो स्थिति है उसमें काफी लोग वहां उद्योग लगाने हेतु दौड़ रहे हैं और अभी सूचना मिली है कि 4 नहीं बल्कि 8 भारी उद्योग लगाने के आशय-पत्र जारी हो रहे हैं । इसी तरह से 25 और भी रजिस्ट्रेशन हुये हैं जो 5 करोड़ रुपये से कम हैं लघु उद्योग लगाने जा रहे हैं, तो एक साल में यह जो प्रगति हुई है वह छोटी बात नहीं है । कानपुर देहात के बारे जो माननीय सदस्य की चिन्ता थी उसको देखते हुये भारत सरकार, हमारी इन्दिरा गांधी और भूतपूर्व उद्योग मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने काफी प्रयास किया और यही कारण है कि कानपुर देहात में भारी संख्या में उद्योग लगने जा रहे हैं जिसमें बड़े, छोटे और मध्यम सभी उद्योग हैं । उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी व्यक्ति को चाहे वह बड़े, छोटे या मध्यम उद्योग को लगाने जा रहे हैं उनको हर तरह से सुविधा देंगे और सुविधा देने में हम कोई हिचक नहीं करेंगे ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, कानपुर जनपद के देहात क्षेत्र में उद्योग विकास के लिये क्या ग्राम सभा की पट्टे की भूमि जो है उसको लघु उद्योग को उपलब्ध कराने पर निर्णय लेंगे ?

दूसरा प्रश्न यह है कि कानपुर देहात में इस समय सबसे बड़ा उद्योग जो चल

रहा है वह ईंटों के उत्पादन का उद्योग है । तो क्या मंत्री जी ईंटों के उत्पादन के लिये ग्राम सभा की भूमि, जो बेकार पड़ी है, ईंटों के उत्पादन के उद्योग लगाने के लिये उपलब्ध करने का निर्णय लेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, जो गांव सभा की भूमि की एलाट करने की एक पद्धति बनी है उसके अंदर हम गांव सभा की जमीन उद्योग लगाने के लिये दे रहे हैं और भी जमीन एक्वायर करके दे रहे हैं । कोशिश करते हैं कि वह भूमि जो कम उपजाऊ है या जहां पैदावार नहीं होती है वहां ऐसे उद्योग लगाने की प्राथमिकता दें और आवश्यकता पड़ने पर एक्वायर करके जमीन दे रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं आ रही है ।

मेरठ कारागार में फरार बन्दी श्री विक्रम के सम्बन्ध में कारागार निरीक्षक का पत्र

*12--श्री मन्जूर अहमद--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र एवं उसके साथ श्री महावीर सिंह, कारागार निरीक्षक, मेरठ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-9-83 का जिसमें मेरठ कारागार से 31-7-83 को विक्रम आदि बन्दियों की फरारी होने की घटित घटना से सम्बन्धित है, जिसमें कारागार, मेरठ के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर गम्भीर आरोप लगाते हुए स्थानान्तरण कराने की मांग की गयी थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र व प्रार्थना-पत्र क्या था और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)--

जी हां ।

माननीय विधायक के पत्र एवं उसके संलग्नक श्री महावीर सिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-9-1983 का विषय वही है जो प्रश्न के प्रथम भाग में उल्लिखित है । तथ्यों का पता लगाकर यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि एक साल दो महीने के अंदर-अंदर दो काम जेल में हो गये हैं, पत्र क्या है, उस पत्र में किस-किस अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं, उस पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? क्या यह सही है कि दो कांड हुए हैं उन अधिकारियों की मौजूदगी में, इसके बारे में मंत्री जी उत्तर दे दें ।

श्री राम सिंह--

मैं सम्मानित सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि घटना दो अवश्य हुई हैं, लेकिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के उपरान्त और प्राईमाफेसी केस बना, उनको निलम्बित किया गया और जो अस्थायी थे, उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं और 17 को वहां से स्थानान्तरित किया गया था ।

श्री मंजूर अहमद--

मैंने पत्र में लगाए आरोप जानने चाहे हैं । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जे0 पी0 सिंह, जो सुपरिन्टेन्डेन्ट जेलर हैं उनके रहते हुए यह दूसरा कांड हो गया है, तो क्या यही सन् 77-78 में भी जेलर थे और वह फिर दुबारा वहां पर पहुंच गये हैं ? आपने सिपाहियों के विरुद्ध तो कार्यवाही कर दी है, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ।

श्री राम सिंह--

यह सही है कि 77-78 में यह वहां थे । प्रोन्नति के बारे में इनका स्थानान्तरण किया गया था और बाद में इनको फिर मेरठ जेल में अधीक्षक के

रूप में रखा गया। जहां तक कार्यवाही करने की बात है। इस घटना की पूरी मजिस्ट्रियल जांच की गई और उसमें यह तथ्य प्रकाश में आए कि जो बन्दी वहां से फरार हुए थ, उसमें इनकी भारी भूमिका रही थी परन्तु मजिस्ट्रियल जांच में इनको दोषी नहीं ठहराया गया, इसलिए इनका ट्रांसफर करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मंजूर अहमद--

मैंने दो सवाल किये थे, एक तो यह कि पत्र क्या था और मैजिस्ट्रियल जांच में क्या पाया गया है। वह मुल्जिम जो फरार हुए हैं, उसमें यह भी हैं या सुपरिन्टेन्डेन्ट जेलर हैं? यह उनकी सुरक्षा और देखभाल अन्दर किया करते थे। उसके बावजूद एक साल के बाद अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने उस पत्र में यह मांग की थी कि इसकी जांच सतर्कता विभाग के सुपुर्द की जाए, परन्तु यह की नहीं गई, तो सुपरिन्टेन्डेन्ट जेलर दुबारा पहुंचे हैं, इन मुल्जिमों को सुरक्षा देने में और उन्हें भगाने में उनका हाथ है, यह मेरा आरोप था मैं यह जानना चाहता हूं कि सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल और जेलर उस वक्त कौन-कौन थे?

श्री राम सिंह--

जैसा मैंने बताया है इसमें जो आरोप लगाए गए थे, वह 11 थे, कहिये तो सबके बारे में प्रस्तुत कर सकता हूं। इन्होंने अधीक्षक के विरुद्ध और एन0 के0 शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की थी। लेकिन एन0 के0 शर्मा नाम का कोई अधिकारी नहीं था, एन0 के0 वर्मा अवश्य थे। रामपाल, वार्डेन और दीना नाथ पाण्डेय के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं कि पैसा लेकर वह मुलाकात आदि कराया करते थे।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

एक किलो मीटर के अन्दर उन सरकश मुलजिमों को जेल के उन कर्मचारियों ने पकड़ा और जेल के हवाले कर दिया और इस पकड़ने की कार्यवाही में उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और गोली चलानी पड़ी। ऐसी परिस्थिति में उनको इनाम देना चाहिये या उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये?

श्री राम सिंह--

मैं सूचित करना चाहता हूं कि जिस समय वह फरार हुए, उसके बाद इन अधीक्षक महोदय और दूसरे कर्मचारियों ने उनको घेरा और उन मुलजिमों के पास स्टेनगन और दो रिवाल्वर थे, उसके बावजूद इन लोगों ने अपने जान की बाजी लगाकर उनको पकड़ा। अब विक्रम और धर्मपाल को फांसी दे दी गई है और एक का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया था।

ललितपुर जिले के ग्राम बछरावनी, इमलिया, छपरट, चन्द्रावली की सिंचाई व्यवस्था

*13--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि ललितपुर जनपद के ग्राम बछरावनी (बधेश्वर) इमिलिया, छपरट, चन्द्रावली भवरा, पठाविगावल में सिंचाई का कोई प्रबन्ध न होने के कारण फसल पैदा न होने से उक्त ग्राम उजड़ रहे हैं? यदि हां, तो पर्याप्त पानी की उपलब्धता हेतु क्या सिंचाई लिफ्ट योजना को शुरू करेंगे? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

ललितपुर जनपद के ग्राम बछरावनी (बधेश्वर), इमिलिया, छपरट, पठा में नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है किन्तु चन्द्रावली ग्राम जामनी बांध के नहरी कमान्ड में होते हुए भी

बाजपुर रजवाहे की टेल पर होने के कारण सिंचाई नहीं हो पाती है। दिगावर ग्राम में राजकीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इस बात की कोई जानकारी नहीं है फसल पैदा न होने से उक्त ग्राम उजड़ रहे है।

पर्याप्त पानी की उपलब्धता पर लिफ्ट योजना प्रारंभ करने का निर्णय पूर्ण सर्वेक्षण के उपरान्त ही हो सकेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आपको गलत जानकारी देकर सदन में गलत बयान दिलवाने की कोशिश की है। यह गांव जामनी बांध के नहरी कमांड में हैं लेकिन नहर से इनको पानी नहीं उपलब्ध हो पा हा है जिससे प्रति वर्ष फसल चौपट हो जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी स्वयं वहां पर जाकर इन सभी तथ्यों की सही जांच करने की कृपा करेंगे? दूसरी चीज कितने दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैंने उत्तर में बताया कि कई गांव वहां पर ऐसे हैं जहां पानी उपलब्ध है और कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वहां पर जनता की मांग है कि लिफ्ट योजना चालू की जाय। तो मान्यवर, इसके लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता है, वह कराया जायगा। सर्वेक्षण के बाद जैसी रिपोर्ट आती है उस पर अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मंत्री जी ने हमारे एक प्रश्न का उत्तर दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने सुनिश्चित जानकारी दी है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने गलत सूचना देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। माननीय मंत्री जी स्वयं एक दिन का समय निकालकर वहां का निरीक्षण करने की कृपा करें। वहां पर पानी न मिलने के कारण पिछले 10 वर्षों से फसल नष्ट होती है और इसी कारण वहां गांवों की आबादी कम हो रही है। माननीय मंत्री जी को वहां चलने की बात स्वीकार करनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि सन् 1982 में वहां पर सर्वे कराकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यहां पर लिफ्ट योजना लगायी जा सकती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कब से कार्य प्रारम्भ करवाने की कृपा करेंगे? अगर आप नहीं जायेंगे तो कि किस अधिकारी को भेजेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह सही है कि वहां पर कुछ गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। टेल पर जो गांव हैं वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है। मैंने बताया कि सर्वे कराकर कि क्या वहां लिफ्ट योजना से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, तो सर्वे कराया जायेगा। जहां तक मेरे चलने का प्रश्न है तो माननीय सदस्य से बात करेंगे, उनकी क्या समस्या है, इसको देख लिया जायगा, अधिकारियों को भेजा जायगा। अगर मेरे चलने की जरूरत है तो मैं भी चला चलूंगा। लेकिन समस्या का निदान किस तरह से हो तो इसके बिना सर्वेक्षण के कोई कार्य नहीं हो सकता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैंने बहुत सरल शब्दों में प्रार्थना की है। जो भी जानकारी दी गयी है वह गलत दी गयी है। मेरे एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि वहां सर्वे हो चुका है

तो मै जानना चाहता हूं वहां पर कब से कार्य को प्रारम्भ किया जायगा ? माननीय मंत्री जी खुद जाकर सही तथ्यों का पता लगाने की कृपा करें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

माननीय, जो सूचना उपलब्ध हैं अगर उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया । अगर कोई चीज गलत है, तो मैं उसको एस० इ० को भेजकर फिर दिखवा लूंगा ।

प्रदेश में अवैध शराब बनाने के धन्धे को घरेलू उद्योग घोषित किये जाने की मांग

*14--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार को जानकारी है कि गांवों में अवैध शराब बनाने का धंधा होता है ? यदि हां, तो क्या इस अवैध शराब निर्माण को घरेलू उद्योग घोषित करके प्रदेश में लगभग सवा लाख परिवार, जो इस धंधे में जीवन यापन करते हैं और प्रति दिन छः लाख पैंतीस हजार लीटर से अधिक शराब का निर्माण करते हैं, उन्हें एक नियोजित जीवन बिताने के लिए उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

जी हां, प्रदेश में कहीं-कहीं गांवों में अवैध शराब बनाने का धंधा होता है । अवैध शराब का निर्माण आबकारी अधिनियम, 1910 का धारा 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, इसलिए इसको घरेलू उधोग घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती गौरी देवी--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की साठ-गांठ से छोटे गरीब लोग अपने घरों में भटठी लगा कर शराब चुआते है और उनसे इन दोनों विभागों के लोग पैसा लेते है, जिससे सरकार के करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि होती है तो मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इससे सरकार के करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति है, तो क्यों नहीं माननीय मन्त्री जी इन छोटे गरीब लोगों को लाइसेन्स दे देते, जिससे कि सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके और जो गरीब आदमी सताये जा रहे हैं, वह न सताये जा सकें, इसलिए उनको शराब चुआने का घरेलू लाइसेन्स दे दिया जाय ?

श्री वासुदेव सिंह--

मर्ज की दवा होनी चाहिये और क्या मैं माननीया गौरी देवी से पूछ सकता हूं कि कोई अवैध रूप से सदन में चला आवे, तो उसको निकालने और दण्ड देने के बजाय क्या उसको सदस्य बना दिया जाय ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । माान्यवर, यह सरकार शराब बन्दी को रोकने में पूर्णतया विफल रही है, बल्कि इनको रुपया पैसा चाहिये, चाहे शराब घर-घर चुवे, कहीं भी चुवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । सरकार को राजस्व चाहिये, तो सरकार अवैध काम को क्यों बन्द करे । जब माननीया सदस्या ने सवाल उठाया महराजगंज के एक्साइज इंस्पेक्टर के सम्बन्ध में कि वह गांव-गांव में शराब चुआ रहा है, उसका स्थानान्तरण तीन बार हुआ और तीनों बार माननीय मन्त्री जी ने रोक दिया । तो क्या माननीय मन्त्री जी, जिन अधिकारियों के विरुद्ध स्पष्ट आरोप हैं, उनको हटायेंगे ? अगर सरकार उनको हटाने में सक्षम नहीं है, तो उन गरीबों को लाइसेन्स देने में क्या आपत्ति है ?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य बहुत अनुभवी सदस्य हैं और बहुत दिनों से इस सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं । इन्हें सरकार में भी काम करने का मौका मिला था ।

उस वक्त, जो इनके उग्र विचार हैं, उनका कहीं हमें दिग्दर्शन नहीं मिला। लेकिन अब प्रश्न है कि जो धंधा चल रहा है, यह मैं मानता हूं कि ऐसा चल रहा है, उसके बारे में जहां कहीं से माननीय सदस्य या और दूसरे लोग शिकायत करेंगे, उसकी अवश्य जांच करवायेंगे और दण्ड लायक हैं, तो उसको दण्डित किया जायगा।

श्री मुईद अहमद--

आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, कि मान्यवर, माननीय सदस्य अनियमित शराब बनाने वालों को नियमों के अन्दर छूट देने के बात कर रहे हैं। क्या इसी प्रकार से जो दूसरे अनियमित धंधे करने वाले हैं, उनका भी नियमित करने पर माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रश्न में कहा गया है कि इस रोजगार में करीब सवा लाख परिवार लगे हैं और छः लाख पैंतीस हजार लीटर से अधिक शराब का निर्माण होता है इस बात को मन्त्री जी ने स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने 'हां या नहीं' नहीं कहा। तो इन लोगों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुये, यह लूले, लंगड़े और अपाहिज लोग हैं और सरकार की नीति है विकलांगों को रोजगार देने की तो क्या इन परिवारों को दूसरे रोजगार में लगाने पर सरकार सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि शराब बनाना आबकारी अधिनियम में दण्डनीय अपराध है। क्या लाखों लीटर शराब बनाने वाले अपराधी नहीं है ? केवल 2-3 सौ लीटर शराब बनाना ही अपराध है ?

श्री वासुदेव सिंह--

दण्डनीय दोनों हैं। प्रश्न यह है जो संज्ञान में आये और जांच में जो अपराधी सिद्ध हों।

श्री रेवती रमण सिंह--

मंत्री जी ने स्वीकार किया अवैध शराब बड़े पैमाने पर ... प्रदेश में बनाई जा रही है। अगर कहीं की सूचना मिलेगी तो कार्यवाही करेंगे ? आबकारी अधिनियम में आप 100 रुपया तक जुर्माना कर सकते हैं। हमारे इलाहाबाद जनपद की तहसील मेजा में ऊंवडीह में सड़कों पर शराब बिकती है, 3-3, 4-4 ड्रम। एस० एस० पी० से कहने पर चालान होता है 100 रुपया दे देते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। आबकारी अधिनियम में परिवर्तन करके क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे अवैध शराब न बन सके ?

श्री वासुदेव सिंह--

आबकारी विभाग और पुलिस विभाग मिलकर कार्य करते हैं। माननीय सदस्य ने इलाहाबाद की बात कही है, माननीय सदस्य मुझे बता देंगे तो मैं जांच करा लूंगा। प्रश्न यह है कि इसको कैसे रोका जाय। समाज की जो स्थिति है, उसको नजरन्दाज न करें। इसको निरन्तर प्रयास करके, उदाहरण रखकर और कानून का सहारा लेकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से और बहुत सी प्रथायें थीं जैसे सती प्रथा, ठगी प्रथा। सती प्रथा रोकी गई और प्रथायें कुछ रुक गई हैं कुछ रुकने के रास्ते में हैं। जो मौजूदा रोग है उसका उन्मूलन करने के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करके, समाज में चेतना उत्पन्न करके, इसको रोकने का मैं पक्षधर हूं।

मात्र कानून से नहीं । जो पैसा देते हैं और जो लेते हैं दोनों दोषी हैं । इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जो अवैध शराब बनती है उसको नियमित घोषित करना बहुत ही भयावह होगा । यह मैं मानता हूं कि इसको रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वह नाकाफी हैं । मैं इसमें सक्रियता और तेजी लाने का सतत प्रयास करता रहूंगा ।

श्री मित्रसेन--

मन्त्री जी चलती बसों में तो लिखा रहता है शराब पीना विष से भयंकर है और दुकानों पर लिखा रहता है यह मधुशाला है, यानी शराब अमृत है । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बाजारों के चौराहों पर दुकानों पर लिखा रहता है 'मधुशाला' जहां से हमारी बहुबेटियां गुजरती हैं तो बेइज्जत होती हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी जो बाजारों के चौराहों पर शराब की दुकानें होती हैं उनको बन्द करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से अलग की बात है । अवैध शराब तो बन्द है । जो सरकार के कार्यक्रम हैं, उनमें बेरोजगार आदि के लिए छूट दी गई है । शराब बनाने के लिए छूट नहीं दी जा सकती है, इसलिए जो बात कही गई है, वह सही नहीं है । जो गरीब लोग हैं, उनका भरण-पोषण कैसे हो, इसके लिए दूसरे कार्यक्रम हैं, अवैध शराब जो बनाई जा रही है, उसको रोकने का सख्ती से प्रयास किया जाएगा ।

परवेन नदी से खटीमा क्षेत्र के गांवों का कटाव

*15--श्री बिहारी लाल तथा श्री शिवनारायण सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परवीन नदी से खटीमा क्षेत्र के आसपास के गांवों में जो भूमि कटाव हो रहा है, उससे काफी खतरा पैदा हो हो गया है ? क्या इस नदी के कटाव का किसी सरकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस कटाव को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, सात महीने से सूचना एकत्र की जा रही है, मरीज तो लाइलाज हो रहा है और दवाई मंगाई जा रही है । मान्यवर, मैंने 25-2-84 को प्रश्न किया था । इसकी अभी तक सूचना एकत्र की जा रही है । श्रीमन्, जब कोई विधायक प्रश्न करता है...

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करिए । मैं इस प्रकार से आज्ञा नहीं दूंगा ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी क्या सात महीने से छुट्टी पर थे जो सूचना एकत्र हो रही है ? मान्यवर, मैंने 25-2-84 को प्रश्न किया था और अभी तक सूचना ही एकत्र की जा रही है । नदी ने तमाम खेत काट दिए हैं तबाही मची हुई है, इन बातों को देखते हुये क्या माननीय मन्त्री जी इसमें एक महीने के अन्दर विशेष सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो चीफ इंजीनियर उसी एरिया के हैं उनसे कह दिया जायेगा वह उसको देख लेंगे । और जो कार्यवाही इसमें हो सकती है वह की जायेगी ।

सेवरही विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत पिपरा घाट तटबन्ध के निर्माण की मांग

*16--डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि सेवरही विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत पिपरासी पिपराघाट तटबन्ध बिहार सरकार द्वारा न बनाए जाने के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ में जलमग्न हो जाती है, जिससे वहां के निवासी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इसके समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा गठित गण्डक उच्च स्तरीय समिति के सम्मुख इसे रखा गया जिन्होंने विभिन्न प्रस्ताव बिहार बांध बनाने हेतु दिये परन्तु बिहार सरकार उनको कार्यान्वित नहीं कर पायी है । दिनांक 19-1-84 को गंगा बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की घटना में 9वीं बैठक पर भी इस हेतु कहा गया है । विहार ने सीमित समय, धन व साधन हीने के कारण इस कार्य की करने में अपनी कठिनाई बतायी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नलकूप उपखन्ड द्वितीय, फिरोजाबाद के सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायती पत्र

*17--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामगोविंद चौधरी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि द्वितीय नलकूप उपखण्ड फिरोजाबाद, जनपद आगरा के ठेकेदारों द्वारा कोई ज्ञापन दिनांक 30-10-83 को उन्हें मिला है जिसमें विभिन्न अधिकारियों द्वारा लाखों रुपया फर्जी भुगतान और अन्य गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जी हां । द्वितीय नलकूप उपखण्ड, फिरोजाबाद, जनपद आगरा के ठेकेदारों द्वारा दिनांक 30 अक्तूबर, 1983 को दिया गया ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें नलकूप उपखन्ड द्वितीय, फिरोजाबाद के सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी थी ।

इस ज्ञापन में दिये गये आरोपों की जांच अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड, आगरा द्वारा करायी गयी जिसमें ठेकेदारों द्वारा लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूछना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच अधिकारी थे वह जांच करने कब गये थे और जिन्होंने शिकायत की थी उनको जांच की सूचना दी गई थी अगर हां, तो किस-किस को इसकी सूचना दी गई थी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इस मामले में वहां के अधिशासी अभियन्ता से जांच करायी गयी थी । किस तारीख को जांच की गई थी इसकी सूचना नहीं है जिन्होंने शिकायती-पत्र पर हस्ताक्षर किये उनको सूचना दी गई थीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है मेरे वहां के मित्र के पास से पत्र आया है कि जो जांच हुई है वह कागजी तौर

पर हुई है । कोई अधिकारी कहीं जांच करने नहीं गया । न ही आरोपकर्ताओं को जांच के लिये बुलाया गया । मेरी सूचना को सही मानकर कि माननीय मंत्री जी का उत्तर सत्यता से परे है और कोई जांच हुई ही नहीं और आरोप-कर्ताओं को बुलया ही नहीं गया । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच किसी दूसरे खन्ड के वरिष्ठ अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से सूचना दे दूं कि जांच 7 मई, 10 मई और 13 जून, 1884 को आगरा में कालोनी में की गयी थी और उसमें सर्वश्री राम सिंह, मंसा लाल, मोहन लाल, लायक सिंह, जगन्नाथ आदि सभी ठेकेदारों को बुलाया गया था व वे उपस्थित हुए थे । केवल एक ठेके-दार राम जी उपस्थित नहीं हुए थे तो अथारिटी लेटर लेकर उनका पुत्र उपस्थित हुआ था, जिसमें लिखा था कि उनके पुत्र उनकी ओर से बयान देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से एक बात स्पष्ट हुई कि जांच कालोनी में की गयी थी, जबकि साइट पर जांच होनी चाहिये थी । वह जांच कागजों पर करायी गयी । मेरा अनुरोध है कि क्या माननीय मन्त्री जी पूरे प्रकरण की जांच टेक्निकल आडिट सेल से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि जांच कालोनी में हुई । कालोनी में बयान लिया गया । यदि मा0 सदस्य इससे सन्तुष्ट नहीं हैं तो इसकी जांच सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से करा ली जायगी ।

नारायन पुर पम्प कैनाल, मिर्जापुर एवं वाराणसी तथा जोगवा माइनर हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*18--श्री रामचन्द्र--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायनपुर पम्प कैनाल व जोगवां राजबहा, जनपद मिर्जापुर, वाराणसी के लिए किसानों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा एक अर्से से अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

नारायनपुर पम्प कैनाल के अन्तर्गत मिर्जापुर जनपद में पड़ने वाले तीन ग्रामों में प्रतिकर वितरित किया जा चुका है । इस जनपद के शेष ग्रामों में तथा वाराणसी जनपद में पड़ने वाले ग्रामों में भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है । भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् प्रतिकर वितरित किया जायेगा ।

जोगवां माइनर के निर्माण हेतु सात ग्रामों में भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रगति में है जिसके पूर्ण हो जाने से उपरान्त प्रतिकर वितरित किया जायेगा ।

श्री रामचन्द्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो बताया गया है कि नारायन-पुर पम्प कैनाल में तीन गावों में मुआवजा बांट दिया गया है और मेरा यह कहना है कि नारायनपुर पम्प कैनाल जो पहले 360 क्यूसेक की थी, अब 1800 क्यूसेक नहर खोद दी गयी है, जबकि मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है और अधिकारियों द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है, वह गलत है । नहर खोदने के पहले जमीन ली

गयी और मुआवजा का केस बना, लेकिन अब तक पेमेंट नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह की विभागीय रिपोर्ट जो दी गयी है, जो गलत है और मौके पर किसानों की जमीन ले ली गयी लेकिन किसान उसका लगान अब तक दे, रहे हैं। सन् 1974 में नहर खोदी गयी थी और 10 साल हो गये लेकिन मुआवजा नहीं बंटा और बताया जा रहा है कि लैन्ड ली जा रही है, यह गलत है। मैं चाहता हूं कि इसके लिये माननीय मंत्री जी एक कमेटी बना दें जो जांच करे कि अधिकारियों द्वारा दी गयी यह रिपोर्ट गलत है कि नहीं ?ह आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सन् 1974 में इस नहर के खोदने के बाद मुआवजा बनाने हेतु रिपोर्ट किन-किन तारीखों में दी गई अर्थात् रिक्वीजेशन किन-किन तारीखों में भेजा गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मान्यवर, चूंकि नहरों का काम व उनका निर्माण जल्दी कराना होता है, इसलिए उनका तुरन्त रिक्वीजेशन करके उन पर काम हो जाता है। एक्वीजेशन की प्रक्रिया काफी लम्बी होती है, उसमें कई धाराओं में विज्ञप्ति की जाती है तथा लोगों से आपत्तियां मांगी जाती हैं, जिनकी जमीन नहर में आ रही है। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि मुआवजा वितरित नहीं किया है, मैंने पूर्व में भी अर्ज किया कि इसे शीघ्रातिशीघ्र किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में काफी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

श्री भगवती सिंह विशारद---

मान्यवर, क्या सिंचाई मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1974 या इसके बाद जिन लोगों की जमीन ली गई है, किन्तु उन्हें मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, यहां तक कि अभी भी वे किसान उसका लगान आदि दे रहे हैं, तो उन्हें मुआवजा देते समय मुआवजे की धनराशि में, उनके द्वारा दिये गये लगान की धनराशि भी शामिल होगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक जगह की बात बतायें या किसी का नाम बतायें, तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी और उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा।

विकास खंड हसेरन के लाख झील व बहोसी झील की बाढ़ से भूमि को क्षति

*19---कुंवर योगेन्द्र सिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड हसेरन के अन्तर्गत लाख बहोसी झील के आस-पास बसे 12-13 ग्राम, जो प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में पानी की बाढ़ से प्रभावित हो कर तबाह होते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर एक बांध बनाने की योजना जिला योजना में स्वीकृत हुई थी और उसके लिए 5 लाख रुपया भी स्वीकृत हुआ था और कुछ कार्य प्रारम्भ करने के बाद क्यों रुका हुआ है ? क्या उस योजना को पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरबहादुर सिंह---

लाख व बहोसी झील के आस-पास बसे 12-13 ग्राम प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में पानी की बाढ़ से प्रभावित हो कर तबाह नहीं होते हैं। लाख झील से केवल लाख ग्राम की कुछ आबादी एवं लगभग 225 एकड़ फसल प्रभावित होती है। इसी प्रकार बहोसी झील से बहोसी ग्राम की कुछ आबादी तथा लगभग 225 एकड़ फसल एवं बहादुरपुर ग्राम की लगभग 125 एकड़ फसल भी प्रभावित होती है।

लाख झील के चारों ओर बांध बनाने के प्रस्ताव को जिला ग्राम विकास अभिकरण फर्रुखाबाद की गवर्निंग बाडी

की 7-8-82 की मीटिंग में 5·00 लाख रु० को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी जब कि सिंचाई विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी।

उपरोक्त योजना पर वर्ष 1983-84 में केवल 5,000 ये (पांच हजार रुपये) प्रारंभिक कार्यों मे व्यय किया गया था। उस समय भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य में कोई भी प्रगति नहीं हुई। इस योजना को ठीक नहीं पाया गया। अतः इस योजना को समाप्त कर दिया गया है।

बहोसी झील पर बांध बनाने की किसी योजना की स्वीकृति ग्राम विकास अभिकरण की मीटिंग मे प्रदान नहीं की गयी थी। अतः निर्माण करने का कोई प्रश्न नहीं है।

देवरिया जिले की बेलवा माइनर हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*20—श्री विश्वनाथ—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में बलुआ माइनर के लिए जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी उस का मुआवजा किसानों को 4 वर्ष के बाद तक नहीं दिया गया और उनसे इस जमीन का लगान भी लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बेलवा माइनर (न कि बलुआ माइनर) हेतु 4.087 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है जिसका प्रतिकर बांटा जा चुका है। सम्बन्धित कृषकों की भूमि का सिंचाई विभाग के नाम अमल दरामद हेतु तहसीलदार पडरौना को दिनांक 16-12-82 को आदेश निर्गत कर दिये गये थें। लगान के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री विश्वनाथ—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के आदेशो को निर्गत किये हुए लगभग पौने दो वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद भी जिन किसानों की जमीन नहर में आई थी, उनसे अभी भी लगान लिया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी के उन आदेशों पर कब तक अमल किया जायगा ताकि किसानों को इस लगान से मुक्ति मिल सके। दूसरा, यह कि आज तक जो गलत तरीके से उन किसानो से लगान वसूला गया है, उसे कब तक किसानों को वापस कर दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में स्पष्ट लिखा गया है कि दिनांक 16-12-1982 को ही आदेश निर्गत कर दिये गये थे। माननीय सदस्य का कहना है कि उन पर अमल नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसे मैं दिखवा लूंगा। जल्दी करा दिया जायेगा।

श्री विश्वनाथ—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि तहसीलदार, पडरौना से सूचना मांगी जा रही है, तो कब तक माननीय मन्त्री जी को यह सूचना प्राप्त हो जायेगी। साथ ही जब से जमीन आपने ली, इसके बावजूद भी किसानों से लगान वसूल की गई, तो इस लगान को वापस करने का देनदार कौन होगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, बात तो सही है कि अभी दो साल हो गये है लेकिन अभी तक वहां पर अमल-दरामद की जानकारी नहीं हुयी है अतः पुनः उसको लिख दिया जायेगा और अमल दरामद करवा दी जायेगी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

संसाधन उपलब्ध होने पर अवश्य ही यह कार्य करवा जायेगा।

[बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1984के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नेशनल तथा जोनल ट्रक परमिटों की भांति प्राइवेट मार्गों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को परमिट दिये जाने की मांग

*1—श्री भीखा लाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल तथा जोनल ट्रक परमिट की भांति प्राइवेट मार्गों (अराष्ट्रीयकृत) पर शासन 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 2 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिए प्राइवेट बसों के परमिट देने हेतु आरक्षण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

नेशनल तथा जोनल ट्रक परमिटों की भांति प्राइवेट मार्गों (अराष्ट्रीयकृत) पर स्टेज कैरिज के लिए शासन ने अपनी अधिसूचना संख्या 5525-टी/तीस-4-1 के0 एम0ओ0/80, दिनांक 23 मई, 1983 के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए 18 तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण किया है ।

श्री भीखा लाल—

माननीय परिवहन मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को प्राइवेट रूट पर बसों के परमिट दिये गये हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

माननीय, इस प्रश्न पर सूचना की आवश्यकता है ।

हरदोई जिले के खंतहा व तराई नामक तालाबों के नाले की सफाई

*2—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भरावन, ब्लाक भरावन तहसील सन्डीला, जनपद हरदोई में खंतहा व तराई नामक तालाबों से निकलने वाले नालों की सफाई व झराई करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम भरावन, ब्लाक भरावन, तहसील सन्डीला जनपद हरदोई में खंतहा ताल के उत्तर में 3-09 किलोमीटर लम्बी माधवगंज ड्रेन है और इसके आगे प्राकृतिक नाला है । सिंचाई विभाग द्वारा माधोगंज ड्रेन में आवश्यक सफाई वर्ष 1983-84 में करायी गयी थी । तराई ताल से कोई विभागीय ड्रेन नही निकलती है। इससे निकलने वाले प्राकृतिक नाले का कोई रख-रखाव सिंचाई विभाग द्वारा नही किया जाता है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, वर्ष 1983-84 में ड्रेन की जो खुदाई करवाई गयी उस पर कितनी धनराशि व्यय हुयी और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो प्राकृतिक नाला है जो पट गया है, जिसकी वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही है तो सिंचाई विभाग द्वारा इस नाले के रख-रखाव सही ढंग से न कर पाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माधवगंज ड्रेन की मरम्मत में कुल 185 रु0 व्यय हुआ है और यदि विधिवत सफाई इसकी कराई जाए तो 3 लाख 20 हजार रु0 अनुमानित है, परन्तु अभी धन उपलब्ध न होने के कारण यह सफाई कार्य नहीं हो पा रहा है, संसाधन के होते ही यह कार्यवाही शुरू करवा दी जायेगी ।

श्री पंचानन राय—

इनकी सफाई न होने की वजह से फसलों पर इसका असर बुरा पड़ रहा है तो इसकी सफाई के लिए कोई भी विकल्प ढूढ़ा जायेगा अथवा नहीं ?

मथुरा जिले में यमुना नदी के खादरों में सिचाई व्यवस्था की मांग

*3--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा मे यमुना नदी के किनारे के खादरों में जहां जमीन के अन्दर मीठा पानी तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु अधिक गहराई पर होने कारण किसान नलकूप लगाने में असमर्थ हैं तथा नहरों का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी विश्व बैंक को किसी परियोजना से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, सिंचाई की समस्या से मथुरा जिला बहुत ज्यादा ग्रस्त है तो क्या आगामी सत्र तक इस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी दे देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर मथुरा जनपद में ज्यादातर पानी खारा मिलता है, बहुत से ट्यूबवेल लगाये गये वहां पर खारा पानी ही निकला और इस खारे पानी से सिंचाई करने पर फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। माननीय सदस्य विश्व बैंक की किसी परियोजना की सहायता से ट्यूबवेल लगवाने की बात कर रहे हैं, जबकि वहां पर साधारण ट्यूबवेल तो लग नहीं पा रहे हैं। विश्व बैंक के ट्यूबवेल तो वहां पर लगते हैं जहां पर कूलष्ठर हो और पानी खारा न हो ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, यमुना नदी से किनारे-किनारे के खादरों में जहां जमीन के अंदर मीठा पानी तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इस सिलसिले में हमने बार-बार निवेदन किया है कि वहां का सर्वे करवा लिया जाय ताकि कुछ हल निकल सके तो क्या माननीय मंत्री जी अब वहां का सर्वे करवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, सर्वे करा लेंगे ।

लोअर गंगा नहर, भोगनीपुर डिवीजन से पानी की आपूर्ति

*4--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोअर गंगा नहर भोगनीपुर डिवीजन में इस वर्ष पानी कम दिए जाने के कारण क्या है ! क्या यह सही है कि उक्त डिवीजन में इस समय गेहूं आदि के लिये किसानों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता है किन्तु उक्त डिवीजन की सभी नहरें नहीं चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार डिवीजन की सभी नहरों में अविलम्ब पानी देने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लोअर गंगा नहर, भोगनीपुर डिवीजन को इस वर्ष कम पानी नहीं दिया गया ।

उक्त डिवीजन में गेहूं आदि के लिए पानी की पूर्णतया आवश्यकता नहीं थी । लेट गेहूं की सींच के लिए सप्ताह, प्रारम्भ नरोरा से 22-3-1984 में भोगनीपुर शाखा को (25-3-1984 में 31-12-1984 तक) पूर्ण क्षमता 1813 क्यूसेक्स से चलाया जा चुका है । 15-4-1984 से 24-4-1984 तक इस शाखा को पुनः चलाया गया है ।

ललितपुर तथा झांसी में रबी की फसल के लिये नहरों से पानी की आपूर्ति

*5--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर झांसी क्षेत्र के जिन

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

ग्रामों में नहरों से सन् 1983 से 1984 की रबी की फसल में समुचित जल नहीं मिला है क्या सरकार वहां पर सिंचाई कर माफ करने तथा नुकसान का मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

झांसी जनपद में वर्ष 1983-84 की रबी की सिंचाई के लिए नहरों से समुचित पानी दिया गया।

ललितपुर जनपद में वर्ष 1983-84 की रबी फसलों के लिये गोविन्दसागर की नहरों से समुचित पानी दिया गया लेकिन जामनी बांध का एक फाटक टूट जाने के कारण फसल के लिये केवल एक पानी दिया गया।

सिंचाई के लिए एक पानी देने के कारण सिंचाई कर से माफ करने का प्राविधान नहीं है। चूंकि काश्तकारों की फसलों का नुकसान नहीं हुआ उन्हें मुआवजा देने पर विचार करना सम्भव नहीं है।

कारागार, मेरठ से बन्दियों के भागने की घटना

*6--श्री मन्जूर अहमद--

क्या कारागार मन्त्री को जानकारी है कि 3/4 जून, 1984 की रात्रि को डकैती के अभियोग में मसलूत 4 बन्दी कारागार, मेरठ से दीवाल फांद कर भागते हुए पकड़ लिए गये थे ? यदि हां, तो वह बन्दी कौन-कौन हैं और किन कारणों से कारागार से भागे ? क्या यह भी सही है कि कारागार, मेरठ में एक वर्ष के अन्तर्गत यह दूसरा वाकया है ? इन वाकयों के दोषी कौन-कौन हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जी हां।

परन्तु ऐसे बन्दियों की संख्या 6 थी।

ये बन्दी सुभाष पुत्र गंगा सहाय, जगवीर पुत्र गंगाराम, लोधू पुत्र गोधू, राजेन्द्र पुत्र राम चन्द्र, भगति पुत्र छोटे तथा महिपाल पुत्र गुलाब थे जिन्होंने कदाचित आपराधिक प्रवृत्ति के होने के कारण भागने का प्रयास किया।

जी हां।

3/4 जून, 1984 को हुई घटना के लिए प्रकटतः उत्तरदायी एक प्रधान बन्दीरक्षक तथा चार बन्दी रक्षक पाये गये। उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। घटना की मैजिस्टेट द्वारा जांच करवाई जा रही है जिसका निष्कर्ष प्राप्त होने पर दोषी कर्मियों को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

पिछली घटना के सम्बन्ध में प्रकटतः एक जेलर, एक उप जेलर, एक सहायक कारापाल, तीन प्रधान बन्दी रक्षकों तथा दस बन्दी रक्षकों को अन्तर्ग्रस्त पाया गया। इनमें से दो अस्थायी बन्दी रक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई तथा शेष 14 कर्मियों को निलम्बित किया गया। 17 बन्दी रक्षक अन्य जेलों को स्थानान्तरित किये गये।

घटना की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की जा रही है, फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही अभी स्थगित है।

बुलन्दशहर में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत धन-राशि का आबंटन

*7--श्री किरनपाल सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत गत वर्ष स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन कितने बेरोजगार उद्यमियों को वितरित किया गया ? इनमें से कितने युवकों ने उक्त मिले धन से अपना कारोबार शुरू कर लिया, कारोबार

शुरू न करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह सही है कि जिला उद्योग अधिकारी ने उक्त धन आवंटन में गम्भीर अनियमितता बरती थी तथा अनेकों कुपात्रों को धन वितरित कर दिया ? यदि हां, तो जिला उद्योग अधिकारी, बुलन्दशहर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में गत वर्ष 1983-84 में 921 युवकों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया । जुलाई 1984 तक इनमें से 751 युवकों को 97.92 लाख रुपये का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया है । ऋण-वितरण कार्य अभी जारी है । स्थापित इकाइयों का सर्वेक्षण कार्य भी जारी है । सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर के विरुद्ध दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिस पर जांच की जा रही है ।

सिचाई विभाग, हटपुर ड्रेन के धनगढ़ी मुडेरी गांव का पुल

*8--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1984 उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि हटपुर ड्रेन के कि0 मी0 8 में धनगढ़ी मुडेरी गांव के बीच अभी हाल में जो पुल बना है उसमें बड़े पैमाने पर शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या आरोपों की जांच कराई गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जी0 डी0 दुबे, सहायक अभियन्ता, प्रथम बाढ़ खंड, देवरिया का कार्यकाल

*9--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता सिंचाई बाढ़ खण्ड, देवरिया (श्री जी0 डी0 दुबे) जनपद देवरिया में कब से तैनात हैं ? इनको इतने दिनों तक रखने का और स्थानान्तरण बार-बार रोकने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि श्री डी0 डी0 दुबे, सहायक अभियन्ता, गाजीपुर देवकली पम्प कैनाल पर भी रहे हैं ? यदि हां, तो उन पर इस कार्यकाल के मध्य किए गये अनियमितता के विरुद्ध विजिलेन्स की जांच हुई थी ? यदि हां, तो उस जांच पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री जी0 डी0 दुबे, सहायक अभियन्ता, प्रथम बाढ़ कार्य खंड, देवरिया में दिनांक 1-1-1979 को तैनात हुये थे । उपरान्त को प्रमुख अभियन्ता के आदेश दिनांक 17-4-1984 द्वारा श्री दुबे को अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खंड वस्ती में स्थानान्तरित किया गया है । इनको उपरोक्त संदर्भित तैनाती अवधि शासन की थानान्तरण की सामान्य नीति के अन्तर्गत है ।

जी हां ।

श्री दुबे के विरुद्ध गाजीपुर पम्प कैनाल के कार्यकाल की कोई विजिलेन्स जांच नहीं हुई । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर व देवरिया, सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं द्वारा नेपाल राज्य से कथित तस्करी

*10--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर व देवरिया में कार्यरत सिंचाई विभाग के कुछ अभियन्ताओं द्वारा सरकारी जीप से नेपाल राज्य जाकर तस्करी करने व उनके पकड़े जाने एवं सामान के साथ गिरफ्तार होने पर बन्द किए जाने की सूचना प्रश्नकर्त्ता ने माह फरवरी, 1984 में उन्हें दिया है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपने अपने पत्रांक शून्य दि0 25 फरवरी, 1984 द्वारा किया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित तथाकथित सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी प्राप्ति मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकार की गई थी।

शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच विभागीय अधिकार सीमा तक कराई गई, जिसके फलस्वरूप शिकायती पत्र निराधार पाया गया ।

श्री एम0 ए0 सिद्दीकी, मिस्त्री, नलकूप प्रखण्ड, जौनपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*11--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र दि0 30-12-83 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन शिकायतों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ । इस पत्र में श्री एम0 ए0 सिद्दीकी, मिस्त्री, नलकूप प्रखण्ड जौनपुर के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि वे बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो नहीं हुये थे किन्तु उन्हें मैकेनिक के पद पर इस आधार पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया कि वे मिस्त्री की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुये । यह भी कहा गया कि उक्त बोर्ड परीक्षा में केवल कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों को ही सम्मिलित होना था । शिकायती-पत्र में इस सम्बन्ध में बरती गयी अनियमितताओं की जांच कराने का आग्रह किया गया है । कृत कार्यवाही सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय अंचल के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजकीय परिवहन निगम की बसों का संचालन

*12--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि पर्वतीय अंचल में केवल मोटर बस सेवाएं ही यातायात के साधन हैं तथा अधिकांश मार्ग राष्ट्रीयकृत होने के कारण उसमें केवल राजकीय परिवहन निगम की ही बसें चलती हैं ? क्या यह सही है कि परिवहन निगम के पास पर्वतीय क्षेत्र में चलाने हेतु पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं हैं और जो बसें चलती हैं वे अक्सर रास्ते में खराब हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर के0 एन0 ओ0 यू0 को परिवहन निगम की बसों के साथ अपनी बसें चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है जिससे दोनों संगठनों को अपनी अपनी सुविधानुसार यात्रियों को आकर्षित करने का अवसर मिल सके ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

पर्वतीय अंचल में केवल 20 मार्ग ही राष्ट्रीयकृत हैं । इन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम पर्याप्त बसें संचालित कर रहा है । रास्ते में खराब होने

वाली बसों की संख्या बहुत कम है । इन्हें शीघ्र मरम्मत करके संचालित किया जाता है ।

राष्ट्रीयकृत मार्गो पर के0 एम0 ओ0 यू0 की प्राइवेट बसों की चलाने की अनुमति नियमानुसार देना सम्भव नहीं है ।

*13--श्री मोहन सिंह--

[6ठें सोमवार में तारांकित प्रश्न सं0-15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

राजकीय नलकूपों का छिद्रण एवं संचालन की व्यवस्था

*14--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूपों का छिद्रण करने के पश्चात् एक महीने अथवा इससे कुछ अधिक निश्चित समय के अन्दर ही इन्हें पूर्ण करके चालू कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

राजकीय नलकूपों का सफल छिद्रण करने के पश्चात नलकूप शीघ्रातिशीघ्र कार्यरत करने के लिए व्यवस्था है जिसके अनुसार राजकीय नलकूप छिद्रण के पश्चात 127 दिन में उर्जीकृत होकर कार्यरत हो जाने चाहिये ।

श्री मोहम्मद इस्माइल, सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*15--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सिंचाईमंत्री दिनांक 24 सितम्बर, 1980 के ता0 प्र0 सं0 1 के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर श्री मोहम्मद इस्माइल के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री मोहम्मद इस्माइल, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1927 की धारा 8 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी है।

*16--श्रीराम नारायण सिंह एडवोकेट--

[2रे गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

प्रदेश के जिलों में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय के कर्मचारी नियुक्त सुपरवाइजर

*17--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का प्रत्येक जिले में केवल एक ही कर्मचारी (सुपरवाइजर) कार्यरत हैं तथा हथकरघा योजना के अन्तर्गत जिला सेक्टर की योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय सीधे अपने विभागीय सुपरवाइजर से करवाता है ? यदि हां, तो हथकरघा योजना सम्बन्धी समस्त कार्य जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से करवाने के शासन के आदेशों का हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय क्यों उल्लंघन कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जिले में विद्युत स्पर्शाघात से बस की दुर्घटना एवं व्यक्तियों की मृत्यु एवं दी गयी सहायता

*18--श्री मित्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 8/9 मई, 1984 को

इलाहाबाद नगर में निजी बस पर सवार चालीस व्यक्तियों की बिजली का तार छू जाने के कारण भीषण दुर्घटना में मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो बस पर कुल कितनी सवारियां थी ? मृतक परिवार के आश्रितों को क्या क्षतिपूर्ति की गई और उस दुर्घटना के लिये कौन लोग दोषी पाये गये ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-5-84 को प्रातः 9 बजे प्राइवेट बस संख्या यू0 पी0 सी0 7795 के ग्राम भगवतपुरा थाना-धूमनगंज, तहसील-चायल के पास बिजली के तार छू जाने से दुर्घटना हुई जिसमें 35 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । प्रत्येक मृतक के परिवारों को मुख्य मंत्री जी के सहायता कोष से 5000 रुपये प्रति मृतक के हिसाब से सहायता स्वीकृत की गई, जिसमें से 23 मृतकों के परिवारों को सहायता धनराशि वितरित की जा चुकी है । 9 मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी । 2 मृतकों के आश्रितों को धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा एक मृतक के परिवार ने सहायता राशि लेने से इन्कार कर दिया है । जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा दुर्घटना की मजिस्टीरियल जांच कराई जा रही है जांच आख्या प्राप्त होने पर ही यह ज्ञात हो सकेगा कि दुर्घटनाग्रस्त बस में कितनी सवारियां थी तथा दुर्घटना के लिए कौन दोषी हैं ?

तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री महेश कुमार जैन, नलकूप निर्माण खण्ड, फैजाबाद द्वारा नलकूपों का छिद्रण

*19-श्री केदारनाथ सिंह

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सर्वश्री महेश कुमार जैन, सहायक यांत्रिक अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड, गोण्डा के उनके फैजाबाद के कार्यकाल में अमेठी क्षेत्र में वर्ष 81-82 में 44 प्रतिशत तथा 82-83 में 85 प्रतिशत नलकूप फेल हो गये ? यदि हां, तो यह प्रतिशत क्या उचित है ? यदि नहीं, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री महेश कुमार जैन, सहायक यांत्रिक अभियन्ता, नलकूप निर्माण खंड, गोंडा के उनके फैजाबाद के कार्यकाल में अमेठी क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में 40·47 प्रतिशत तथा 1982-83 में एक छिद्रण में से एक नलकूल, अतः 100 प्रतिशत नलकूप छिद्रण के समय स्ट्रेटा न मिलने के कारण परित्याग किए गए । उक्त प्रतिशत अधिक है । इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

*20--श्री बदन सिंह--

[दिनांक 18-4-84 को ता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित ।]

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की कताई मिलों द्वारा वेहिकिल्स पर पेट्रोल एवं मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

1--श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री द्वारिकानाथ धवन तथा श्री दामोदर शर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम से कम्पनी नं0 एक के अन्तर्गत आने वाली कताई मिलों में वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 में मैनेजमेन्ट द्वारा यूनिट वाईज कितना-कितना पेट्रोल एवं वेहिकिल्स मेन्टीनेन्स में कितना-कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी (सं0-1) के अन्तर्गत आने वाली रायबरेली, अकबरपुर, मऊनाथ भंजन एवं बाराबंकी इकाई में वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 में पेट्रोल एवं वेहिकिल्स मेन्टीनेन्स में व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है--

पेट्रोल एवं डीजल

वर्ष	रायबरेली	अकबरपुर
1981-82	61,871·14	67,095·20
1982-83	83,016·34	70,190·29
1983-84	66,220·06	74,278·59
	बाराबंकी	**मऊनाथ भंजन**
1981-82	40,273·66	62,042·00
1982-83	56,580·26	61,170·00
1983-84	51,236·26	44,575·64

वेहिकिल्स मेन्टीनेन्स

	रायबरेली	अकबरपुर
1981-82	32,983·57	19,845·20
1982-83	83,676·42	27,454·81
1983-84	55,837·47	30,514·39
	बाराबंकी	**मऊनाथ भंजन**
1981-82	23,828·30	27,382·00
1982-83	32,662·00	45,798·00
1983-84	38,639·51	44,538·40

अकबरपुर कताई मिल, बाराबंकी कताई मिल, रायबरेली कताई मिलों में खेलकूद सांस्कृतिक कार्य आदि के लिए धनराशि का आवंटन

2—श्री द्वारिका नाथ धवन, श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री दामोदर शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर कताई मिल तथा बाराबंकी रायबरेली कताई मिलों में वेलफेयर फंड में वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में कितना-कितना धन था तथा कितना-कितना धन कब-कब किस-किस कार्य में खर्च किया गया है ? उक्त वेलफेयर फंड में उपरोक्त वर्षों में कमेटी के सदस्यों के चयन की क्या प्रक्रिया रही है, तथा कौन-कौन सदस्य रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

खेलकूद, सांस्कृतिक, मनोरंजन एवं शैक्षिक सुविधाओं के लिए वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में प्रश्नगत इकाइयों में प्रतिवर्ष 40 हजार रुपए की धनराशि आवंटित की गयी थी । कल्याण कार्यक्रमों में खेलकूद, सांस्कृतिक, मनोरंजन एवं शैक्षिक सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम भी हैं जिनके लिए उक्त इकाइयों में कोई धनराशि पृथक से आवंटित नहीं की गयी थी । उपर्युक्त वर्षों में उक्त इकाइयों में व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा संलग्न है ?

मुख्यालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रश्नगत कमेटी में निम्न सदस्य होते हैं और वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में भी निम्न सदस्य थे—

1—मुख्य अधिशासी, अध्यक्ष ।

2—श्रम कल्याण अधिकारी, सदस्य एवं कन्वयर ।

3—वित्त नियंत्रक/प्रबन्धक, सदस्य । वित्त

4—स्पिनिंग मास्टर, सदस्य ।

5—दो श्रमिक, सदस्य ।

श्रमिकों का मनोनयन मुख्य अधिशासी द्वारा किया गया था ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 207 पर ।

देवरिया जिले में नलकूप का छिद्रण

3—श्री विश्वनाथ—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में राजकीय नलकूप 1982-83 में बनकर तैयार हुए ? उसमें कितने ऐसे हैं जिनका पम्प हाउस आदि बनकर तैयार है किन्तु विद्युत विभाग के कनेक्शन न मिलने के कारण बन्द पड़े हैं ? अगर हां, तो जनहित को ध्यान में रखते हुए कब तक उन्हें चालू किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982-83 में देवरिया जनपद में 44 राजकीय नलकूपों का छिद्रण हुआ तथा पूर्व निर्मित 15 नलकूपों का उर्जीकरण हुआ । वर्ष 1983-84 में सभी 44 नलकूपों पर पम्पगृह निर्मित हुए तथा 6 बी0 एण्ड एल0 फार्म विद्युतीकरण हेतु प्रेषित किए गए । इन 44 नलकूपों को वर्ष 1984-85 में ऊर्जीकृत करने का प्रयास जिला प्लान के अनुसार किया जायेगा ।

बस्ती जिले में कतिपय नलकूपों का छिद्रण

4—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नं0 169 शिवपुर बस्ती ग्रूप एवं 72 सेखुई 84 बसडीला (आर0 आर0) रिकन्सट्रक्शन एवं रिपेयर बस्ती ग्रूप के ऊर्जीकरण हेतु खर्चा सिंचाई

विभाग से विद्युत् को कब अवा किया हैं ? अब तक इन नलकूपों के विद्युतीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप नं0 169 बस्ती समूह ग्राम शिवपुर का ऊर्जीकरण दिनांक 31 मार्च, 1984 को हो गया हैं । नलकूप नं0 72 बस्ती समूह ग्राम सेखुई के उर्जीकरण हेतु भुगतान विद्युत् विभाग को दिनांक 13, मई, 1983 को किया जा चुका हैं । इसके ऊर्जीकरण की कार्यवाही विद्युत् परिषद् द्वारा की जा रही हैं । नलकूप नम्बर 84 बस्ती समूह ग्राम बसडीला का ऊर्जीकरण दिनांक 5 जून, 1984 को हो गया हैं ।

अल्मोड़ा जिले में मार्गों का निर्माण

5--श्री गोवर्द्धन तिवारी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 80-81 से फरवरी, 83-84 तक के लगभग चार वर्षों में अल्मोड़ा जनपद में शासन ने कौन-कौन से नये मोटर मार्गों को स्वीकृत किया हैं ? इनमें से किस-किस मोटर मार्ग का कितना-कितना किलो-मीटर भाग निर्मित हो चुका हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना संलग्नकानुसार ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 208 पर ।)

आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के नलकूपों की संख्या

6--श्री पंचानन राय--

विधान सभा से प्रथम सत्र 84 के 2रे बुध के अत0 प्र0 सं0 6 के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 83 में कौन-कौन से राजकीय नलकूप यांत्रिक अथवा विद्युत् दोष से बन्द थ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के दूसरे बुधवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के संदर्भ में, माह सितम्बर, 83 में निम्नलिखित राजकीय नलकूप विद्युत् दोष एवं यांत्रिक दोष से बन्द थे--

1--विद्युत् दोष से बन्द नलकूप--

7,131 एवं 101 सगड़ी

2--यांत्रिक दोष से बन्द नलकूप--

2,939 एवं 108 सगड़ी ।

कानपुर, गाजियाबाद, रायबरेली, मेरठ में स्कूटर कारखाने की स्थापना

7--श्रीमती गौरी देवी--

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में 5 स्कूटर बनाने के कारखाने निजी क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां स्थापित होंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । उक्त कारखाने जनपद कानपुर नगर, गाजियाबाद, रायबरेली, मेरठ तथा देवरिया में स्थापित किए जा रहे हैं ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम मनिकपुर, मासना, कनकूडोह आदि के लिए माइनर निर्माण की मांग

8--श्री राजकुमार राय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के दोहरी घाट (मुख्य) के 11वें किलोमीटर से मानिकपुर, मासना, कनकूडोह, खर्मापर आदि गांवों की सिंचाई के लिए माइनर निर्माण हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10-2-84 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या वर्ष 80-81 में इसका सर्वेक्षण कराकर निर्माण हेतु कागजात तयार कराये गये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

माइनर निकालने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है । वर्ष 80-81 में इसका सर्वेक्षण कराकर तैयार नहीं किए गए थे ।

9--श्री राजकुमार राय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

आजमगढ़ के देवास क्षेत्र में कटाव से फसलों को क्षति एवं बन्धे के निर्माण का सर्वेक्षण

10--श्री राजकुमार राय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10-2-84 शिवगोविन्द यादव, प्रधान कचता, नरायनपुर, लाल बहादुर यादव, ग्राम प्रधान, धर्मपुर, पखेड़ो यादव, प्रधान बखरिया, अनर जोत, प्रधान नुरुल्लाहपुर के पत्र दिनांक 20-1-84 के साथ इस आशय का कि देवास क्षेत्र में कटाव से फसलों की बर्बादी रोकने व रास्ता हेतु परसिया से रोशपुर, सारंगपुर तक बंधा बनवाने हेतु मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और बंधा निर्माण की क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

उक्त प्रस्ताव पर प्राथमिक सर्वेक्षण कर लिया गया है, विस्तृत सर्वेक्षण कराने की कार्यवाही की जा रही है । अभी बांध बनाने की कोई प्रगति नहीं है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम शक्करपुर व जमीन हरैया में फसल को हुई क्षति से सम्बन्धी पत्र

11--श्री राजकुमार राय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10-2-84 ग्राम शक्करपुर, तहसील धांसी व ग्राम जमीन हरैया, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के काश्तकारों की फसल की क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में था, मिला था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई और अलग-अलग कितनी क्षतिपूर्ति की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है

आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट मुख्य नहर की सीपेज के ग्राम बेला सुल्तानपुर, दरियाबाद, मलेरीकोट आदि को क्षति

12--श्री राजकुमार राय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10-2-74 का दोहरीघाट मुख्य नहर के ग्राम बेला सुल्तानपुर, दरियाबाद, मलेरीकोट आदि ग्रामों में तथा सिकरी कोल माइनर पर चकऊप, खजुहा, मित्तनपुर, सिकारीकाल आदि गांवों में तथा ऊसर व बलुई जमीन होने व सीपेज होने के कुप्रभाव से बचाने हेतु लाइनिंग कराने का सुझाव मिला था ? यदि हां, तो इस पर क्या कोई कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

दोहरीघाट मुख्य व अन्य नहरों पर व्याप्त सीपेज की समस्या के निदान हेतु लखनऊ सिंचाई-अनुसंधान संस्थान द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम रसूलपुर व इनामुद्दीनपुर का घाघरा नदी से कटाव

13--श्री राजकुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें तथा जिला अधिकारी, आजमगढ़ को

प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 10-2-84 के साथ श्री महेश्वर नारायण सिंह, प्रधान, रसूलपुर का पत्र रसूलपुर इनामुद्दीनपुर तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में हो रहे घाघरा नदी के कटाव को बोल्डर डालकर रोकने हेतु मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? बोल्डर डालने में कितना विलम्ब हुआ ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है । सर्वेक्षण के उपरान्त परियोजना बनाकर बाढ़ सम्बन्धी मुख्य अभियन्ता समिति तथा तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के पश्चात् ही आगामी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

बाबतपुर राजवाहा के लिये वाराणसी जिले के ग्राम घमहापुर के श्री लालचन्द्र की भूमि का अधिग्रहण

14--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 101 रकबा 35 डि0 गांव घमहापुर, परगना कोल-सला त0 व जिला वाराणसी की भूमि शारदा सहायक 38वां खंड, बाबतपुर, राजबहा वाराणसी में ले ली गई है ? यदि हां, तो इसका मुआवजा अब तक न देने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि लालचन्द, फूलचन्द, रूप चन्द्र पुत्रगण जगरदेव गांव घमहापुर ने 14-6-82, 27-7-82 व 4-4-83 9-11-83 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी को मुआवजे हेतु प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी प्रतिकर नहीं दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

ग्राम घमहापुर परगना कोलसला तहसील व जिला वाराणसी, बाबतपुर राजबाहा के कि0 मी0 28.180 से कि0 मी0 28.550 के बीच पड़ता है। इस ग्राम का भू-अधिग्रहण प्रस्ताव चकबन्दी के धारा 23 के अन्तर्गत वर्ष 1980 में बनाया गया था ।

जहां प्रार्थी का खेत है वहां उस समय चक नम्बर 97 था जिसका प्रकाशन धारा 4 एवं 6 में मई, 1981 में हुआ इसके पश्चात् चकबन्दी विभाग द्वारा धारा 52 का प्रकाशन किया गया जिसमें संशोधन के फलस्वरूप चक नं0 97 बदल कर 101 कर दिया गया है । फलस्वरूप कास्तकार को भुगतान नहीं मिल सका है ।

कास्तकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उक्त क्षेत्र की पुनः जांच की गई तथा उक्त तथ्यों का पता लगते ही 0.263 एकड़ का संशोधित भू-प्रस्ताव तैयार करा दिया गया है । अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् कास्तकार को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध हो जायेगा । कास्तकार का केवल 0.63 एकड़ ही नहर में आ रहा है ।

उद्योग शून्य कानपुर देहात में उद्योग की स्थापना हेतु प्रदान की गई सुविधायें

15--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जनपद कानपुर देहात उद्योग शून्य जनपद माना गया है ? यदि हां, तो उद्योग शून्य जिला के अन्तर्गत उद्योग लगाने वालों को सरकार क्या-क्या सुविधाएं दे रही है ? क्या उद्योग लगाने हेतु गांव समाज की ऊपर बंजर भूमि आवंटित करने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

उद्योग शून्य जनपदों में प्रवेश सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं :--

(1) केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना

(2) बिक्रीकर में छूट की योजना

(3) पायनियर तथा प्रेस्टिज इकाइयों को बिक्रीकर छूट या स्थगित भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी

(4) राज्य उपादान योजना

(5) बिक्रीकर ऋण योजना

(6) मशीन, इमारती सामान पर चुंगी से छूट

(7) फिजिबलिटी सब्सिडी योजना

(8) इकाई द्वारा बिजली के उपभोग पर एक वर्ष के लिए न्यूनतम उपभोग प्रतिभूति की छूट

(9) 75 के0 वी0 ए0 से अधिक बिजली की स्वीकृति वाली इकाइयों को केवल एक वर्ष तक के लिए वास्तविक अधिकतम मांग का भुगतान देय

(10) 75 किलोवाट तक स्वीकृत बिजली वाली इकाइयों को बिक्री की धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 33 1/3 प्रतिशत की छूट

(11) विद्युत् कटौती में 5 वर्ष तक के लिए छूट

(12) इकाइयों को प्रतिभूति की धनराशि की किश्तों में जमा करने की सुविधा

(13) जनरेटिंग सेट उपादान योजना

(14) पिकप / उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अंशों के अभिगोपन तथा रियायती दर पर ऋण की सुविधा

(15) शत-प्रतिशत निर्यातमूलक इकाइयों को 10 प्रतिशत की छूट अचल पूंजी विनियोजन पर उपलब्ध

(16) 20 अश्वशक्ति तक की इकाइयों को 5 वर्ष के लिए 9 पैसे प्रति यूनिट की छूट विकास केन्द्रों की सभी इकाइयों को दी जाती है

(17) लघुतर औद्योगिक इकाइयों की उनकी योजना का 90 प्रतिशत तक अंशपूंजी ऋण अनुमन्य है ।

उद्योग लगाने के लिए यथासंभव ऊसर बंजर जमीन को प्राथमिकता दी जाती है । गाँव समाज की जमीन भी औद्योगिक आस्थान व क्षेत्र विकसित करने हेतु पुनर्ग्रहीत की जाती है और इस प्रकार विकसित आस्थान या क्षेत्र में भूमि उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु आबंटित की जाती है । इसके अतिरिक्त अन्य निर्धारित उच्च प्राथमिकताओं के उद्देश्यों के लिए आवश्यकता न होने पर ऐसी भूमि भुगतान पर निजी उद्यमियों को भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवंटित की जा सकती है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की नवाड़ी अल्प सिंचाई योजना

16---श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कोट के अन्तर्गत नवाड़ी अल्प सिंचाई योजना का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया था और कब तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ? इस योजना के निर्माण से ग्रामवासियों को अब तक क्या-क्या लाभ हुआ तथा इस योजना के निर्माण पर अब तक क्या व्यय हुआ है और योजना को पूर्ण करने के लिये कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता है तथा क्या सरकार द्वारा इस अतिरिक्त धनराशि को उपलब्ध करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत नवाड़ी अल्प सिंचाई योजना का निर्माण कार्य दिनांक 17-11-80 से प्रारम्भ किया गया था। इसे पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। योजना निर्माणाधीन है। अतः अभी तक ग्रामवासियों को कोई लाभ नहीं हो सका है। इस योजना के निर्माण पर अब तक रु0 38,039 व्यय हुआ है और रु0 35,000 की अभी और आवश्यकता है। इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए डी0 आर0 डी0 ए0 के पास विघटित हाडा कोष की पर्याप्त अवशेष धनराशि उपलब्ध है।

वाराणसी जिले का गांडर स्थित नलकूप

17--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप गांडर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को बोरिंग हुए करीब दो वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो इसमें मोटर पम्प आदि लगाकर चालू न करने का कारण क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

नलकूप गांडर ब्लाक पिण्डरा जिला वाराणसी को मोटर पम्प आदि लगा कर चालू कर दिया गया है।

राज्य सड़क परिवहन निगम आजमगढ़ में हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति

18--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम पत्र 84 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 267 नियुक्तियों म कितने हरिजनों की नियुक्तियां की गई थीं ? क्या हरिजन नियुक्तियों के लिये सेवायोजन कार्यालय से कोई मांग की गई ? यदि नहीं, तो उचित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अधिकारियों द्वारा किन आधारों पर समाधान कर लिया गया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

प्रश्नगत 267 नियुक्तियों में 20 हरिजनों की नियुक्तियां की गयीं।

सेवायोजन कार्यालय से हरिजन अभ्यर्थियों के नाम सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारियों द्वारा नहीं मांगे गये। इस विषय में नियमानुसार कार्यवाही न करने के कारण सम्बन्धित डिपो प्रबन्धकों में एक डिपो प्रबन्धक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। शेष डिपो प्रबन्धकों तथा सेवा प्रबन्धक का स्पष्टीकरण लेकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री आर0 पी0 अवस्थी के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी परन्तु उनका देहान्त हो गया है।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के औद्योगीकरण की मांग

19--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के औद्योगीकरण हेतु कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ? उसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में एक औद्योगिक आस्थान की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिये नौगढ़ के तनई चौराहा (सकटपुर) में 31.43 एकड़ भूमि तथा पकड़ी ग्राम में 13.96 एकड़ भूमि के उपयोग पर पर विचार किया जा रहा है, तथा दोनों में से एक स्थान का चयन विचारोपरान्त किया जायगा।

आजमगढ़ अहरौला–माहुल–फूलपुर मार्ग पर बस सर्विस

20—श्री अबुल कलाम—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़-अहरौला से माहुल फूलपुर होते हुए आजमगढ़ के लिये जो एक बस चलती थी उसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है और पुनः उक्त बस कब तक चलायी जायेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां ।

प्रश्नगत बस सेवा के संचालन व्यय की तुलना में आय अत्यधिक कम होने के कारण संचालन दिनांक 23 जनवरी, 1981 से बन्द कर दिया गया अलाभकर होने के कारण उक्त बस सेवा को पुनः संचालित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में स्थापित नये कारखानों

21—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में सन 1980 से 1983 के बीच में कितने नए कल कारखाने एक करोड़ से अधिक के खोले गए ? क्या सभी को विद्युत उपलब्ध कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

56 कारखाने खोले गये । 53 कारखानों को बिद्युत उपलब्ध कराई गई । शेष तीन को विद्युत उपलब्धता के संबंध में सूचना एकत्र करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम ऊंचाडीह सलेमपुर व मठमोहन की जल निकासी

22—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में ग्राम मठमोहन तथा ग्राम ऊंचाडीह सलेमपुर के निवासियों का जल निकास की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 29–10–83 साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

माननीय विधायक के पत्र का सही दिनांक 29–9–83 है जिसकी प्रति उनसे दिनांक 30-5-84 को प्राप्त हुई है । ग्रामवासियों का प्रार्थना–पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

ग्राम ऊंचाडीह सलेमपुर में जल निकासी के लिए सिंचाई विभाग द्वारा साइफन बनाया जा चुका है तथा ग्राम मठमोहन के जल निकासी के लिए एक ड्रेन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ।

अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैण, में शराब की बरामदगी

23—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 फरवरी, 1984 को भिक्यासैण, जनपद अल्मोड़ा में 36 पेटी लीक्वीड एवं अवैध शराब पकड़ी गई है ? यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों .

श्री वासुदेव सिंह—

दिनांक 28 फरवरी, 1984 को भिक्यासैण में तलाशी लेने पर एक

दुकान से 42 पौवे रम तथा 47 शीशियों अवध शराब और एक अन्य व्यक्ति के मकान से 50 पौवे अवैध शराब बरामद की गयी। अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।

औद्योगिक अस्थान, कोंच निर्माण एवं टूट-फूट

24--श्री शंकर सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सवा आठ लाख की लागत से कांच के जिस औद्योगिक अस्थान का निर्माण दिनांक 22 सितम्बर, 1981 को पूर्ण हुआ उसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है ? नवनिर्मित सड़कें नालियां आदि इतनिए टट-फूट गयी हैं कि निर्माण कार्य में भारी अनियमिततायें की गयी हैं ? क्या मंत्री जी इस निर्माण कार्य की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

औद्योगिक अस्थान, कोंच का निर्माण कार्य 30 मार्च, 1982 को पूर्ण हुआ। औद्योगिक आस्थान में भूखण्डों का आवंटन उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए किया जाता है, अतः उद्घाटन की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक आस्थान की सड़कों एवं नालियों की विशेष टूट-फूट नहीं हुई है तथा निर्माण कार्य में अनियमितताय नहीं की गई हैं। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

देवरिया जिले की करमहा माइनर का निर्माण

26--श्री विश्वनाथ--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत करमही माइनर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया जनपद में करमहा माइनर न कि करमही माइनर निर्माणाधीन है। अगले रबी तक उससे सिंचाई प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

अधिशासी अभियन्ता, गंगा नहर मुजफ्फरनगर को कतिपय ठेकेदारों द्वारा दिया गया पत्र

26--श्री रामस्वरूप निम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भगत ओम प्रकाश, चन्द्रपाल अलगर, सोभाराम, भवंर सिंह, हरदेवा, राकेश कुमार, मोहम्मद पुर, सहारतपुर सेक्शन के ठेकेदारों ने अपने भुगतान के बारे में अधिशासी अभियन्ता गंगा नहर मुजफ्फरनगर को 27-1-82 व 29-12-83 को 80,000 रुपये के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र, दिया था ? यदि हां, तो अभी तक भुगतान न दिये जाने के कारण क्या हैं तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

पिथौरागढ़ जिले की बरेडगाड़ पेयजल योजना से कतिपय ग्रामों को पानी की आपूर्ति

27--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0 खं0, बेरीनाग में जल निगम द्वारा पट्टी भरी गांव के ग्राम मड़ भुलधार गायल-सपौली, जल्याती मल्ला गोल, जोरासी व तल्लागोल के लिये बरौल गाड़ से कोई पेयजल योजना 1981 से 1983 के बीच कार्यान्वित की गयी है ? क्या इस योजना में मूलरूप से भरीगांव व जजौली के पानी के नितान्त अभाव-

ग्रस्त ग्राम भी सम्मिलित थे ? यदि हां, तो कार्यान्वयन के समय ये ग्राम किन कारणों से छोड़े गये तथा उपरोक्त दोनों ग्रामों के पूरे भाग को पेयजल दिये जाने के लिये सरकार अतिशीघ्र कौन-कौन से कदम उठा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जल निगम द्वारा बरेडगाड (न कि बरौलगाड़) गधेरे से जलाती पेयजल योजना के नाम से योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1981 से 1984 के बीच किया गया जिसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम मड (तोक भुलधार सहित), नायल स्याली (न कि नायलसपौली), जलाती मल्ला-गोल व तल्लागोल (दोनों राजस्व ग्राम गोल के तोक) आदि को पानी दिया गया है । इस योजना में जौरासी नाम का कोई ग्राम नहीं है ।

जी नहीं ।

भटीगांव (न कि भरीगांव) एवं जजौली (न कि जलौली) इस योजना में मूलरूप से ही सम्मिलित नहीं थे । अतः छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जल निगम द्वारा ग्राम भटीगांव (कोड नं 61) को एक पृथक् योजना द्वारा मार्च, 1983 में लाभान्वित किया गया था जबकि भटटीगांव (कोड नं0 184) इससे भी पूर्व में ही लाभान्वित किया जा चुका है । ग्राम जजौली (कोड नं0 63) 1972 के सर्वे के अनुसार अभावग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं है । अतः इसे लाभान्वित करने पर अभी विचार नहीं किया जा सकता है ।

झांसी और ललितपुर के बीहड़, बंजर, ऊसर भूमि की सिंचाई हेतु विद्युतीकरण

28--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद झांसी और ललितपुर में कुल कितनी भूमि नदी के तथा नालों के किनारों पर है जो सिंचाई न होने के कारण बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य है ? क्या शासन वहां विद्युतीकरण करके सिंचाई के साधन को उपलब्ध कराने पर कोई योजना बन रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद झांसी और ललितपुर में 21,760 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो बंजर, ऊसर, बीहड़ अथवा अकृष्य रूप में है और जो असमतल होने तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है ।

ललितपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नालों पर चैकडैम के निर्माण की योजना तैयार की गई है और उन्हीं ग्रामों का विद्युतीकरण पहले किया जा रहा है जो नदी नालों के किनारे पर स्थित है । ललितपुर जनपद में निम्नलिखित कार्यवाही संपादित की जा चुकी है :--

(1) वर्ष 1983-84 में 10 चैकडैम निर्मित किये गये हैं ।

(2) वर्ष 1984-85 में 75 चैकडैमों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से अब तक 38 का सर्वे किया जा चुका है तथा शेष पर सर्वे का कार्य किया जा रहा है । सर्वे कार्य के उपरान्त तुरन्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(3) वर्ष 1983-84 में उन्हीं ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है जहां पर चैकडैमों का निर्माण किया गया है या नदी नालों के किनारे पड़ते हैं ।

झांसी जनपद में नदी नालों पर चैकडैम के निर्माण की सूचना प्राप्त की जा रही है ।

अल्मोड़ा जिले में खोले गये राजकीय हाई स्कूलों का भवन

29--श्री गोवर्धन तिवारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में जनपद अल्मोड़ा में शासन द्वारा किस-किस स्थान पर राजकीय हाई स्कूल खोले गये हैं और इनके भवनों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वित्तीय वर्षानुसार निम्नलिखित स्थानों में हाई स्कूल खोले गये :--

1--वर्ष 1980-81

शहर फाटक, नगरखान, खोड़ा, भौनखाल तथा चौखुटिया ।

2--वर्ष 1981-82

पीपली, खूंट व नैलवालपाली ।

3--वर्ष 1982-83

काफली गैर ।

4--वर्ष 1983-84

रैंगल (हवालबाग) ।

अभी किसी भी विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण कार्य को स्वीकृति नहीं दी गयी है । किन्तु निम्नलिखित 7 विद्यालयों को अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है :--

	रु0
1--रा0उ0मा0वि0, शहर फाटक	20,000
2--रा0उ0मा0वि0, नगरखान	20,000
3--रा0उ0मा0वि0, खोड़ा	40,000
4--रा0उ0मा0वि0, भौनखाल	30,000
5--रा0उ0मा0वि0, पीपली	20,000
6--रा0उ0मा0वि0, नैलवालपाली	40,000
7--रा0उ0मा0वि0, काफली गैर	20,000
योग ..	1,90,000

बहराइच जिले के ग्राम भरथापुर, हनुमान गढ़ी व चहलवा में बाढ़

30--श्री अटाशंकर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच की नानपारा तहसील में घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर निर्मित गिरिजा बैराज के फाटकों के उठाने गिराने से प्रभावित होकर घाघरा नदी को जन्मदाता कौड़ियाला व गरुआ नदियों तथा घाघरा में ग्राम भरथापुर एवं हनुमान गढ़ी (चहलवा) की समस्त (आबादी तथा कृषि योग्य) भूमि 1983 में काट डाली है और ग्रामवासी नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

वर्ष 1983 में बहराइच जनपद की नानपारा तहसील में गिरिजा बैराज के फाटकों के उठाने तथा गिराने से प्रभावित होकर घाघरा नदी, कौड़ियाला अथवा गेरूआ नदियों में कोई कटान नहीं किया है । ग्राम भरथापुर, हनुमान-

गढ़ी, चहलवां की आबादी तथा कृषि योग्य भूमि आदि इन नदियों में आयी बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित नागरिकों को मुआवआ दिये जाने का सिंचाई विभाग में कोई प्राविधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित बसों के संचालन का किलोमीटर

31—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे प्रदेश, में कितनी अनुबन्धित बसें उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नियंत्रण में चल रही हैं? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितने किलोमीटर तक बस प्रति दिन चलने का प्राविधान है? क्या यह सच है कि कुछ बसें तो निर्विष्ट प्राविधान से अधिक दूरी चल रही हैं और कुछ कम, क्यों?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नियंत्रण में पूरे प्रदेश में 1359 निजी बसें अनुबन्ध में चल रही है। प्रत्येक अनुबन्धित बस को प्रतिदिन कम से कम 250 कि0 मी0 तथा अधिकतम 350 कि0मी0 एवं 10 कि0मी0 तक की और वृद्धि मार्ग के एडजेस्टमेन्ट के लिए किए जाने के प्राविधान है।

निगम के पूर्वी जोन के इलाहाबाद गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी क्षेत्र में प्रत्येक अनुबन्धित बस के लिए प्रतिदिन अधिकतम 400 कि0 मी0 चलाये जाने का प्राविधान है।

निर्विष्ट प्राविधान से कम दूरी तक कोई अनुबन्धित बस नहीं चलायी जा रही है परन्तु कुछ अनुबन्धित बसें मार्ग की लम्बाई एवं संचालन की अपरिहार्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु 350+10=360 कि0मी0 की निर्दिष्ट सीमा से कुछ अधिक दूरी तक निगम की आवश्यकता के अनुसार लम्बी दूरी के मार्गों पर संचालित की जा रही हैं।

लोहाघाट—बाराकोट सड़क के मलवे का मुआवजा

32—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोहाघाट बाराकोट सड़क के मलवे के मुआवजे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-1-84 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक इस मुआवजे का भुगतान पूर्ण-रूपेण कर लिया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के मलवे का 34,124,11 रु0 मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। शेष मुआवजे का भुगतान पात्र व्यक्तियों के सत्यापनोपरान्त किया जायेगा।

द्रावशम मंडल, लखनऊ, सिंचाई विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का सेलेक्शन ग्रेड

33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्रावशम मंडल, लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली के समस्त खंडों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के लिपिक कर्मचारियों को शासन द्वारा देय सेलेक्शन ग्रेड अभी तक क्यों नहीं दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

34—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बिजनौर जिले के नगीना स्थित नलकूप के गूलों का निर्माण

35—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप संख्या 498 नगीना, जनपद बिजनौर पर वांछित पक्की गूल निर्माण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई के पत्र सं० 122 प्र० अ०, दिनांक 20 अप्रैल, 1981 तथा मुख्य अभियन्ता नलकूप पश्चिम पत्र सं० 5950 मु० अ०, दिनांक 7 मई, 1981 और पत्र सं० डी–1974 मु० अ०/न० प० सितम्बर, 4 मई, 1981 को उक्त गूल निर्माण का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उक्त गूलें कितनी बनाई गयी । यदि नहीं बनाई गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप संख्या 498 नगीना, जनपद बिजनौर पर गूल के निर्माण का आश्वासन दिया गया था । उक्त नलकूप पर प्रोजेक्ट प्राविधान 1·6 कि०मी० पक्की गूल के विरुद्ध 1·7 कि०मी० पक्की गूल व पाइप लाइन का निर्माण कराया जा चुका है तथा प्रोजेक्टर प्राविधान 1·6 कि० मी० कच्ची गूल के विरुद्ध 1·5 कि०मी० कच्ची गूल का निर्माण कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जी० डी० दुबे, सहायक अभियन्ता, बाढ़ (सिंचाई) के विरुद्ध शिकायत-पत्र

36—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा कोई एक शिकायती स्मरण-पत्र 24 फरवरी, 1984 के लगभग श्री जी० डी० दुबे, सहायक अभियन्ता बाढ़ (सिंचाई) देवरिया के विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या इस शिकायती–पत्र के आधार पर विजिलेन्स की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

लगाये गए आरोपों पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

देवरिया जिले के तरवनुवा राज-बहा के जल निकासी की व्यवस्था

37—श्री विश्वनाथ—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत तरवनुवा राजबहा के जल निकासी की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनहित का आदर करते हुए सरकार इस अधूरे कार्य को जल्द पूरा करायेगी तथा विगत 10 वर्षों से हुए फसल नुकसान का मुआवजा उन गरीब किसानों को दिलवाने का कष्ट करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पानी गूल द्वारा शेरपुर ड्रेन में गिराने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु 'गुण चिन्हांकन योजना'

38—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं उनके परीक्षण तथा उनकी क्वालिटी को कन्ट्रोल करने हेतु कितनी योजनायें शासन के विचाराधीन हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त उत्पादित वस्तुओं के परीक्षण एवं क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निदेशक उद्योग विभाग ने कोई

प्रस्ताव शासन को भेजा है ? यदि हां तो उस पर निर्णय कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रदेश में लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के परीक्षण एवं क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु पहले से ही एक योजना "गुण चिन्हांकन योजना" के नाम से चल रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के रूप-रेखा अभी तैयार नहीं हुई है। अतः रूप-रेखा तैयार होने के उपरान्त ही उसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं पर कोई कार्यवाही करने व निर्णय लेने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

अल्मोड़ा जिला में खोले गये जूनियर हाई स्कूलों का भवन

39--श्री गोवर्धन तिवारी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, अल्मोड़ा के के अन्तर्गत 1981-82 तथा 82-83 में किस-किस ब्लाक के किस-किस स्थान पर शासन द्वारा नवीन जू0 हा0 स्कूल खोले गए हैं और उनके भवन निर्माण हेतु शासन की ओर से कितनी-कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1981-82 में खोले गए जूनियर हाई स्कूलों के स्थानों का ब्लाकवार विवरण निम्न प्रकार है भवन निर्माण हेतु एक लाख रुपया प्रति स्कूल की दर से स्वीकृत किया गया :

ब्लाक का नाम	खोले गए जू0 हा0 स्कूल के स्थान का नाम
1	2
1--कपकोट	1--तिलाड़ी
	2--खातो
2--बागेश्वर	1--बहली
3--ताकुला	1--लखवनाड़ो
	2--पालड़ी
4--धौला देवी	1--बडियार
5--भैंसियाछाना	1--चन्द्रकोट (देवड़ा)
6--सल्ट	1--म्याड़ी
7--भिकियासेण	1--खुनलिया
8--लमगड़ा	1--नौगांवाड़िमो

1982-83 में पर्वतीय क्षेत्र में 28 जू0 हा0 स्कूल जिसमें 5 जू0 हा0 स्कूल जनपद अल्मोड़ा के शामिल थे, खोलने हेतु भवन निर्माण सहित कुल 98·65 लाख रुपए की स्वीकृति, जिसमें वर्ष 1979-80 से वर्ष 1981-82 तक खोले गए जू0 हा0 स्कूलों का आवर्तक व्यय भी शामिल था, शासन द्वारा दी गई थी । उक्त वर्ष में अल्मोड़ा जनपद में खोले गए विद्यालयों का ब्लाकवार विवरण निम्न प्रकार है :—

ब्लाक का नाम	खोले गये जू0 हा0 स्कूल के स्थान का नाम
1--बागेश्वर	1--जुनाएल
2--भिकियासेण	1--धौकोट
3--धौलादेवी	1--अण्डौली
4--ताकुला	1--चनौदा
5--सल्ट	1--सड़ीटुंकनौली

इलाहाबाद जिले में शारदा सहायक नहर की फूलपुर ब्रान्च के पटरी मार्ग पर करनाईपुर व धमौर का पुल

40--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खंड 30 के अन्तर्गत फूलपुर ब्रांच के निर्माणार्थ बरिया दांदूपुर, पक्का मार्ग पर ग्राम करनाईपुर व धमौर (धमइया) में पुल का निर्माण किया

गया है ? यदि हां, तो पुल के दोनों ओर की रैम्पों को अब तक दुरुस्त न करने का क्या कारण है ? क्या उपरोक्त खंड-30 द्वारा उमरन ड्रेन हेतु उसी रोड पर ग्राम सारी पट्टी में पुल का निर्माण कराना अवशेष है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अस्थायी पुल (पाइपों का) यातायात के लिये चालू है ।

रैम्प स्थायी पुल बनने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया जायेगा ।

स्थायी पुल का निर्माण वर्ष 1985-86 में प्रस्तावित है ।

इलाहाबाद की शारदा सहायक नहर के मऊआइमा राजबाहा का एक्स-टेन्शन

41—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में शारदा सहायक खड-48 के अन्तर्गत मऊ आइमा डिग्वाई का एक्सटेंशन कितना और कब, से किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि धन के अभाव में विस्तार काय अवरुद्ध है ? यदि हां, तो सिंचाई की आवश्यकता एवं किसानों के हित को देखते हुए तुरन्त धन उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? विस्तार कार्य कब तक पूर हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मऊआइमा राजवाहा का एक्सटेन्शन 6·8 कि0 मी0 से 17·0 कि0मी0 तक वर्ष 1979-80 में स्वीकृत है । प्रथम चरण में 6.8 कि0 मी0 से 13·5 कि0 मी0 तक जहां-जहां भूमि उपलब्ध हो सकी कार्य प्रारम्भ किया गया । धन जितना उपलब्ध होता है उसके अनुसार कार्य कराया जाता है । वर्ष 83-84 में 11·0 कि0मी0 तक पूर्ण कर पानी भी चला दिया गया है । इसके आगे इस वर्ष 11·0 कि0 मी0 से 14·5 कि0 मी0 तक निर्माण करने का प्रस्ताव है जो वर्तमान वर्षा ऋतु के पश्चात् किया जायेगा । इसके आगे 14·5 कि0 मी0 से अन्तिम छोर 17·0 कि0 मी0 का निर्माण कार्य 1985-86 में प्रस्तावित है । जो कार्य इस वर्ष करना प्रस्तावित है उसके लिए धन उपलब्ध है ।

श्री राम प्यारे सिंह, ग्राम बबुरी, वाराणसी के बस का गाजीपुर-मऊ मार्ग पर संचालन

42—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम प्यारे सिंह पुत्र श्री झालन सिंह ग्राम मुख पत्रालय बबूरी जनपद वाराणसी ने गाजीपुर मऊ मार्ग पर पूर्ववत् अपनी बस चलाने हेतु स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 19-2-80 आदेश संख्या 1586/81 का सक्षम प्राधिकरण उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम को दिया ? यदि हां, तो इसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

श्री राम प्यारे सिंह ग्राम-मुखू, पत्रालय बबुरी, जनपद वाराणसी द्वारा गाजीपुर-मऊ मार्ग पर अपनी बस चलाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-2-1980 प्राप्त किया था, चूंकि श्री सिंह के पास गाजीपुर-मऊ राष्ट्रीयकृत मार्ग के लिए उस समय कोई परमिट नहीं था, इस कारण उन्हें राष्ट्रीय-कृत मार्ग पर वाहन चलाने की अनुमति

सक्षम प्राधिकरण द्वारा नहीं दी जा सकी ।

श्री मुरलीधर श्रीवास्तव, भूतपूर्व सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता श्री शिवमूर्ति गुप्ता, बहराइच के विरुद्ध शिकायती-पत्र

43—श्री सुन्दर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि श्री मुरलीधर श्रीवास्तव, भूतपूर्व सहायक अभियन्ता तृतीय उप खंड बहराइच एवं अवर अभियन्ता श्री शिवमूर्ति गुप्ता के खिलाफ श्री शक्तिनाथ सिंह के शिकायती पत्र जिसे माननीय विधान सभा सदस्य श्री भोला नाथ पान्डेय द्वारा दिनांक 20 जून, 1983 को प्रेषित किया गया था, पर टी० ए० सी० द्वारा जुलाई, 1983 में जांच कराई गयी और जांच में गबन व भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए ? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खटीमा के अन्तर्गत ग्राम काली कोंच पर बन्धा व पुलिया निर्माण की मांग

44—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खटीमा के अन्तर्गत प्रतापपुर ग्राम में काली कोंच पर बंधा व पुलिया बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खटीमा क्षेत्र में बाढ़

श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा 14 खटीमा क्षेत्र में पिछले 4 साल से किन-किन स्थानों पर बाढ़ आई और इस बाढ़ से कितनी भूमि कटी और कटान को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इन्हें कोई मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले के चाफ तथा खजुलिया राजबाहों की पटरी को पक्का किये जाने की मांग

46—श्री विश्वनाथ—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत चौफ खन्ड के अन्तर्गत चौफ तथा खजुलिया के राजबाहों की पटरियों को खड़ंजा या कंकरीट कराने का कष्ट करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मेरठ-परीक्षतगढ़ मार्ग पर दिये गये बस के परमिट

47—श्री दामोदर शर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक 12-1-1984 को दो बस परमिट मेरठ-परीक्षत गढ़ मार्ग के लिये दिये गये हैं, जिनमें श्री जय प्रकाश, जो जाति के धुन्ना हैं, को हरिजन कोटे में परमिट दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

दिनांक 12-1-1984 को प्रश्नगत मार्ग पर कोई परमिट नहीं दिये गये ।

संभागीय परिवहन प्रधिकरण मेरठ द्वारा मेरठ-परीक्षतगढ़ मार्ग पर दो स्थायी परमिट दिनांक 23-12-1983 को दिए गये जिनमें एक परमिट श्री जय प्रकाश को गुणावगुण के आधार पर दिया गया इन्हें तहसीलदार मवाना द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाणित भी किया गया है ।

ग्राम भरवलिया एवं अमोढ़ा में नहर के पानी से फसल को क्षति

48--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उन्हें कोई तार 20 जनवरी, 1984 को अमोढ़ा, मखतिलया पोखरीडीडा, पठखोला, पिपरिया आदि गांवों की नहर के पानी से तबाही एवं एक बालिका के मरने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सिंचाई मंत्री जी को संबोधित प्रश्नकर्ता का तार, दिनांक 20-1-1984 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता परन्तु इसी प्रसंग में प्रश्नकर्ता विधायक का एक तार संबंधित अधीक्षण अभियन्ता को प्राप्त हुआ था । इसकी जांच अधिशासी अभियन्ता से करायी गयी । जांच प्रतिवेदन के अनुसार कृषकों की अपनी असावधानी के कारण ग्राम भखलिया एवं अमोढ़ा में फसलों को आंशिक क्षति पहुंची, जिसके लिए किसी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया । डूब मरने वाली बालिका अबोध थी तथा अपनी माता की असावधानी के फलस्वरूप डूब कर मरी । इसके लिए भी किसी विभागीय अधिकारी का दोष नहीं पाया गया ।

राजकीय परिवहन निगम, इटावा, कानपुर, लखनऊ रीजन में अनुसूचित जाति के लिपिक

49--श्री बिहारी लाल दोहरे--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा, कानपुर, लखनऊ रीजन में कुल कितने सीनियर व जूनियर लिपिक हैं ? क्या उपरोक्त रीजनों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब रिजर्व कोटा की पूर्ति कर दी जावेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इटावा-कानपुर तथा लखनऊ क्षेत्रों में सीनियर व जूनियर लिपिकों के पद न होकर कार्यालय सहायक (प्रथम) कार्यालय सहायक (द्वितीय) तथा जूनियर क्लर्क/बुकिंग क्लर्क के पद हैं जिनमें कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

पदनाम	इटावा क्षेत्र		कानपुर क्षेत्र		लखनऊ क्षेत्र	
	कार्यरत	अनु0 जाति	कार्यरत	अनु0 जाति	कार्यरत	अनु0 जाति
1--कार्यालय सहा0 (प्र0)	5	1	13	2	25	..
2--कार्यालय सहा0 (द्वी0)	59	3	96	..	141	1
3--जूनियर क्लर्क/बुकिंग क्लर्क	293	33	318	15	481	28
योग ..	357	37	427	17	647	29

प्राप्त सूचना के अनुसार इन सम्वर्गों में किसी में भी अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण नहीं है । अभी निगम बोर्ड द्वारा नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू हैं । प्रतिबन्ध हटने के बाद ही कार्यालय सहायक (द्वितीय) के पदों पर जिन पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की जाती हैं, अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण करने का प्रयास किया जायगा । अन्य सम्वर्गों में रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा भरी जाती हैं अतः इनको रिक्तियों में भी प्रोन्नति देते समय अनुसूचित जाति का निर्धारित आरक्षण पूर्ण करने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धकों को पुनः आदेश भेज दिये गये हैं ।

देवरिया जिले के चैयती राजबाहा का निर्माण

50--डा0 बृज किशोर मिश्र--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि चैयती राजबाहा, पडरौना जिला देवरिया अब तक अधूरी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? इस संबंध में क्या काश्तकारों की ली गयी जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें मुआवजा दिलाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत राजबाहा की लम्बाई 18·40 कि0 मी0 है जो पडरौना एवं हाटा तहसील में स्थित है और निर्माणाधीन है । विभाग को भूमि पर कब्जा न मिलने के कारण राजबाहे का कार्य पूरी लम्बाई में पूरा नहीं किया जा सका । कि0मी0 0·000 से कि0 मी0 4·930 तक का मुआवजा वितरित किया जा चुका है । शेष लम्बाई में भूमि अध्यापित की कार्यवाही पूर्ण होने पर सम्बन्धित कृषकों को मुआवजा दिया जायेगा ।

देवरिया जिले के कथित शाखोपार माइनर पर पुलिया निर्माण की मांग

51--डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शाखोपार माइनर पडरौना, जिला देवरिया पर जिगना एवं दुर्गवलिया यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब उस पर पुल बनवाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिला देवरिया तहसील पडरौना में शाखोपार माइनर नाम की कोई माइनर नहीं है । पुल बनवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के ग्राम मोहन पट्टी में बड़ी गन्डक पर पुल निर्माण की मांग

52-- डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मोहन पट्टी, विधान सभा क्षेत्र पडरौना, जिला देवरिया में बड़ी गन्डक पर पुल बनाने के लिये प्रश्नकर्त्ता विधायक का दिनांक नवम्बर, 1983 का पत्र माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्त्ता विधायक का दिनांक नवम्बर, 1983 का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

ललितपुर--राजघाट--बाला बेहट वाया ललितपुर--गौना मार्ग पर बस का परमिट

53--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मंत्री को यह जानकारी है कि राजघाट से बाल बेहट (ललितपुर

जनपद) मार्ग पर व्यक्तिगत बसों के परमिट हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि बसें नहीं चल रही हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

तीन प्राइवेट बसों का परमिट राजघाट से बाला बेहट वाया ललितपुर गौना है । अमझराघाट से बाला बेहट वन विभाग प्रखण्ड पर बसें इसलिए नहीं चलाई जा रही हैं क्योंकि वन विभाग अपने मार्ग पर बसें चलाये जाने की अनुमति नहीं दे रहा है ।

वन विभाग के मार्ग को छोड़कर शेष मार्ग पर बसें नियमित रूप से चल रही हैं ।

गोरखपुर के ग्राम रामपुर बरडिहा में सिंचाई का गलत परताल

54—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 9-1-84, जिसमें ग्राम रामपुर बरडिहा, इत्यादि तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में खरीफ की फसलों के गलत परताल के सम्बन्ध में था, कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्त्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 9-1-84 की प्राप्ति के पूर्व सम्बन्धित ग्राम के सीवंपाल द्वारा दर्ज सिंचन क्षेत्र की पड़ताल 8 व 10 अक्तूबर, 1983 को जिलेदार द्वारा की गयी थी । शिकायत पर शीघ्र जांच करने के अदेश दे दिये गये हैं ।

ट्रक नं0 यू0 टी0 सी0 9963 का रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन शुल्क की वसूली

55—श्री सरदार सिंह—

प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 156 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 12,692 रुपये 90 पैसे की वसूली हेतु जो प्रमाण-पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया था, उसका परिणाम क्या रहा ? क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ को कोई स्मरण-पत्र भेजे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

प्रथम सत्र 84 के पहले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 156 के उत्तर के संदर्भ में सूचित करना है कि 8,642.90 रु0 व 4,050.00 रु0 की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र क्रमशः दिनांक 24-6-82 व 7-9-83 को भेजे गये थे । जिलाधिकारी, लखनऊ को संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ ने दिनांक 20-2-84 व 27-3-84 को अनुस्मारक भी भिजवाये । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ ने कुल राशि 12,692.90 रु0 की वसूली प्रमाण-पत्र इस आशय से संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ को वापस कर दिया कि न तो वाहन स्वामी का पता चल सका और न ही उसकी चल और अचल सम्पत्ति का ही पता चल सका ।

सिंचाई विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण

ऋण की मांग

56—श्री भोखा लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में ऐसे कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जिनको कार्य करते हुए एक वर्ष से अधिक हो गये हैं ? क्या ऐसे कर्मचारियों को नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ड्रेनेज मंडल, आजमगढ़ एवं ड्रेनेज मंडल, वाराणसी के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

57—श्री भीखा लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज मंडल, आजमगढ़ तथा ड्रेनेज मंडल, वाराणसी के अन्तर्गत कार्यरत कितने अस्थायी नियमित कर्मचारियों की सेवाएं स्थायी करने हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा सन् 1982 में सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं तथा स्थायीकरण हेतु कितने पद दोहरी घाट पम्प कैनाल हैंड (आजमगढ़) से सम्बन्धित कर्मचारियों के हैं तथा प्रमुख अभियन्ता के आदेशों को कार्यान्वित करने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कन्हर निर्माण मण्डल, पिपरी तथा रिहन्द बांध, सिविल खंड, पिपरी, मिर्जापुर के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का कार्यकाल

58—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि कन्हर निर्माण मण्डल पिपरी तथा रिहन्द बांध सिविल खंड पिपरी, मिर्जापुर में तृतीय श्रेणी के दर्जनों कर्मचारी वर्षों से एक ही मंडल/खंड में कार्यरत हैं जबकि शासनादेश अनुसार 5 वर्ष के बाद ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण दूसरे मंडलों/खंडों में हो जाना चाहिये था ? यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य मंडलों/खंडों में किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लिफ्ट सिंचाई खण्ड प्रथम के अभियन्ताओं के विरुद्ध ज्ञापन

59—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 22-6-83 को वाराणसी सर्किट हाउस में सिंचाई एवं बांध परियोजना संयुक्त परिषद्, उ० प्र० जिला शाखा वाराणसी के शिष्ट मंडल द्वारा एक ज्ञापन जिसमें लिफ्ट सिंचाई खंड प्रथम के अभियन्ताओं द्वारा लाखों रुपये के फर्जी भुगतान करने तथा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों का उल्लेख था, सिंचाई मंत्री को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच करायी गयी और शिकायतकर्ताओं से पूछताछ की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ० प्र० का पत्र एवं उनकी मांग

60—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ० प्र० द्वारा प्रेषित पत्रांक 213/परिषद/83 दिनांक 25-10-83 तथा पत्रांक 29/परिषद/84, दिनांक 10-1-84 सिंचाई मंत्री, सिंचाई सचिव तथा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों में उल्लिखित किन-किन मांगों, समस्याओं और शिकायतों पर शासन तथा प्रमुख अभियन्ता द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गयी तथा पत्रों उल्लिखित कौन-कौन सी मांगें, समस्यायें और शिकायतें वर्तमान समय में शासन और प्रमुख अभियन्ता के समक्ष विचाराधीन हैं और इन विचाराधीन मामलों पर कब तक कार्यवाही की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन स्तर पर केवल सिंचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित पत्रांक 213/परिषद/83, दिनांक 25-10-83 प्राप्त हुआ है। इस पत्र में परिषद् ने अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में 27 मांगें प्रस्तुत की हैं। इनमें से जिन मांगों की पूर्ति वर्तमान नियमों के अन्तर्गत संभव है वह की जा रही है। परिषद् की इसके अतिरिक्त मांगों के सम्बन्ध में समय-समय पर मांगों के औचित्य को देखते हुए विचार किया जाता रहा है। परिषद् की औचित्यपूर्ण मांगें विचाराधीन हैं। परिषद् द्वारा अपने उक्त-पत्र में इंगित की गयी मांगों/समस्याओं के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति से संघ के पदाधिकारियों को दिनांक 3-2-84 को प्रमुख अभियन्ता से उनके हुए विचार-विमर्श में अवगत कराया जा चुका है।

सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों के सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रमुख अभियन्ता, श्री हरिमोहन की रिपोर्ट

61—श्री मोखा लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 प्रमुख अभियन्ता (श्री हरीमोहन जी) की अध्यक्षता में गठित विभागीय अधिकारियों की वर्कचार्ज समिति की रिपोर्ट प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 31-7-80 को उचित कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित कर दी गयी है? यदि हां, तो इस रिपोर्ट को लागू करने में अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा निकट भविष्य में कर्मचारी प्रतिनिधियों से परामर्श के उपरान्त यह रिपोर्ट लागू की जावेगी? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता से प्राप्त रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों पर विचार किया जा रहा है और विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

प्रदेश में नहरों एवं निकासी नालों की खुदाई एवं सफाई

62—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री प्रदेश में नहरों और निकासी नालों की खुदाई, सफाई का कार्य कराते समय इस कार्य को इन नहरों और निकासी नालों से लाभान्वित तथा प्रभावित होने वाली ग्राम सभाओं द्वारा कराने की प्राथमिकता निर्धारित करेंगे? यदि हां, तो कब तक ऐसे निर्देश दे दिये जायेंगे और इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहरों और निकासी नालों की खुदाई और सफाई का कार्य एक निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है। यह केवल कार्य उन्हीं ठेकेदारों से कराया जाता है जो सिंचाई विभाग में पंजीकृत होते हैं एवं जिनकी धरोहर धनराशि विभाग में जमा होती है। इसके अतिरिक्त नहरें/निकासी नाले भिन्न-भिन्न ग्राम सभाओं के क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। अतः इनकी खुदाई और सफाई विभिन्न ग्राम सभाओं द्वारा कराने में विलम्ब भी हो सकता है।

आजमगढ़ में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

63—श्री पंचानन राय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्वतः

रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1983-84 में किन-किन व्यक्तियों को किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना ऋण दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद के ग्राम मोहीउद्दीनपुर का नलकूप एवं पाइप लाइन

64--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1979 में इलाहाबाद जनपद के ग्राम मोहीउद्दीनपुर, परगना चायल में निर्मित राजकीय नलकूप अभी तक नहीं चालू हुआ है और न ही कृषकों द्वारा मांग की गयी पाइप लाइन (नालियां) ही बिछाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त नलकूप कब तक चालू किया जायगा और वांछित पाइप लाइन (नालियां) कब तक बिछाई जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

65--श्री जयदीप सिंह बरार--

[3रे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उत्तरी पूर्वी नखन, जिला वाराणसी के सिंचाई के सम्बन्ध में पत्र

66--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने उन्हें एक पत्र दि0 27-4-83 को चक्का बांध लिफ्ट जिला गाजीपुर द्वारा उत्तरी पूर्वी नखन तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी के सिंचाई के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्व0 कामता प्रसाद वर्मा, अवर अभियन्ता शारदा कैनाल खंड, सीतापुर की पेन्शन एवं ग्रेच्युटी

67--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कामता प्रसाद वर्मा, अवर अभियन्ता, शारदा कैनाल खंड, सीतापुर का निधन सेवाकाल में ही दि0 1 सितम्बर, 1982 को ही गया था ? यदि हां, तो अब तक उनकी पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं तथा मृतक के आश्रित को उक्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

स्व0 श्री वर्मा के पारिवारिक पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के अन्तिम भुगतान की स्वीकृति के प्रकरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को जुलाई, 1984 में भेजे गए हैं । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् मृतक के आश्रितों को भुगतान कर दिया जायेगा ।

मथुरा जिले में रेशम के कीड़े पालने की योजना पर व्यय की गई धनराशि

68--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद में रेशम उद्योग को बढ़ाने के लिए रेशम के कीड़े पालने की योजना पर कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो यह योजना कब प्रारम्भ की गई थी अब तक शासन का कितना व्यय हो चुका है तथा अब तक की उपलब्धियां क्या-क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

यह योजना वर्ष 1980 से प्रारम्भ की गई।

अब तक 2,94,000 रु0 व्यय हो चुके हैं।

उपलब्धियां एवं ब्योरा निम्न प्रकार हैं :--

1--फार्म की संख्या	4
2--कुल भूमि जिस पर शहतूत उद्यान स्थापित किए गए	36·22 एकड़
3--मानव दिवस सं0	7292
4--मानव दिवस को आर्थिक लाभ रु0 में	53,840
5--कोया उत्पादन (किलो ग्राम में)	118·600
6--कीटपालक संख्या	22
7--कीटपालकों को दिया गया मूल्य	1390·45
8--लाभान्वित परिवार	135

स्व0 चतुरगुण प्रसाद, बन्दी रक्षक, झांसी की पेन्शन

69--श्री सरदार सिंह--

क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चतुरगुण प्रसाद, बन्दी रक्षक, झांसी दि0 1-7-72 को सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो उनको उनके जीवनकाल में सरकार द्वारा पेन्शन न देने के क्या कारण थे ? क्या शासन अविलम्ब मृतक बन्दी रक्षक के उत्तराधिकारी पुत्र को देय पेन्शन प्रदान करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

श्री चतुरगुण प्रसाद, सेवा निवृत्त बन्दी रक्षक की पेन्शन उनके जीवनकाल में स्वीकृत कर दी गई थी। पेन्शन के बकाया भुगतान को तत्परता से कराने हेतु कारागार महानिरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है।

मध्य गंगा नहर, हापुड़, जिला गाजियाबाद द्वारा लखावटी ब्रांच का निर्माण

70--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मध्य गंगा नहर निर्माण खंड-8 हापुड़, जनपद गाजियाबाद द्वारा लखावटी ब्रांच के कि0 मी0 8-45 पर बी0आर0 बी0 का निर्माण कराया गया ? क्या यह सही है कि ड्राइंग के अनुसार 28 एम0 एम0 का सरिया लगना था लेकिन 32 व 20 एम0 एम0 का सरिया जून, 1981 में दिया गया, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने 21-1-32 को लिखित तथा इससे पूर्व मौखिक की ? यदि हां, तो कितना हर्जा रखरखाव, चौकीदार इत्यादि का ठेकेदार ने मांगा और उसमें कौन अधिकारी दोषी हैं ? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय ड्रेनेज खण्ड, मेरठ तथा अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

71--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता द्वितीय ड्रेनेज खंड-2 मेरठ के विरुद्ध दि0 5-5-82 तथा अधिशासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर निर्माण खंड-8 हापुड़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं नियम विरुद्ध

कार्य करने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार सर्राफा बाजार, बुलन्दशहर के दिनांक 12-3-83 तथा दिनांक 30-12-83 के पत्र सरकार को प्राप्त हुए ? यदि हा, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी, किस अधिकारी ने जांच की और उसकी क्या रिपोर्ट आई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय ड्रेनेज खण्ड, मेरठ को सम्बोधित श्री शिवकुमार, ठेकेदार के शिकायती पत्र, दिनांक 5-5-82 का उत्तर सम्बन्धित उप खंड द्वारा ठेकेदार को दे दिया गया था। ठेकेदार द्वारा लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

श्री शिवकुमार, ठेकेदार के शिकायती पत्र, दिनांक 12-3-83 तथा 30-12-83 अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-8, हापुड़ को प्राप्त हुए थे जिनमें अनुबन्ध संख्या 3/ई0 ई0/80-81 के अन्तगत निर्माणाधीन ग्रामीण मार्ग सेतु से सम्बन्धित बकेम की मांग की गई थी। ठेकेदार को उसके द्वारा कराये गये कार्यों हेतु देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तथा ठेकेदार का अन्तिम भुगतान भी किया जा चुका है। इसके सम्बन्ध में ठेकेदार ने विभाग पर कोई देय अवशेष न होने का प्रमाण-पत्र दिनांक 16-6-84 को दिया है। ठेकेदार का अब 50 प्रतिशत जमानत के अलावा अन्य कोई देय अवशेष नहीं है।

बुन्देलखंड क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाएं

72--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बुन्देलखंड में सिंचाई संसाधनों को बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा कौन-कौन सी योजनाएं विचाराधीन हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई संसाधनों को बढ़ाने के लिये 14 वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण स्वीकृत है, जिनमें से 11 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में राजकीय नलकूप एवं डाल सिंचाई परियोजनायें भी निर्माणाधीन हैं। संलग्नक में उल्लिखित 15 सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है, अथवा परियोजनायें तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय नलकूप एवं डाल सिंचाई परियोजनायें भी प्रस्तावित हैं।

*देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 211 पर।

बुन्देलखंड के औद्योगीकरण सम्बन्धी योजनाएं

73--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बुन्देलखंड के औद्योगीकरण हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उद्योग विभाग द्वारा बुन्देलखंड के औद्योगिक विकास हेतु निम्नलिखित विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, तथा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं :

1--बुन्देलखंड के पांचों जिले पिछड़े घोषित किये गये हैं, जिनके औद्योगीकरण हेतु विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं जैसे राज्य पूंजी उपादान, केन्द्रीय पूंजी उपादान, बिक्रीकर से छूट, विकास केन्द्रों में ब्याज दरों पर छूट इत्यादि।

2--बुन्देलखण्ड के तीन जिले यथा हमीरपुर, बांदा एवं जालौन उद्योग रहित जिले हैं, जिसमें एक भी वृहत् एवं मध्यम उद्योग

नहीं हैं । इन जिलों के लिये आशय/अनुज्ञापत्र प्राथमिकता के आधार पर दिलाये जा रहे हैं ।

3--बुन्देलखण्ड में वृहत एवं मध्यम उद्योग तथा डी0 जी0 टी0 डी0 की कार्यरत 4 इकाइयां हैं तथा प्रस्तावित 22 इकाइयां हैं ।

4--राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत झांसी में कताई मिल स्थापित की गयी थी जिसकी क्षमता 25,000 तकुओं से बढ़ाकर 50,000 तकुए की जा रही है । बांदा में भी एक कताई मिल निर्माणाधीन है ।

5--केन्द्रीय क्षेत्र, के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 की एक इकाई झांसी में कार्यरत है जिसमें ट्रांसफार्मर का उत्पादन किया जा रहा है । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए 6 पूरक औद्योगिक इकाइयां प्रोत्साहित की गई हैं ।

6--दिनांक 1-4-83 से बुन्देलखंड के समस्त जिलों में केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना लागू की गई जिसमें बुन्देलखंड के तीन जिलों यथा हमीरपुर, बांदा एवं जालौन में 25% पूंजी उपादान देय होगा तथा झांसी एवं ललितपुर में 15 प्रतिशत की दर से यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ।

7--अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत बुन्देलखन्ड क्षेत्र में 6 (छः) औद्योगिक आस्थान जिनमें 50 शेड तथा 149 प्लाट हैं, विकसित किये गये हैं ।

8--प्रत्येक विकास खन्ड में 1 लाख रु0 से अधिक पूं0 विनियोजन की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं । वर्ष 1982-83 में इस प्रकार की 44 इकाइयां स्थापित की गई तथा वर्ष 82-83 तक 3896 लघु एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहित किये गये ।

9--कालीन के उत्पादन को बढ़ाने, अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उ0 प्र0 निर्यात निगम द्वारा गलीचा बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत बुन्देलखन्ड क्षेत्र में वर्ष 1977-78 तथा 1983-84 के बीच 35 केन्द्र खोले गये जिससे 1,700 शिल्पियों को लाभ पहुंचा ।

बुन्देल खण्ड में खनिज से सम्बन्धित उद्योग

74--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बुन्देलखंड में कौन-कौन से खनिज कितनी-कितनी मात्रा में पाए जाते हैं ? खनिज आधारित कौन-कौन से उद्योग बुन्देलखण्ड में लगाए जा रहे हैं तथा कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बुन्देलखण्ड में राक फास्फेट, पायरोफिलाइट, हाईड्रोमाइका, डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, बाक्साइट, डोलोमाइट, लौह खनिज, फैल्सपार, ग्रेफाइट, एगेट, टंग्स्टन व यूरेनियम तांबा इत्यादि खनिज पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त उप खनिजों में क्वार्टज-बेलास्ट, सैन्ड स्टोन तथा नदियों की मोरंग, बालू व कंकड़ पाये जाते हैं । इन खनिजों में से निम्नलिखित खनिजों के भंडारों की मात्रा का आगणन किया गया है :

1--राक फास्फेट--40 लाख टन ।

2--पायरोफिलाइट--8 लाख 75 हजार टन ।

3--हाईड्रोमाइका--3 लाख 50 हजार टन ।

4--डायस्पोर--9 लाख टन ।

5--सिलिका सैन्ड--24 लाख टन ।

6--बाक्साइट--84 लाख टन।

खनिज आधारित निम्नलिखित उद्योग बुन्देलखंड में लगाया जाना विचाराधीन है :

1--राक-फास्फेट के शुद्धीकरण के लिये कारखाना लगाने की परियोजना ।

2--पाइरोफिलाइट तथा हाईड्रोमाइका पर क्रमशः रिफेक्ट्री एवं सिरेमिक उद्योग की स्थापना।

सिंचाई विभाग के रजिस्टर्ड श्रमिक संघ

75--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में वर्तमान में कितने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड हु ? वतमान में उनको सदस्य संख्या क्या है एवं कौन-कौन से श्रमिक संघों को मान्यताप्राप्त है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बुनकर सहकारी समितियों के सचिवों/प्रबन्धकों को स्थायी करने सम्बन्धी कथित आदेश

76--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बुनकर सहकारी समितियों में कार्यरत सचिवों/प्रबन्धकों को इन सहकारी समितियों में स्थायी करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कोई आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो अभी तक कितने व्यक्तियों को इस पद पर स्थायी किया गया है ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी व ललितपुर जिले में बांध निर्माण की योजना

77--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी व ललितपुर जनपद में कितने बांध बनाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गयी है ? क्या कारण है कि स्वीकृत बांध अभी तक बनना आरम्भ नहीं हुये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एवं त्यौहारों के अवकाश

78--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के बराबर वर्तमान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, ऐसा कोई नियम आदेश नहीं है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के बराबर ही महंगाई भत्ता दिया जाय । इस निगम में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को 40% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था किन्तु

बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुये समस्त कार्यप्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 1-12-1983 से 40 रु0 प्रतिमाह अतिरिक्त महंगाई भत्ता दया जा रहा है ।

79--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को त्यौहारों के अवकाश सिचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के समान दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह--

जी नहीं । उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को त्यौहारों के अवकाश यू0 पी0 इण्डस्ट्रियल एम्पलाइमेन्ट स्टैण्डिंग आर्डर्स रूल्स 1946 के अन्तर्गत बने (माडल स्टैण्डिंग आर्डर्स) के स्टैण्डिंग आर्डर संख्या 10 के अनुसार दिया जाता है ।

सिचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को दिये जाने वाले अवकाश से तथा उक्त निगम के ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों को दिये जाने वाले अवकाश से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः इनकी तुलना नहीं की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारी इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 के अन्तर्गत आते हैं, न कि सिचाई विभाग के अन्तर्गत ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कर्मचारियों का जी0 पी0 एफ0

80--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कर्मचारियों के वेतन से काटे गये फंड का कोई अभिलेख है ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों को उनके फण्ड की रसीदें 1982-83 तक दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह--

जी हां । इस निगम के कर्मचारियों के वेतन से काटी गई फंड की धनराशि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय कानपुर में ट्रजरी चालान द्वारा जमा कर दी जाती है । वर्ष 1980-81 तक की खाता पर्चियां प्राप्त हो गई हैं । आगे वर्षों की खाता पर्चियां प्राप्त होने पर वितरित कर दी जायेंगी ।

उ0 प्र0 नलकूप निगम के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का निकटतम स्थान पर नियुक्ति

81--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 नलकूप निगम के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को शासनादेश के आधार पर उनके निकटतम स्थान पर पद स्थापित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह--

जी हां । केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण पर कार्य की आवश्यकतानुसार कभी-कभी कर्मचारी को उनके जनपद से दूर पद स्थापित करना पड़ता है ।

उ0 प्र0 नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों का चिकित्सा भत्ता

82--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को अन्य निगमों की भांति चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह--

यू0 पी0 इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 एवम् यू0 पी0 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रूल्स, 1957 में ऐसा कोई

प्राविधान नहीं है कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को चिकित्स भत्ता स्वीकार किया जाय। अतः उ0 प्र0 नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक पर व्यय की गयी धनराशि

83—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 नलकूप निगम लि0 के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक जब से निगम में आये हैं उनके ऊपर निगम का कितना खर्च हुआ है ? उनके यात्रा भत्ता पर कितना व्यय हुआ है तथा उन यात्राओं से निगम को क्या उपलब्धियां हुयी ? इनके चिकित्सा पर कितना व्यय हुआ है तथा इतने व्यय का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि0 के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक जब से निगम में आये हैं उनके ऊपर निगम का क्रमशः कुल रु0 66,479·90 तथा रु0 68,802·75 खर्च हुआ है।

उनके यात्रा भत्ता पर कुल क्रमशः रु0 5,476·20 तथा रु0 15,121·45 व्यय हुआ है।

नलकूप निगम के लिये कार्यभार प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किये गये जिसके फलस्वरूप निगम को निम्नलिखित कार्य प्राप्त हुआ है :—

1—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मिर्जापुर में 60 नलकूपों के निर्माण का कार्य।

2—डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत 56 नलकूपों के निर्माण का कार्य प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त 25 नलकूपों का कार्य और मिलने की आशा है।

3—जालौन जनपद में लघु सिंचाई योजनान्तर्गत 60–80 निजी नलकूपों के निर्माण का कार्य प्राप्त किया गया।

4—मुरादनगर में बन रहे ताप बिजलीघर के लिये 30 नलकूपों के निर्माण का कार्य।

5—सरयू नहर परियोजना पर 100 नलकूपों के निर्माण का कार्य।

6—डिपाजिट के अन्तर्गत लगभग 40 नलकूपों के निर्माण का कार्य।

इनके चिकित्सा पर क्रमशः रु0 1,930·80 तथा रु0 3,264·55 व्यय हुआ है जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किये गये शासनादेश के अनुसार अनुमन्य है।

उ0 प्र0 नलकूप निगम द्वारा नलकूपों का निर्माण एवं लाभ तथा हानि

84—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 नलकूप निगम द्वारा 1983–84 में कितने नलकूपों का निर्माण किया गया तथा इनसे निगम को कितना लाभ हुआ तथा वर्ष 1983–84 में निगम द्वारा अपनी मशीनों एवं कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ तथा उक्त समय में निगम को कितना लाभ या हानि हुई ? यदि हानि हुई, तो निगम को चलाने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1983–84 में उत्तर प्रदेश नलकूप निगम द्वारा 97 नलकूपों का छिद्रण किया गया। चूंकि निगम का उक्त वर्षों का लेखा अभी अंतिम नहीं हुआ है अतः लाभ हानि के बारे में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

वर्ष 1983–84 में निगम में कर्मचारियों पर लगभग रु0 91·00 लाख तथा मशीनों पर लगभग रु0 18·24 लाख व्यय हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

शारदा सहायक, दोहरी घाट, लिंक चैनल का निर्माण

85—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 7वें बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 93 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वांछित चार सौ पचास लाख की धनराशि में से 31 मई, 1984 तक कितनी धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वांछित चार सौ पचास लाख रुपये की धनराशि में से माह अक्टूबर, 1983 से 31 मई, 1984 तक 79·40 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है ।

आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में छोटी सरयू तथा महुला गढ़वाल बांध के मध्य स्थित भू-भाग में सिंचाई की व्यवस्था परियोजना का सर्वेक्षण

86—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 8वें बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 57 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत परियोजना का सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा इसकी कुल लागत कितनी पायी गयी है और इसका फिजिबिल्टी रिपोर्ट शासन को कब भेजी गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत परियोजना के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इसकी कुल अनुमानित लागत 100 लाख रु0 आंकी गई है ।

परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनायी जा रही है और यह माह दिसम्बर, 1984 के अन्त तक शासन को प्राप्त होने की आशा है ।

श्री प्रभात शास्त्री, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम, गोण्डा के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

87—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रभात शास्त्री, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, गोण्डा के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभागीय विजीलेन्स द्वारा जांच की जा रही है ? यदि हां, तो निष्पक्ष जांच हेतु श्री प्रभात शास्त्री का गोण्डा से नियमतः स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—
जी हां ।

श्री शास्त्री का गोण्डा से स्थानान्तरण नहीं किया गया है । सतर्कता सेल द्वारा की जा रही जांच में यदि श्री शास्त्री द्वारा कोई अवरोध पैदा किया जाता है तो उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विचार कर लिया जायेगा ।

आजमगढ़ जिले के नलकूप संख्या सैंतीस द्वारा की गयी सिंचाई

88—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित राजकीय नलकूप संख्या 37

द्वारा फरवरी, 83 से अप्रैल, 84 के मध्य प्रत्येक महीने में अलग-अलग कितना जल सिंचाई के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा इससे कितने क्षेत्रफल की सिंचाई की गयी है ? इस नलकूप की कुल कितनी क्षमता है तथा उसके कितने प्रतिशत का प्रयोग हुआ है और इस अवधि में कितने दिन यह नलकूप खराबी के कारण बन्द रहा

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित राजकीय नलकूप संख्या 37 से फरवरी, 83 से अप्रैल, 84 तक प्रत्येक माह में सींच से संबंधित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 214 पर ।)

आजमगढ़ जिले के ब्लाक हरैया के अन्तर्गत लगे नलकूपों द्वारा की गयी सिंचाई का विवरण

89—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में कौन-कौन से राजकीय नलकूप हैं ? इनकी कमान्ड एरिया का क्षेत्रफल क्या है तथा इनकी अलग-अलग क्षमता क्या है ? फरवरी, 83 से अप्रैल, 84 के मध्य प्रत्येक नलकूप से अलग-अलग कितनी सिंचाई हुई और इसमें इनकी क्षमता के कितने प्रतिशत जल की निकासी हुई ? यह नलकूप अलग-अलग कितने-कितने दिन किन-किन खराबियों के कारण बन्द रहे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड हरैया में कुल 29 राजकीय नलकूप हैं । प्रत्येक की क्षमता, कमाण्ड एरिया का क्षेत्रफल, सिंचाई के आंकड़े, जल निकासी तथा खराबियों के विवरण की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 215 पर)

आजमगढ़ के सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता श्री विद्यासागर प्रसाद का की कार्य मुक्ति

90—श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0सं0 72 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विद्यासागर प्रसाद, अवर अभियन्ता को जब कार्य-मुक्त किया गया तो आजमगढ़ में उन्हें कितने वर्ष हुये थे ? क्या उनका स्थानान्तरण जून, 81 में हुआ था और उन्होंने जुलाई, 82 तक चार्ज नहीं दिया ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री विद्यासागर प्रसाद, अवर अभियन्ता को जब कार्यमुक्त किया गया था तब उन्हें सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ में लगभग 7 वर्ष हुये थे । श्री विद्यासागर प्रसाद का स्थानान्तरण जून, 81 में हुआ था किन्तु उनका स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 843./ई-2-क, दिनांक 18-9-81 द्वारा 15-10-81 तक, पुनः पत्रांक 523/ई0-2 क, दिनांक 14-10-81 द्वारा आगामी आदेशों तक कार्यमुक्त न करने का तथा उसके पश्चात् पत्रांक 703/ई0-2क, दिनांक 20-5-82 द्वारा दिनांक 30-4-83 तक के लिये स्थगित किया गया । इसी कारण श्री प्रसाद अपना चार्ज नहीं दे सके । अतः इसके लिये किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ के सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं की संख्या

91—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 79 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वीकृत संख्या से अधिक कार्यरत अवर अभियन्ताओं को कब तक स्थानान्तरित करके उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्वीकृत संख्या से अधिक कार्यरत अवर अभियन्ताओं को यथाशीघ्र स्थानान्तरित कर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम तरौका के नलकूप की मोटर के जलने की घटना

92—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तरौका के राजकीय नलकूप का मोटर कब जला था तथा उसे कब ठीक किया गया तथा पिछले डेढ़ वर्ष में इस नलकूप से कितनी सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम तरौका के राजकीय नलकूप का मोटर दिनांक 10 अगस्त, 1983 को जला था तथा उसे कार्यशाला से मरम्मत होने के पश्चात् दिनांक 30 दिसम्बर 1983 को ठीक करा दिया गया । उक्त नलकूप से विगत डेढ़ वर्ष में 115 एकड़ की सिंचाई हुई है ।

93—श्री पंचानन राय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

आजमगढ़ के महुला गढ़ावल बांध तथा छोटी सरयू के मध्य असिंचित क्षेत्र

94—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितना असिंचित क्षेत्रफल महुला गढ़वल बांध तथा छोटी सरयू के मध्य स्थित है ? इसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने के लिए क्या व्यवस्था प्रस्तावित है ? कितना असिंचित क्षेत्रफल धारा तथा महुला गढ़बल बांध के मध्य स्थित है और उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने के लिए क्या योजना प्रस्तावित है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ के महला गढ़वल बांध के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

95—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 45 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीजनल कर्मचारियों में से कौन-कौन से कर्मचारी ऐसे थे जिनसे वर्ष 1982 में कार्य लिया गया था किन्तु 1983 में नहीं लिया गया ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीजनल कर्मचारियों में से 26 निम्नलिखित कर्मचारी ऐसे थे जिनसे वर्ष 1982 में कार्य किया गया था किन्तु वर्ष 1983 में नहीं लिया गया—

क्रमांक	कर्मचारी (श्रमिक का नाम)
1	2
	सर्वश्री—
1	रामअवध
2	बहादुर
3	सुमेर

1	2
4	प्रभु
5	रामजीत
6	सोमनाथ
7	बासुदेव
8	अमर जोत
9	महातम
10	कन्हई
11	राम अवतार
12	ब्रह्मदेव
13	छोटेलाल
14	सुरेन्द्र
15	परसोत्तम
16	जय प्रकाश
17	भूलन
18	महेन्द्र
19	धर्मराज
20	लालता
21	जयशंकर
22	शिवधर
23	विजय
24	रामनबल
25	रामप्यारे
26	किशुन देव

आवश्यकता पड़ने पर जो श्रमिक समय से उपलब्ध होते हैं उनको रख लिया जाता है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम चन्द्रावती में शारदा सहायक नहर से टूट-फूट

96--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 147 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हानि के सम्बन्ध में किसानों के प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किनके-किनके और उनमें प्रमुख बिन्दु क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम चक लालचन्द्र, ग्राम गडौरा आदि को शारदा सहायक नहर से हुई क्षति

97--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 4थे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 184 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चकलाल चन्द्र, गड़ौरा मझौरा तथा बहरीपुर में किन-किन किसानों की फसल की हानि हुई है ? इन गांवों में वे कौन से किसान हैं जिनकी जमीन से नहर जानी थी और उन्होंने उसे रोका था जिनकी भूमि से नहर नहीं जानी थी और उनकी फसल की हानि हुई है उन्हें प्रतिकर न दिए जाने के क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम चक लालचन्द्र में 5 किसानों की, ग्राम गडौरा-मझौरा में 16 किसानों की फसल की हानि हुई है । ग्राम गडौरा

मझौरा में 15 एवं ग्राम बहरीपुर में 24 ऐसे किसानों ने जिनकी भूमि से नहर जानी थी, उसे रोका था । जिन-जिन किसानों की भूमि से नहर नहीं जानी थी और उनकी फसल को हानि हुई है उसका प्रतिकर प्रकरण बना दिया गया है और मुआवजा शीघ्र ही वितरित कर दिया जायेगा । उपरोक्त प्रभावित किसानों के नामों की सूची भी भेजने हेतु निर्देश मुख्य अभियन्ता को दे दिये गये हैं ।

98--श्री पंचानन राय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आजमगढ़ जिले के ग्राम तरौका के नलकूप की मोटर जलने की घटना

99--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तरौका, तह0 सगड़ी के राजकीय नलकूप का मोटर किस तिथि को जला था और मोटर की मरम्मत के बाद उसे पुनः किस तिथि को चालू किया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम तरौका, तहसील सगड़ी के राजकीय नलकूप का मोटर दिनांक 10 अगस्त, 1983 को जला था तथा मोटर की मरम्मत कार्यशाला में होने के पश्चात नलकूप पर दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 को मोटर फिट कराकर दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 को ही चालू कर दिया गया ।

आजमगढ़ जिले के सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता श्री विद्या सागर प्रसाद का कार्य मुक्ति

100--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 4थे बधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 97 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विद्यासागर प्रसाद, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण आदेश 19-6-81 के बाद किन-किन तिथियों को किस-किस अवधि के लिए स्थगित किया गया ? उन्हें किस दिनांक को कार्यमुक्त किया गया है और क्या उन्होंने सम्पूर्ण चार्ज दे दिया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री विद्यासागर प्रसाद, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19-6-81 के बाद प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से निम्नलिखित आदेशों के द्वारा उनके सम्मुख इंगित अवधि के लिए स्थगित किया गया था :--

आदेश संख्या तथा दिनांक	अवधि तक के लिए स्थगित किया गया
1--8431/ई-2-क दिनांक 18-9-81	15-10-81 तक।
2--523/ई-2-क दिनांक 14-10-81	आगामी आदेशों तक ।
3--703/ई-2-क दिनांक 20-5-82	30-4-83 तक।
4--2053/ई-2-क दिनांक 6-5-83	30-4-84 तक के लिए ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के आदेश दिनांक 23-11-83 द्वारा श्री विद्यासागर प्रसाद के सम्बन्ध में पारित उक्त क्रमांक 4 का स्थानान्तरण का स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया सम्बन्धित अवर अभियन्ता ने 14-2-84 के अपरान्ह में सम्पूर्ण चार्ज दे दिया है और वे कार्यमुक्त हो चुके हैं ।

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड आजमगढ़ के अन्तर्गत नलकूपों द्वारा की गई सिंचाई

101—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खण्ड में कौन-कौन से राजकीय नलकूप हैं, इनकी अलग-अलग क्षमता क्या है तथा इनके कमाण्ड एरिया का क्षेत्रफल क्या है ? फरवरी, 1983 से अप्रैल, 1984 के मध्य प्रत्येक नलकूप से अलग-अलग कितनी सिंचाई हुई और इसमें इनकी क्षमता के कितने प्रतिशत जल निकासी हुई ? यह नलकूप अलग-अलग कितने-कितने दिन किन-किन खराबियों के कारण बन्द रहे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खन्ड में कुल 48 राजकीय नलकूप हैं। प्रत्येक की क्षमता कमाण्ड एरिया का क्षेत्रफल, सिंचाई के आंकड़े एवं जल निकासी तथा खराबियों के विवरण की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 217 पर)

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिका

102—श्री राजकुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने ऐसे सहायक अभियन्ता हैं जिनकी 10 वर्ष की सेवा के बाद भी सेवा पुस्तिकाएं 31 अगस्त, 1983 तक न बनाये जाने का क्या कारण है ? उनकी सेवा पुस्तिकाएं कब तक बना दी जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहायक अभियन्ता (सिविल) सम्वर्ग का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसकी 10 वर्ष की सेवा के बाद भी सेवा पुस्तिका न बनाई गयी हो।

सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) सम्वर्ग के अधिकारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

देवरिया जिले के ग्राम परसिया व विशुनपुर तथा ग्राम धर्मपुर देवारा, आजमगढ़ का घाघरा नदी से कटाव और परसिया से रोशनपुर, सारंगपुर तक बांध निर्माण की मांग

103—श्री राजकुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 28-7-81 बंधा बनाने व ग्राम परसिया व विशुनपुर, जिला देवरिया तथा ग्राम धर्मपुर देवारा, जिला आजमगढ़ घाघरा से कटाव रोकने के सम्बन्ध में मिला था ? क्या यह सही है कि मन्त्री जी ने 27-8-81 को प्रमुख अभियन्ता सिंचाई, उ0 प्र0 को कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

104—श्री राजकुमार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10-2-84 शिव गोविन्द यादव, प्रधान, कचिला नरायनपुर, लाल बहादुर यादव, ग्राम प्रधान, धर्मपुर द्वारा पंखड़ी यादव, प्रधान बरवरिया, अमरजीत प्रधान, नुरुल्लाहपुर के पत्र दिनांक 20-9-84 के साथ परसिया से रोशनपुर सारंगपुर तक बंधा बनवाने हेतु मिला था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इस संबध में विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है । ग्राम परसिया देवार एव विशुनपुर देवार (देवरिया जिले में स्थित) ग्रामों की सुरक्षा हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देवरिया से बांध का निर्माण आजमगढ़ स्थित नुरुल्लाहपुर ग्राम तक कराया जा चुका है । वर्तमान में ग्राम सूरजपुर से नुरुल्लाहपुर तक बांध बनाने का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण के पश्चात् तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के उपरान्त ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही संभव होगी ।

आजमगढ़ की दोहरीघाट नहर से ग्राम मानिकपुर असना, अहमदपुर कनकूडीह की सिंचाई हेतु माइनर के निर्माण की मांग

105—श्री राजकुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट नगर के के मुख्य 99वें किलोमीटर से मानिकपुर असना, अहमदपुर, असना कनकूडीह, खत्रीपार आदि गावों की सिंचाई के लिए माइनरों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 9-2-1984 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में इसका सर्वेक्षण कराकर निर्माण हेतु आगणन तैयार कराए गए थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दोहरीघाट मुख्य नहर के 99वें कि0 मी0 पर नहीं बल्कि 10-2-320 कि0 मी0 पर मानिकपुर-असना, अहमदपुर, असना, कनकूडीह, खत्रीपुर आदि ग्रामों की सिंचाई के लिए माइनर का निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 9-2-1984 नहीं बल्कि 10-2-1984 प्राप्त हुआ है । माइनर निकालने के लिये सर्वेक्षण की कार्यवाही हो रही है । वर्ष 1980-81 में इसका कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम रोशनपुर से देवरिया जिले के ग्राम विशुनपुर तक बांध निर्माण का सर्वेक्षण

106—श्री राज कुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1984 में रोशनपुर व सारंगपुर ब्लाक दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ से ग्राम परसिया व विशुनपुरा, जिला देवरिया तक बंधा बनाने हेतु कोई सर्वेक्षण सिंचाई विभाग के अवर व सहायक अभियन्तागण ने किया था ? यदि हां, तो क्या वह सर्वेक्षण जिलाधिकारी, आजमगढ़ के आदेश से हुआ और क्या इस प्रस्तावित बंधे को देवरिया में बन रहे बंध के मिलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत सर्वेक्षण हेतु जिलाधिकारी आजमगढ़ की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया था । इस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम रोशनपुर (सूरजपुर), जिला आजमगढ़ से ग्राम विशुनपुर, जिला देवरिया तक प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था । ग्राम विशुनपुर, जिला देवरिया से ग्राम नुरुल्लाहपुर, जिला आजमगढ़ तक बांध का निर्माण कराया जा चुका है । वर्तमान में ग्राम नुरुल्लाहपुर, जिला आजमगढ़ से ग्राम रोशनपुर (सूरजपुर) तक बांध प्रस्तावित है । इसके लिये विस्तृत सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है । उक्त प्रस्ताव का परियोजना प्राक्कलन तकनीकी सलहकार समिति से स्वीकृति के पश्चात् देवरिया जिले में बने बांध से मिलाना संभव हो सकेगा ।

नलकूप खंड हमीरपुर के मौदहा स्थित उप खंड के कार्यालय का सुमेरपुर में स्थानान्तरण

107--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप प्रखण्ड का जो उप-खंडीय कार्यालय मौदहा, जिला हमीरपुर में स्थापित है, उसे हाल में ही मौदहा से सुमेरपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है जिससे सिंचाई कार्यालय का सही रूप से कार्यान्वयन नहा हो रहा है ? यदि, हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप खंड हमीरपुर का मौदहा स्थित उप खंडीय कार्यालय माह दिसम्बर, 1983 में मौदहा से सुमेरपुर को स्थानान्तरित किया गया है । चूंकि अधिकांश राजकीय नलकूपों का समूह सुमेरपुर से समीप है, अतः इस स्थानान्तरण से सिंचाई कार्यों का सही ढंग से क्रियान्वयन करने में सुविधा हो गई है ।

108--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[दूसरे सोमवार में अता0 प्रश्न संख्या 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

हमीरपुर जिले की छावनी, बेजामऊ सेहरापुर पम्प कैनाल द्वारा की गई सिंचाई

109--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर की छानी तथा बेंजेमऊ पंप कैनाल तथा हमीरपुर की सहुरमपुर पम्प कैनाल इस वर्ष अपनी क्षमता का केवल 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक चली है तथा गत वर्ष की तुलना में एक चौथाई पानी भी सिंचाई के लिये किसानों को नहीं मिल पाया जिससे फसलें सूख गयी और किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मौदहा तहसील, जिला हमीरपुर की छावनी तथा बैजामऊ पम्प कैनाल तथा हमीरपुर की सेहरापुर पम्प कैनाल इस वर्ष (1983-84) अपनी क्षमता का क्रमशः 40 प्रतिशत, 66 प्रतिशत व 100 प्रतिशत चली है ।

जी नहीं ।

वर्ष 1982-83 की तुलना में 1983-84 के सींच के आंकड़े निम्न है :--

सींच (एकड़ में)

पम्प नहर का नाम	1982-83	1983-84	गत वर्ष की तुलना में
छावनी	30	365	1216
बेंजामऊ	556	571	102·7
सोरहापुर	2490	2166	87

फसल सूखने की कोई शिकायत कृषकों से प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी, अदलपुर पम्प कैनाल को जाखिनी तक विस्तार किये जाने की मांग

110—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 17-2-1983 को अदलपुरा पम्प कैनाल को जोखनी तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर जरगी फीडर से सड़क का निर्माण

111—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 24-12-1983 को जरगी फीडर के किनारे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित रोड जो जनपद मिर्जापुर में है, नहर में कट कर गिरने के संबंध में सिंचाई मंत्री जी को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत नहर का कटान सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क की ओर अवश्य हो रहा है, परन्तु पक्की सड़क, जो नहर के किनारे बनी है, अभी तक कहीं नहीं कटी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तथापि, नहर में जिस स्थल पर अधिक कटान हुआ है, वहां पिंचिंग लगाने का कार्य किया गया है ।

बांदा जेल के बन्दी श्री इन्द्रपाल की मृत्यु

112—श्री सरदार सिंह

क्या कारागार मंत्री की जानकारी में है कि माह अप्रैल, मई, 84 में बांदा जेल में 15 वर्षीय हवालाती इन्द्रपाल की मृत्यु हो गयी थी, यदि हां, तो मृत्यु के क्या कारण थे ? क्या जांच अधिकारी ने बाल कैदियों के साथ जेल के अन्दर अप्राकृतिक दुर्व्यवहार घटनाओं की जानकारी शासन को दी हैं ? यदि हां, तो क्या? क्या शासन मृतक के पारिवारिकजनों को कोई मुआवजा प्रदान करेगा? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैजिस्ट्रेट की जांच के अनुसार 17 वर्षीय हवालाती इन्द्रपाल की मृत्यु, दिनांक 25-4-84 को जिला कारागार, बांदा के अस्पताल में चोटों के कारण हुई थी ।

जी नहीं ।

जी नहीं । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है?

मथुरा, मांट ब्रांच गंगानहर के पानी की आपूर्ति और डेहरुवा माइनर की टेल तक पानी की आपूर्ति

113—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी में है कि मांट ब्रांच गंगा नहर, मथुरा को गत कई वर्षों से उसे निर्धारित कोटे से कम पानी दिया जा रहा है जिससे प्रतिवर्ष वत ब्रांच के चतुर्थ उपखंड में पानी का भारी अभाव रह जाता है और कृषकों

को भरपूर पानी नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब भविष्य में भरपूर कोटा उक्त कैनाल को दिलवाने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गत वर्षों में नियमानुसार जल की आपूर्ति की गयी है, जो जलभाग के अनुसार ही है—

वर्ष	अपर गंगा नहर की कुल जल मात्रा (क्यू0 सप्ताह)	मांट ब्रांच का जलभाग (क्यू0 सप्ताह)	मांट ब्रांच को उपलब्ध कराया गया जल (क्यू0 सप्ताह)
1979–80	1,03,527	30,932	29,885
1980–81	1,05,463	32,680	32,239
1981–82	95,095	28,528	29,525
1982–83	1,02,295	30,688	28,588
1983–84	1,04,042	31,212	31,599

इसी प्रकार इन वर्षों में चतुर्थ उपखंड का जलभाग एवं उपलब्ध कराये गए जल की स्थिति नियमानुसार है, जिसके अनुसार चतुर्थ उपखंड को जलभाग से अधिक ही जल दिया गया—

वर्ष	मांट ब्रांच प्रयुक्त जल (क्यू0 सप्ताह)	चतुर्थ उपखंड को जलभाग (क्यू0 सप्ताह)	चतुर्थ उपखंड को उपलब्ध कराया गया जल (क्यू0 सप्ताह)
1979–80	12,609	3,908	4,107
1980–81	14,763	4,576	4,609
1981–82	12,634	3,916	4,270
1982–83	12,865	3,988	3,765
1983–84	14,219	4,408	4,576

114--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा की डेहरुआ माईनर की टेल पर गई कई वर्षों से पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे सम्बन्धित किसानों की फसल सूखी रह जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या भविष्य में इस माइनर को टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था शासन करेगा ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

डेहरुआ माइनर की लम्बाई मील 2 फर्लांग 6 है । फसल रबी प्रस्तावित सिंचाई 432 एकड़ के विपरीत माइनर की पिछले 4 वर्षों में रबी की औसत सिंचाई 751 एकड़ है ।

इस माइनर के टेल के 3 कुलाबों की प्रस्तावित एवं वास्तविक सींच निम्नानुसार है जिससे स्पष्ट है कि टेल पर पानी पहुंचता है :

वर्ष	सी0 सी0 ए0 (एकड़-मी0)	प्रस्तावित (एकड़-मी0)	वास्तविक सींच (एकड़-मी0)
1980-81	160	63	78
1981-82	160	63	64
1982-83	160	63	69
1983-84	160	63	91

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मथुरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

115--श्री सरदार सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-5-84 को उनके मथुरा आगमन पर एक शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता ने प्रतिवेदन के रूप में दिया था ? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थी ? और शासन ने उन पर क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा बस स्टैंड से वृन्दावन-गोवर्धन-कृषि मंडी तक सिटी बस के संचालन की मांग

116--श्री सरदार सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग मथुरा बस स्टैंड से वृन्दावन गोवर्धन, रिफाइनरी, राया एवं कृषिमंडी तक सिटी बस चलाने की योजना बना रहा है ? यदि हां, तो इस योजना का क्रियान्वयन कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी नहीं ।

इन सभी मार्गों पर यात्रियों की सुविधा हेतु परिवहन निगम की सेवाएं उपलब्ध हैं ।

मथुरा जिले के ग्राम बरहना एस0 आई0 डी0 सी0 औद्योगिक केन्द्र के लिए भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

117--श्री सरदार सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के कोसीकला कस्बे के पास बरहना गांव की 120 एकड़ भूमि यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के लिए सितम्बर 80 में अर्जित की थी और उसका मुआवजा अभी तक सम्बन्धित किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो

क्यों ? क्या शासन अविलम्ब किसानों को मुआवजे का भुगतान कर.कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मथुरा जिले की तहसील छाता ग्राम बरहना में कोसीकलां कस्बे के पास यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के अधीन अधिसूचनायें क्रमश दिनांक 26 सितम्बर, 1981 एवं 28 सितम्बर, 1981 द्वारा अर्जित की गयी थी । प्रभावित काश्तकारों को निर्धारित दरों द्वारा प्रस्तावित प्रगणित की गयी प्रतिकर की 2/3 धनराशि का वितरण प्रभावित काश्तकारों को 29 दिसम्बर, 1982 को कर दिया गया है । अतः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय प्रतिकर के अधिकांश भाग का भुगतान कश्तकारों को कर दिया गया है । अवशेष 1/3 प्रतिकर राजस्व परिषद् द्वारा प्रतिकर की दरें अनुमोदित किए जाने के पश्चात् धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय घोषित होने के बाद प्रभावित कश्तकारों को वितरित किया जाना सम्भव हो सकेगा । राजस्व परिषद को इस सम्बन्ध में शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

मथुरा, रिफाइनरी मथुरा के निकट दुकानों का आवंटन

118--श्री सरदार सिंह--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि मथुरा रिफाइनरी मथुरा के सामने यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा निर्मित बाजार बहुत दिन पहले बन कर तैयार हो गया था और भारी विलम्ब से दूकानों का आवंटन गत माह में किया है, जिसे ब्याज का पैसा देने के लिये आवंटित दूकानदार तैयार नहीं हो रहे हैं ? यदि हां, तो दुकानों को विलम्ब से आवंटित करने के क्या कारण थे ? क्या शासन दुकानदारों को ब्याज से मुक्त करने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन विलम्ब से निर्णय लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा मथुरा रिफाइनरी, मथुरा के सामने विकसित औद्योगिक क्षेत्र में 85 दुकानों का निर्माण वर्ष 1981 में पूर्ण हुआ था । प्रारम्भ में प्रस्तावित प्रक्रिया से सम्भावित आवेदन कर्ताओं के संतुष्ट न होने के कारण निगम के निदेशक मंडल ने पुनः विचार कर फरवरी, 1984 में आवंटन प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया । और तद्नुसार प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अब तक 32 दुकानों का आवंटन कर दिया गया है दुकानों का मूल्य निर्धारण निगम द्वारा निर्माण पर व्यय की गई धनराशि एवं उस पर मूल्य निर्धारित करने की तिथि का ब्याज सम्मिलित करके किया गया है, जिसे आवंटियों ने स्वीकार कर वांछित धनराशि जमा भी कर दी है । चूंकि निगम विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर उसे विनियोजित करता है एवं लिये गये ऋणों पर ब्याज भी देता है, ऐसी स्थित में मूल्य निर्धारण मे निगम द्वारा ब्याज को सम्मिलित न करना सम्भव नहीं है ।

मथुरा जिले के ग्राम बरहना व कोसी कलां के औद्योगिक केन्द्र की भूमि का आवंटन

119--श्री सरदार सिंह--

क्या उद्योग मंत्री की जानकारी में है कि यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 कानपुर ने मथुरा जनपद के ग्राम बरहना व कोसी कलां में औद्योगिक क्षेत्र हेतु 120 एकड़ भूमि का अर्जन कर लिया गया है ? यदि हां, तो शासन अर्जित

की गई भूमि में कौन-कौन से उद्योग लगाने का विचार कर रहा है तथा प्लाट आवंटन में शासन की क्या नीति है ? पूर्ण विवरण क्या शासन सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर द्वारा मथुरा जनपद के ग्राम कोसीकलां के निकटवर्ती ग्राम बरहना, तहसील छाता में 120.02 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु अर्जित की गयी है । अर्जित भूमि में शासन द्वारा कोई उद्योग नहीं लगाये जायगें, अपितु उद्यमियों को "पहले आओ पहले पाओ" की नीति के अनुसार, भूमि की आवश्यकता का परीक्षण कर, एक-मुश्त अथवा किस्तों में ब्याज सहित देने की सुविधा देते हुए भूमि आवंटित की जायगी । अब तक मेसर्स कंजेको इन्डस्ट्रीज, आगरा को 20,000 वर्ग मीटर भूमि फोंजिंग व एलाईड इन्डस्ट्रीज हेतु तथा 9,200 वर्ग मीटर भूमि एल0 पी0 जी0 सिलिण्डर्स हेतु आवंटित की जा चुकी है, और मेसर्स यू0 पी0 कार्बन एन्ड कैमीकल्स लि0 बम्बई को कार्बन ब्लैक की इकाई हेतु 50 एकड़ भूमि आवन्टित की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 2 प्रार्थनापत्रों पर लगभग 10 एकड़ भूमि का आवंटन विचाराधीन है ।

मथुरा औद्योगिक केन्द्र की भूमि पर बाबा जय गुरुदेव का अनधिकृत कब्जा

120--श्री सरदार सिंह--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि मथरा औद्योगिक क्षेत्र में विभाग की करीब 76 एकड़ जमीन पर बाबा जयगुरु देव ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो शासन की ओर से गत एक वर्ष में अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए क्या क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा जिले के बस स्टेशन, राया के स्टेशन इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायती-पत्र

121--श्री सरदार सिंह--

क्या परिवहन मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 17-5-84 को स्टेशन प्रभारी राया, जिला मथुरा की शिकायतों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायत की जांच किस अधिकारी से करायी गयी तथा शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां ।

निगम द्वारा शिकायत की जांच सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, मथुरा से कराई गई, जिसके आधार पर स्टेशन इंचार्ज राया का स्थानान्तरण कोसी बस स्टेशन पर कर दिया गया है ।

गोरखपुर का क्षेत्र समिति महाराजगंज के अन्तर्गत सिंचाई विभाग से सम्बन्धित पुल एवं पुलियों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

122--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की क्षेत्र समिति महाराजगंज में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कठिनाईयों पुल, पुलियों आदि के ऊपर ग्राम प्रधानों का शिकायतों को प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 15-2-1984 को उन्हें भेजा जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपने

अपने पत्रांक शून्य दिनांक 23-2-1984 द्वारा दिया है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई गयी जो निम्न प्रकार है :--

(1) अस्थौली माइनर पर सिसवा बाबू के पास एक पुल की मांग की गयी है । मांग स्थल से लगभग 50 मीटर पर पैदल पुलिया पहले से बनी हुयी है । नये पुल का औचित्य नहीं है ।

(2) ग्राम सिसवा बाबू तथा ग्राम महुअवा से रूद्रपुर एवं ग्राम रामपुर से बागपार, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों पर पुलों की मांग की गयी है जिसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है ।

(3) विकास खंड महराजगंज के फरवा फहीम गांव के पास फुटवा ड्रेन के कि0 मी0 12-400 पर एक पुल की मांग की गयी है । यह पुल पहले से ही स्वीकृत है ।

(4) इस क्षेत्र के अन्तर्गत जल भराव के सम्बन्ध मे सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

(5) महराजगंज क्षेत्र में सभी नहरों पर ईटों की सोलिंग कराये जाने की मांग की गयी है । समस्त नहरों पर ईटों की सोलिंग कराया जाना सम्भव नहीं है ।

(6) रम्मौली, बल्लोव पकड़ी के पास पैदल पुलिया की मांग की गयी है । ग्राम रम्मौली व पकड़ी के पास बलिया नाला पर पुल स्वीकृत है ।

(7) सींचपालों के विरुद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

गोरखपुर के ग्राम करमहा के कृषकों का सिंचाई एवं पुल से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

123--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के ग्राम करमहा के कृषकों से सम्बन्धित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता ने ने दिनांक 10-2-1984 मे भेजा, जिसे उन्होंने दिनांक 23-2-1984 न प्राप्त होना स्वीकार किया है ? इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा पूरा विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रश्नगत पत्र में पुल की मांग तथा असिंचित क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराये जाने के बारे में कहा गया है । इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण आदि की कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी के मुगलसराय राजवाहा को रीवां माइनर पर पुल निर्माण

124--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 4-4-1983 को जो वाराणसी के मुगलसराय राजबहा से निकले रीवां माइनर पर पुल का निर्माण कराने के बारे में लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । रीवा माइनर के मील 0-4-400 पर पुल का कार्य प्रगति पर है । केवल स्लेब डालने का कार्य अवशेष रह गया है ।

मिर्जापुर–खरवांव बस सेवा को शाहगंज तक किये जाने की मांग

125—श्री राम चरण सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य मन्त्री ने एक पत्र दिनांक 14 फरवरी, 1983 को जनपद मिर्जापुर से खरवांव तक जाने वाली बस के शाहगंज बाजार तक घोरावल बाजार से शाहगंज होते हुये वाराणसी शहर तक बस चलाने तथा शाहगंज बाजार से घोरावल बाजार होते हुये इलाहाबाद तक बस चलाये जाने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां ।

मिर्जापुर–खरवांव सेवा को शाहगंज तक बढ़ाकर संचालित करना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रश्नगत मार्ग का घोरावल बाजार से शाहगंज का 20 कि0 मी0 भाग अराष्ट्रीयकृत है ।

घोरावल बाजार के शाहगंज होते हुये वाराणसी मार्ग का घोरावल बाजार से शाहगंज राबर्ट्सगंज तक का तथा राबर्ट्सगंज से हिंगवारी पुल 8 कि0 मी0 भाग राष्ट्रीयकृत भाग को छोड़कर अहरौरा तक का 40 कि0 मी0 भाग अराष्ट्रीयकृत है । शेष अहरौरा से वाराणसी तक का भाग राष्ट्रीयकृत है ।

शाहगंज बाजार से घोरावल बाजार होते हुये इलाहाबाद मार्ग का शाहगंज से घोरावल 20 कि0 मी0 भाग राष्ट्रीयकृत है ।

वर्तमान समय में परिवहन निगम के बस बेड़े की स्थिति को देखते हुये अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम द्वारा नई बस सेवायें संचालित करना सम्भव नहीं है ।

वाराणसी से नरायनपुर–अदलहाट बस सेवा को जर्गो फीडर तक किये जाने की मांग

126—श्री राम चरण सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 3 मार्च, 1983 जो वाराणसी से नरायनपुर अदलहाट होते हुये जर्गो फीडर तक बस सेवा के सम्बन्ध में लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

जी हां ।

वाराणसी से नरायनपुर–अदलहाट होते हुये अहरौरा तक निगम की 6 सेवायें संचालित हैं ।

अदलहाट से (जर्गोफीडर) इमिलिया पट्टी 12 कि0 मी0 अराष्ट्रीयकृत मार्ग है । वर्तमान बस बेड़े को दृष्टिगत रखते हुये अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बसें संचालित करना सम्भव नहीं है ।

मिर्जापुर जिले के ग्राम कनवही, धूपगंज आदि के लिए सिंचाई व्यवस्था की मांग

127—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 9 फरवरी, 1982 को एक पत्र ग्राम कनवही–धूपगंज आदि तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर के 20 ग्रामों की सिंचाई सुविधा के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1982 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

मिर्जापुर के ग्राम मुडीलाडीह में पम्प लगाने की मांग

128--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद मिर्जापुर ग्राम मुडीला-डीह में 90 क्यूसेक का पम्प लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने जो एक पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1983 को लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर के ग्राम गोवर्दहा में जर्गा नदी में लिफ्ट कैनाल के निर्माण की मांग

129--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 1 मार्च, 1983 को जो एक पत्र ग्राम गोवर्दहा जनपद मिर्जापुर में जर्गा नदी के वह से एक लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर, पुवां, खुर्द, बन्धी चुनार की मुख्य नहर का विस्तार

130--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुवां, खुर्द, बन्धी चुनार, मिर्जापुर के मुख्य नहर को दो सौ मीटर तक पत्थर तोड़कर पूरब में बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 9 मार्च, 1983 को जो पत्र लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रश्न में इंगित पत्र दिनांक 9 मार्च, 1983 का न होकर दिनांक 1 मार्च, 1983 का है ।

स्वीकृत दायीं नहर के कि0 मी0 1.200 से 1.375 में पत्थर तोड़कर उसे पूर्ण किय जाने का कार्य प्रगति पर है ।

मिर्जापुर जिले के सुअरी नाले पर सिचाई के लिये झाल निर्माण की मांग

131--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मि पुर में सुअरी नाला को बांध कर मौजा सुकृत एवं लोहरा के सिचाई के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 25 दिसम्बर, 1982 को जो पत्र लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जांच कराई गई । सुअरी नाला पर झाल बनाकर इस क्षेत्र को सिचित करना सम्भव नहीं है । जांच परिणाम से विधायक महोदय को पत्र संख्या 10961-सोन, दिनांक 28 अक्तूबर, 1983 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

मिर्जापुर, नौगढ़ लिफ्ट कैनाल के निकट अन्य लिफ्ट कैनाल के निर्माण की मांग

132--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में नौगढ़ लिफ्ट कैनाल के दक्षिण तरफ एक किलो मीटर पर दूसरा लिफ्ट कैनाल बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 24 फरवरी, 1983 को जो एक पत्र लिखा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही ह ।

मिर्जापुर जिले के ग्राम राम-रायपुर ठांव में नलकूप निर्माण की मांग

133--श्री र म चरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, ग्राम राम-रायपुर ठांव में टयूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने जो एक पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1984 को लिखा, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

जी हां । सम्बन्धित क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करा लिया गया है ।

मिर्जापुर के चुनार नगर के घाटों का गंगा नदी से कटाव

134--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के चुनार नगर में गंगा नदी के किनारे कुल कितने घाट पक्के एवं कच्चे हैं तथा प्रतिवर्ष बाढ़ से इन घाटों का कटाव एवं क्षति हो रही है ? यदि हां, तो इन ऐतिहासिक घाटों की सुरक्षा एवं रख-रखाव की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद मिर्जापुर के चुनार नगर में गंगा नदी के तट पर कुल 9 घाट हैं जो सभी कच्चे घाट हैं । कोई घाट पक्का नहीं है ।

उक्त घाटों में से केवल 2 घाट किला घाट एवं बालू घाट के तट का कटाव हो रहा है । इन ऐतिहासिक घाटों की सुरक्षा एवं रख-रखाव की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

कटाव की समस्या अभी सामान्य है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के रिक्त पद

135--श्री राम चरण सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 से प्रदेश में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कितने पद रिक्त थे ? क्या इनके भरे जाने पर सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

वर्ष 1982-83 में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कुल 14 पद रिक्त थे । लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 11 पद वर्ष 83-84 में तथा एक पद वर्ष 1984-85 में भरा गया । कुछ अधिकारियों के सेवा निवृत हो जाने तथा संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पद प्रोन्नत हो जाने के फलस्वरूप

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या वर्ष 1983–84 व 1984–85 में 19 रही ।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है ।

बाराबंकी जिले की ग्राम ग्वारी वाया तिन्दोला के लिये संचालित बस सेवा की बन्दी

136—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के कैसरबाग डिपो से जनपद बाराबंकी के ग्राम सिदव ही वाया तिन्दोला के लिए जो एक बस यात्रियों की सुविधा हेतु चलती थी, बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तत्काल इस बस को चलवाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

लखनऊ–कैसरबाग डिपो से जनपद बाराबंकी के ग्राम सिदवाही के लिये कोई बस परिवहन निगम की नहीं चलती थी ।

कैसरबाग डिपो की एक बस जनपद बाराबंकी के ग्राम ग्वारी वाया तिन्दोला संचालित थी जिसे पर्याप्त संख्या में यात्री न मिलने एवं आय अत्यधिक कम प्राप्त होने के कारण दिनांक 1 फरवरी, 1981 से बन्द करना पड़ा ।

यात्रियों की सुविधा हेतु उक्त बस लखनऊ–फतेहपुर मार्ग पर दिनांक 1 फरवरी, 1981 से संचालित कर दी गयी जो ग्राम ग्वारी वाया तिन्दोला क्रास होते हुये जाती है । वर्तमान में इस मार्ग पर 4 अप तथा तीन डाउन बस सेवायें संचालित हैं, जो यात्रियों को मात्रा सुविधा हेतु पर्याप्त हैं । अतः पुनः आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ के लिये कापी होल्डर के पद पर नियुक्ति हेतु कथित काल लेटर

137—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में कापी होल्डर के पद पर नियुक्ति हेतु काल लेटर सं0 स्था0–2–107 (76)–82/25–2–82 के अनुसार जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों की नियुक्ति की गई और कब ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मामला विचाराधीन है ।

138—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्र0 सं0 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ नगर की जयगंज तथा मदार गेट की शराब की दुकानों की बन्दी

139—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या आबकारी मन्त्री को ज्ञात है कि अलीगढ़ नगर में जनता द्वारा बड़े पैमाने पर आन्दोलन किये जाने के कारण वर्ष 1978 से जयगंज तथा मदारगंज पर शराब की जो दुकान बन्द कर दी गयी थी अब 27 मार्च, 1984 को उन्हीं दुकानों की पुनः नीलामी की जा रही है जिससे बड़ी उत्तेजना का

वातावरण व्याप्त है ? यदि हां, तो दुकानें खुलवाने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह--

अलीगढ़ नगर की जयगंज तथा मदारगेट की देशी शराब की दुकानें वर्ष 1978-79 में बन्द कर दी गई थीं । उपरोक्त दोनों दुकानों का नीलाम वर्ष 1984-85 के लिए नहीं किया गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रबन्ध निदेशक को दिया गया मांग-पत्र

140--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् निगम संयुक्त मोर्चा द्वारा दिनांक 1-2-84 एवं 25-2-84 को प्रबन्ध निदेशक, राज्य सड़क परिवहन निगम को मांग-पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो मांग-पत्र में उल्लिखित मांगें क्या हैं और निगम द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां ।

उक्त 15 सूत्री मांग-पत्र एवं उस पर निगम प्रबन्ध द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 220 पर ।)

141--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ऊपरी गंगा नहर की आधुनिकीकरण परियोजना हेतु विश्व बैंक से स्वीकृत ऋण

142--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या ऊपरी गंगा नहर सिंचाई व्यवस्था के लिये विश्व बैंक आवश्यक धन देने जा रहा है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

विश्व बैंक के साथ 29-6-84 को हुए अनुबन्ध के अनुसार विश्व बैंक ने ऊपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 125.0 यू0 एस0 डालर (लगभग 135 करोड़ रुपये) का ऋण देना स्वीकार किया है । इस योजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 1315 करोड़ है । योजना को दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है । प्रथम चरण को प्रथम टाइम स्लाइस (अक्तूबर, 1984 से सितम्बर, 1990) की अवधि में 3·4 मील से 22-6 मील तक समानान्तर नहर एवं माछुआ राजबाहा प्रणाली के आधुनिकीकरण का अग्रगामी कार्य प्रस्तावित है । ड्रेनेज संचार व्यवस्था, संवर्धन नलकूप, विद्युत् गृह, जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान के भी आंशिक कार्य आदि प्रस्तावित है । प्रथम टाइम स्लाइस के कार्यों की लागत वर्ष 1983 के मूल्यों पर 173.00 करोड़ रुपये आंकी गयी है ।

143--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[3रे बुधवार के लिए स्थगित ।]

कानपुर जिले का क्षतिग्रस्त नलकूप संख्या ग्यारह एवं उसके द्वारा की गयी सिंचाई

144--श्री राम स्वरूप वर्मा--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 104, दिनांक 14-3-84 के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नलकूप संख्या 11 का व्यास कितने इंच था और उस मोटर का आयतन और मोटाई तथा हार्सपावर कितनी थी जो नलकूप के

अन्दर चला गया ? उक्त नलकूप को बिगाड़ने में कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और अब उसके स्थान पर नया नलकूप कहां पर और कब तक लगा दिया जायेगा ? कूप संख्या 45 का छिद्रण करने के पश्चात् क्या उक्त नलकूप का मुंह कैप और टांकों से बन्द नहीं किया गया था ? यदि हां, तो कैप बन्द न करने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और बोर को साफ करके उक्त नलकूप कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

राजकीय नलकूप संख्या 11, डेरापुर का व्यास 14″ तथा बलाइन्ड स्लाटेड पाइप का व्यास 8″ था। कूप में पड़े मोटर का व्यास 7″ तथा लम्बाई 46″ थी। गिरी हुई मोटर की अश्व शक्ति 27.5 एच0 पी0 थी। नलकूप बिगड़ने का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जांच की जा रही है। राजकीय नलकूप संख्या 11, डेरापुर का पुनः निर्माण 3/84 में इसी नलकूप के निकट कर दिया गया है व इसके शीघ्र चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

कूप संख्या 45 का छिद्रण करने के पश्चात् उसका मुंह वैल कैप लगाकर बन्द कर दिया गया था। पम्प गृह के निर्माण के समय यह कैप ठीक प्रकार बन्द नहीं की गई थी जिसके लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। कूप का बोर साफ करके नलकूप को शीघ्र कार्यरत करने के आदेश दे दिये गये हैं।

देवरिया जिले की बरहज बाजार स्थित कथित हनुमान मिल

145--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरहज बाजार, जनपद देवरिया में कोई हनुमान आयल मिल लगभग 1969-70 में था ? यदि हां, तो क्या यह मिल इस समय भी चल रही है ? यदि नहीं, तो इस मिल ने सरकारी प्रत्येक देयों का भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो इस मिल पर सरकारी कौन-कौन से और कितना देय है ? इसे वसूल करने की कौन सी कार्यवाही तत्काल की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

बरहज बाजार जनपद देवरिया में वर्ष 1969-70 में हनुमान आयल मिल नाम की इकाई नहीं थी और उस पर उद्योग विभाग का कोई बकाया नहीं है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठत।

सिंचाई विभाग, बलिया के कथित सहायक अभियन्ता श्री डी0 आर0 के0 मौर्य का स्थानान्तरण

146--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी0 आर0 के0 मौर्य, सहायक अभियन्ता, सिंचाई, बलिया (जनपद) का नियुक्ति से अब तक कितने बार स्थानान्तरण हुआ था ? यदि हां, तो ये अपने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिये ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक अपने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री डी0 आर0 के0 मौर्य नाम के कोई सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग मे बलिया (जनपद) में नहीं हैं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी0 पी0 सिंघल, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

147--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा 12 जनवरी,

1984 के लगभग कोई शिकायती पत्र सिंचाई सचिव को मिला है जिसमें अधिशासी अभियन्ता, श्री डी0 सी0 सिंघल की चर्चा है ? यदि हां, तो जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । श्री डी0 पी0 सिंघल, अधिशासी अभियंता से संबंधित प्रश्नकर्ता सदस्य का एक शिकायती-पत्र दिनांक 11-1-84 प्राप्त हुआ है । शिकायती-पत्र में वर्णित तथ्यों पर शासन द्वारा संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । विचारोपरान्त उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही हुई ।

देवरिया जिले के सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग, श्री जी0 डी0 दुबे के विरुद्ध शिकायती-पत्र

148--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के आठवें बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतकर्त्ता से जांच में सम्पर्क क्यों नहीं किया गया जबकि सम्पूर्ण शिकायत के मूल मे अभिलेख को फर्जी बनाकर ही भुगतान किया गया है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्त्ता से सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

वाराणसी जिले के सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग रिग्स, वाराणसी का निलम्बन और उनके विरुद्ध जांच रिपोर्ट

149--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 141 के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निलम्बित अधिशासी अभियन्ता (श्री एस0 पी0 मिश्र) ने अपने निलम्बन के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश मा0 उच्च न्यायालय का लिया है ? यदि हां तो इसके विरुद्ध सरकार ने कौन सी कार्यवाही की तथा श्री मिश्र इस समय कहां किस पद पर एवं किस स्थिति में विभाग में हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । श्री एस0 पी0 मिश्र, अधिशासी अभियंता का निलंबन आदेश, मुन्सिफ, बस्ती की अन्तरिम निषेधाज्ञा, दिनांक 1-2-84 के कारण कार्यान्वित नहीं हुआ ।

मुंसिफ, बस्ती के उक्त आदेश के विरुद्ध जिला जज, बस्ती के न्यायालय में 17-5-84 को निगरानी दाखिल की गयी । शासकीय आदेश दिनांक 13 जुलाई, 1984 द्वारा श्री मिश्र का निलंबन आदेश वापस ले लिया गया । इस समय श्री मिश्र नलकूप निर्माण खण्ड, रिग्स खण्ड (विश्व बैंक) बस्ती म अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं ।

150--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गए विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के छठवें बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 51 के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब प्रत्येक जांच पूरी हो गई तथा तथ्य सिद्ध हो गये है ? क्या मंत्री जी संबंधित अधिकारी (अधिशासी अभियंता) की पदावनति करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिस सतर्कता जांच का उल्लेख प्रथम सत्र, 84 के छठे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न-51 के उत्तर में किया गया था वह पूरी हो गई है और तत्संबंधी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी । जांच में सिद्ध पाये गये कुछ

आरोपों के बारे में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय मे अभियोजन चलाया जा रहा है तथा शेष आरोपों पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

इसका तब तक प्रश्न नहीं उठता जब तक अभियोजन एवं विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय न हो जाये।

देवरिया जिले के जे0 एस0 आई0 श्री राम निवास सिंह, परिवहन विभाग का कार्य-काल

151--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या परिवहन मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम निवास सिंह इंचार्ज, देवरिया डिपो ने अपने सेवाकाल के प्रारम्भ से अब तक देवरिया मे कितने वर्ष रहे हैं तथा वर्तमान समय में देवरिया में ही है ? यदि हां, तो इन्हें बार-बार देवरिया में रखने का क्या कारण है ? क्या निगम इन्हें तत्काल प्रभाव के साथ स्थानान्तरित करने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्री राम निवास सिंह, जे0 एस0 आई0, देवरिया अपने सेवाकाल में विभिन्न पदों पर प्रारम्भ से अब तक देवरिया में कुल 25 वर्ष तैनात रहे । वर्तमान में भी श्री सिंह देवरिया में ही जे0 एस0 आई0 के पद पर तैनात हैं । इसके पूर्व ये 5 वर्ष देवरिया के अन्य डिपो में कार्यरत रहे हैं ।

श्री सिंह की जे0 एस0 आई0 के पद पर प्रोन्नति मई 1984 में की गई, और जुलाई, 1984 में निगम की एक पद पर 10 वर्ष पदस्थता की निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार श्री सिंह स्थानान्तरण की परिधि में नहीं आते हैं ।

नगर सुरक्षा बांध, आजमगढ़ के मस्टर रोल के कर्मचारी

152--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर सुरक्षा बांध आजमगढ़ पर मस्टर रोल पर दिसम्बर, 1979 से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? कितने नियमित सेवा में ले लिये गये तथा उसका मापदंड क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नगर सुरक्षा बांध आजमगढ़ पर मस्टर रोल पर दिसम्बर 1979 से कोई कर्मचारी निरन्तर कार्यरत नहीं है । अतः दैनिक श्रमिकों को नियमित सेवा में लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

ललितपुर के नरेन्द्रा इक्सप्लासिव कारखाने के लिए भूमि का अधिग्रहण

153--श्री भीखा लाल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर में 1975 से बन रहे नरेन्द्र इक्सप्लासिव कारखाने के लिये कितने एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है और क्या उसका प्रतिकर सम्बन्धित व्यक्तियों को अदा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माता टीला बांध, सिंचाई विभाग में सिल्ट की रुकावट हेतु माता टीला नदी घाटी योजना

154--श्री भीखा लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माता टीला बांध में सिल्ट रोकने के लिए माता टीला नदी घाटी योजना के लिए केन्द्रीय सरकार

से कितना धन प्राप्त हुआ है और उसमें से कितना धन किस-किस काम में और किसके माध्यम से व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माता टीला बांध में सिल्ट रोकने के लिये माता टीला नदी घाटी योजना हेतु केन्द्रीय सरकार से सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस कार्य पर धन व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले के मुस्ताफाबाद राजवाहे की सड़क

155--श्री भीखा लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई राज्य मन्त्री, भारत सरकार के पत्र संख्या एम0 एस0 (I) 3/82-7146, दिनांक 27 नवम्बर, 1982 तथा पत्र संख्या एम0 एस0(1)/ 3/82-7858, दिनांक 22 दिसम्बर, 1982 उनको प्राप्त हुये हैं, जिनके माध्यम से मुस्ताफाबाद राजवहा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के 3 कि0 मी0 पक्का कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस प्रकरण पर अंतिम निर्णय जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण की बैठक में लिया जा चुका है कि राजवाहे की सड़क को पक्का कराया जाय । खड़ंजा लगाने का कार्य वर्षा के बाद आरम्भ किया जायेगा ।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के औद्योगीकरण हेतु योजनायें

156--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में गौगढ़ तहसील औद्योगीकरण हेतु कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ? पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

1--बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील को विकास केन्द्र घोषित किया जा चुका है । फलतः विकास केन्द्र में दी जाने वाली सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

2--पावर लूम हेतु लाइसेंसिंग तथा फाइनेंसिंग की सुविधा अनुमन्य कराई गयी है ।

3--औद्योगिक आस्थान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त जिला बस्ती के लिये जिला योजना के अन्तर्गत 1984-85 के लिये निम्नलिखित योजनाओं पर 5.41 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है :--

(1) औद्योगिक आस्थानों का रख-रखाव ।

(2) औद्योगिक सहकारिता (अवस्त्रोय) ।

(3) जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन-मनी ऋण (राज्यांश) ।

(4) विकास केन्द्र मार्जिन मनी ऋण ।

(5) विद्युत् उपादान ।

(6) स्टाम्प ड्यूटी उपादान ।

(7) ब्याज उपादान ।

(8) परामर्श उपादान ।

(9) हस्तकला समितियों को सहायता ।

बस्ती जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत असिंचित भाग

157--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के विधान सभा निर्वाचन

क्षेत्र नौगढ़ का कितना भाग असिंचित है और उस असिंचित भाग को सिंचित करने के लिए शासन ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना कब से प्रारम्भ होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नौगढ़, जिला बस्ती के खादी तथा ग्रामोद्योग के प्रबन्धक के पद पर स्वतंत्रता सेनानी की नियुक्ति की मांग

158--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़ जिला बस्ती में कितने खादी ग्रामोद्योग के प्रबन्धक हैं और उनमें से कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके आश्रित हैं ? क्या शासनादेश के अनुसार उनका कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसकी पूर्ति हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एक जनपद के जिला उद्योग केन्द्र के लिए केवल एक प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) का पद होता है । तद्नुसार सम्पूर्ण जनपद बस्ती के लिए एक अधिकारी उक्त पद पर कार्यरत है । यह अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनका आश्रित नहीं है । आरक्षण क्षेत्रवार नहीं होता है, इसलिये तथा जनपद बस्ती के लिये एक पद ही होने के कारण आरक्षण अथवा कोटा पूरा होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना

159--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका क्षेत्र, भदोही तथा उसके 8-10 किलोमीटर चारों तरफ जिला वाराणसी के भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बना दिया गया है और उसका गजट करके वहां एक कार्यालय औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सन् 1983 से खोल दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और इसमें कितने गांव इस परिधि क्षेत्र में ले लिए गए ? क्या सरकार इसकी पूरी रूप-रेखा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

दिनांक 25 अगस्त, 1981 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करके "भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण" की स्थापना शासन द्वारा की गई है, जिसका कार्यालय भदोही में खोला गया है । प्राधिकरण का अधिकारिता क्षेत्र भदोही नगर के चतुर्दिक 8 किलोमीटर अर्धव्यास की परिधि में है ।

भदोही क्षेत्र शत-प्रतिशत निर्यात-मूलक एवं हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के लिए विश्वविख्यात है । उक्त क्षेत्र में प्रचुर अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराकर सघन औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्राधिकरण की स्थापना की गई है । इसकी परिधि में भदोही नगर के अलावा कुल 269 गांव आते हैं ।

प्राधिकरण की रूप-रेखा का विवरण संलग्न है ।

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में परिरुद्ध बन्दी, श्री जहूर को प्रोवेशन पर रिहा किये जाने की मांग

160--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ में छापी नहीं गयी ।

आजीवन सजायाफ्ता श्री जहूर, कैदी नं0 3612, निवासी चौसार थाना हरपालपुर जिला हरदोई 16-2-1970 से जेल काट रहे हैं ? क्या ये सितम्बर, 1975 से 1980 तक सितारगंज कैम्प में रहे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत पर सितम्बर, 1980 से सितम्बर, 1981 तक जेल से बाहर रहे तथा अक्तूबर, 1981 से 4 मई, 1984 तक पुनः जेल में रहे ? यदि हां, तो इतनी लम्बी सजा काटने के बाद भी उन्हें मुक्त न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में परिरुद्ध बन्दी जहूर (सं0 3612) निवासी ग्राम चौसार, थाना हरपालपुर-जनपद हरदोई, दिनांक 9-6-75 से दिनांक 3-10-80 तक सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज में रहा । बन्दी को रिट याचिका संख्या 3267/1980 पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश से वह दिनांक 4-10-80 को जमानत/मुचलके पर रिहा किया गया । उक्त रिट याचिका के खारिज होने पर वह दिनांक 21-9-81 को जिला कारागार, हरदोई में दाखिल हुआ जहां से उसे दिनांक 3-11-81 को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ भेजा गया । इस बन्दी ने उत्तर प्रदेश प्रिजन्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट के अधीन लाइसेन्स पर मुक्ति हेतु उपयुक्त अभिभावक प्रस्तावित नहीं किया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह भी सही है कि वर्ष 1977 से इन्हें प्रोबेशन पर रिहा किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक रिहा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

बन्दी की रिहाई उसके द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अनुसार अभिभावक प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है ।

बेतवा नहर प्रखन्ड प्रथम, उरई, जालौन के सींच पर्यवेक्षक, स्व0 श्री रामगोपाल सक्सेना की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान

162—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बेतवा नहर प्रखन्ड प्रथम उरई, जनपद जालौन के सींच पर्यवेक्षक का निधन अगस्त, 1980 में होने के बाद उनकी विधवा पत्नी को सामूहिक बीमा योजना अन्तर्गत देय धनराशि निदेशक, सामूहिक बीमा द्वारा चेक संख्या 25/55 दिनांक 11 जनवरी, 82 के माध्यम से कर दिये जाने के बावजूद अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत मंडल चतुर्थ, झांसी ने उक्त धनराशि का भुगतान आज तक नहीं किया है? यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री जी श्री सक्सेना की विधवा को जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बेतवा नहर प्रखन्ड प्रथम, उरई, जनपद जालौन के सींच पर्यवेक्षक श्री राम गोपाल सक्सेना का निधन 1980 में होने के बाद सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित चेक सं0 25/25, दिनांक 11-1-82 की धनराशि का भुगतान अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ मंडल, सिंचाई कार्य, झांसी द्वारा उनकी विधवा श्रीमती विमला देवी को चेक द्वारा दिनांक 8-5-84 को कर दिया गया था, जो दिनांक 14-5-84 को कैश भी हो चुका है ।

163—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 सक्सेना की विधवा को भुगतान में विलम्ब करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा विलम्ब से भुगतान के कारण श्रीमती सक्सेना को देय धनराशि पर ब्याज के भुगतान की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्व0 राम गोपाल सक्सेना के सामूहिक जीवन बीमा के भुगतान में हुये विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध भर्त्सनात्मक प्रविष्टि चरित्र पंजी में अंकित कर दी गयी है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। राज्य कर्मचारियों को देय धनराशि पर ब्याज दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

सिंचाई खंड, गोंडा के तृतीय उपखंड के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

164—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री शक्ति नाथ सिंह, अध्यक्ष, जनता पार्टी, बहराइच का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 10 जून, 1983, 8 जुलाई, 1983 व 30 मार्च, 1984 उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंचाई खंड, गोंडा के तृतीय उप-खंड के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? क्या यह सच है कि कुछ आरोपों की जांच टी0 ए0 सी0 ने किया भी है ? यदि हां, तो टी0 ए0 सी0 ने रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर के सहायक अभियन्ता, श्री उमेश चन्द्र सिंह का स्थानान्तरण

165—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि श्री उमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचीज सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग सम्बद्ध सिंचाई कार्य मंडल गोरखपुर को मई, 1981 से जून सन् 1982 के बीच पांच स्थानान्तरण एवं स्थगन आदेश किये गये ? यदि हां, तो इन आदेशों का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता पुत्र श्री रामचीज सिंह के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मई, 1981 से जून, 1982 तक 5 आदेश निर्गत किये गये जिनमें कोई भी स्थगन आदेश नहीं है। उक्त सभी आदेश जनहित में किये गये।

हावर्ड गांव बांध, गोरखपुर में मिट्टी के कार्य हेतु आमन्त्रित टेंडर

166—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1983-84 में हावर्ड गांव, गोरखपुर में मिट्टी के कार्य का एग्रीमेंट का जो टेंडर हुआ उसमें टेंडर कार्य का विक्रय 24 अप्रैल, 1983 दिखाया गया है जब कि कंशबुक में वह धनराशि 26 अप्रैल, 1983 को जमा है और कंशबुक 25 अप्रैल, 1983 को ही बन्द हो गयी थी ? यदि हां, तो इस चार पांच लाख फर्जी भुगतान के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हावर्ड गांव, गोरखपुर नहीं बल्कि हावर्ट बांध, गोरखपुर पर वर्ष 1983-84 में मिट्टी के कार्य हेतु सहायक

अभियन्ता, चतुर्थ द्वारा जो निविदायें आमन्त्रित की गयी थीं उनमें निविदा प्रपत्र के बिक्री की अन्तिम तिथि 23 अप्रैल, 1983 थी और निविदायें प्राप्त करने की तिथि 24 अप्रैल, 1983 या अवकाश की स्थिति में अगला कार्यदिवस निर्धारित थी। निविदायें 23 अप्रैल, 1983 को विक्रय की गयीं। दिनांक 24 अप्रैल, 1983 एवं 25 अप्रैल, 1983 को अवकाश के कारण निविदायें 26 अप्रैल, 1983 को प्राप्त की गयीं और उसी दिन खोली गयीं। निविदाओं के विक्रय से प्राप्त धनराशि 330.00 रु0 को सम्बन्धित लिपिक ने 26 अप्रैल, 1983 को जमा किया और उसी दिन रोकड़ बही में लिखा गया। कैशबुक निर्धारित तिथि 25 अप्रैल, 1983 को सहायक अभियन्ता द्वारा बन्द किया गया।

प्राप्त निविदाओं के विरुद्ध किये गये अनुबन्धों का भुगतान नियमानुसार किया गया है। इसलिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले के राम सनेही-घाट शारदा सहायक नहर की तिवारीपुर माइनर की सड़क का निर्माण

167--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद की तहसील राम सनेही घाट में स्थित शारदा सहायक नहर के अन्तर्गत तिवारीपुर माइनर का निर्माणाधीन सड़क बन कर तैयार हो गई है? यदि हां, तो उसमें लो गई किसानों की भूमि, मिट्टी एवं क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

जी नहीं।

चकबन्दी में नहर के लिए छोड़ी गई भूमि पर सड़क का निर्माण कराया गया है। नहर निर्माण में फसल नहीं काटी गई। मामूली मिट्टी खेतों से ली गयी जिसे लोग बराबर कर खेत बना लेते हैं।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के भूगर्भशास्त्रियों द्वारा किया गया अन्वेषण कार्य

168--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कार्यरत भूगर्भ शास्त्रियों के लिए प्रदेश के दुर्गम स्थानों में जाकर विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज करना अनिवार्य है? यदि हां, तो उक्त निदेशालय में कार्यरत ऐसे कितने भूगर्भ शास्त्री हैं जो अभी तक एक बार भी दुर्गम क्षेत्रों में खनिजों की खोज करने के लिए नहीं गये हैं और क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के भूगर्भशास्त्रियों द्वारा खनिज अन्वेषण कार्य किया जाना अनिवार्य है। यह खनिज अन्वेषण कार्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में, चाहे वे दुर्गम क्यों न हों, में किया जाता है। निदेशालय में कार्यरत सभी भूगर्भशास्त्रियों द्वारा उक्त कार्य किया गया है।

गोण्डा जिले के ग्राम त्योरासी के नलकूप में प्रयोग की गयी ईंट व सीमेन्ट

169--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोण्डा के ग्राम त्योरासी तहसील तरबगंज के अन्तर्गत 33 टी0 जी0 नलकूप में नई नाली निर्माण में कितना ईंटा एवं सीमेन्ट का प्रयोग हुआ

हैं और क्या संदर्भित नलकूप की उक्त नाली से सिंचाई हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद गोण्डा, ग्राम त्योरासी तहसील तरबगंज में नलकूप संख्या 33 टी० जी० पर नई नाली का निर्माण कार्य 1982-83 में किया गया था, जिसके निर्माण में 115 बोरी सीमेन्ट व 33160 ईंटें प्रयोग में आई हैं। उक्त नई नाली द्वारा सिंचाई हो रही है।

170--172--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[दिनांक 22 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न सं० 175, 176 व 177 द्वारा उत्तरित]।

173--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[3रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं० 145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

जिला पिथौरागढ़ के ग्राम थल के श्री दिनेशचन्द्र पाठक व कुमारी बसन्ती पाठक का छात्रवृत्ति हेतु दिया गया प्रार्थनापत्र

174--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

प्रथम सत्र 84 के 1ले बुध के तारा० प्र० सं० 155 के उत्तर के संदर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा भेजे उल्लिखित शिक्षा सत्रों के लिए सीमान्त छात्रवृत्ति प्रार्थना-पत्र क्रमशः किन-किन तिथियों में जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्राप्त किये ? इन आवेदन पत्रों में उनके पिता की मासिक/वार्षिक आय कितनी दर्शायी गयी ? जिला विद्यालय निरीक्षक ने किस-किस माध्यम से कितनी आय पायी ?

नारायण दत्त तिवारी--

सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए सीमान्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की तिथियों आदि का विवरण निम्न प्रकार है :--

क्र० सं०	नाम/कोर्स	शिक्षा सत्र	आवेदन-पत्र प्राप्ति का दिनांक
1	श्री दिनेश चन्द्र पाठक (एल० एल० बी०, प्रथम वर्ष)	75-76	13-1-76
2	श्री दिनेश चन्द्र पाठक (एम० ए० प्रथम वर्ष)	78-79	10-7-79
3	श्री दिनेश चन्द्र पाठक (एम० ए०-द्वितीय वर्ष)	79-80	31-12-79
4	कु० बसन्ती पाठक (बी० ए० प्रथम वर्ष)	79-80	31-3-80
5	कु० बसन्ती पाठक (बी० ए० द्वितीय वर्ष)	80-81	11-2-81

श्री दिनेश चन्द्र पाठक का विधि प्रथम वर्ष का आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि (31-12-75) के बाद प्राप्त हुआ था, जिसके कारण आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया गया। उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर श्री दिनेश चन्द्र पाठक द्वारा उक्त कार्यवाही का कोई प्रतिवाद जिला विद्यालय निरीक्षक से नहीं किया गया। इस कारण उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित नहीं रखा गया। अतएव इस आवेदन-पत्र में अंकित मासिक वार्षिक आय की सूचना देना सम्भव नहीं है। अन्य आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :--

आवेदन कर्ता	आवेदन पत्रों में दर्शायी मासिक/ वार्षिक आय
	रु0
1--श्री विनेश चन्द्र पाठक (एम0 ए0, प्रथम वर्ष)	150/1800
2--श्री दिनेश चन्द्र पाठक (एम0 ए0, द्वितीय वर्ष)	200/2400
3--कु0 बसन्ती पाठक (बी0 ए0, प्रथम वर्ष)	तदेव
4--कु0 बसन्ती पाठक (बी0 ए0, द्वितीय वर्ष)	360/4320

श्री दिनेश चन्द्र पाठक ने एम0 ए0 (प्रथम वर्ष) के आवेदन-पत्र के साथ जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि लगायी थी। वह प्रमाणपत्र जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 3-8-77 को जारी किया गया था। परन्तु श्री पाठक द्वारा जो आय प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि लगायी गयी थी उसमें दिनांक 3-8-77 के स्थान पर दि0 3-4-79 अंकित किया गया था। चूंकि आय प्रमाण-पत्र दिनांक 3-8-77 का था अतः वह शिक्षा सत्र 1978-79 के लिए मान्य नहीं था। इसी प्रकार श्री दिनेश चन्द्र पाठक के एम0 ए0 (द्वितीय वर्ष) एवं बसन्ती पाठक के बी0 ए0 (प्रथम वष) के आवेदन-पत्रों के साथ संलग्न आय प्रमाण-पत्र दिनांक 3-7-78 को जारी हुये थे जो कि शिक्षा सत्र 1979-80 के लिए मान्य न थे। इस स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण-पत्र के आधार पर उनके प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाना सम्भव न था। कु0 बसन्ती पाठक द्वारा दिए गए बी0 ए0 (द्वितीय वर्ष) हेतु आवेदन-पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण-पत्र में उनके पिता की मासिक आय 360 रु0 अर्थात 4320 रु0 वार्षिक दर्शायी गयी थी जो छात्रवृत्ति की निर्धारित आय-सीमा 3600 रु0 से अधिक थी।

आवेदन-पत्रों के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आय सम्बन्धी जानकारी नहीं की गयी।

प्रदेश के यातायात वाहनों का हिन्दी में पंजीकरण किये जाने की मांग

175--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सरकार को ज्ञात है कि यातायात वाहनों का पंजीकरण तथा वाहन संख्या अधिकांशतया आंग्लभाषा व लिपि में की जाती है? यदि हां, तो हिन्दी भाषा के विस्तार के लिए यातायात वाहनों का पंजीकरण व वाहनों की संख्या देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा में करने का आदेश अतिशीघ्र जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यू0 पी0 मोटर गाड़ी नियमावली, 1940 के नियम 25 (सी) में प्राविधान है कि वाहनों का पंजीकरण मार्क अंग्रेजी के अक्षर व अंक अथवा हिन्दी में देवनागरी लिपि व अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में प्रदर्शित किये जायं। सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश दिये गये हैं कि पंजीकरण का कार्य हिन्दी की भाषा में ही करें। हो सकता है कुछ कार्यालयों में पंजीकरण का कार्य आंग्ल भाषा में भी किया गया हो जिसके लिए पुनः निदेश जारी कर दिये गये हैं।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में वरिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति और प्रतीक्षा सूची

176--श्री सन्तबख्श रावत

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

अधि0-4(क) अनुभाग-1, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0 5303-ई0 4/4-बो-2स/82, दिनांक 16 अगस्त, 1983 द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु 21 अभ्यर्थियों का श्रेष्ठताक्रम में तथा आठ अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखकर नियुक्तियां प्रारम्भ की गयी थीं, जिनमें से 14 लोगों को सेवा में ले लिया गया है तथा शेष प्रतीक्षा सूची सहित अभ्यर्थियों को अब तक समायोजित न करने का क्या कारण है ? सरकार निश्चित रूप से प्रतीक्षा सूची सहित समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों को कब तक सेवा में ले लेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

श्रेष्ठता सूची में से अब तक 17 अभ्यर्थियों को सेवा में लिया जा चुका है । शेष 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु रिक्त पद उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा ।

प्रतीक्षा सूची दिनांक 31-12-83 तक मान्य थी ।

177--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के प्रतिवेदन पर प्रमुख अभियन्ता, अधि0-4 अनुभाग के पत्रांक ई-4/4बो-2सी/32, दिनांक 2-1-84 द्वारा प्रतीक्षा सूची में रखे गये अभ्यर्थियों को समायोजित करने की अनुमति प्रमुख अभियन्ता द्वारा मांगी गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तथाकथित अनुमति प्रमुख अभियन्ता द्वारा मांगी गयी है, प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

पिथौरागढ़ जिले के थल स्थान पर स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र द्वारा श्री गोपाल दत्त पाठक के मकान के किराये में की गयी वृद्धि

178--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में थल नामक स्थान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र श्री गोपाल दत्त पाठक (निवासी थल) के मकान में क्रमशः कितने क्षेत्रफल के कितने कमरों में, किस तिथि से, कितने किराए पर लिया गया था ? इस मूल किराए पर किन-किन तिथियों को, कितनी बढ़ोत्तरी, किस-किस आधार पर की गयी ? स्थान की महत्ता, बढ़ती मंहगाई पर बार-बार निवेदन करने पर भी किराया न बढ़ाए जाने या उसे खाली न करने का क्या कारण है ? सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड, कपकोट व पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट स्थित खनन कार्य

179--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कपकोट और गंगोलीहाट में खनन कार्य से प्रभावित ग्रामों को अन्यत्र बसाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिला अल्मोड़ा के विकास खण्ड कपकोट तथा जिला पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में वर्तमान में खनन कार्य के फलस्वरूप आबादी के विस्थापित होने की सम्भावना की जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों के आरक्षित वनों में उद्योगों पर लगाया गया प्रतिबन्ध

180--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या उद्योग मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण उद्योग बन्द हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से उद्योग हैं तथा उन्हें चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आरक्षित वनों के अनारक्षण अथवा वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । अतः इस अधिनियम के कारण पर्वतीय क्षेत्र में कोई उद्योग बन्द नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में समुद्र तल से 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हरे वृक्षों के वाणिज्यिक पातन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवश्य प्रतिबन्ध लगाया गया है जिससे चमखड़िक लकड़ी पर आधारित पर्वतीय क्षेत्रों के बाबिन एवं शटल उद्योग प्रभावित हुय हैं लेकिन उद्योग विभाग द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण ही इस शर्त के साथ किया जाता है कि कच्चा माल उपलब्ध कराने का विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

भूमि संरक्षण इकाई, रानीखेत, अल्मोड़ा का कथित स्थानान्तरण

181--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण इकाई रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

182--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई निर्माण खंड, इलाहाबाद द्वारा शंकरगढ़ में टौंस पम्प नहर के पम्प हाऊस का निर्माण

183--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के शंकरगढ़ ब्लाक में टौंस नदी पर बियर हाऊस पम्प बनाने का कार्य सिंचाई निर्माण प्रखंड द्वारा 3-4 वर्षों से किया जा रहा है ? इस कार्य पर कितना विभागीय धन तथा कितना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का धन अब तक लग चुका है ? उसके पूर्ण होने में कितना धन लगने का अनुमान है और कितना समय निर्माण में लगेगा तथा इससे कितने हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई सम्भव है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

सिंचाई निर्माण खंड, इलाहाबाद द्वारा जनपद के शंकरगढ़ ब्लाक में

टौंस पम्प नहर योजना के अन्तर्गत पक्के पम्प हाऊस तथा वियर का निर्माण 1982–83 से किया जा रहा है ।

पम्प हाऊस के कार्य पर अभी तक विभागीय आवंटन से 13.413 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के आवंटन से 5.50 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है । वियर निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है । पम्प हाऊस तथा वियर के निर्माण की लागत 73.0 लाख रुपये तथा 315.0 लाख रुपये है ।

कार्य पूर्ण कराने की अवधि धनराशि की उपलब्धता के अनुसार होगी जिसे अभी निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

वर्तमान में 6 पम्प बार्जेज पर लगा कर अन्तरिम व्यवस्था से नहर चलाई जा रही है, जिससे प्रस्तावित 33,170 हेक्टेयर सिंचाई में से 18,235 हेक्टेयर सिंचाई हो रही है । योजना के निर्माण के पश्चात् 14,935 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई प्रस्तावित है ।

इलाहाबाद लालपुर क्षेत्र में सिल्का सैण्ड पाइलट खदान द्वारा सिल्का का उत्पादन

184—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम द्वारा इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़ ब्लाक में लालापुर पाइलट सिल्कासैंड द्वारा वर्ष 1980–81, 81–82, 82–83 तथा 83–84 में तुलनात्मक रूप से कितना मीट्रिक टन सिल्का खनिज का उत्पादन हुआ तथा इन वर्षों में इस योजना पर कर्मचारियों के वेतन तथा प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ ? क्या योजना में व्यय से अधिक आय होने की गुन्जाइश है ? यदि नहीं, तो वर्तमान ढांचे को चुस्त करके खनिज विकास कार्य को जन–प्रतिनिधियों के सहयोग से निगम के का कोर्यों सम्पन्न कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़ ब्लाक के लालापुर क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम को सिल्का सैंड पाइलट खदान का मीट्रिक टनों में तुलनात्मक उत्पादन निम्न प्रकार है —

1980–81	1981–82
—	3,511
1982–83	**1983–84**
23,885	25,402

खदान में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं प्रशासनिक व्यवस्था में हुये व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् है —

वेतन एवं मजदूरी

रु0	रु0
1980–81	1981–82
17,706.08	32,753.59
1982–83	1983–84
रु0	रु0
1,70,607.40	2,79,690.32

प्रशासनिक व्यय

1980-81	1981–82
रु0	रु0
2,749.06	6,758.11
1982–83	1983–84
रु0	रु0
1,04,391.48	1,75,127.65

खदान अभी विकसित किये जाने के स्तर पर है । पूर्ण उत्पादकता का स्तर

प्राप्त होने पर व्यय से अधिक आय होने की पूर्ण गुन्जाइश है। जनप्रति-निधियों के सुझाव का सदैव स्वागत है।

सिचाई विभाग, देवरिया, बलिया व गोरखपुर के अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

185--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिचाई विभाग देवरिया, बलिया व गोरखपुर की विभिन्न शाखाओं में ऐसे अवर अभियन्ताओं की कुल संख्या कितनी है जो कि एक ही शाखा में क्रमशः पांच साल, 6 साल, 7 साल 8 साल या 8 साल से अधिक समय से कार्यरत हैं व उनकी एक ही शाखा में शासनादेश के विपरीत इतने लम्बे समय तक रखने का औचित्य क्या है ? उनके अविलम्ब स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा क्या आदेश दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया, बलिया व गोरखपुर के विभिन्न खंडों में 5, 6, 7 व 8 साल एवं 8 साल से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ताओं की संख्या निम्न प्रकार हैं --

अवधि	देवरिया	बलिया	गोरखपुर	योग
जून 84 तक				
5 वर्ष से 12 अधिक	3	6	21	
6 ,, ,, 3	1	4	8	
7 ,, ,, 2	2	2	6	
8 ,, ,, 0	0	0	0	

इनके स्थानान्तरण आदेश समय-समय पर जनहित में किये गये परन्तु उनको घरेलू/विशेष परिस्थितियों में उक्त आदेशों को स्थगित करना उचित समझा गया। कार्य के हित को ध्यान में रखते हुये इनके स्थानान्तरण पर अगले वर्ष सामान्य स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा।

गंडक नहर, निर्माण खंड प्रथम, देवरिया के राजवाहा हाटा द्वारा की गयी सिचाई

186--श्री नन्द किशोर सिंह

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक नहर निर्माण खंड प्रथम, देवरिया के अन्तर्गत हाट रजबाहा एवं उनकी शाखाओं में जनवरी, 1984 से मई, 1984 तक कब-कब पानी आया और पानी के अभाव से सम्बन्धित काश्तकारों का मूंग व गन्ना तथा मक्का की जो करोड़ों रुपये की फसल माह अप्रैल व मई में खेतों में ही सूख गई उसके मुआवजे हेतु शासन द्वारा उन्हें क्या राहत दी जा रही है व भविष्य के लिए सम्बन्धित शाखा को समय से पानी देते रहने के सम्बन्ध में क्या आदेश दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनवरी, 1984 से मई, 1984 तक निम्न तिथियों में पानी दिया गया --

क्रम-सं0	माह	पानी चलने की अवधि	कुल दिन
1	जनवरी	8-1-84 से 31-1-84	24
2	फरवरी	1-2-84 से 5-2-84 तथा 20 2-84 से 24-2-84 व 11-3-84	10

1	2	3	4
3	मार्च	5-3-84 से 11-3-84	7
4	अप्रैल	.	. .
5	मई	1-5-84 से 2-5-84 तथा 8-5-84 से 23-5-84	18

पानी के अभाव से फसलें नहीं सूखीं अतः सरकार द्वारा किसी मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। भविष्य में भी नहरों में समय से पानी दिया जाता रहेगा।

सिंचाई विभाग, आजमगढ़ में मस्टर रोल में कार्यरत कर्मचारी

187—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, आजमगढ़ के विभिन्न शाखाओं में मस्टर-रोल में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारी जो नियमित रूप से दो व तीन साल या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, कि संख्या में हैं, व उन्हें कार्य प्रभारी अधिष्ठान में रखने के सम्बन्ध में क्या आदेश दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ में विभिन्न शाखाओं में मस्टर रोल में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों की जो नियमित रूप से 2 व 3 साल या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, संख्या 34 है परन्तु इनको कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रखना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग लखनऊ के द्वारा कार्यप्रभारित अधिष्ठान में दिनांक 21-4-80 के बाद नयी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

देवरिया जिले के देसही-देवरिया, महुआपाटन-देसही-देवरिया व देवरिया-हेतिमपुर मार्ग की बस सेवाएं

188—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रा० स० परिवहन निगम के देवरिया डिपो की जो बस देसही-देवरिया से देवरिया चलती है उसमें सुबह शाम बस के अन्दर खड़े होने की जगह न मिलने पर भारी तादाद में यात्रीगण बस की छत पर बैठकर यात्रा करते हैं जिसकी वजह से हर वक्त उनके जान का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा हेतु महुआपाटन से देसही-देवरिया के लिए पूर्व में चालू की गयी बस सेवा जो कि उक्त बस के खराब हो जाने से बन्द कर दी गयी है, पुनः शुरू करने के आदेश दिए जावेंगे या देवरिया से कसिय जाने वाली या हेतिमपुर जाने वाली किसी बस सेवा का मार्ग इधर से परिवर्तित कर यात्रियों को सुविधा प्रदान की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी नहीं।

देवरिया-देसही मार्ग पर यात्रियों के छत पर जाने की सूचना नहीं है।

इस मार्ग पर आठ चक्र बस सेवायें संचालित हैं जो यात्रियों की सुविधा हेतु पर्याप्त हैं। यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने पर बस सेवाओं में और वृद्धि की जावेगी।

महुआपाटन से देसही-देवरिया के लिये संचालित बस सेवा पर्याप्त संख्या में यात्री न मिलने एवं अलाभकारी होने के कारण बन्द की गयी। इसे पुनः संचालित करना सम्भव नहीं है।

देवरिया से कसया या हेतिमपुर जाने वाली किसी भी सेवा का मार्ग परिवर्तन यात्रियों के हित में नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, देवरिया के बसों की संख्या

189--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रा0 स0 प0 निगम के देवरिया डिपो में इस समय कुल कितनी बसें चालू हालत व कितनी खराब हालत में हैं ? खराब बसों को ठीक कराने हेतु वांछित धन कब तक उपलब्ध करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के देवरिया डिपों में इस समय 65 बसें चालू हालत में व 29 बसें खराब हालत में हैं। खराब बसों को ठीक कराने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर वांछित धन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री राम कृष्ण शाक्य, सहायक अभियन्ता, की चरित्र-पंजिका और स्थायीकरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

190--श्री गोरेलाल शाक्य--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कृष्ण शाक्य, सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई परिकल्प संगठन, रुड़की के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियां (1972-73) के प्रत्यावेदन का निर्णय 9 1/2 वर्ष से 1976-77 के प्रत्यावेदन का निर्णय 4 वर्ष से तथा 1978-79 के प्रत्यावेदन का निर्णय 4 1/2 वर्ष से अनिर्णीत पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर--

श्री राम कृष्ण शाक्य, सहायक अभियन्ता (सिविल) की चरित्र-पंजी में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टि वर्ष 1972-73, 1976-77 एवं 1978-79 के विरुद्ध प्रत्यावेदनों पर निर्णय लिया जा चुका है ।

191--श्री गोरेलाल शाक्य--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम कृष्ण शाक्य, सहायक अभियन्त, सिंचाई परिकल्प संगठन, रुड़की को 3-11-1963 से निरन्तर 20 वर्ष से अधिक की सेवाओं के बावजूद भी न तो श्री शाक्य का स्थायीकरण किया गय, न समयवद्ध वेतनमान दिया गया और न ही श्री शाक्य की पदोन्नति की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? मार्च, अप्रैल, 1984 तथा 17-5-1984 को इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गये पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर--

जी हां ।

श्री राम कृष्ण शाक्य, सहायक अभियन्ता को स्थायीकरण हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया । श्री शाक्य को समय-बद्ध वेतनमान (सीनियर ग्रेड) तथा पदोन्नति दिये जाने के प्रकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा गठित चयन समितियों की संस्तुतियां बन्द लिफाफे में रखी गई हैं ।

मार्च-अप्रैल, 1984 का प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-1-1984 तथा एक अन्य दिनांक रहित पत्र जो दिनांक 17-5-1984 को प्राप्त हुआ है उन पर जांच करा ली गई है ।

देवरिया जिले देरांघी नाले के चिउरहा पर पुल निर्माण की मांग

192--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बोरानी

नाले पर चिउरहा पड़ियापार के बीच पुल बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर--

जी नहीं ।

प्रश्नगत स्थल देरांची नाले के कि0 मी0 39.55 पर स्थित है । मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर परियोजना प्राक्कलन के अन्तर्गत इस स्थल पर पुल बनाने का प्राविधान नहीं है । इस स्थल के ऊपर की ओर किमी0 43.70 तथा नीचे की ओर कि0 मी0 36.00 पर पहले से प्राविधान के अनुसार पुल निर्मित है । इसके अतिरिक्त नाले के कि0 मी0 40.70 पर ग्राम विक्रम विशनपुर तथा बालकुआ के बीच पुल निर्माण की मांग स्वीकृत की जा चुकी है । अतः प्रश्नगत स्थल पर पुल निर्माण का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के सहायक अभियन्ताओं की चरित्र-पंजिकाओं में गड़बड़ी की जांच

193--श्री मोहन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के कार्यालय में कुछ सहायक अभियन्ताओं की गोपनीय चरित्र-पंजिकाओं में वर्ष 1981 में गड़बड़ी हुई है और उसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जा रही है ? क्या कोई विभागीय जांच की गयी थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर--

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के कार्यालय में वर्ष 1981 में सहायक अभियन्ताओं की गोपनीय चरित्र-पंजिकाओं में हुई गड़बड़ी की सी0 आई0 डी0 से जांच कराई गई । जांचोपरान्त लिए गये निर्णय के अनुसार पांच सहायक अभियन्ताओं, एक कार्यालय अधीक्षक तथा 5 सहायकों को दोषी पाया गया है । दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित कर दिया गया है । विभागीय जांच कराने का प्रस्ताव था, परन्तु मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जांच सी0 आई0 डी0 को सौंप दी गयी थी ।

194--श्री मोहन सिंह--

क्या उक्त रिपोर्ट में गड़बड़ी होने का उल्लेख सम्बन्धित अनुभाग के सभी कर्मचारी/अधिकारियों की वर्ष 1981-82 की गोपनीय चरित्र-पंजिकाओं में किया गया है या केवल कुछ की ही रिपोर्ट में ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चरित्र-पंजिकाओं में गड़बड़ी होने का उल्लेख सम्बन्धित अनुभाग के अन्तर्गत उन सभी कर्मचारियों की वर्ष 1981-82 की चरित्र-पंजिकाओं में किया गया है जो चरित्र-पंजिकाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित थे ।

शाहजहांपुर में शारदा सहायक नहर के कंजा माइनर के निर्माण की मांग

195--श्री नन्दराम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में शारदा सहायक कैनाल से कंजा माइनर खोलने के लिए वर्ष 1977-78 में शासन द्वारा निर्णय लिया गया था और विभाग द्वारा इसकी पैमाइश भी कराई गयी परन्तु इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी इसकी खुदाई का कार्य न होने में क्या बाधा है ? क्या शासन उक्त माइनर की खुदाई हेतु जनहित को ध्यान में रखते हुए विभाग को शीघ्र आदेश देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

शाहजहांपुर शाखा में पानी की कमी को देखते हुए तकनीकी दृष्टि से कंजा माइनर का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

(12 बजकर 20 मिनट)

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या--26 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, यह सवाल 12-3-83 को दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले लिख कर दीजिये । इसकी नोटिस दीजिये ।

श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, सुन लें । पिछले सत्र में यह स्थगित कर दिया गया था । अब जो उसका उत्तर आ रहा है वह यह कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह गरीब ठेकेदार अनुसूचित जाति और अल्प संख्यक वर्ग के हैं और जिनका 80,000 रु0 विभाग के ऊपर ड्यू है । आदेश भी कर दिये गये हैं, लेकिन उस पैसे का अभी तक भुगतान नहीं किया गया । मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जब विभाग ने उस पैसे को मान लिया है तो न देने का क्या कारण ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सिंचाई मंत्री जी आप अतारांकित प्रश्न संख्या--26 को देखने का कष्ट करें ।

थानाध्यक्ष श्यामदेव उरवा द्वारा ग्राम सिरसिया के देव स्थान में पूजा आदि पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 29 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से मैंने केवल श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री खैरुल बशर, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री मोहन सिंह, श्री यदुनाथ सिंह, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री सरदार सिंह तथा श्री बलबीर सिंह (रामपुर) की सूचनाओं को स्वीकार किया है, बाकी को अस्वीकार किया है ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त महत्व के सुनिश्चित विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । ग्राम सिरसिया उर्फ मल-मलिया में एक पुराना देव स्थान है जहां पर सुदूर गांव के हिन्दू हर रविवार एवं मंगलवार को यहां धार्मिक अनुष्ठान करते हैं ।

दिनांक 5-9-84 को थानाध्यक्ष श्यामदेव उरवा ने ग्राम के प्रधान श्री त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव, पंच श्री राम चन्द्र तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री काशी सिंह एवं भगवती सिंह को थाने में बुलाकर बन्द कर दिया ।

पता चला है कि उक्त गांव के पुराने जमींदार के नाती जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जिनकी मां ने कोई दरखवास्त दिया था । बिना कागजी सबूत और साक्ष्य के उक्त पुलिस अधिकारी के निर्देश पर एकतरफा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यवाही की गयी है तथा संभ्रांत नागरिकों को अकारण जेल भेजा गया।

देय स्थान पर पुलिस का पहरा है। पूजा, कीर्तन, दीप दान आदि धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे जनता में घोर आक्रोश और उत्तेजना है।

अतः मेरी मांग है कि तत्काल पुलिस को हटाकर धार्मिक अनुष्ठानों पर लगी पाबन्दी को तत्काल हटाया जाये तथा दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

रुपकुन्ड (चमोली) से नरकंकालों की चोरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

महोदय, जनपद चमोली में लगभग 16200 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुन्ड देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटकों, पर्वतारोहियों एवं घुमक्कड़ों को अपने सौन्दर्य एवं रहस्य से आकर्षित करता है। इतिहास वेता एवं शोधकर्त्ता रुपकुन्ड में बर्फ में दबे सदियों पुराने नर कंकालों के रहस्य को जानने की उत्कंठा से वहां जाते हैं। कुछ वर्षों से बर्फ में ढंके इन नर कंकालों की व्यापक पैमाने पर चोरी हो रही है, यहां से ये नर कंकाल म्युजियम एवं शोध हेतु बाहर ले जाये जा रहे हैं, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों एवं शोधकर्ताओं को भारी निराशा हो रही है। रूपकुन्ड का ऐतिहासिक एवं रहस्यमय आकर्षण नष्ट हो रहा है, जिससे भयंकर असन्तोष, निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न के द्वारा मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर मांग करता हूं कि रूपकुन्ड के नर कंकालों की चोरी रोकी जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में हैंडलूम कारपोरेशन के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर--

महोदय, पूर्वांचल के सबसे बड़े हैंडलूम केन्द्र मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में हैंडलूम कारपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारियों और कुछ बेईमान लुटेरे तथाकथित पूंजीपतियों एवं धनीमानी लोगों के षड़यंत्र से हैंडलूम कारपोरेशन दीवालियेपन के कगार पर पहुंच गया है। साधारण बुनकरों द्वारा निर्मित साड़ी, धोती की खरीदारी या तो पूर्णतः बन्द है या चेहरा देखकर मामूली लेन-देन चल रहा है। दसियों लाख से अधिक बुनकरों के कपड़ों के बकाये का भुगतान कई महीने से नहीं हुआ है। संकट की इस परिस्थिति में बुनकर फाकाशाही का शिकार है तथा भ्रष्ट अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण उनमें असन्तोष व्याप्त है। जाली लोग जो वास्तविक बुनकर नहीं हैं, कारपोरेशन के अधिकारियों से मिलकर लूट रहे हैं और उसे दिवालिया बना रहे हैं।

इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना को सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि गरीब बुनकरों और कारपोरेशन को तबाही से उबारने के कारगर उपाय तुरन्त किये जायं।

टांगिया मजदूरों को सुविधाएं देने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, पिछले विधान सभा सत्र के 21-2-1984 के उपवेशन में श्रीमान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर हजारों टांगिया मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम जीवन निर्वाह सुविधायें जैसे झोपड़ी बनाने हेतु लकड़ी, जीवन-यापन के लिए जमीन का टुकड़ा, कटे पेड़ों की जड़ों का कोयला रोक दिया गया है। पट्टे में अभी तक आश्वासन के बावजूद सुधार नहीं हुआ है। जमीन मकान और मजदूरी की मांग है।

अतः श्रीमान के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान अखिल भारतीय लोकमहत्व के इस विषय की तरफ आकर्षित करते हुए टांगिया मजदूरों के लिए जमीन, मकान, मजदूरी आदि की तथा ठूंठ लिपिकों के नियमितीकरण की तत्काल मांग करता हूं।

प्रदेश में हैजे के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

महोदय, बस्ती जनपद में माह जुलाई व अगस्त, 1984 में व्यापक स्तर पर हैजे का प्रकोप हुआ। डुमरियागंज तहसील में ही 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हैजे से हो गयी। गांव-गांव से हैजे से बचने के लिए टीके लगवाने की मांग होने लगी, परन्तु बस्ती जनपद में हैजे के टीके की कमी के कारण पूरे क्षेत्र में टीका न लगाया जा सका। हैजे से प्रभावित गांव में केवल कुछ ही गांवों को छोड़कर हैजे का टीका इसलिए नहीं लगाया जा सका क्योंकि हैजे के टीके की कमी थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही एक लाख हैजे के टीके की आवश्यकता थी परन्तु न लग सका। बताया गया कि पूरे प्रदेश में हैजे का टीका उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो टीका लगाया गया था उसका उत्पादन बन्द कर दिया गया है। जो टीके बाहर से मंगाये गये हैं उनका प्रभाव शून्य है क्योंकि टीका लगाने के बाद भी उन लोगों की मृत्यु मटगवां, धोबहा, पिटेला विकास खण्ड खुनियांव, जनपद बस्ती में हुई है।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि हैजे के टीके पर्याप्त मात्रा में जिला अस्पतालों में उपलब्ध कराये जायं।

प्रशासनिक माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को नियमित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

महोदय, उत्तर प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड कठिनाई निवारण अध्यादेश, 81 के अन्तर्गत अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियां हुईं। जिला विद्यालय निरीक्षक, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने सीधी भर्ती के आधार पर लगभग 20 हजार नियुक्तियां कीं। चयन बोर्ड द्वारा चयनित अध्यापकों के आने पर इनकी सेवायें समाप्त समझ ली जायेंगी लेकिन अब इन्हें काम करते 3 वर्ष से अधिक हो गया है। शासन ने आदेश प्रसारित किया है कि मई, 1984 में जिन राज्य कर्मचारियों को सेवा में रहते तीन वर्ष हो गये हैं, उन्हें स्थायी किया जायगा, लेकिन इन 20 हजार तदर्थ अध्यापकों पर यह नियम लागू नहीं है। इनमें से चार हजार अध्यापक इस वर्ष निकाले जा रहे हैं। शासन ने कई बार कहा कि इन अध्यापकों को निकाला नहीं जायगा लेकिन चयन बोर्ड अभी भी भर्ती कर रहा है और इनमें से सभी अध्यापकों के सामने रोजी-रोटी का प्रश्न गम्भीर है। विगत 10 सितम्बर, 1984 से हजारों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यापक लखनऊ में धरना दिए बैठे हैं । इनमें से सी० टी० ग्रेड के अधिकांश अध्यापक हैं ।

शासन से हमारी मांग है कि इन तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों को नियमित किया जाय तथा चयन बोर्ड को निर्देश दिया जाय कि तदर्थ अध्यापकों के विरुद्ध नियुक्ति न करें ।

चुनार घाट गंगा नदी (मिर्जापुर) में स्टीमर के कारण हुई दुर्घटना के सम्बन्धमें नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि मिर्जापुर जनपद में चुनार गंगा नदी पर जो पीपे के पुल से आवागमन सार्वजनिक निर्माण विभाग से चल रहा था उसके ठेकेदार इस समय दोनों मोटर स्टीमर बार्ज लेकर भाग गया है । आवागमन अवरुद्ध हो गया है, एक सप्ताह से हजारों लोग दोनों किनारों पर जमा हैं । परनाधिकारी चुनार का घेराव किये हैं । दिनांक 4-9-84 से क्रमिक अनशन पर सैकड़ों लोग बैठे रहें हैं । ज्ञातव्य हो कि दिनांक 3-9-84 को एक मोटर बार्ज चलने के कारण उससे बंधी नाव डूब जाने से सैकड़ों साइकिलें, कुछ मोटर साइकिलें तथा कई दर्जन यात्री डूब गये । सम्बन्धित ठीकेदार की अराजकता से जन-मानस में रोष व्याप्त है ।

अतः शासन से अपेक्षा है कि तत्काल उचित राहत व्यवस्था करके सरैया-जागे नदी पर पुल का निर्माण करें और गंगा नदी चुनार घाट पर ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर रामनगर, वाराणसी जैसा पथ कर मुक्त करें ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, (फैजाबाद) के प्रबन्धक की तानाशाही रवैये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपी नाथ वर्मा--

महोदय, टाण्डा, फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना निर्माण से प्रभावित किसान भूमिहीन होने के साथ बेरोजगार हो गया है । प्रभावित परिवारों को परियोजना में नौकरी देने हेतु विद्युत् परिषद् व शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं । चार वर्षों में मात्र 70 सदस्यों को मस्टर रोल पर नौकरी दी गयी, इन सदस्यों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया । नियमानुसार 240 दिन कार्य पूर्ण कर लेने पर स्थायी किये जाने का प्राविधान है परन्तु ऐसा न करके मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा बाहरी व्यक्तियों को रिश्वत, भाई-भतीजा, जाति-बिरादरी पर मस्टर रोल पर नियुक्ति करके स्थायी भी किया जा रहा है । प्रभावितों को प्राथमिकता न देकर नियुक्ति सम्बन्धी नियमों की अवहेलना कर किसानों को उपेक्षित और अपमानित किया जा रहा है । मुख्य परियोजना प्रबन्धक की मनमानी, तानाशाही तथा परियोजना में प्रायः अनुपस्थित के कारण निर्माण कार्य खटाई में पड़ा हुआ है । परियोजन निर्माण हेतु क्रय किया गया सामान अधिकारियों की शह पर बाजारों में ब्लैक किया जा रहा है । अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि परियोजना से प्रभावित समस्त सदस्यों को तत्काल नौकरी दिये जाने हेतु आदेश जारी किया जाय तथा निर्माण कार्य म लापरवाही बरतने वाले मुख्य परियोजना प्रबन्धक का तत्काल स्थानान्तरण किया जाय तथा परियोजना निर्माण में की गयी अनियमितताओं व लूट-खसोट की जांच सी० बी० आई० से [illegible] जाय ।

मथुरा जनपद में अधिवक्ता श्री ओंकार सिंह के अपहरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह--

माननीय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार को जानकारी मथुरा जनपद की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की जानकारी देना चाहता हूं।

आजकल मथुरा जनपद में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मथुरा वृन्दावन में देश-विदेश से आने वाले साधे यात्रियों की निरन्तर गिरती हुई संख्या है, क्योंकि यह यात्री असामाजिक तत्वों के द्वारा लूट लिए जाते हैं और पुलिस भी इन अपराधों को दर्ज नहीं करती है। सट्टा, जुआ, अवैध बसों का चालान जोरों पर है। दिनांक 16-8-84 को दिन-दहाड़े पुलिस अधीक्षक की जानकारी में होते हुए भी युवा अधिवक्ता, श्री ओंकार सिंह का बदमाशों ने दिन-दहाड़े अपहरण कर लिया और पुलिस प्रशासन आज तक उनकी लाश का पता तक नहीं लगा सकी। इस सन्दर्भ में बार एसोसियेशन मथुरा ने 17 अगस्त, 1984 से हड़ताल की हुई है और उनकी सहानुभूति में पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने भी हड़तालें की हैं। इस बीच मथुरा के वकीलों के साथ पुलिस के उच्चाधिकारियों का व्यवहार भी सन्तोषजनक नहीं रहा है। चोरी, डकैती और राहजनियों की कोई संख्या नहीं है, आये दिन कत्ल हो रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील स्वार एवं शाहाबाद (रामपुर) की फसलों में कीड़े के प्रकोप से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

माननीय, आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाना चाहता हूं कि रामपुर जनपद में तहसील स्वार एवं शाहाबाद तहसील में मकढो (कमला) कीड़े का उड़द, मूंग एवं तिल इत्यादि दलहन, तिलहन फसलों पर प्रकोप हो रहा है परन्तु कृषि रक्षा अधिकारी इकाई सो रही है। किसी प्रकार तहसील स्वार, त्रिलासपुर एवं मिलक तहसील में धान की फसल पर ब्लाइट, रतुआ एवं नाना-प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हो रहा है। कृषि फसलों में इतनी बीमारियों का प्रकोप आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। शासन से मांग करता हूं कि उक्त फसलों को कीड़े, मकोड़े से बचाने के लिए और बीमारियों के प्रकोप से बचाने हेतु एक दल शासन की ओर से जनपद रामपुर में भेजा जाय ताकि उक्त बीमारियों का और कीड़े-मकोड़े का उपचार हो सके। इस तरह से जनपद रामपुर के किसानों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है और आन्दोलन की राह पर हैं।

श्री पंचानन राय--

कल मैंने एक सूचना दिया था, वहां पर बहुत भ्रष्टाचार है। मैं उसको पढ़े दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सत्रकाल के दौरान नीति विषयक घोषणायें सदन के बाहर किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

मुझे औचित्य के प्रश्न की 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो श्री राम स्वरूप निम, श्री मोहन सिंह, श्री सन्त बख्श रावत, श्री सरदार सिंह, श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री किरन पाल सिंह की हैं। श्री राम स्वरूप निम की सूचना क जहां तक सम्बन्ध है, इसकी नियम 49 में आज्ञा दी है, इसमें चर्चा होगी कल। जहां तक श्री सन्त बख्श रावत का सूचना का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने सूचित किया है कि खंड विकास अधिकारी गोसाईंगंज, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 3-8-84 के माध्यम से 14-9-84 को बैठक बुलाई है। माननीय सदस्य कृपया अपने सन्दर्भित पत्र या उसकी प्रतिलिपि को मेरे कार्यालय में भिजवा दें, तदुपरान्त उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जहां तक श्री सरदार सिंह की सूचना का सम्बन्ध है, सत्र के दिनों में जिला स्तर की बैठकों को बुलाने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह उन दिनों के लिए नहीं लागू है जिन दिनों विधान सभा की बैठक न हो रही हो। 15-9-84 को शनिवार है और उस दिन विधान सभा की बैठक नहीं है। इसको मैं अस्वीकार करता हूं। श्री कुंवर सिंह नेगी की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, नियम 45 के अन्तर्गत अध्यक्ष को किसी प्रश्न को अस्वीकार करने का अधिकार है। अत प्रक्रिया नियमावली का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसको मैं अस्वीकार करता हू।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। अध्यक्ष पीठ से अनेकों बार इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि जब सदन या दोनों सदनों में से एक सदन सत्र में हो तो सदन के बाहर कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की जायेगी, जो नीति विषयक हो। मुझे अफसोस हो रहा है कि इस सदन को आज 15 दिन पहले मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आधार पर महामहिम राज्यपाल ने आहूत कर लिया था और मंत्रिपरिषद् के संज्ञान में यह बात आ गयी कि विधान सभा की बैठक होने वाली है और उपवेशन सम्भवित है तो उस समय इस सदन के बाहर इसकी उपेक्षा करते हुए मंत्रि-परिषद के अनेक मंत्रियों ने महत्वपूर्ण नीति विषयक घोषणायें की हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, जो 30 तारीख के अखबार में निकला कि भू-राजस्व के 32 करोड़ रुपया ग्राम विकास पर खर्च होंगे। दूसरी घोषणा यह की गयी कि भू-राजस्व गांवों पर खर्च होगा और तीसरी घोषणा यह की गयी कि नगरों के निर्धनों को बैंक से आर्थिक सहायता दी जायेगी और मान्यवर, तीन चार दिन पहले उधर प्रदेश सरकार के राज्य शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की कि जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक हैं, उनके स्थानान्तरण के बारे में ब्लाक प्रमुख की राय ली जायेगी। इतनी घोषणायें कर दी गयी हैं, लेकिन अभी तक कोई आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं। यह इसलिए किया गया है कि अगर सदन में घोषणा की जायेगी तो सदन की समिति और खासकर आश्वासन समिति के माध्यम से इसकी छानबीन करने में सदन सक्षम है। तो सदन में घोषणा करने से, इन पर सदन की पकड़ हो जायेगी, इसलिए सदन में घोषणा करने से कतराते हैं। चूंकि यह मात्र स्टन्ट और चुनावी घोषणा है, उनको इसे धरातल पर नहीं उतारना है इसीलिए सदन से बाहर घोषणायें की जाती हैं। अतः मान्यवर, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं कि आप इन्हें निदेश दें क्योंकि जिस बहुमुखी व्यक्तित्व वाले विचारवान मंत्री लोग इस मंत्रि-परिषद् में जमा हैं इनका एक मुंह नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, अनेक मुंह से बोलने वाले लोग इस मंत्रिपरिषद् में विराजमान हैं, इनसे आप कहें कि जो आवश्यक और महत्वपूर्ण घोषणायें हों उन्हें सदन में ही करनी चाहिए। तभी इस सम्मानित सदन का जो दायित्व है उसका सही ढंग से निर्वहन हो सकेगा। इसलिए हम आपसे पुनः निर्देश देने की अपेक्षा करते हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं तो यह आशा करता था कि चूंकि अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत हैं और उनमें सामान्य चर्चा होना अनिवार्य है तो जो बात सम्मानित मुख्य सचेतक विरोधी दल ने उठायी है, उसी समय वे इस बात को उठायेंगे। सम्मानित सदस्य ने दो-एक उदाहरण दिए हैं। अनुपूरक अनुदान के पृष्ठ 54 को आप देखें। उसमें लिखा है कि "पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय कार्यों के सम्पादनार्थ राज्य को भू-राजस्व की आय के समतुल्य राशि को गांव सभाओं को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 30 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जा रही है।"

सम्मानित सदस्य इसको देखेंगे तो कृपया वह यह स्वीकार करेंगे कि इसमें उसका प्राविधान किया गया है। जहां तक नीति का प्रश्न है कि नीति संबंधी घोषणायें कब हों....

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

पचासों घोषणायें हो चुकी हैं। सब का समावेश इसमें नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो अपने प्रतिभाशाली युवा सदस्य से यह अपेक्षा कर रहा हूं कि वह मुझे अधिक शक्ति दें कि मैं और अधिक घोषणायें कर सकूं। हम चाहते हैं कि घोषणायें हों और हम कार्यक्रम बनायें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य घोषणायें नहीं है, बल्कि काम करना है। चुनाव तो प्रजातंत्र में होता ही है। उससे घबड़ाना नहीं चाहिए। हमें अपनी योजना के अनुसार चलना है। जो बाकी बातें हैं वह जब अनुदान पर विवाद होगा तब होंगी। जो नीति सम्बन्धी घोषणायें हैं उसमें 14 दिन पहले और 14 दिन बाद वाली बात का सवाल नहीं है। उसमें यह है कि यदि सदन चलता हो तो नीति सम्बन्धी घोषणायें बाहर नहीं होंगी। सदन का सत्रावसान हो चुका था, सदन बैठा हुआ नहीं था उसमें यह कहना कि ये घोषणा सदन में होनी चाहिए थी, यदि कहीं यह परिपाटी हो, माननीय सदस्य इस तरह की कोई पुरानी रूलिंग या प्राविधान दिखा दें। लेकिन मेरी विनम्र जानकारी में मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि 14 दिन पहले वाली बात इसमें लागू होती है। प्रिविलेज में लागू होती है, इसमें लागू नहीं होती।

श्री भीखा लाल—

व्यवस्था का प्रश्न है। इसी सन्दर्भ में जो माननीय मोहन सिंह जी ने प्रश्न उठाया था कि नीति सम्बन्धी घोषणायें मुख्य मंत्री जी ने सदन के बाहर कीं, इसमें वित्तीय मामला भी सम्मिलित है और जिसका पिछले बजट में प्राविधान नहीं है। जैसे राजस्व के हस्तान्तरण की बात उन्होंने बताई की पृष्ठ 54 पर..

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने राजस्व का हस्तान्तरण नहीं कहा बल्कि राजस्व के समतुल्य धनराशि का हस्तान्तरण कहा है।

श्री भीखा लाल—

ठीक है। जो अनुपूरक अनुदान आया है वह अभी विधान सभा से पास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हुआ है, सिर्फ पेश हुआ है। तो ऐसा करने से क्या बजट का लीकेज नहीं हुआ है। सदन में पास होने से पहले भी हम ऐसे प्रश्नों की घोषणा करेंगे, क्या यह नियमों के विपरीत नहीं है ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसका निर्णय बाद में दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, हमारे नेता साम्यवादी दल और हम संसदीय मार्ग के सहयात्री रहे हैं। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। उन्होंने बजट सीक्रेसी के लीकआउट होने की बात कही। अगर हमने पहले घोषणा कर दी तो शायद बजट सीक्रेसी की, उन्होंने कहा, हमने अवहेलना की। अगर यह बात मान लें तो सारे प्लान में जो लक्ष्य रखते हैं वह हर एक को मालूम होते हैं कि प्लान में इतना खर्च होगा और प्लान बनाना ही सीक्रेसी को लीक करना होगा। प्लानिंग में लक्ष्य बनाये जाते हैं उनकी घोषणा पहले की जाती है और फिर उसके समतुल्य बजट में प्राविधान किया जाता है। बजट सीक्रेसी को जहां तक मैं समझ पाया हूं, माननीय नेता साम्यवादी दल उससे सहमत होंगे वह सिर्फ टैक्स प्रपोजल हैं उनकी पहले से घोषणा नहीं होनी चाहिये। बजट सीक्रेसी रैवेन्यू को लेकर होती है एक्सपेंडीचर को लेकर नहीं।

मेरठ के कमिश्नर द्वारा एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी और पुलिस इन्सपेक्टर के बीच झगड़े की जांच से मना करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री किरन पाल सिंह--

माननीय, मैं एक बहुत गम्भीर विषय को औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के समक्ष लाने की आपकी आज्ञा चाहूंगा। गत 25 फरवरी को मैंने इस सदन में एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी और पुलिस इन्स्पेक्टर के बीच झगड़ा, घोर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मामला उठाया था और उस विषय पर माननीय, आपने निदेश दिया था कि इस सदन के अन्दर इस मामले पर वक्तव्य आना चाहिये और 13 मार्च को उस घटना के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया लेकिन उस वक्तव्य को देने के लिए तत्कालीन संसदीय कार्य मन्त्री श्री अम्मार रिजवी साहब ने घोषणा की थी कि इस घोटाले की जांच मेरठ रेंज के कमिश्नर से कराई जायेगी। लेकिन जब वक्तव्य आया था तो वह जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर आया था और तब आपने निर्देशित किया था कि इसकी जांच कमिश्नर ने करके नहीं भेजी है। इस वजह से इसे स्थगित किया जाता है और इसकी जांच मेरठ के कमिश्नर द्वारा कराकर वक्तव्य सदन में आना चाहिये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज राजनीतिक जीवन में सरकारी पक्ष को सरकारी लोगों की मदद चुनाव के लिए लेनी पड़ती है इसलिए अफसरशाही का रुतबा राजनीतिक जीवन में कायम होता जा रहा है। तो क्या एक चीज की घोषणा सदन में हो और आप निर्देश दें उसका पालन न हो। क्या आई0 ए0 एस0 अधिकारी, आई0 पी0 एस0 अधिकारी इस सदन से ऊपर हैं ? मुझे जानकारी मिली है कि मेरठ रेंज के कमिश्नर ने इसकी जांच करने से इनकार कर दिया है क्योंकि मैं भी उसमें गवाह हूं और मुझ से आज तक कोई जानकारी उस सम्बन्ध में नहीं की गयी है। तो मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर जो आपके निर्देश हों और शासन की तरफ से जो आश्वासन हों उनको आई0 ए0 एस0 अधिकारी, कमिश्नर या सचिव मानने से मना कर सकते हैं ? अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या दंड दिया जा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सकता है इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री मोहन सिंह जी की बात को सुना और नेता सदन की बात को भी सुना तथा माननीय भीखा लाल जी की बात को भी सुना । यह सत्य है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को महत्वपूर्ण घोषणायें, जब सदन चल रहा हो, तो सदन के भीतर करनी चाहिये । यह परिपाटी चली आई है । लेकिन जिनका उल्लेख माननीय मोहन सिंह जी ने अपने पत्र में किया है यह घोषणा 10 सितम्बर से पूर्व हुई है । इसलिए इससे प्रक्रिया नियमावली का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है । माननीय भीखा लाल जी ने जो कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं कि प्रश्नगत घोषणा से बजट लीकेज होने की सम्भावना है, ऐसा नहीं है । इसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

जहां तक माननीय किरन पाल सिंह का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में दिनांक 13 मार्च, 1984 को गृह राज्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य सदन में दिया गया था, तो स्पष्टीकरण के दौरान तत्कालीन संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा था कि वह आयुक्त से जांच करायेंगे । दिनांक 20 जुलाई, 1984 के पत्र द्वारा तत्कालीन संसदीय कार्य मन्त्री ने मुझे सूचित किया कि आयुक्त से जांच करा ली गयी है । लेकिन अब श्री किरन पाल सिंह कह रहे हैं कि जांच नहीं हुई किन्तु जो पत्र मेरे पास है उसके अनुसार जांच हो गयी है । उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में यह देखते हुये कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का उल्लंघन नहीं हुआ है । इसलिये नियम 300 के अन्तर्गत इस प्रश्न को मैं उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं और इसे अस्वीकार करता हूं ।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1981-82 (वाणिज्यिक)†

संस्थागत वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1981-82 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति†

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 31 मार्च, 1984 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि० क० 2-2251/दस-6(9)-83-उ० प्र० अधि० 15-48-आदेश-84, दिनांक 31 मार्च, 1984 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री अमीरुद्दीन, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी व रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन को सूचना देता हूं कि जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 10 सितम्बर, 1984, जो इस सचिवालय में दिनांक 11 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुआ है, में सूचित किया है कि श्री अमीरुद्दीन उर्फ बादशाह, सदस्य, विधान सभा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 10

†छापा नहीं गया ।

‡छापी नहीं गयी ।

सितम्बर, 1984 को 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया और उसी दिन रिहा कर दिया गया ।

(12 बज कर 53 मिनट)

गन्ना विकास मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 2 मार्च, 1984 को तारांकित प्रश्न संख्या 20 का गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय गन्ना विकास मन्त्री के विरुद्ध सदन में जानबूझकर गलत सूचना देने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कहा है कि उक्त प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने प्रश्न में संदर्भित-पत्र प्राप्त होना स्वीकार नहीं किया है जबकि उनकी प्यून-बुक द्वारा माननीय मन्त्री के कार्यालय में उक्त पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1982 को प्राप्त कराया गया । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ प्यून बुक में दर्ज सम्बन्धित अभिलेख का फोटो स्टेट प्रति भी संलग्न की है ।

मैंने इस मामले में माननीय मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की । माननीय गन्ना विकास मन्त्री ने वस्तु-स्थिति से अवगत कराते हुए कहा है कि माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर दिनांक 2 मार्च, 1984 को सदन में दिये जाने से पूर्व उसमें संदर्भित-पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1982 की प्राप्ति के बारे में पूरी छान-बीन कर ली गयी थी तथा माननीय सदस्य द्वारा प्यून-बुक की फोटो स्टेट कापी उपलब्ध कराये जाने पर तत्कालीन गन्ना विकास राज्य मन्त्री के कार्यालय में पुनः तलाश करायी गयी एवं तत्का-लीन सम्बद्ध राज्य मन्त्री जी से प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित तिथि में माननीय सदस्य का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, न वह उनके कार्यालय के रजिस्टर में चढ़ा है और न ही माननीय राज्य मन्त्री के संज्ञान में है । यह भी सूचित किया गया है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्यून-बुक की फोटो कापी में हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है और वह तत्का-लीन गन्ना राज्य मन्त्री के कार्यालय के किसी भी व्यक्ति के नहीं है । माननीय मन्त्री ने आगे कहा है कि संभव है कि गन्ना विकास मन्त्री के नाम का पत्र अनभिज्ञता में कहीं अन्यत्र दे दिया गया हो । उन्होंने कहा है कि जानबूझकर सदन में गलत सूचना दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय मन्त्री से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के अवलोकन के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में जानबूझकर सदन में गलत सूचना नहीं दी गयी है तथा यह संभव है कि गन्ना विकास मन्त्री के नाम का पत्र अनभिज्ञत से कहीं दूसरे स्थान पर दे दिया गया । अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं और इसको अस्वीकार करता हूं ।

तत्कालीन मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

दूसरा निर्णय इस प्रकार है । दिनांक 21 फरवरी, 1984 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा ने तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री श्री श्रीपति मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी । इसमें उनका कहना है कि लखनऊ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के

कार्यालय में दिनांक 17 फरवरी, 1984 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा एक बयान भिजवाया गया, और जब उसकी जानकारी कथित हस्ताक्षार कर्त्ताओं को पहुंचती तो कतिपय हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने उसी दिन एक दूसरा बयान उक्त समाचार के कार्यालय भिजवाया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व में कोई बयान नहीं दिया है । माननीय सदस्य का आगे कहना है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जानबूझ कर अपने हित के लिए सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करवा कर उनकी विश्वसनीयता पर आघात पहुंचाया है और सदस्य की गरिमा को गिराया है ।

दिनांक 21 फरवरी, 1984 को इसी विषय पर माननीय श्री विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ने तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री के अलावा 'दैनिक जागरण' के संवाददाता श्री मोहन लाल मलहोत्रा तथा प्रबन्ध सम्पादक श्री पूर्ण चन्द्र गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी ।

मैंने इस सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की तथा 'दैनिक जागरण' के सम्बन्धित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया ।

तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री ने सूचित किया है कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार और असत्य हैं तथा परिकल्पना पर आधारित है । उन्होंने आगे कहा है कि यह मामला सदस्य की हैसियत एवं सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में किये गये कृत्यों से सम्बन्धित नहीं है । 'दैनिक जागरण' के सम्बन्धित पदाधिकारियों की ओर से भेजे गये स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सम्बन्धित समाचार न तो विधान सभा या उसके सदस्यों की कार्यवाही पर कोई टिप्पणी करता है और न ही विधान सभा के भीतर की कार्यवाही की कोई विवेचना करता है । अन्त में उन्होंने, यदि उनके समाचार पत्र में प्रकाशित किसी समाचार से किसी माननीय सदस्य की भावना को कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए खेद भी व्यक्त किया है ।

मैंने माननीय सदस्य की सूचनाओं, तत्कालीन मुख्य मन्त्री के उत्तर एवं 'दैनिक 'जागरण' के सम्बन्धित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है एवं अध्यक्ष पीठ से इस विषय पर समय समय पर दी गयी व्यवस्थाओं को भी देखा है । तदुपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह मामला माननीय सदस्यों द्वारा सदस्य की हैसियत से सदन या उसकी समितियों में किये गये कृत्यों से सम्बन्धित नहीं है । यह मामला पार्टी के अन्दुरूनी कार्य कलापों से सम्बन्धित है तथा इसमें सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अतः इस मामले को मैं सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

कार्य–मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 1984 की बैठक में सदन के दिनांक 15 सितम्बर, 1984 के कार्यक्रम को निम्न–लिखित रूप में निर्धारित किये जाने की संस्तुति की है:–

13 सितम्बर, 1984 गुरुवार

1 –निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण––

(क) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 एक घन्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) विधेयक, 1984 एक घन्टा ।

2––ओबरा तापगृह में दिनांक 23 अगस्त, 1984 को हुए गोलीकाण्ड से राज्य विद्युत कर्मचारियों में

प्राप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री मुख्तार अनीस तथा श्री रियासत हुसैन, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घन्टे की चर्चा ।

3—उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर श्री मोहन सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घन्टे की चर्चा ।

4—उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट बोर्ड की वर्ष 1983-84 के हाई स्कूल एवं इन्टर के संस्थागत तथा निजी परीक्षार्थियों के अधूरे एवं गलत परिणाम प्रकाशन के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घन्टे की चर्चा ।

जैसा समय होगा, उसके अनुसार यह कार्य किया जायगा ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना—)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(1 बज कर 5 मिनट)

(दर्शक दीर्घा से "माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद" का नारा किसी व्यक्ति ने लगाया ।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री आगे बढ़ें ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन्होंने यह कार्य किया है उनको हिरासत में लिया जाय और सजा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, मार्शल इसको स्वयं देखेंगे ।

श्री भोला लाल—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं उसका समर्थन करता हूं किन्तु एक बात आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं कि हमको जो सूचना दी गयी है कि जो लम्बित विधेयक हैं उनमें एक बहुत ही इम्पारटेंट, बहुमूल्य विधेयक राजस्व संहिता विधेयक है। इस सदन का कार्यक्रम सिर्फ 17 तारीख तक का है । उसके बाद बैठने का कोई कार्यक्रम नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व संहिता विधेयक इस सत्र में इस विधान सभा में विचार करने के लिए नहीं आने वाला है । आगे सत्र होगा, यह नहीं मालूम । अगर होगा तो अबकी तो एक हफ्ते का हुआ है शायद अगला सत्र 3-4 दिन का होगा क्योंकि संसद के चुनाव के बाद विधान सभा के चुनाव की गर्मी आ जायेगी और सदन ज्यादा दिन नहीं चलेगा । यह राजस्व संहिता विधेयक इतना इंपारटेंट विधेयक है कि राजस्व के सम्बन्ध में हमारे 28 विधेयक हैं उनमें से 26 को निरस्त करके राजस्व संहिता विधेयक बनाया गया है । हमारे विधायिका विभाग ने बहुत परिश्रम से इसको बनाया है । 1977 में यह विधान सभा में पेश हुआ और प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था । उसके बाद विधान सभा खत्म हो गयी और दूसरे चुनाव आ गये । नई विधान सभा बनी । 4 सितम्बर, 1980 को यह विधेयक यहां पर पेश किया गया । 17 सितम्बर, 1980 को सरकार की तरफ प्रस्ताव आया और एक मत से यह प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया । प्रवर समिति ने इस पर ढाई साल विचार किया और उसकी 80 मीटिंग्स हुयीं ।

प्रवर समिति ने 7 दूसरे राज्यों में जा कर वहां के राजस्व सम्बन्धी अधिनियमों का अध्ययन किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट फरवरी, 83 में सदन में पेश कर दी । डेढ़ साल रिपोर्ट को पेश किये हुये हो गये हैं लेकिन आज तक उस पर विचार नहीं हो सका है । हमें आशंका है कि सरकार इस विधेयक को नहीं लाना चाहती है । यह बहुत ही अच्छा विधेयक है । प्रवर समिति ने बहुत मेहनत करके इसमें संशोधन किये हैं । हमारे विधायिका विभाग ने इसको पहले ही अच्छा बनाया था लेकिन अब इसे और भी अच्छा बनाया गया है । अगर यह पास हो जावेगा तो राजस्व के सम्बन्ध में केवल तीन अधिनियम और रह जायेंगे, राजस्व संहिता विधेयक, चकबन्दी विधेयक, जोतहदबन्दी विधेयक । तो इतना सरल कानून बनाया गया है लेकिन सरलीकरण के बावजूद सरकार इसे पास नहीं करना चाहती है । माननीय मुख्य मन्त्री जी चले गये हैं मैं उनके संज्ञान में यह बात लाना चाहता था । सरकार को सदन में आश्वासन देना चाहिए कि इस विधेयक पर कब विचार किया जायगा । इस सत्र में विचार किया जायगा अथवा नहीं या इसके लिए दूसरा सत्र बुलाया जायगा । क्योंकि इस पर विचार करने के लिए 15 दिन का समय होना जरूरी है । सरकार को इस सम्बन्ध में आश्वासन देना चाहिए कि इस पर कब विचार होगा ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय भीखालाल जी ने काफी विस्तार के साथ बात कहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हम इस विधेयक के सम्बन्ध में दूसरे सूबों में गये तो हमको यह तजुर्बा हुआ कि जमीन के मामले में जो कानून उत्तर प्रदेश विधान सभा ने बनाये हैं वह बहुत प्रोग्रेसिव हैं और हम इसमें बहुत आगे हैं । जब हम लोगों ने दूसरे सूबों में उनके सामने यह रखा कि एक ऐसा विधेयक बना रहे हैं जो 26 इनिजस्टिंग ऐक्ट्स को एक में इकट्ठा कर देगा तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं । लम्बित विधेयकों की लिस्ट बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने आती है, तो यह बिल लम्बित लिस्ट में चला आ रहा है । इसके लिए कभी भी टाइम बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में सत्ता पक्ष फिक्स करने के लिए तैयार नहीं था कि हम इसको पास करके अधिनियम बना दें । इसके लिए बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में कभी भी टाइम नहीं मांगा । अब जैसा माननीय भीखालाल जी ने कहा कि मालूम नहीं कि यह विधान सभा का आखिरी सत्र हो और इसको आप ज्यादा अच्छा जानते हैं । अगर इस विधान सभा को यह मौका न मिला और इस विधान सभा के जरिये से यह टेबुल नहीं हो सका और ऐक्ट बनने से वह बंचित रहा, तो यह इस विधान सभा की बदकिस्मती होगी और प्रवर समिति की सारी मेहनत बेकार हो जायेगी । जो मौजूदा विधान सभा ने एक खास मुकाम हासिल किया है, उससे हम बंचित रह जायेंगे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं और अब तो कमलापति त्रिपाठी जी भी फ्रन्ट में हैं और प्रोग्रेसिव लोगों में से हैं । विधान सभा यह चाहती है कि इसका श्रेय हमको मिले, इस विधान सभा को मिले, इसके लिए कुछ घोषणा होनी चाहिए ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, राजस्व संहिता के ऊपर चर्चा होनी चाहिए । उसके लिए सदन का अधिवेशन बढ़ाया जाना चाहिए । दूसरी बात है श्रीमन्, कि बहुत सारी घोषणायें सरकार ने इस सदन से बाहर जब ग्राम सभापतियों और ब्लाक प्रमुखों का एक सम्मेलन किया गया था, उस समय यह कहा गया था कि पंचायत राज ऐक्ट ब्रिटिश जमाने की देन है और एक जन प्रतिनिधि जो चुना हुआ है, उसका बस्ता जब चाहे साधारण सी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिकायत पर एस0 डी0 एम0 धरवा लेता है । एक तो उसके चुनाव के बारे में निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है, दूसरे जन प्रतिनिधियों को जो अधिकार मिलने चाहिए, उसकी घोषणा नहीं है, इसके बारे में में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई विधेयक उसके परिवर्तन से सम्बन्धित इस सदन में नहीं रखा गया । पिछले सत्र में 13 मार्च को जब शिक्षा का बजट आया था, तो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने माजिर अली के साथ क्या-क्या किया, उनको मालूम होगा, उन्होंने एक घोषणा की, इस सदन में कि जो तदर्थ अध्यापक हैं, डिग्री कालेज के उनको हम स्थायी कर देंगे, नियमित कर देंगे और जो ऐक्ट बना हुआ है इसी विधान सभा, द्वारा उनकी इस घोषणा को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है । उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अभी जो कार्य मंत्रणा समिति ने प्रस्ताव रखा, उसमें संशोधन सम्बन्धी कोई विधेयक हमारे सामने कार्यक्रम की शकल में नहीं रखा। यह दो तीन सुझाव कार्यक्रम में आना चाहिए कार्य मंत्रणा समिति की ओर से। तीसरी बात कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में है । पिछले 6 महीने से जो कानून-व्यवस्था बिगड़ी है, उसके लिए हम लोगों को चर्चा करना है । इसके लिए एक घंटा निर्धारित करना मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन में पक्ष और विपक्ष अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, एक घंटे के अन्दर जो प्रदेश की कानून-व्यवस्था है, एक घंटे में हम उस पर चर्चा नहीं कर पायेंगे । इसलिए मान्यवर, जो एक घंटे का समय निर्धारित है कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में उसमें वृद्धि की जाय । हम आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करते हैं कार्य मंत्रणा समिति के इस प्रस्ताव में यह तरमीम कर दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री राम सिंह खन्ना—

आज जो विषय उठाया गया है आज उसके सम्बन्ध में थोड़ी बात हुई थी और उसके बारे में पूरे तौर से गम्भीरता से विचार-विमर्श हुआ । जहां तक सरकार का ताल्लुक है हम गम्भीरता से इस विषय पर विचार कर रहे हैं । जहां तक सत्र का ताल्लुक है आप रहेंगे और सत्र होगा और यह विधेयक आपके सामने विचार के लिये आयेगा । आपने जो परिश्रम किया है और दूसरे प्रदेशों में जो मान इस प्रदेश का बढ़ाया है वह बेकार नहीं जाने पायेगा । सरकार किसी तरह से उदासीन नहीं है । आपके सामने यह आयेगा और आप विचार करके उसको पास करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है और जो संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया तथा मोहन सिंह ने समय बढ़ाने की जो मांग की है जब डिबेट शुरू होगी और सदन महसूस करेगा कि समय बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसके अनुसार कार्यवाही करेगा और समय बढ़ सकेगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

काशी विद्यापीठ, वाराणसी की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें काशी विद्यापीठ, वाराणसी की सभा पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (XV) के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए,

विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें काशी विद्यापीठ, वाराणसी की सभा पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) से खंड (XV) के अनुसार रिक्त स्थानों के पूर्ति के लिए, विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा में 23 दिसम्बर, 1984 के उपरान्त रिक्त होने वाले स्थानों पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा में 23 दिसम्बर, 1984 के उपरान्त रिक्त होने वाले स्थानों पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (XV) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिए रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) की श्रेणी 3 की मद संख्या (2) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिए रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) की श्रेणी 3 की मद संख्या (2) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984†

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (श्री श्रीराम निषाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

†दिनांक 14 सितम्बर 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1984†

संस्थागत वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जो पहली सूचना है यह श्री किरनपाल सिंह की है । दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह, श्री रियासत सैन, श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री भोखा लाल, श्री खैरुल बशर, श्री फखरे आलम, श्री यमुना प्रसाद, श्री राम सागर, की है । तीसरी श्री विजय सिंह राना तथा श्री गोपीनाथ वर्मा की है । चौथी श्री कुबेर भन्डारी की है । पांचवी श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की है । छठी श्री कुंवर सिंह नेगी तथा नरेन्द्र सिंह भन्डारी की है । सातवी श्री मुख्तार अनीस की है । आठवीं श्री भोखा लाल की है । नवीं सर्वश्री सन्त बख्श रावत, विश्वनाथ तथा यदुनाथ सिंह की है । जहां तक श्री भोखालाल जी की सूचना का सम्बन्ध है, इसमें कल ही शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है, इसमें मैं निर्णय ले चुका हूं । श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना नियम 301 में स्वीकार कर चुका हूं । श्री श्याम नारायन तिवारी जी की सूचना के सम्बन्ध में कल ही शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है । बारहवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय की है । जहां तक श्रीमती गौरी देवी की सूचना का प्रश्न है, इसमें शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, आगे श्री चित्रसेन यादव की है । जहां तक श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री रियासत हुसैन की सूचना का प्रश्न है, इसमें कल ही शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त मुझे श्री रामस्वरूप सिंह, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री विद्या सागर नौटियाल, श्री शंकर सिंह, श्री माता प्रसाद पान्डेय तथा श्री बलवीर सिंह की सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

जहां तक श्री बलबीर सिंह जी की सूचना का प्रश्न है । इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट पड़ी है । श्री किरनपाल सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री भोखालाल, श्री खैरुल बशर, श्री फखरे आलम, श्री यमुना प्रसाद, श्री राम सागर, श्री विजय सिंह राणा एवं अन्य सदस्य आप सब आपस में तय कर लें, मैं एक व्यक्ति को बोलने की आज्ञा दे रहा हूं ।

†दिनांक 14 सितम्बर, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(कुछ रुक कर)

सर मोहन सिंह जी को कह रहे हैं। अतः मैं माननीय मोहन सिंह जी को आज्ञा दे रहा हूं।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैंने भी नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी थी, इस बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष--

जिनकी सूचना मेरे पास हैं, उनके नाम मैंने पढ़ दिये हैं। मैंने एक व्यक्ति को सबकी तरफ से बुलवाया है।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक गम्भीर विषय मैं इस सदन के सामने उठाना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन के एक सदस्य माननीय श्री बदन सिंह न केवल इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरन् एक इन्टर कालेज के के प्रधानाचार्य भी हैं। सन् 1977 से हम लोग एक अनुशासित सदस्य के रूप में इनको देखते रहे हैं। प्रधानाचार्य के रूप में भी इनका एक इतिहास है। इसके बावजूद एक बड़ी दुखद स्थिति पैदा हुई कि दिनांक 10 जून, 1984 को इनके निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के थाने के सामने जब सभी विरोधी दल के लोग जिसमें लोकदल, जनता पार्टी, संजय मंच आदि-आदि सभी दलों के लोग थे और प्रदर्शन आयोजित किया गया था, वहां के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। जब वह जुलूस थाने के सामने गया और सभा के रूप में परिणित होने के लिए छाये वाले स्थान पर जाने लगा तो अकारण ही वहां उपस्थित पुलिस वालों ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। जुलूस एक दम शान्त था। प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में थे, जिसमें से दजनों घायल हो गये। कुछ भाग भी गए। वहां के पुलिस अधिकारी श्री सी0 बी0 सिंह और अन्य कान्स्टेबिलों ने यह पूरी तरह जानते हुए कि श्री बदन सिंह विधान सभा के सदस्य हैं और प्रधानाचार्य भी हैं, उन पर लाठियों से प्रहार शुरू कर दिया।

मैं वहां पर 7-8 दिन बाद पहुंच सका। श्री बदन सिंह को बहुत चोट आई थी। उनकी कंधे की हड्डी टूट गई थी। वहां उनको देखने वालों की भीड़ लगी थी। वहां पुलिस के लोगों ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शकारियों को ही नहीं मारा वरन् एक विधायक को भी मारा। थाने के अन्दर भी वहां के थानाध्यक्ष ने उनको लाठियों से मारा। बचे हुए सिपाहियों का कहना था कि सड़क पर मौका कम मिला, इसलिए थाने में मारा जाय। अखबारों के अनुसार और वहां उपस्थित लोगों के अनुसार पूरा थाना उस समय लहू लुहान हो गया था। यह सरकार के लिए बड़े कलंक की बात है कि जब जन प्रतिनिधि जनता की मांगों को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन करे तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया जाय। वहां के थानाध्यक्ष और अन्य सिपाही निलम्बित होने के बाद भी वहीं घूमते हैं और धमकी देते हैं। श्री बदन सिंह का शैडो उस समय छुट्टी पर (7 दिन की) गया था। शैडो के इतनी लम्बी छुट्टी पर जाने पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। वहां प्रदर्शन की पहले से नोटिस दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने जानबूझ कर वहां किसी मैजिस्ट्रेट को नहीं भेजा।

वहां लाठी चार्ज की आवश्यकता थी या नहीं इसका निर्णय मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट नहीं भेजा गया, जिसके कारण वहां की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। हमको आशंका है वहां विधायक को विशेषरूप से मारने की साजिश थी। यह साजिश आगरा के पुलिस अधीक्षक और सी0 ओ0 की थी। इसलिए इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के अन्दर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उपस्थित करते हुये, क्योंकि यह एक लोकदल के विधायक का प्रश्न नहीं है, विधायिका बड़ी है या नौकरशाही बड़ी है और क्या पुलिस प्रशासन का ही इस प्रदेश पर नियन्त्रण रहेगा, यह प्रश्न है । जन प्रतिनिधियों के साथ पुलिस का जो व्यवहार है, उसका यह एक दृष्टांत है । मेरी मांग है कि वहां के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और सी० ओ० को निलम्बित किया जाय और उनके विरुद्ध जाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमा कायम कर उन्हें जेल भेजा जाय । वहां के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और सी० ओ० अभी निलम्बित नहीं हुए हैं और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है, इसलिए इस सदन के सम्मुख चर्चा हेतु मैं इस विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह जो 'काम रोको प्रस्ताव' यहां पर लाया गया है और जो सभी विपक्षी नेताओं के हस्ताक्षर से यहां पर आता है एक परम्परा आज तक रही है और उसे आपने भी स्वीकार किया था कि कम से कम विपक्षी नेताओं को आप बोलने का अवसर देते थे, किन्तु आज आप उससे विपरीत कार्य किए जा रहे हैं । हमारे सी० पी० आई० के नेता माननीय श्री भीखा लाल जी खड़े हुए, किन्तु आपने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष--

क्या पूर्व में इस प्रकार का कोई निर्णय हुआ है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, निर्णय तो नहीं हुआ है, हां, आपके और हमारे बीच में यह अन्डरस्टैन्डिंग रही है, यदि आप उसे भूल गए हैं, तो बड़ा दुख है मुझे । यह केवल व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, किसी लोकदल का नहीं है, । हम यहां पर आये दिन कहते हैं कि जन-प्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों । इसके बावजूद भी शासन स्तर पर उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है । इस सत्र के पहले दिन, जब हम लोग दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो उस दिन भी मैंने कहा था, जन-प्रतिनिधियों से ज्यादा उन लोगों का सम्मान होना चाहिये, जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी की थी ।

मान्यवर, यदि इस देश और प्रदेश के अन्तर्गत अधिकारी व कर्मचारी जन-प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो मेरा यह निश्चित मत है कि सत्ता पक्ष जो आज उधर बैठा है, जब वह कल यहां पर बैठेगा तो उसके साथ भी वही व्यवहार होगा, जो आज हमारे साथ किया जा रहा है । उनका भी कल अपमान हो सकता है । माननीय श्री बदन सिंह जी के साथ भी पुलिस ने यही दुर्व्यवहार किया । जबकि यह पहले एनाउन्स कर दिया गया था कि विधायकगण प्रदर्शन करेंगे, इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय को भी बता दिया गया, इसके बावजूद भी वहां पर न तो सी० ओ० महोदय व एस० डी० एम० की ड्यूटी लगाई गई । ये लोग अछनेरा में ही बैठे रहे । अब प्रश्न यह होता है कि किसकी इजाजत से लाठी चार्ज किया गया और क्यों किया गया, इसकी पहले जांच होनी चाहिये थी ।

माननीय मुख्य मंत्री जी और आपको ऐसे प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करना होगा, क्योंकि विधायकों के सम्मान का प्रश्न है । पहली बात तो यह है कि विधान भवन के अन्दर जो भी बात हम कहेंगे वह ईमानदारी से कहेंगे, जिस बात को हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कहेंगे । मेरा आज तक यह सिद्धान्त रहा है और रहेगा । इस-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिए जिस विषय पर आज सभी विपक्ष के नेता एक मत हैं, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा और जो दोषी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी ।

मान्यवर, पुलिस वालों ने माननीय श्री बदन सिंह जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वह बिलकुल अमानुषिक था, उनका इरादा तो उनको मार देने का था । उनकी हड्डियां पुलिस वालों ने तोड़ दी, इसके बावजूद भी उनको किसी हास्पिटल में भर्ती कराये जाने का प्रयास नहीं किया गया । जब स्वयं श्री बदन सिंह जी ने सी० ओ० से निवेदन किया तब, सी० ओ० ने उन्हें हास्पिटल में भर्ती करवाया । आपने सस्पेन्ड तो कर दिया । सस्पेन्ड आपने तभी किया होगा, जब उसे दोषी पाया होगा । परन्तु प्रक्रिया के अनुसार जो जेल भेजने की कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह आपने नहीं की । यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे तुरन्त जेल भेज दिया जाता, चूंकि वह अधिकारी था, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया । हम चाहेंगे कि उस अधिकारी को जेल भेजा जाय और साथ ही साथ उसे चार्ज-शीट भी दी जाय । मैं आशा करता हूं कि आप इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि माननीय नेता विरोधी-दल के इंटरवीन करने के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, जब इस सदन में किसी माननीय सदस्य का मामला हो तो उस मामले को गम्भीर रूप से अगर आवश्यकता पड़े तो परम्परा से कुछ हटकर लेना चाहिए । मान्यवर, विरोध पक्ष के जो लोग इधर बैठे हुए हैं जब वह अपनी किसी बात को शान्तिपूर्ण आन्दोलन के माध्यम से जो अधिकार आपने हमें राष्ट्रीय आन्दोलन ने दिए हैं उसके तहत अगर कहना चाहें तो उसकी बात को सुनना चाहिये न कि उसके साथ बर्बरता का व्यवहार किया जाए । आज कांग्रेस पार्टी का जनतन्त्र से विश्वास उठता जा रहा है और जनता की आवाज को दबाने के लिए लाठियों और गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है । अभी दो अप्रैल, 1984 को फैजाबाद में एक प्रदर्शन हुआ जिसका नेतृत्व मा० मित्रसेन विधायक कर रहे थे । जिसमें एक भूतपूर्व एम० एल० ए० और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पुलिस द्वारा लाठियों से जख्मी किया गया । विधान सभा में मैंने प्रश्न उठाया और न्यायिक जांच की 6 अप्रैल को घोषणा की गयी, जज की नियुक्ति हो गयी । लेकिन उसका गजट नहीं निकला । आज भी वह थानेदार वहां पर मौजूद है लेकिन न वह हटाया गया और न उसके खिलाफ कुछ किया जा सका, पुलिस इतनी निरंकुश हो गयी है कि वहां पर 3 प्रत्यक्ष गवाहों के कत्ल भी करवा चुके हैं और लगभग एक दर्जन लोगों को जेल भिजवा चुके हैं गलत मुकदमात में फंसवाकर, फिर भी वह आराम से वहां घूम रहा है । इसी प्रकार से यह मामला श्री बदन का भी सामने आया कि इतनी बर्बरता से पीटा गया कि उनकी हड्डी तक टूट गयी । इसी प्रकार से मित्रसेन को भी फैजाबाद वाले प्रदर्शन में मारा पीटा गया । तब भी यह सरकार कान में तेल डाले बैठी रही क्या इन लोगों की जब हत्या हो जायेगी तब कुछ किया जायेगा । इसलिए मान्यवर, मैं इस मामले में जोर देकर अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले को आप स्वीकार करें और इस सदन में इस पर बहस करवायें ।

(शोर)

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, मैं खुद आगरे गया हुआ था जिस प्रकार से बर्बरता के साथ श्री बदन सिंह को पीटा गया और उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की गयी

जिसका तसव्वर तक नहीं किया जा सकता है । इसलिए हम आपसे दर्खवास्त करते हैं कि फौरन इस मामले में सदन में चर्चा स्वीकार कर सभी सदस्यों को इसमें हिस्सा लेने का मौका दें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अभी जो मामला आदरणीय सदन के सामने आया है इससे ज्यादा और कोई मामला अफसोसनाक नहीं हो सकता है । मान्यवर, हम लोग यहां लोगों द्वारा चुनकर इसलिए आए हैं कि उनकी समस्याओं और भावनाओं को आपके समक्ष रखें शांतिपूर्ण ढंग से जिसके अधिकार भी आपने हमें दिये हुए हैं । जब हम उनकी सही बात को शासन तक पहुंचाने का यह मार्ग अपनाते हैं तो आप बर्बरता पर उतर आएं तो यह कहां का इन्साफ है । अभी भाई भोला लाल जी ने कहा कि फैजाबाद में भी इसी प्रकार का काण्ड हुआ जब लोगों ने अपनी बात को शान्तिपूर्ण तरीके से रखनी चाही तो उन पर भी लंठी और गोलियों से वार किया गया तो यह सारे काण्ड इस बात के प्रतीक हैं कि शासन अपनी संवेदना को खो चुका है या शासन का कोई अंकुश पुलिस पर बाकी नहीं रहा और वे अपने आप रास्ते से भटक रहे हैं और इस प्रकार जनतान्त्रिक आस्था पर उनका विश्वास जाता रहा, तभी ऐसी घटनाओं से सम्बन्धित तमाम अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

मान्यवर, मजे की बात तो यह है कि जो हिस्ट्रीशीटर हैं, सजायाफ्ता लोग हैं, वे मंत्रियों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके साथ नारे लगाये जा रहे हैं । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनको अपनी स्थिति को साफ करना होगा कि आपका रास्ता क्या है, आप जनतान्त्रिक मान्यताओं में विश्वास करते हैं या नहीं ? आप जनप्रतिनिधियों की रक्षा करना चाहते हैं या नहीं ? मान्यवर, यही नहीं, इस तरह की अनेक घटनायें घटित हो रही हैं । आपको हिम्मत के साथ अपनी भावना व्यक्त करनी है । आदरणीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि चर्चा होने से पहले माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का घोषणा करें कि उस पुलिस कर्मी को निलम्बित कर दिया जायगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जयेगी । उसके बाद ही यहां पर चर्चा हो ।

(श्री विजय सिंह राना तथा श्री किरनपाल सिंह के एक साथ खड़े होकर बोलने के कारण व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें ।

(1 बजकर 37 मिनट)

गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, जिन माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपनी भावना व्यक्त की है, मान्यवर, मैं उनका मान सम्मान करता हूं । साथ ही साथ ...

(श्री विजय सिंह राणा के लगातार खड़े होकर बोलते रहने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राना जी बैठिये यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मेरे जनपद का यह मामला है, मुझे इस सम्मानित सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

जो निर्णय हुआ है, उसी के आधार पर कार्य चलेगा । अभी आपके माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी थी । आप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपने नेताओं से पूछ लें कि क्या निर्णय हुआ है । जिन जिन लोगों ने दिया है, अगर सभी माननीय सदस्य बोलेंगे, तो यह कैसे सम्भव हो सकेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आप किसको इजाजत दे सकते हैं, हम आपके डिस्क्रिशन पर थोड़े ही रोक लगा सकेंगे । आप हमको भी न बुलायें, यह तो आपके पास अधिकार मौजूद है । यह मैंने आपको कहां रोका है कि आप किसको बोलने की इजाजत देंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इससे पहले भी कभी-कभी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आये हैं, जिन पर आपने, निर्धारित आदेशों और नियमों का पालन करते हुये, छूट दी हैं । माननीय विजय सिंह रान खुद आंधरा के रहने वाले हैं, वहां पर ही यह घटना घटी है । इसलिए उनको मौका दे दें । माननीय किरन पाल सिंह घटना के तुरन्त बाद वहां गये हैं, कुछ विशेष तथ्यों को रखना चाहते हैं, मेरा आग्रह है कि विशेष परिस्थितियों में नियमों की छूट देकर उन्हें सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं नेताओं की बैठक पुनः बुला लेता हूं । नियम 56 के अन्तर्गत जो कुछ निर्णय किये हैं, स्वयं फिर निर्णय कर लीजियेगा । मैं गृह राज्य मन्त्री को बुला चुका हूं ।

श्री राम सिंह--

जिन सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपनी ओर से यह कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की बात जो माननीय सदस्यों ने यहां कही है, हमारा व्यक्तिगत और पार्टी का भी प्रजातंत्र में विश्वास रहा है, यही रीति और नीति रही है । जहां तक घटना की बात है, इस प्रकार की घटनाओं में इसे एक गम्भीर घटना मानता हूं । हमने आदेश दिये हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ सम्मान के साथ व्यवहार होगा । जहां तक पुनरावृत्ति का प्रश्न है वर्ष 1977 से 1980 तक इस प्रकार के लाठीचार्ज, इतिहास उठाकर देखें, लखनऊ राजधानी में ही जब मा0 वर्तमान मुख्य मंत्री जी प्रदर्शन कर रहे थे, हुए थे ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

उसी का बदला ले रहे हैं क्या ?

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

बदले की भावना से यह सरकार सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज करा रही है ।

(विपक्षी सदस्यों के उठकर खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये, निर्णय लेने का अधिकार तो मुझको है । आप लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएये ।

(सीट पर खड़े होकर)

श्री छत्तर सिंह—

लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।

(श्री कुबेर भण्डारी, श्री सरदार सिंह, श्री छत्तर सिंह तथा श्री राम आसरे पासवान, श्री किरन पाल तथा श्री विजय सिंह राना सदन के फ्लोर पर आकर—"इन्दिरा गांधी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" तथा "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" का नारे लगाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

बैठिये, पहले आप लोग बैठिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां एक बड़ा अहम प्रश्न था और बड़ा ही गम्भीर मसला यहां पर विचाराधीन था जिस पर माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और यहां सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, सब समझते थे कि मुख्य मंत्री जो जवाब देंगे लेकिन राज्य गृह मंत्री बोलने के लिये खड़े हो गये । इस गम्भीर मामले को इस प्रकार से बचकाना तरीके से लेना और बचकाना जवाब देने की क्या आप इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेताओं ने जो अपने विचार किये हैं उसके आधार पर यह बात सही है कि यह मामला गम्भीर है लेकिन इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि निर्णय मुझको करना है, इस पर क्या कार्यवाही होगी, क्या नहीं इसलिये कृपा करके आप ध्यान रखें इन सब बातों का ।

श्री मोहन सिंह—

तो ये ऐसी बातें कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यदि आप लोग गृह राज्य मंत्री को सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राना सदन के सामने फ्लोर पर आकर बैठ गये ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग सब बैठिये, राना जी आप अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राना अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन के किन्हीं भी सदस्य को कहां पर भी उनके प्रति दुर्व्यवहार का प्रश्न नहीं उठता है । हमारे शासन में किसी प्रकार से यह वांछित नहीं है, मैं आश्वस्त करता हूं । हमने पुलिस से भी आग्रह किया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, बहुत ही सद्भावना से, सदाशयता से, आदर करते हुए आप उनको देखें । इसमें जो कार्यवाही हुई है, उसके सम्बन्ध में नेता विरोधी दल ने कहा है कि वक्तव्य दिया जाय, तो हमने उसे स्वीकार कर लिया है । लेकिन यदि कोई पूर्व का उदाहरण दे दिया जाय तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है । हम इसको बड़ी विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिये । यह पार्लियामेन्ट्री पद्धति है जिसमें कभी-कभी कोई चुभती हुई बात कोई कह देता है या कोई पूर्व घटना का उदाहरण सामने आ जाता है, मैं समझता हूं कि हमको इस प्रकार से नहीं लेना चाहिये ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक आग्रह है कि हमको अपेक्षा थी कि माननीय राज्य मंत्री गृह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो कि प्रधानाचार्य भी हैं, यहां भी ये कोशिश किये कि सबको छात्र समझ कर अपनी बात को कह दें । जबकि माननीय मुख्य मंत्री खड़े हुये, वे नेता सदन भी हैं, इसलिये सारी क्रिया-कलापों की पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को समझते हुए हम सबको उम्मीद थी कि मुख्य मंत्री जी खड़े होंगे । लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी पुलिस को आदेश तो देते नहीं हैं केवल आग्रह करते हैं । इस आग्रह करने के संरक्षण में जो श्री बदन सिंह पर प्रहार हुआ है, चूंकि वे एक विधायक हैं और यह सही है कि विधायक से सम्बन्धित मामला मुख्य मंत्री को मालूम नहीं रहा होगा क्योंकि उस समय वे यहां के मुख्य मंत्री नहीं थे परन्तु जब उनको इस सम्बन्ध में सूचना मिल गई और आज 10 बजे उनको सूचना मिली होगी उनको इस सम्बन्ध में जानकारी अवश्य होगी । सारी सूचना रही होगी, उसके आधार पर एक वक्तव्य दे देते और वक्तव्य के साथ एक आश्वासन दे देते कि उन्हें जो सूचना है उसके आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे या नही या पुनः कार्यवाही करेंगे । मैं अपेक्षा करता था कि कोई आश्वासन मिल जायेगा, और उससे सदस्यों को सन्तुष्टि मिल जायेगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् मेरे सम्मानित सदस्य ने एक प्रश्न उठाया, हमारे राज्य मंत्री ने पहले आश्वासन दे चुके थे, उस आश्वासन को मैं दुहरा रहा हूं । जहां तक पुलिस पर कार्यवाही का प्रश्न है, आपने सुना ही होगा, हम सब की नीति है, पुलिस के लोगों को आदेश देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसे स्वाभाविक होना चाहिये और पुलिस कर्मियों को हमें समाज से भिन्न मानने से असंतुलन पैदा होगा और अगर हम पुलिस को समाज से भिन्न मानकर व्यवहार करेंगे, तो अच्छा नहीं रहेगा । कल भी जो भाषण हुआ, मुझे सलाह दी गई, तो यह सब सलाह मानकर संतुलित आधार पर हमें चलना है । पुलिस को आदेश दे दिए हो जायेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय, जैसा कि यह बहुत बड़ी गम्भीर घटना थी....

श्री अध्यक्ष—

आप क्या सुझाव दे रहे हैं ।

*श्री किरन पाल सिंह—

माननीय, केवल बदन सिंह पर लाठी लगने का सवाल नहीं है । माननीय, इन्होंने पुलिस के खिलाफ पिछले सत्र में एक प्रश्न उठाया था, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और एस० ओ० के खिलाफ प्रश्न उठाया था, और उसी के कारण वहां की पुलिस श्री बदन सिंह से नाराज थी और उनसे वह चिढ़ गई थी । इसी के कारण उनकी निर्मम पिटाई की । सवाल इस बात का है कि क्या हम जन समस्याओं को, जानता की बात को लेकर सदन में बात उठायेंगे तो क्या हम लोग सुरक्षित रह सकेंगे अथवा नहीं । पिछले वर्ष जब किसानों को लेकर बुलन्दशहर में....

(व्यवधान)

मुझे आपका संरक्षण चाहियें । जिस प्रकार से आपका संरक्षण सदन में मिलता है उसी प्रकार से सदन के बाहर भी माननीय सदस्यों को मिले, अगर ऐसा होता तो पुलिस को इतनी निर्मम पिटाई करने की हिम्मत न होती । किसानों पर जब लाठी चार्ज हुआ और किसानों की हड्डियां टूटी, तब आप भी बुलन्द-शहर दौरे पर गए थे, मैं अपेक्ष करता था कि आप हम लोगों को देखने आयेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे बारे में कोई बात न कहें । आप बैठें ।

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।
(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह--

मैं बार-बार चिल्ला रहा हूं . .

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री कुबेर भंडारी को बुला लिया है ।

श्री सरदार सिंह--

मैं केवल दो बातें कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

जब वक्तव्य आयेगा तो मैं आगे देखूंगा । आप बैठें ।

श्री कुबेर भंडारी--

कृषि और प्रसार विभाग के डिप्लोमा छात्र बेकार हैं और अपनी मांग को लेकर कृषि मन्त्री के यहां धरना दे रहे थे . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी आप कब वक्तव्य देंगे ?

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं सदन में मौजूद हूं और मेरे साथ जो घटना घटी है, मुझे सुनने के बाद आप कोई निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं वक्तव्य की तिथि उनसे पूछ रहा हूं कि किस तिथि को वे वक्तव्य दे सकेंगे ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, 17 तारीख को रख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

14 तारीख को सम्भव नहीं है क्या ?

श्री राम सिंह--

सूचना मंगानी पड़ेगी, इसलिये 17 तारीख को रख लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप 14 तारीख को ही वक्तव्य दें ।

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, हजारों की संख्या में छात्र बेकार हैं । वे अनशन करने के लिये माननीय मन्त्री जी के यहां चले गए थे । लेकिन मन्त्री जी पता नहीं उनको कहां भेज दिये । उनका कहीं पता नहीं है । उनके घर वाले हमारे पास आये, उनके पास कोई सूचना नहीं है । यह सरकार लोगों को बेकार बना रही है । जब छात्र अपनी समस्याओं को लेकर मन्त्री जी के यहां जाते हैं तो उनको लाठी-डंडों से पीटा जाता है और यहां पर आश्वासन देते हैं । वे बतायें कि लड़के कहां हैं और उनकी मांगों का क्या हुआ ?

*श्री कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, छात्रों का मसला कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है । इसके ऊपर हमको गम्भीरता से विचार करके सोचना चाहिये । सम्भवतः सम्मानित सदस्य को आज ही इसकी जानकारी हुई होगी । कुछ लड़के जरूर प्रदर्शन करते फिर रहे थे, मुझे धरने की जानकारी नहीं है । मैंने अपने यहां कोई लड़के बैठे हुये नहीं देखे । मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि शासन ने पूर्व ही दिनांक 2-12-83 को इसके सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है और इसके सम्बन्ध में एक जी० ओ० कृषि निदेशालय को भेज दिया गया है । आज्ञा दें तो मैं इसको पढ़ दूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप पूरे पत्र को न पढ़ें । संक्षेप में इसका अभिप्राय बता दें ।

श्री यशपाल सिंह--

संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि इन लड़कों की सर्विसेज को सुनिश्चित कर लिया गया है और जो आशंका इन लड़कों की अभी बाकी है उसको दूसरे जी० ओ० में स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्ग-3 में उनकी नौकरी सुनिश्चित कर दी गई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। पिछले सत्र में यह तय हुआ था कि डिप्लोमा होल्डरों को निश्चित तौर पर नौकरी दे दी जायेगी । माननीय मन्त्री जी ने इसे सुनिश्चित कर दिया, इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो दूसरे इस तरह के राजकीय स्कूल चल रहे हैं जो सरकारी हैं, उनको आपने बन्द कर दिया है, प्राइवेट स्कूलों को बन्द कर दिया है इसलिये या तो आप उनको बन्द कर दीजिये या फिर उसको चलाइये और समय निर्धारित कर दीजिये कि कब तक उनको नौकरी दी जायेगी । उनकी स्थिति डांवाडोल है । यह स्थिति बड़ी खराब है । इसका जवाब दिला दें ।

श्री यशपाल सिंह--

सम्मानित सदस्य श्री ओझा जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं कि कृषि डिप्लोमा के जो स्कूल हैं वे बन्द कर दिये गये हैं । मुझे कहना पड़ेगा कि उनकी यह जानकारी सही नहीं है । दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके लिए समय निर्धारित कर दिया जाय । समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है । लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह आदेश डिपार्टमेंट को दे दिये गये हैं कि जितनी भी वैकेन्सीज हमारे कृषि विभाग में वर्ग-3 की हैं उनको सार्ट-आउट करके जल्दी से जल्दी भरे जाने की कार्यवाही हो रही है और हम इसमें शीघ्रता बरतेंगे ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, पिछले सत्र में जो सूचनायें नियम 56 में आपको दी जाती थी उन पर उस दिन आप कुछ लोगों को सुना करते थे और कुछ के बारे में बिना सुने शासन को निर्देश दे देते थे कि इस पर शासन कार्यवाही करे । मान्यवर, मैंने एक सूचना आपको कल दी जो विशेष-कर अल्पसंख्यकों के बारे में मुरादाबाद में 13 अगस्त, 1980 को घटना घटी थी ईदगाह में बहुत से लोग बच्चे, औरतें आदि मारी गयी थीं जिसके लिए एक जांच कमीशन बैठाया गया था । उस कमीशन की रिपोर्ट शासन के पास आ गयी है । मैंने कल हवाला दिया था कमीशन आफ इन्क्वयारी ऐक्ट के अन्तर्गत 6 महीने के अन्दर रिपोर्ट दे देनी चाहिए । वह रिपोर्ट आ गयी है और उसमें पुलिस और पी० ए० सी० को दोषी ठहराया गया है । इसका सम्बन्ध सारे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों से है । आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं और पुलिस और पी० ए० सी० लोगों को पीटती है । तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने कल कह दिया होता कि शासन को निर्देश दे दिये हैं । मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप नियम 56 के अन्तर्गत जो मैंने लिख कर दिया है उस पर मुझे सुनते या बतायें कि शासन को निर्देशित कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गृह मन्त्री जी जो माननीय सदस्य की सूचना मुरादाबाद के बारे में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है जिस पर मैंने कल शासन का ध्यान आकर्षित किया था। आप पत्रावली देखकर जो वस्तुस्थिति है उससे मुझे अवगत करायेंगे और माननीय सदस्य को भी उसकी सूचना भेज देंगे।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय सत्यपाल सिंह जी ने जो बात कही उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस विषय की घोषणा सदन के अन्दर माननीय भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने की थी 3 महीने के अन्दर जो सक्सेना कमीशन जांच के लिए बैठाया है उसकी रिपोर्ट आ जायेगी। यह उन्होंने सदन के अन्दर घोषणा की थी। सक्सेना कमीशन की रिपोर्ट की चारों तरफ से मांग हो रही है जैसा सत्यपाल सिंह जी ने कहा मैं भी कहना चाहता हूं कि तमाम जनता में उसकी माँग हो रही है बार काऊंसिल ने भी रिजोल्यूशन पास करके मांग की है। जो उस रिपोर्ट को सदन में रखा जाना चाहिये। परन्तु यह कह कर टाला जा रहा है कि वह रिपोर्ट अंग्रेजी में है उसे हिन्दी अनुवाद के लिए भेजा गया है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि 3 महीनें के अन्दर रिपोर्ट आ जायेगी तो वह रिपोर्ट सदन में रखी जानी चाहिये। अब जो उसे अनुवाद के नाम पर टाला जा रहा है उसे एज सच सदन के अन्दर रखा जाना चाहिये पे कमीशन की रिपोर्ट भी ऐसे ही रखी गयी। इसमें यह नहीं होगा कि आपको वह सूचित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं देखूंगा।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, पुलिस के कार्यों की आये दिन यहां चर्चा होती है।

(व्यवधान)

श्री खैरूल बसर--

यह सरकार पुलिस को बचाना चाहती है।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, कमीशन आफ इन्क्वायरीज ऐक्ट की धारा 3 (4) के अन्दर साफ दिया है कि 6 महीने के अन्दर रिपोर्ट देंगे। मान्यवर, आये दिन इस सदन में दंगों के बारे में बात आती रहती है पुलिस द्वारा निर्मम बच्चों और औरतों को मारा जाता है। आप इतने महत्व-पूर्ण विषय पर संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैंने यह विषय कल भी उठाया था लेकिन आपने मुझे कल इजाजत नहीं दी और आज भी इजाजत नहीं दे रहे हैं। आपने आज भी इजाजत नहीं दी। इसलिये मैं जानना चाहता हूं और मुझे आप संरक्षण दें कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुख्य मंत्री कहते कि 17 जुलाई के पहले इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे ताकि पुलिस के काले कारनामे सदन के सामने आते और उत्तर प्रदेश की जनता उनको समझ पाती।

(श्री फखरे आलम तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं।

(व्यवधान)

*श्री फखरे आलम--

मुरादाबाद में जब लोग ईद की नमाज पढ़ने गये थे तो उनका दमन किया गया था और उसके सम्बन्ध में कमीशन की जांच रिपोर्ट को आज तक छिपाया जा रहा है। यह ऐसा मामला है जिस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिये, उसको क्यों छिपाया जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है । श्री सक्सेना की रिपोर्ट पूरी हाउस में आनी चाहिये । मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, इसलिये हमारे अधिकारों की रक्षा करें और हमें आप संरक्षण दें । आप सरकार से और मुख्य मंत्री जी से पूछें कि कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं । क्या फिर मुरादाबाद में वही चीज दोहराना चाहते हैं या सरकार का क्या इरादा है, इसलिये रिपोर्ट को क्यों छिपाया जा रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यहां मेरे योग्यतम सहयोगी ने पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री की एक घोषणा का उल्लेख किया कि तीन महीने के अन्दर कमीशन की रिपोर्ट रखी जायेगी । श्रीमन्, यह सदन अवगत है कि कई बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि निर्धारित समय के अन्दर किसी कमीशन के लिये सम्भव नहीं हो पाता है कि वह रिपोर्ट दे सके । फिर यह भी आवश्यक है कि सदन के नियमों के अनुसार, जैसा कल कहा गया कि यहां हिन्दी में कार्यवाही होनी चाहिये, यदि वह रिपोर्ट अंग्रेजी में तैयार की गयी, जिसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है । तो जहां पूरी जानकारी नहीं होगी तो क्षमा मागूंगा कि अधूरी जानकारी के आधार पर उत्तरदायी वक्तव्य नहीं देना चाहिये । इस क्षण मुझे जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट किस भाषा में मिली है । इसलिये इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा और यदि पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री ने कोई आश्वासन दिया है तो उसको मैं देखूंगा और आश्वासन की पूर्ति की जायेगी ।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, अभी सदन के अन्दर पुलिस के अत्याचार की चर्चा हुई । उत्तर प्रदेश की पुलिस के दो काम रह गये हैं—जनता को मारना और घूस लेना । लेकिन इससे भी स्थिति और गम्भीर हो रही है लखनऊ शहर में, जहां मंत्रि मंडल रहता है, वहीं की पुलिस ऐसे काम करती है कि एक अगस्त से 30 अगस्त तक इस लखनऊ शहर में निरन्तर प्रचार हुआ कि जो स्कूटर चालक हेल्मेट इस्तेमाल नहीं करेगा उसका चालान हो जायेगा । स्टड नाम की कम्पनी है उसके आदमियों ने व्यापारियों से बात किया और यहां हेलमेट इकट्ठे हुये और वह बड़े-बड़े होटलों में अधिकारियों को दावतें दी गयी और प्रचार किया गया कि एक सितम्बर, 1984 से हेलमेट लगाना जरूरी है वरना चालान हो जायेगा, जिससे पहली सितम्बर के पहले ही 50 हजार हेलमेट बिक गये और फिर शहर में पहली तारीख को सरकार के आदेश होते हैं कि हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है । इसलिये मेरा आरोप है कि अधिकारियों ने कम्पनी से मिलकर व्यापक भ्रष्टाचार किया है । इस प्रकार लूट का बाजार गर्म है । लखनऊ शहर के नागरिकों ने जब उच्च अधिकारियों से कहा कि ट्राफिक कानून के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की ओर से आदेश होता है जबकि लखनऊ में ऐसे आदेश पुलिस के अधिकारियों ने दिया जिसका बाद में अधिकारियों ने खंडन किया । इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एक महीने तक इसका प्रचार होता रहा और एक महीने में इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई और जब सारे हेल्मेट बिक गये, लूट हो गयी, तो ऐसा बयान सरकार के अधिकारियों ने दिया कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है । इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह किस नियम में है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 56 के अन्तर्गत है, इसका इन्होंने नोटिस दिया है ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री का इस पर अभी ही विचार आ जाए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, मेरा भी इसमें एक है ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण सूचना दी है और इस सम्बन्ध में पिछले दिनों जो समाचार त्रों में चर्चा हुई, उसमें भी उसका काफी उल्लेख हुआ है । माननीय सदस्य सहमत होंगे, वह तो शासन के सदस्य रहे हैं, यह कानून हो या न हो, लेकिन प्रत्येक स्कूटर चालक के लिए हेलमेट पहनना बहुत आवश्यक है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है । वह हृदय-विदारक घटना याद है, उसके उल्लेख करने का यह अवसर नहीं है, जिसमें अपने जीवन के उत्कृष्टतम और स्वर्णिम समय में युवकों का जीवन काल कवलित हो गया, केवल इसलिए कि वह हेल्मेट पहने नहीं थे । इसलिए यदि हेल्मेट बिके हैं और उसका वातावरण नगर में बना है तो यह एक अच्छी बात है । मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में कानून बने, कानून हो न हो, उसका पहनना आवश्यक किया जाए ।

(व्यवधान)

मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि प्रश्न केवल यह है, कि एक कानूनी प्रश्न यहां उठाया गया कि क्या कानूनन हेल्मेट पहनना आवश्यक है । मैंने उसकी जांच के आदेश उस विषय के समाचार, समाचार पत्रों में छपने के बाद ही दे दिये हैं । लेकिन हेल्मेट का कानून यदि नहीं है तो वह बनाया जाना चाहिए, यह सदन की राय होगी । और जो अधिकारियों के सांठ-गांठ आदि की बात है, मैंने उसकी जानकारी चाही है और मैं रिपोर्ट आने पर उससे सदन को विस्तृत रूप से अवगत कराऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मित्रसेन जी की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने उसे शासन को भेजा है । फिरंगी प्रसाद विशारद की सूचना का और विद्या सागर नौटियाल की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है । शंकर सिंह की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज दिया है । इसके अतिरिक्त नियम 56 की जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, एक को वक्तव्य के लिए स्वीकार करते हुए, हमने बाकी को सबको अस्वीकार कर दिया है ।

(इस समय हाऊस के फ्लोर पर श्री यदुनाथ सिंह अपने हाथ में एक खून से सनी धोती लेकर आ गये और बोलने का प्रयास करने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

आप अपने स्थान पर जाइये...

(व्यवधान)

कोई आपकी इस बारे में सूचना है ?

श्री यदुनाथ सिंह—

मेरी इसकी सूचना है, कार्य-स्थगन में है सन्त बख्श रावत के नाम से है ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने स्थान पर जाइये, मैंने इसको अस्वीकार किया है ।

(श्री यदुनाथ सिंह धोती फेंक कर अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

श्री शंकर सिंह जी, आप बाढ़ के बारे में बोलना चाहते हैं ?

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, प्रश्न यह है कि अभी माननीय बदन सिंह के प्रश्न पर हाउस में चर्चा हुई । आपका जो भी आदेश है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । सदन की परम्परा रही है । कि जिस माननीय सदस्य के सम्बन्ध में प्रकरण होता है उसको अवश्य यहां पर सुना जाता है । जिस वक्त माननीय बदन सिंह अपनी बात कहने के लिये खड़े हुये तो उनको समय नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । माननीय बदन सिंह को उस वक्त मौका दिया जायगा ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, आप उनको अवसर दे दें ताकि पूरी बात सामने आ जाय । उस वक्त जब वक्तव्य होगा, वह समय चाहेंगे और पूरी बात अभी सामने आ जाय तो सुविधा रहेगी । क्योंकि अभी पूरे तथ्य सामने नहीं आये हैं इसलिये आप माननीय बदन सिंह को आज्ञा दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

आपको याद होगा कि जब मैंने वक्तव्य के लिये इसको स्वीकार किया था तो माननीय बदन सिंह खड़े नहीं हुये । उसके बाद खड़े हुये। मैंने यह कहा था कि जब वक्तव्य आयेगा तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा । मैंने मद संख्या 27 ले लिया है । अब बाढ़ और सूखे के बारे में चर्चा होगी ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें अब हम आगे बढ़ चुके हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैंने नियम 56 में कोई प्रस्ताव नहीं दिया है लेकिन जैसा बदन सिंह का मामला है वैसे ही बंथरा का मामला है जिसे माननीय सदस्यों ने नियम 56 में दिया है । वहां पर लाठी चार्ज हुआ जिसमें जनता पार्टी और लोकदल के लोगों को मारा गया । आज भी लोग अस्पताल में हैं. जिनमें डा0 पी0 बोरा भी हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ जी, ने जो अपना प्रस्ताव दिया है, मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री बदन सिंह--

मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आपको मौका मिलेगा ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जिस घटना के विषय के यहां पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा गया उस पर अन्य नेतागण को सुन गया है। मेरे साथ यह घटना हुयी है । मुझे भी

सुनने के लिए समय दे दें । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । जो मेरे साथ घटना घटित हुयी है आप सुनने के लिए मौका दे दें । अगर आप मुझे संरक्षण नहीं देंगे तो मेरा संरक्षण कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय बदन सिंह जी, आपकी बात को मैंने सुन लिया । आपको मौका मिलेगा । आप बैठें ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप हमको लिखकर भेज दीजिएगा।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं केवल इतना आश्वासन चाहता हूं कि जिस दिन मंत्री जी का वक्तव्य आये उस दिन मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था आपने सुना नहीं ।

(शोर)

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह जो सूखे और बाढ़ के सम्बन्ध में....

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा । आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(श्री यदुनाथ सिंह अपना आसन छोड़कर आगे आ गये) ।

श्री अध्यक्ष--

पहले आप अपने स्थान पर जाइये ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, आपने शासन का ध्यान आकर्षित किया । पहले आप हमको सुन लेते । मैं आपको लिखता तब आप ध्यान आकर्षित करते ।

श्री अध्यक्ष--

जो हमारे नियम हैं, आज 21-21, 22-22 सूचनाएं नियम 56 के अन्तर्गत मुझे प्राप्त हुई, जब आप हमारे स्थान पर होते, तो आप क्या करते ?

(श्री यदुनाथ सिंह के पुनः खड़े होने पर) ।

श्री अध्यक्ष--

मैं खड़ा हूं, आप कृपया बैठिये । यह कोई तरीका नहीं है । माननीय यदुनाथ सिंह आप बैठ जाइये ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप एक मिनट सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए । यह बिलकुल गलत है । मैं खड़ा हूं । यह कोई तरीका नहीं है ।

माननीय यदुनाथ सिंह आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, एक मिनट की असेम्बली की कार्यवाही में 40 हजार रुपये और पार्लियामेंट में एक मिनट की कार्यवाही में 1 लाख 20 हजार रुपये खर्च होते हैं, इसकी अहमियत को मैं समझता हूं । फिर भी यह इतना अहम सवाल है कि यदि यह आज न उठाया जायगा, तो जिला लोकदल अध्यक्ष श्री शारदा प्रताप शुक्ला और भूतपूर्व विधायक श्री डी0 पी0 बोरा अस्पताल में दम तोड़ देंगे, तब सुनेंगे ? इसकी अविलम्बनीयता को देखते हुये राजधानी की नाक के नीचे की घटनायें होने के नाते कार्य-स्थगन के नियम के अनुसार आज ही इसको समय देना चाहिये । अतः जिस तरीके से हरिशंकर शुक्ला, थानाध्यक्ष, बंथरा इन लोगों से रंजिश रखता है, उसके पीछे राजा विजय कुमार त्रिपाठी, एम0 एल0 ए0 की साजिश है । अतः पुलिस की ओवर हालिंग करना अनिवार्य है । जिस तरीके से उ0 प्र0 में घटनायें घट रही हैं, यह बिल्कुल नहीं होनी चाहिये । अतएव तुरन्त थानाध्यक्ष, बंथरा का स्थानान्तरण करके न्यायिक जांच बैठाई जाय, जिसमें कम से कम हम लोग आमने-सामने सदन में बैठ सकें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री यदुनाथ सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । यह बिल्कुल नहीं लिखा जायगा ।

श्री यदुनाथ सिंह--

अच्छा मान्यवर, आपको धन्यवाद ।

(विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के हंसने पर) ।

नोट--(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य हंस रहे हैं । यह गलत तरीका है ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

हम लोग नियम 56 के अन्तर्गत 25-25, 26-26 सूचनाएं देते हैं । इस सरकार ने इतनी स्थिति बिगाड़ दी है कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमिततायें व्याप्त हैं । प्रशासन इनके कहने में नहीं हैं और यह सरकार पूरे तरीके से विफल है और पूरे पैमाने पर अत्याचार कर रही है । आपने हजारों बार निर्देश दिये हैं, लेकिन आपके आदेशों का पालन आपका प्रशासन नहीं करता है । हम लोग भी चुनकर आये हैं और हम लोग अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को यहां पर रखना चाहते हैं । मान्यवर, हम लोगों की सारी सूचनाएं अविलम्बनीय और लोक महत्व की रहती हैं । सभी सूचनाएं जो प्राप्त हुई हैं प्रदेश के हिसाब से वर्तमान समस्या जो इस शासन की विफलता के कारण पैदा हो गई है, उसके सम्बन्ध में लोकमहत्व की और अविलम्बनीय है । हम लोग भी चुनकर आते हैं, जन-प्रतिनिधि हैं । अगर हमको हम जिस उद्देश्य के लिए आते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर आते हैं, उसके लिये अवसर नहीं मिलेगा तो जो सरकार का निकम्मापन है, उसको हम कहां कहेंगे। आप नेताओं की बैठक करके 3 के स्थान पर 10 करें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लोग तय कर लें । मैं तो नेताओं की बैठक बुलाने की बात कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकता हूं। जहां तक सूचना का प्रश्न है, हर सूचना उस माननीय सदस्य के अनुसार महत्वपूर्ण होती है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

आप हम लोगों के अध्यक्ष हैं। इस पक्ष के अधिकारों और कर्त्तव्यों का संरक्षण आपको करना है। जो हम सदस्य लोग सूचना नियम 56 में नियम के अन्तर्गत देते हैं। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों की सूचना प्रदेश की जो बिगड़ती हालत है, सारे विभाग की जो हालत है, जो घटनायें रोज घटती हैं, जिससे जनता परेशान है, दुखी है, उससे संबंधित है और सभी लोक महत्व की है। आप सदन में तीन को स्वीकार करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। आपने जो भी निर्देश सरकार को पिछले बार दिये हैं, आपके हजारों निर्देश के बाद भी यह सरकार आपके निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं। जब तक आप अपने निदेशों में कड़ाई नहीं करेंगे तब तक नियम 56 में सूचनायें और आयेगी।

श्री अध्यक्ष--

बाढ़ सूखों पर 2 घंटे की चर्चा है, सप्लीमेन्टरी पड़ा हुआ है। आप बैठे आपकी बात मैंने सुन लिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

महत्वपूर्ण सूचना के बारे में आप बतायें हम लोग....

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप निम--

सहारनपुर में 2-3 सौ लोग प्रति दिन....

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राम स्वरूप निम--

(× × ×)

श्री मित्रसेन--

(× × ×)

श्री अध्यक्ष--

बिना अज्ञा के बोल रहे हैं। एक भी शब्द नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें।

श्री मित्रसेन--

पहले यह व्यवस्था थी कि नियम 56 में जो सूचनायें आती थी चाहे आप उन्हें स्वीकार करते थे या अस्वीकार लेकिन दो मिनट सुन लेते थे।

श्री मुख्तार अनीस--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि बाढ़ और सूखे पर आपको चर्चा कराना था आधा घंटा समय बर्बाद हो गया....

श्री अध्यक्ष--

आप अपने माननीय सदस्य को समझाइये मुझसे क्या कह रहे हैं?

श्री मुख्तार अनीस--

मैं आपको समझा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

जो आपके अनुशासित सदस्य हैं उनकी नियम 56 की सूचना चाहे जितनी गम्भीर हो....

नोट--(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैंने पटल कार्यालय में नियम 56 की सूचना नम्बर-8 पर दी थी । मैं स्वयं देने गया था । मान्यवर, जो माननीय सदस्य आपके अनुशासित हैं जो गम्भीर घटना की सूचना देते हैं उनकी उपेक्षा कर दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कक्ष में आकर निर्णय कर दीजिएगा कि कौन-कौन सी सूचनाओं को मैं स्वीकृत कर दूं ।

प्रदेश में बाढ़ एवं सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (क्रमागत)†

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, हमारा जनपद प्रतापगढ़ है । अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितम्बर के प्रथम हफ्ते में वर्षा हुई, जिससे स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन शुरू-शुरू में भयंकर रूप से सूखा पड़ रहा था । पूरे जून, पूरे जुलाई तथा पूरे अगस्त तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई ।

(इस समय 2 बज कर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए ।)

जिससे भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी । गेस्टो, कालरा के बहुत से केसेज हुए जिससे बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । सूखे का यह असर रहा कि 50 फीसदी धान की बुआई नहीं हो सकी, जो फसल लगी हुई थी उसकी रोपाई नहीं हो सकी, जिस कारण उसे जानवरों को खिला दिया गया, इस तरह की मान्यवर स्थिति रही । ऐसी स्थिति से सारा जनपद प्रभावित हुआ । नहरों में भी पानी नहीं आया था खासतौर से नहरों में जो माइनर हैं, उनमें पानी नहीं है । जो बड़ी नहरें हैं उनमें तब पानी आता है लेकिन जो बड़ी नहरों से छोटी नहरें निकाली गयी हैं उनमें पानी नहीं आया । इससे नतीजा यह हुआ कि धान की जो पैदावार है उसमें 50 फीसदी का नुकसान हुआ है । जब कि दूसरी फसलें बाजरा आदि कुछ बेहतर हैं । यह स्थिति पूरे जिले में रही है ।

अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितम्बर के पहले हफ्ते में जो बरसात हुई उससे जो छोटे-छोटे दरिया हैं उनमें बाढ़ आई है । मान्यवर, दो दरिया हमारे जनपद में हैं । एक तो सई नदी और दूसरी बकुलाही नदी । यह भयंकर रूप धारण किए हुए है बकुलाही नदी 100 सवा सौ किलोमीटर है जो पूरे जनपद के आधे हिस्से के बीच से जाती है । जिसमें बाढ़ आने से सदर तहसील और कुन्डा तहसील का काफी हिस्सा प्रभावित हो गया है । बहुत से मकान गिर पड़े हैं । राहत कार्य में मुझे नहीं मालूम क्या दिया गया है । मैं आशा करता हूं कि काफी राहत अनुदान और छूट आदि इस क्षेत्र में मिलनी चाहिए । कुछ ऐसे काम शुरू करने चाहिए जैसे वृक्षारोपण आदि हैं जिससे लोगों को काम मिल सके और जो लोग सूखे से प्रभावित हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है उनको काम मिल सके । यहां कुदरत की ऐसी मर्जी रही कि बरसात हो गई । अगस्त, सितम्बर में वर्षा होने से जो भयंकर स्थिति उत्पन्न होने का अन्देशा था, वह रुक गयी ।

सारा जिला एक समय बाढ़ की चपेट में रहा और बाकी जिले का

---

†दिनांक 11 सितम्बर, 1984 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकांश सई और बकुलाही नदी की बाढ़ की चपेट म रहा । अतः हमारे यहां बाढ़ और सूखा दोनों की स्थिति है । इसलिये गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । हमारे जिले के अधिकारी बराबर सूखे और बाढ़ के सम्बन्ध में मीटिंग करते रहे और स्थिति पर नजर रखे रहे । जो बाढ़ के क्षेत्र रहे वहां नाव का प्रबन्ध किया गया और कुछ संस्थाओं को यह हिदायत दी गयी कि उन क्षेत्रों की जरूरियात पूरी की जायं । लेकिन इसके बावजूद यह एक दैवी प्रकोप है । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने अपने कथन में प्रतापगढ़ का नाम नहीं लिया कि उसको कितनी रकम दी गयी और वहां के लिये क्या-क्या किया गया । मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे, जिससे कि वहां टेस्ट वर्क हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि यह विषय बहुत गम्भीर है और इस पर ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । अतः आप लोग 5-5 मिनट में ही समाप्त कर दें ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं बाढ़ के ऊपर अपनी बातें शुरू कर रहा हूं इस मुबारकबाद के साथ कि जो मंत्रिमंडल बाढ़ के साथ बह गया, उसमें आगे बैठने वाले लोग पीछे चले गये और पीछे वाले आगे आ गये, लेकिन बाढ़ से सम्बन्धित मन्त्री लोग अपनी जगह बदस्तूर हैं । सिंचाई मन्त्री और रिलीफ मन्त्री दोनों अपनी जगह बदस्तूर हैं । श्रीमन, 33 जिलों में बाढ़ है । दो बार बाढ़ आयी । इन दो बाढ़ों के बीच में सूखे का प्रभाव हो गया । हमें अफसोस इस बात का है कि हर साल बाढ़ के ऊपर बहस होती है और हर जिले में जो कमेटी बनी हुई है वहां भी इसके बारे में मीटिंग होती है और जो जिले की आवश्यकताएं हैं उन पर विचार होता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब अगर पिछले 20 साल का पुराना रिकार्ड देखा जाय विधान सभा का जिसमें बाढ़ पर चर्चा हुई हो तो पता चलेगा कि केवल उसी समय सुझाव आते हैं बाढ़ के बारे में लेकिन उन सुझावों पर लांग टर्म्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । हर साल बाढ़ आती है और यह परेशानी सामने आ जाती है । माननीय मुख्य मन्त्री जी अपनी पालिटिकल बाढ़ का इन्तजाम करने में लगे हैं, वे पहाड़ के रहने वाले हैं, वहां बाढ़ नहीं आती । जब बाढ़ आती है तो बार-बार सुझाव आता है कि तमाम प्रदेश की नदियों में जो सिल्ट जमा हो गया है और वे ऊंची हो गयी हैं, उनको गहरा किया जाय, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ । जो रिलीफ की बात माननीय मन्त्री जी कहते हैं तो हमको ऐसा मालूम होता है कि बाढ़ भी अब कर्मचारियों की आमदनी का साधन बन गया है । वे भगवान से दुआ मांगते हैं कि बाढ़ आ जाय सूखा आ जाय तो रिलीफ के नाम पर कुछ पैसा आ जायगा और उसमें उनका भी कुछ हिस्सा हो जायगा ।

मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी नोट करें । हमारी मुरादाबाद तहसील में आपने रिलीफ में जो पैसा भेजा है उसमें एक गांव है अटमपुरा जो माडापांडे क्षेत्र में है । इसको 7,800 रुपये दिये गये हैं । लेकिन वहां अटमपुरा नाम का कोई गांव ही नहीं है ।

गदियाखेड़ा में 10-5 लोग रहते हैं, उनको आपने रिलीफ दे दी । पदियानाला में आपने 7,500 रुपए की रिलीफ दे दी । एक-एक किसान को 100 रुपए रिलीफ दे दी गई, किन्तु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके पास तक पैसा पहुंचने तक पटवारी महोदय और कानूनगो महोदय ने उनसे पहले ही 50 रुपए ले लिये। करैया-नंगला में आपने 8,200 रुपए की रिलीफ दे दी। यदि हम प्रत्येक किसान को 100 रुपए रिलीफ भी दें, तो उस हिसाब से वहां पर 82 परिवार होने चाहिए, किन्तु वहां पर केवल 18 परिवार हैं। और इन 18 परिवारों में आपने 8,200 रुपये रिलीफ के रूप में दे दिये। हर साल जो बाढ़ या सूखा आता है, यह सरकारी कर्मचारियों व तहसीलदारों के लिए आय का एक स्रोत बन जाता है।

मान्यवर, अब आप फ्लड कन्ट्रोल को ही ले लें। हमारे यहां रामगंगा की धार गंगा नदी में मिल गई है। हर साल फ्लड कन्ट्रोल के तहत इस धार को बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है, यह कहा जाय कि 3 साल से लगातार प्रयास हो रहा है, परन्तु हर साल जब भी बाढ़ आती है तो जो 2 मीटर जगह होती थी, वह 200 मीटर हो जाती है। आज तक उस धार को बन्द नहीं कर पाये हैं। एक दिन बाढ़ के लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि जरा हमारे साथ चलकर देख लीजिए। इस पर मैंने उनसे कहा कि क्या चीज देख लूं, क्या धार बन्द हो गयी है? इस पर उन्होंने कहा कि साहब वह तो बह गयी है। इस पर मैंने उनसे कहा कि तो फिर मैं वहां जाकर क्या देखूं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास देख लीजिए। मैंने कहा कि क्या प्रयास देख लिया जाय, इस पर उन्होंने कहा कि जो पैसा इस पर खर्च के लिए मिला था, उसे हमने खा लिया है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। सप्लीमेन्टरी बजट में आपने 8 करोड़ रुपये बाढ़ व सूखे से राहत पहुंचाने के लिए रखे हैं। आपके 33 जिलों में जहां बाढ़ आयी हुई है, और जिस प्रदेश में शारदा, गण्डक, रामगंगा, गंगा, जमुना, घाघरा व राप्ती जैसी बड़ी-बड़ी नदियां हों, वहां जो आपने यह 8 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि इस 8 करोड़ में से 6 करोड़ रुपए आपके इरीगेशन के अधिकारी व कर्मचारी खा जायेंगे। आप हमें एक भी ऐसी जगह बता दें जहां आपने फ्लड को रोकने के लिए काम किया हो, किन्तु वहां दूसरे साल बाढ़ न आयी हो। चाहे वह बलिया हो, बस्ती हो या गोरखपुर हो। हर साल यही दास्तान इस विधान सभा में रिपीट होती है। आज सोचने की बात यह है कि यदि आप बाढ़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो व्यापक योजना बनानी होगी। इसके लिए आपको एक साथ 100 करोड़ रुपए की योजना बनानी होगी, जिससे 2-3 बड़ी नदियों में बाढ़ नियंत्रण का कार्य किया जा सके। यदि आप ऐसा करेंगे तो तभी बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इस प्रकार 8-8 करोड़ रुपए का प्राविधान करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चूंकि हर साल विधान सभा में इसी बाढ़ व सूखे पर चर्चा होती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विभीषिका से प्रदेश की रक्षा की जाय। यह तीन महीने वाली रिलीफ का देना हमारी समझ में नहीं आता। तीन माह बाद बच्चों के गार्जियन बच्चों की फीस कहां से ले आयेंगे जबकि उसकी सारी फसलें नष्ट हो गयीं हैं बाढ़ या सूखे के कारण तो यह बात हमारी समझ में नहीं आती है और मेरे ख्याल से यह रिलीफ अगले साल एक महीने की कर दी जायेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका हल यह नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो हर साल बाढ़ आयेगी ही इस पर काबू पाने के लिए लांग टर्म प्रोग्राम्स बनने चाहिए और कर्मचारियों व अधिकारियों को इसके लिए सचेत करना चाहिए वह इसमें आमदनी का जरिया न बनायें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं।

*श्रीमती किशोरी शुक्ला--

मान्यवर, आपने मुझे बाढ़ की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । मान्यवर, गोरखपुर जिला राप्ती और रोहड़ी से भी प्रभावित है और यह जिला मानी राम, सहजनवा कोड़ी राम, धुरियापार चिल्लूपार आदि तीनों ओर से नदियों से घिरा हुआ है । हमारे विधान सभा के एक ब्लाक को छोड़कर तीन ब्लाक सम्पूर्ण रूप से बाढ़ से घिरे हुए हैं, वहां की जनता इससे त्रस्त है । वहां तमाम खेत व घर आदि सब कुछ हर साल बहकर नष्ट हो जाता है । साथ ही, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की वितरण व्यवस्था बहुत ठीक चल रही है । प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं, आधा किलो नमक, पर परिवार एक लीटर मिट्टी का तेल और एक दिया सलाई आदि दी जा रही है । हमारे क्षेत्र गाहांसाढ़, करतहरी और जगदीशपुर आदि ऐसे पचीसों गांव हैं जहां पर नावें चलती हैं और आंगन तक में पानी भर जाता है, जिससे वहां के लोगों का जन-जीवन बहुत ही तबाह हो जाता है, इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे लोगों के लिए कपड़े की भी व्यवस्था की जाए । साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र जंगल कौड़िय ब्लाक में 10 हजार लोग निर्बल वर्ग के रहते हैं, वहां पर नेतवर तक तो ठोकर लगा दिया गया है, लेकिन उसके आगे ठोकर नहीं लग सका है, इस कारण जगदीशपुर गांव पूरी तरह से कट गया है, जिससे वहां के लोगों को अब कहीं पर बसाने की समस्या उत्पन्न हो गयी है, इसलिए निवेदन करूंगी कि इनको बसाने के लिए कोई व्यवस्था की जाए ।

इस तरह तो जहां-जहां बाढ़ आयी है, सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं लेकिन सहजनवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, वहां पर लोगों को मकान बनाने के लिए साढ़े चार हजार रु0 देने की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है जो बहुत कम है इसमें मकान नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए कम से कम 10 हजार रु0 दिया जाए ताकि उनके मकान बन सकें । साथ ही मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बस्ती बिलौली बांध की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिससे हमारे दो ब्लाक प्रभावित होते हैं क्योंकि यह बांध हर साल कटता है और हर साल लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है इसलिए इस ओर कोई प्रभावी कदम उठाये जाएं । साथ ही, मान्यवर यह भी कहना चाहूंगी कि रु0 28 हजार वर्ष 1982-83 में श्री बी0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा फर्जी भुगतान करवा लिया गया है और मस्टर रोल में ऐसे लोगों के नाम हैं जो सन् 77 में मर भी चुके हैं । इसलिये इस सिलसिले में मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि इस सहायक अभियन्ता को तत्काल निलम्बित किया जाए ।

ऐसे क्षेत्रों में, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, वहां की लगान की वसूली रोकी जाय । इसके अतिरिक्त वहां पर जो बच्चे अध्ययनरत हैं, उनकी फीस माफी के लिये बाढ़ के समय ही आदेश भेज दिये जायं। अभी उस पक्ष के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि फीस माफी बाद में दी जाती है और उस समय तक वे भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं । इसलिए चाहूंगी कि समय से फीस माफी के आदेश भेजे जाने चाहिए ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ एवं सूखे की चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं कल से बड़ा प्रयास कर रही थी कि मुझे भी अवसर मिल सके, आपके कुर्सी पर बैठते ही मुझे इसका अवसर मिला, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं । मान्यवर, जहां पूर्वी जिलों में बाढ़ है, वहीं पश्चिमी जिलों में सूखा है । मान्यवर, पूर्वी जिलों में बलिया, आजमगढ़, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर यह सभी जिले बाढ़ से पीड़ित हैं । और, इनमें अधिकांशतः ऐसे हैं, जिनमें हर साल बाढ़ की विनाश लीला होती है । मान्यवर, गोरखपुर जिले की जनता वहां की बाढ़ से कराह रही है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जनपद गोरखपुर और अपने निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम की ओर ले जाना चाहती हूं । मान्यवर, जब बाढ़ आती है, तो हमारे माननीय मंत्रीगण हेलीकाप्टर से उसको देखने जाते हैं, लेकिन होता क्या है, उससे सभी लोग परिचित हैं । अभी हाल ही में हमारे शासन के माननीय सिंचाई मंत्री जी हेलीकाप्टर से वहां गये थे और हेलीकाप्टर से उतर कर उन्होंने वहां की स्थिति को देखा था । मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी जनता के बीच आकर जनता को यह आश्वासन देते हैं कि यह बंधा पूरा हो जायेगा, लेकिन मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 1977 में कौड़ी राम से हमारा बंधा और मलोली बांध बन रहा है, लेकिन पूरा नहीं होता है । बाढ़ आती है, मंत्री जी आश्वासन देकर आ जाते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं । मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी जो आदेश देकर आते हैं, उनका पालन क्यों नहीं होता है, वह आदेश कहां चले जाते हैं ? मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि उनके आदेशों का पालन विभागीय अधिकारी लोग नहीं करते हैं । मान्यवर, जब इस साल अभी हमारे क्षेत्र में सहगोरा बांध टूट गया, उसकी वजह से तमाम आस पास के क्षेत्र में विनाश लीला व्याप्त हो गयी । मैं एक-एक घर नाव से गयी और वहां की स्थिति को देखा । मान्यवर, सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गये हैं, लोग बेघर हो गये हैं ।

हर साल मान्यवर, माननीय मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि इस बांध को हम पूरा कर देंगे, सिंचाई विभाग के अधिकारी कहते हैं कि पूरा कर देंगे, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों रहती है । बांध पूरा न होने से इस स्थिति में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है । हमारे निर्वाचन क्षेत्र कोड़ी राम में तीन बाढ़ एरिया है, वहां 200 घर ऐसे हैं जो कि पानी से डूबे रहते हैं, लोग नाव से निकलते हैं, उनकी क्या दशा होती होगी । मान्यवर, कल हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी कह रहे थे कि राहत कार्यों के लिये निर्देश दिये गये हैं । मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी तक बाढ़ आयी, चली गयी, आज भी बाढ़ आ रही है, जनता कराह रही है, लेकिन अधिकारीगण मात्र दिखावा कर रहे हैं । वहां की जनता भूखों मर रही है । सरकार की तरफ से कोई खाद्य सामग्री नहीं बांटी गयी । वहां पर एक शशिभूषण नायब तहसीलदार हैं, वह गेहूं बांटते समय रंगे हाथों पकड़ा गया । पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो जिलाधिकारी का टेलीफोन आया कि उसे छोड़ दिया जाय । उसको छोड़ दिया गया । ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए था, लेकिन वह निलम्बित नहीं हुआ ।

इसी तरह वर्ष 1983 में हमारे क्षेत्र में 90 कम्बल मिले थे बांटने के लिए लेकिन शशिभूषण ने उन 90 कम्बलों को सही ढंग से वितरित नहीं किया । सारे कम्बल उठाकर रख लिए । माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल निलम्बित कर देना चाहिए। 200 गांव पानी से घिरे हैं, उनको खाद्य सामग्री का दिया जाना मात्र कागज पर दिखाया गया है। वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में जो सीपेज है, जल भराव है, उसकी समुचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, पुनः धन्यवाद देती हूं।

*प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने प्रदेश में बाढ़ और सूखे की चर्चा के सम्बन्ध में मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया।

सूखे और बाढ़ का अगर सही उदाहरण देखना है प्रदेश में तो आपको बुन्देलखंड की ओर देखना होगा। वहां अगस्त तक सूखे की स्थिति रही और उसके बाद बाढ़ आ गयी। बाढ़ आ जाने से क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। मेरा एक सुझाव यह था कि जिस तरह प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना, जिसको "ड्राट एरिया" प्रोग्राम कहते हैं, चलती है, लेकिन जब बाढ़ आती है, तब उस पर चर्चा हो जाती है, बाढ़ के चले जाने के बाद सारी चर्चा समाप्त हो जाती है। उसके लिये मेरा सुझाव था कि ऐसा फ्लड एरिया प्रोग्राम चलाया जाय, ऐसे क्षेत्र जो प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनके लिये ऐसा कार्यक्रम बनाया जाय, धन आबंटित किया जाय कि उससे सम्बन्धित योजनाओं पर कार्यक्रम वर्ष भर चलता रहे, तो ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरे, मैंने इस सम्बन्ध में यह महसूस किया है कि नदियों में जो बांध बने हुए हैं, उनमें जब बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो यह जानकारी नहीं है सिंचाई विभाग में कि अगर हम इन बांधों का एक साथ पानी छोड़ते हैं तो कितना पानी नदियों में आ जाएगा और उसके समीप बसे नगरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गत वर्ष बुन्देलखण्ड में हमीरपुर जिला बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित था क्योंकि बेतवा नदी पर बने माताटीला बांध से पानी छोड़ दिया गया था। और उसने भी नागरिकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इसके लिए निश्चितरूप से अध्ययन किया जाना चाहिए कि यह पानी कैसे छोड़ा जाय। पानी छोड़ने के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक साथ पानी न छोड़ा जाय, तभी उसका लाभ मिल सकेगा।

मान्यवर, मैं बुन्देलखंड के बांदा जनपद से आता हूं जहां कि केन नदी के द्वारा सदैव बाढ़ आती है। मैंने पिछले वर्षों में भी बड़ा प्रयास किया और माननीय सिंचाई मंत्री जी के सहयोग से एक "निम्न नाला फंड प्रोटेक्शन स्कीम" नामक योजना का आरम्भ किया। लेकिन यह योजना शासन के द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद भी, इसके लिए धन भी स्वीकृत हो गया था परन्तु आज उस बात के दो साल व्यतीत हो गये और इस योजना पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि इसमें कार्यवाही होनी चाहिए।

बुन्देलखंड में बाढ़ से बचाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। उस मास्टर प्लान में, एक निश्चित समय की अवधि में उसको पूरा कराया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त .... ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, प्रदेश में बाढ़ और सूखे की आपदायें तो आती ही रहती हैं तो आज मैं आपके माध्यम से बाढ़ सूखा के सम्बन्ध में दो-तीन बिन्दुओं पर शासन का ध्या

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आकर्षित करना चाहता हूं । होता यह है कि जब प्रदेश में बाढ़ आती है तो उस दौर में कुछ लोग उससे नुकसान उठाते हैं और कुछ उससे लाभ लेने का प्रयत्न करते हैं । इस समय जो बाढ़ आयी, सूखा आया उससे केवल दो ही व्यक्ति अधिक प्रभावित हुए । एक हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री श्री तिवारी जी तथा दूसरे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मिश्र जी जो कि सूखे से प्रभावित हो गए और श्री तिवारी जी जो दिल्ली से बाढ़ चली तो उसकी चपेट में आ गए ।

श्री अधिष्ठाता—

आप राजधानी तक न जायं केवल अपन क्षेत्र और जिले का ही ध्यान रखें ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मैं वही कह रहा हूं कि ठीक इसी प्रकार से हमारे प्रदेश की जनता को बाढ़ से बहुत हानि उठानी पड़ी है । जब प्रदेश में बाढ़ आती है तो सरकार की ओर से धन आवंटित कर लिया जाता है बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए । लेकिन इस सम्बन्ध में जो सी योजनाएं चलायी जाती हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी उसे लागू नहीं करते हैं ।

मैं फैजाबाद जनपद के दांडा निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं । हमारे क्षेत्र में दो-तीन जगहें बाढ़ से प्रभावित रहीं जैसे दांडा कस्बा, राजबाढ, करमपुर-बासांवा, नंपुरा, आसीपुर, डुडियां मांझा, उल्टहवा, मांझा कलां तथा मांझां चिन्तौरा । इन सब जगहों पर काफी पानी भरा रहा और लोग पानी में डूबे रहे । उस समय पानी में डूबे हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो राशन, दियासलाई और नमक दिया गया वह केवल दिखावा मात्र था । लोग उससे कोई राहत नहीं महसूस करते हैं । सरकार को चाहिए कि बाढ़ के दौर के लिए वह पहले से ही प्लानिंग करके बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का कार्यक्रम तैयार कर ले । लेकिन होता यह है कि जब बाढ़ आ जाती है तो फिर सहायता पहुंचाने के लिए रूप-रेखा तैयार की जाती है और उस रूप रेखा के बनते-बनते बाढ़ समाप्त भी हो जाती है और प्रदेश का पैसा ठीक प्रकार से बाढ़ पीड़ितों पर खर्च नहीं हो पाता है ।

होना यह चाहिए कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आयी हो, वहां के जनप्रतिनिधियों से राय लेकर उस क्षेत्र में राहत की सामग्री पहुंचायी जाय लेकिन होता यह है कि माननीय सदस्यों से अधिकारी लोग कोई सम्पर्क नहीं स्थापित करते हैं और मनमाने तरीके से धन का दुरुपयोग करते हैं और अपना कमीशन लेकर वापस चले जाते हैं और सरकारी आंकड़े दे दिया कि राहत कार्य किया गया । इस कार्य में बहुत ही दुर्व्यवस्था फैली हुई है । हमारे सिंचाई मंत्री जी हैं, बहुत तेज हैं, यह भी बाढ़ से काफी प्रभावित हो जाते हैं । इनको बाढ़ के दौरान पैसा मिलता है । जो पैसा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दिया जाता है वह मंत्री जी जनता के बीच नहीं पहुंचा देते हैं, चन्दा के रूप में उसका प्रयोग कांग्रेस पार्टी में किया जाता है, जिससे चुनाव में उनको फायदा पहुंचे जहां पर बाढ़ आती है और राहत का कार्य किया जाता है, वहां पर डोक और मुकम्मल जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए । राहत की सामग्री बांटी ही नहीं ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

थोड़ी देर में व्यवस्था का प्रश्न उठा लीजिएगा । मैंने श्री सीमांश प्रकाश जी को बुला लिया है ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

बाढ़ और सूखे पर चर्चा हो रही है, लेकिन न सिंचाई मंत्री जी हैं और न राज्य सिंचाई मंत्री जी ही हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

राजस्व मंत्री हैं। आपकी हर बात नोट की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं। यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस समय आपने कह दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। कृपा कर आप व्यवस्था दे दें। इस समय जितने भी मंत्री बैठे हैं, इरीगेशन और फ्लड कन्ट्रोल से सम्बन्धित बातों को कोई नहीं नोट कर रहा है। रिलीफ के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी नोट कर रहे हैं। सिंचाई और बाढ़ के बारे में कोई नहीं नोट कर रहा है। किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

श्री अधिष्ठाता—

संसदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित हैं। ज्वाइंट रिसपान्सिबिलिटी है। स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, तब आपको क्या परेशानी है?

* श्री सोनांश प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ और सूखा की चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, अभी तक बाढ़ के बारे में चर्चा हो रही थी और लोग अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन मैं सूखे के बारे में कहना चाहता हूं। पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर मुजफ्फरनगर सूखे की चपेट में आ गया है, इतना जबरदस्त सूखा है जिसका कुछ ठिकाना नहीं है। इस कदर सूखे से फसल को नुकसान हुआ है, बिजली समय से नहीं मिल पाती है, वह केवल 2-4 घन्टे ही मिलती है जिसके कारण निजी नलकूप वाले किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। जानसठ, कैराना और बुढाना तीनों तहसीलें सूखे से प्रभावित हैं और फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं, धान और मक्का की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि तीनों तहसीलों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कैराना तहसील में गेहूं 741 हेक्टेयर धान का क्षेत्रफल था, जिसमें से 35-55 प्रतिशत नुकसान हुआ है। गन्ने का 10 हजार हेक्टेयर का क्षेत्रफल था जिसमें से 30 से 50 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। मक्का का 1531 हेक्टेयर क्षेत्रफल था जिसमें से 25-35 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। चारा 4572 हेक्टेयर में था जिसमें से 30 से 50 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

इसी प्रकार से बुढ़ाना और जानसठ तहसीलों में भी नुकसान हुआ है। यह सूचना शासन के पास आयी है। मेरा निवेदन है कि जो वसूली है उसको स्थगित कर दिया जाये। वह वसूली चाहे किसी तरह की हो, उसको रोकने के तुरन्त आदेश होने चाहिए। इस वक्त थोड़ी सी वर्षा वहां हुई है लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ है एक पुरानी कहावत है "का वर्षा जब कृषि सुखानी"। इस वर्षा से कृषकों को कोई लाभ नहीं मिला है, हमारी एक मांग यह भी है कि किसी तरह से भी हमारे जनपद को लगभग 12 घन्टे बिजली जरूर मिलनी चाहिए। यदि हमारे यहां इतनी बिजली नहीं मिलेगी तो जो नुकसान सूखे से हमारे किसानों को हुआ है उसे वह पूरा नहीं कर पायेंगे। इसी तरह से हमारा निवेदन है कि जो हमारे लघु कृषक हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो किसान हैं उन्हें अनुदान के रूप में यहां से पैसा मंजूर होना चाहिए, जिससे हमारे जनपद को सूखे से पूरी तरह से राहत मिल सके। हमारे यहां ऊन और थानाभवन ब्लाकों के कई गांव इससे प्रभावित हुये हैं। 15-20 गांव थानाभवन में और 30-40 गांव ऊन ब्लाक में सूखे की स्थिति से त्रस्त हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए मेरी मांग है कि वहां अधिक से अधिक अनुदान और सहायता दी जाय ।

*श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । साथ ही माननीय सिंचाई मंत्री जी को और माननीय राजस्व मंत्री जी को भी धन्यवाद इसलिये देता हूं कि वे इस समय यहां पर मौजूद हैं । मान्यवर, सीतापुर और लखीमपुर ऐसे जिले हैं जिनके बारे में यहां पर सूखे और बाढ़ पर चर्चा नहीं होती । सीतापुर का आधा हिस्सा सूखे में रहता है और आधे हिस्से में बाढ़ आती है । पिछले दिनों किवानी, चांका, घाघरा और शारदा नदियां में बाढ़ आयी । यह बड़े अफसोस की बात है कि जब बाढ़ को रोकने के लिये धन का वितरण होता है तो उसमें माननीय सिंचाई मंत्री जी पक्षपात करते हैं, क्षेत्रवाद चलाते हैं । पिछले दिनों अनेकों बार उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में मीटिंग्स कीं । दूसरे मंडलों में मीटिंग्स की लेकिन लखनऊ मंडल की मीटिंग करने के लिये उन्हें फुरसत नहीं मिली । वे केवल अरुण नेहरू से ही बात करते हैं । सिर्फ अपना भला हो जाय । वहां पर सीपेज की समस्या भी सामने आयी । सारे आपके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने सारा पानी किवानी नदी में डालना शुरू कर दिया और यह कहा कि इस नदी का जो धरातल है, वह ऊंचा है । लेकिन मान्यवर यह नदी ऐसी नहीं है । इस नदी में निरन्तर बाढ़ आती रहती है । चाहे वहां बाढ़ आए या न आए, सूखा पड़े या न पड़े यहां पर उस नदी में निरन्तर बाढ़ आती है ।

घाघरा और शारदा ये जो दो नदियां हैं इनकी स्थिति बहुत विषम है । हम कई सालों से यह कहते आ रहे हैं कि इनका सर्वे करा लिया जाय और इनमें एक बंधा बना लिया जाय उसके लिए एक प्रस्ताव भी यहां पर आया था । उसकी जांच भी हुई थी किन्तु उसके बारे में कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई । बराबर कहा जा रहा है कि ऐरा ब्रिज से चेरानीघाट तक बंधा यदि नहीं बनाया जायेगा तो वहां के लगभग 7 लाख लोग पानी में डूब जायेंगे । इन दोनों क्षेत्रों के बीच में 10 लाख की आबादी है, वे डूब रहे हैं जो इंजीनियर है, वे कुछ नहीं करते हैं । इन नदियों में फफोले उठते हैं और अपने आप पानी नीचे से ऊपर आ जाता है ।

हुबलीपुर एक गांव है वहां की जमीन ऐसी है कि उसमें पानी को सोखने की क्षमता ही कम हो गई है । इसके लिये मान्यवर, मैं 3–4 सुझाव आपके माध्यम से मंत्री जी को देना चाहूंगा । एक तो यह कि जो सारा इलाका पानी में डूबा हुआ है वहां आप ऐसे पेड़ लगायें जो कि पानी को सोखने वाले हों दूसरे बोरिंग करके ट्यूबवेल लगायें जांय और नदियों को गहरा किया जाय । साथ ही बंधा बनवाने के बारे में जो जांच हुई थी, उसकी रिपोर्ट मंगा ली जाय । यदि आप वहां पर बंधा नहीं बनाते हैं तो वहां का सारा इलाका पानी में डूबा रहेगा । लोग भूखे मरेंगे । वाटर लौगिंग की समस्या सीतापुर जिले में इतनी है कि प्रदेश के किसी जिले में उतनी नहीं है । आप समझिये कि 4, 5 सौ एकड़ जमीन जो खेती योग्य थी आज पानी में डूबी हुई है । माननीय मंत्री जी को तमाम बातों के लिए अवसर हैं पोलिटिकल मैन्यो–वरिंग के लिए वे हर हफ्ते दिल्ली चले जाते हैं । आप सीतापुर आकर कभी देखिये कि वहां क्या हालत है अपने इंजीनियरों को साथ लेकर आइये तो मालूम होगा कि क्या समस्या है ? आपने एक श्री शेर सिंह आपके हैं उनको लगा दिया है लेकिन समस्या जहां की तहां है । किवानी नदी का पानी भरने से वहां समस्या पैदा हो गयी है । आप लखनऊ मंडल के विधायकों को बुला कर उनसे बात करिये और जो आपने कार्य किये हैं उनकी प्रगति बता–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इये और आगे के लिये आप क्या करने जा रहे हैं। ऐसा आपने कभी किया नहीं है हमारा इलाका आज बहुत पीछे है वहां कोई प्रगति नहीं हुई है। अब चुनाव आने वाले हैं तो आपके सारे बैलेट पेपर उस पानी में डूब जायेंगे।

* श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके जरिये से सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 30, 35 वर्षों में आंकड़े देखे जायं कि बाढ़ में कितनी कमी हुई है और राहत कार्यों में जो रुपया खर्च होता है वह कितना हुआ है तो उससे मालूम हो जायेगा कि क्या स्थिति है। अगर हर साल बाढ़ के लिए जो रुपया दिया जाता है और राहत कार्यों में कमी आई है तो इससे मालूम होगा कि बाढ़ में कमी आई है लेकिन यह रुपया बढ़ता जा रहा है तो इसके माने हैं कि बाढ़ बढ़ी है। यह भी उसमें देखने की बात है कि जो रुपया आप बाढ़ और सूखे के लिए देते हैं वह उन लोगों तक पहुंचता है या नहीं। यह सही है कि वह रुपया उन तक पहुंचता नहीं है। बाढ़ और सूखा वाकई में आफिसरों के लिए आती है। जिनके लिए यह रुपया दिया जाता है अगर उनको यह रुपया पहुंचा होता तो वाकई में उनका स्तर ऊंचा हुआ होता और हर साल बाढ़ और राहत कार्यों के बजट में कमी हुई होती। यह रुपया सिर्फ आफिसरों के लिए खर्च होता है जो केवल आंकड़ों से हमें साबित करते हैं। अब वह जमाना गया जब आंकड़ों से सूखा साबित होते थे। यह जो बाढ़ रोकने के लिए हर साल रुपया खर्च होता है उस पर आप जरा गौर कीजिए कि उसका क्या असर हुआ है। अगर हर साल राहत के लिए रुपया कम देते हैं तो इससे मालूम होगा कि बाढ़ में कमी हुई है। हर साल बाढ़ बढ़ती चली जाती है और यहां चर्चा के रूप में चलती रहती है और हम जहां पहले थे उससे भी नीचे पहुंच गये हैं। इन शब्दों के साथ में आपका आभार प्रकट करता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फखरे आलम--

(श्री लल्लू सिंह चौहान का नाम पुकारने पर।)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, ऐसी परम्परा रही है कि हर पार्टी को जब कोई बहस इस प्रकार की हो रही होती है बोलने का अवसर दिया जाता है। इस बहस में बोलने के लिए मेरी पार्टी के किसी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया है। मैं 9 मर्तबा खड़ा हो चुका हूं, मैं यह नहीं कहता कि आप पक्षपात करते रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जहां तक पार्टी की बात है माननीय लल्लू सिंह भी किसी पार्टी के सदस्य हैं और कोई सदस्य उनकी पार्टी का नहीं बोला। आपको भी मौका मिलेगा। लल्लू सिंह जी को बोलने दें लेकिन ऐसा आक्षेप न लगायें। हर एक को मौका मिलेगा।

श्री फखरे आलम--

आप मेरी पूरी बात सुन लें। जब आपने यह उसूल बना लिया है कि हर पार्टी को मौका मिलेगा तो मैं अपने दल का नेता हूं, 9 बार खड़ा हुआ हूं, तो क्या बात है कि मुझको मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जहां तक पार्टी का सवाल है, हर पार्टी को मौका मिलेगा और आपको

भी समय मिलेगा, आप कृपया बैठ जायं ।

श्री लल्ल सिंह चौहान—

मान्यवर, यह बाढ़ और सूखे पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं मैनपुरी जिले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, पिछले 4 वर्षों से यह निरन्तर दैवी आपदा के नाम पर बाढ़ और ओले से नुकसान होता रहता है और इस वर्ष भी 70–75 प्रतिशत नुकसान सूखे से हुआ है । पूर्वी जिले में बाढ़ से और पश्चिमी जिलों में जितना सूखे से नुकसान हुआ है उसमें प्रमुखता मैनपुरी जिले की है । मैनपुरी के जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार वहां की 5 तहसीलों में 70 प्रतिशत नुकसान हुआ है और मुझे तहसीलदार और एस० डी० एम० ने ऐसा बताया है । लेकिन वहां कोई विशेष राहत नहीं दी गयी है । मैनपुरी जिले में मुख्य रूप से दो फसलें होती हैं । रबी में गेहूं और खरीफ में धान वहां किसान पैदा करते हैं । मैनपुरी में 40 धान की मिलें लगी हैं जो अपने में सबूत है कि वहां धान अधिक होता है । लेकिन धान की फसल बिना बरसात के नहीं हो सकती है और धान की फसल तभी ठीक से हो सकती है जबकि बरसात और पानी की सुविधा हो किन्तु वहां सिंचाई की सुविधायें कम हैं ।

मैनपुरी जिले में 58 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं और जो जिले से रिपोर्ट आयी है उसमें 50 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब बताये गये हैं । सिंचाई मन्त्री जो बैठे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि लगभग 60 फीसदी ट्यूबवेल खराब हैं । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 28 ट्यूबवेल ऐसे हैं जिन पर 2 वर्षों में लाखों रुपये खर्च करके वह बनाये गये हैं किन्तु उनको अभी तक इनरजाइज नहीं किया गया है । बिजली नहीं दी गयी है जिससे वह पानी नहीं दे रहे हैं । वहां 7 ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनमें रिबोरिंग की रिपोर्ट है क्योंकि उनका डिस्चार्ज समाप्त हो गया है । इसलिये मैनपुरी जिले का सूखा कितना नुकसानदायक होगा इसका अंदाजा सदन लगा सकता है ।

माननीय राजस्व मन्त्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस सूखे में वह क्या राहत दे सकते हैं, इसको बतायें ? उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत जहां नुकसान हुआ है वहां 3 महीने के लिये लगान रोक दिया है ? मैं जानना चाहता हूं कि 3 महीने बाद कौन फसल आयेगी जब लगान वसूल करेंगे । जब जिलाधीश ने रिपोर्ट दे दिया कि 70–75 प्रतिशत नुकसान हुआ है तो 3 महीने का प्रश्न नहीं उठता है । पिछला तजुर्बा है कि जब बाढ़ आयी तो लगान स्थगित हुआ और बाद में रिचेकिंग में वह लगान लगाया गया, पहले कहा था कि 60–70 प्रतिशत नुकसान हुआ है और साल डेढ़ साल बाद कहा गया कि 40 प्रतिशत नुकसान हुआ है । तो जनता को इससे बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है । जब कलेक्टर कहता है कि 70–75 प्रतिशत नुकसान हुआ है तो लगान क्यों माफ तत्काल नहीं करते हैं ? लगान स्थगित करके और ज्यादा किसान को आप आफत में डाल देते हैं और जब वह लगान बाद में नहीं दे पाते हैं तो उनके घर की कुर्की होती है और उसको जेल में रहना पड़ता है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो सूखे पर फीस माफी की बात करते हैं, तो इसमें फीस माफी का सवाल नहीं है । मैं ऐसे अनेक केसेज दे सकता हूं, उदाहरण के लिए एक केस में 22 हजार रुपया एक किसान ने दिसम्बर, 73 में टैक्टर खरीदने के लिए लिया और यह किसान दिसम्बर, 84 तक ब्याज का 17 हजार रुपया जमा कर चुका है, लेकिन बैंक उससे 70 हजार रुपया अभी और मांग रहा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसकी वसूली के लिए जब काफी दबाव पड़ा तो उसको 100 बीघा जमीन बेचकर 40 हजार रुपया बैंक ने वसूल कर लिया है, फिर भी उसे अभी 30 हजार अदा करना और बाकी है। तो आप इनके ऊपर से इस तरह के ब्याज को माफ कर दें, क्योंकि इन संस्थाओं के पास आपने राहत के लिए, ब्याज माफी के लिए कोई आदेश नहीं भेजे हैं। इसलिए आप ब्याज राहत देने का प्रयास करें, तभी यह बहस सार्थक हो सकती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाएं।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बाढ़ और सूखे पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, बहुत जगह सूखा पड़ा और बारिश भी काफी हुई है, यह सही है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि चाहे गंगा के क्षेत्र में और चाहे घाघरा के क्षेत्र में एक बूंद पानी बरसेगा तो वह बलिया में जाएगा।

श्री अधिष्ठाता—

क्या बलिया में गहरान ज्यादा है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जी हां, और बुलन्दशहर में भी है, क्योंकि दोनों 'ब' से हैं। (व्यवधान) जुलाई में वहां काफी बारिश हुई बीच में सूखा लगभग डेढ़ माह रहा, जिसमें पूरी रसड़ा तहसील सूखे से प्रभावित हुई। उस समय जो दोहरी घाट कैना क्षेत्र है, उसको नहरों ने बखूबी काम किया था, जिससे सूखे का प्रभाव बहुत कम पड़ गया था। जो बाकी का क्षेत्र है, उसमें ट्यूबवेल्स नाकाम साबित हुए हैं, वहां पर बहुत से खराब पड़े हुए हैं। वहां कम से कम डेढ़ दर्जन ट्यूबवेल्स एनरजाइज्ड नहीं हुए हैं और आधे से अधिक ट्यूबवेलों की नालियां काम करने की स्थिति में नहीं हैं। जूनियर इंजीनियर ने स्टार्टर और मोटर बेच खाया है और जब उसका तबादला हुआ तो उसने चार्ज नहीं दिया और यों ही भाग खड़ा हुआ।

मान्यवर, हम मजबूर हैं कि पूरे प्रदेश को बाढ़ की चपेट में देखें, कहीं भी बाढ़ का असर होगा तो हम अपने यहां बलिया में देखेंगे। नैपाल सरकार के साथ जो मिली जुली बाढ़ नियंत्रण की योजना है, जलकुंडी आदि योजनाएं हैं, उनको पूरा कराया जाए, क्योंकि उसके कारण से पूर्वी और उत्तरी उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, गोरखपुर, बनारस और अन्य कमिश्नरियों का क्षेत्र बहुत प्रभावित है यह एक सम्मिलित कार्य जो हो रहा है, उसमें तेजी लाई जाए, ताकि हम उस दैवी आपदा से निपट सकें। बाढ़ का हम पहाड़ में ही रोक देने का प्रयास करें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए, और वहां पर उस रुके हुए पानी से सिंचाई और बिजली के उत्पादन का काम लें। मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर जोर दें।

मान्यवर, हमारी टाउन एरिया जहां के हम रहने वाले हैं वह घाघरा नदी के किनारे है बाढ़ में औसत 3–4 फीट पानी वहां पर रहता है। हमारा बिहार का बार्डर है और पिछले तीन साल के अन्दर इतना कटाव हुआ है कि 4 हजार परिवार जिसमें से खासकर भूमिहीन मजदूरों के परिवार हैं उनको बसाने की समस्या खड़ी हो गयी है। स्थानीय प्रशासन 500 लोगों को जगह दे पाया है बाकी लावारिस घूम रहे हैं। इनको बसाने के साथ–साथ कटान रोकने का इंतजाम करने की जरूरत है। टाउन मनियर और दियरा मनियर घाघरा के आस–पास हैं। यहां पर कटान की समस्या है। इस समय जिले में अन्यत्र जो कटान को रोकने का कार्य चल रहा है तो यह जो योजनायें कटान को रोकने की हैं इनको पुनरीक्षित करने की बात है कि

यह योजनायें चलाने लायक हैं या नहीं हैं। हमारे यहां बाढ़ के साथ-साथ वाटर लागिंग की समस्या है। हमारे यहां एक बन्धा तुर्तीपार श्रीनगर है जिस पर 4 रेगूलेटर हैं। इन रेगूलेटर से अन्दर का पानी दरिया में जाता है और दरिया का पानी अन्दर नहीं आ पाता है। इसमें से एक रेगूलेटर पर्वतपुर में है। इसका जो इन्कैचमेन्ट एरिया है उसमें सन् 82 में हिसाब लगाया था कि विभिन्न चीजों के लिये जो सब्सिडी गवर्नमेन्ट ने दी है वह 72 लाख रुपये की आती है।

फीस माफी के लिये, हाउसिंग सब्सिडी के लिये, तरह-तरह की जो सब्सिडी दी गयी हैं उसमें 72 लाख रुपये खर्च हुये हैं। अगर वहां पम्प लगा दिये जायं तो इस पर भी 72 लाख का खर्च आयेगा लेकिन जो बाढ़ की समस्या है उससे हमेशा के लिये राहत मिल जायगी। मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई मन्त्री और रेवेन्यू मन्त्री बैठकर विचार करें, यह जो पैसा खर्च कर रहे हैं इससे फायदा हो रहा है या नहीं ताकि स्थायी रूप से राहत मिल सके। राहत कार्यों में हर साल हजारों नावें लगायी जाती हैं। इसमें हजारों रुपये खर्च होते हैं। यह पैसे को मिसयूज करने का एक धंधा बन गया है। आप इस पैसे के आधे पैसों की नावें बनाकर ग्राम सभाओं को दे दीजिये, यह परमानेंट सोल्यूशन है। जैसा कि माननीय भृगुनाथ चतुर्वेदी जी ने कहा कि राहत अफसरों की कमाई का धंधा बन गयी है तो इसको चेक करने की जरूरत है। आप ग्राम सभाओं को नावें बनाकर दे दीजिये फिर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आभार प्रकट करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि बाढ़ की स्थायी रोकथाम का उपाय करें।

(3 बजकर 32 मिनट)

*श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरा निर्वाचन क्षेत्र परदहा और गोपीगंज पर आधारित है। आज यहां पर बाढ़ और सूखे की बात हो रही है। 35 साल की आजादी के बाद आज इस सदन में बड़ी लज्जा महसूस होती है, कि बाढ़ की तबाही से कैसे निपटा जाय इस पर यहां सुझाव दे रहे हैं। प्रकृति का नियम है कि बाढ़ और सूखा आयेगा। आज 35 साल हो गये हैं हर साल सरकार झूठे आश्वासन देती है और उस आश्वासन से हमारी प्रदेश की जनता तबाही का शिकार होती है। मान्यवर, प्राचीन काल की बात है फिराउन की फौज नील नदी में डूब कर मर गयी थी और आज हमारे देश और प्रदेश की जनता नदियों की बाढ़ में डूबती है। हर साल फसलें तबाह होती हैं। इतनी बड़ी विधान सभा में हर साल इसकी चर्चा करते हैं और हर साल इसको दोहराते हैं। चाइना में दुनिया की सबसे भयंकर नदी हूवांगही है। जिसकी बाढ़ में एक साल 20 लाख आदमी मारे गये थे। ऐसी तबाही मचाने वाली नदी पर चीन की सरकार ने काबू पा लिया है।

अगर हमारी सरकार चाहती तो घाघरा नदी की बाढ़ से जिसके किनारे 6-7 जिले बसे हैं और जहां हर साल बाढ़ आती है, अगर सरकार चाहती तो इन पंचवर्षीय योजनाओं में बाढ़ के लिये योजनायें बनाकर बाढ़ से रोकने का इंतजाम कर लिया होता। आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया में पानी जो तबाही मचाता है अगर इस पानी के जखीरे को बांध बनाकर रोका जाता तो सूखे के जमाने में सींचने के काम आता, उससे बिजली पैदा की जाती और उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मछलियां पाली जा सकती थीं। लेकिन हमारी सरकार ने इन चीजों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारे जो इंजीनियर्स हैं और उच्चाधिकारी हैं और मंत्री स्तर पर जो लोग हैं इसको अपने लिये वह बहुत बड़ा साधन समझते हैं पैसा कमाने का और सरकार को लूटने का, बाढ़ में ये लोग सरकार के धन को लूटने लग जाते हैं। तो मान्यवर, इन शब्दों के साथ में यह मांग करना चाहता हूं कि हमारे परदहा ब्लाक में सूखा पड़ा, एक महीने तक पानी नहीं बरसा।

हमारे यहां कोई नहर नहीं है। सरकारी ट्यूबवेल सारे के सारे फेल हैं। हमने कहा कि गांव के लोग एक दूसरे का सहयोग करें। ट्यूबवेल वाले कहते हैं कि इतनी ही बिजली आती नहीं है कि हम अपना ही बचा सकें, सहयोग हम कहां से दें। एक तो प्रकृति इस तरह नाराज है, दूसरे नहर नहीं है, तीसरे सरकारी ट्यूब वेल फेल हैं, चौथे बिजली नहीं मिलती। बिजली की मांग पब्लिक बराबर करती आ रही है। लेकिन सरकार ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया। बिजली विभाग टस से मस नहीं हुआ।

हमारे परदहा ब्लाक में करीब-करीब आधे से अधिक फसल सूखकर तबाह हो गयी। इसी के साथ-साथ टोंस नदी, घाघरा नदी, महुला गढ़वल बांध है, उसमें बाढ़ आई, गांव के लोग इंजीनियरों के यहां गये, अभियंताओं ने कहा कि बंधा काट दो, पानी निकल जायगा, लेकिन हुआ क्या कि पानी निकलने के बजाय, ऊपर से बाढ़ आ गयी। जिले के एक बड़े अधिकारी ने उससे निपटने की खुद कोशिश की। आप बता दीजिए, माननीय बीर बहादुर सिंह जी यहां पर सुन रहे हैं। हमारे टोंस नदी के अन्दर तीन गांव हैं, एक बमनी कोल है, दूसरा उमापुर और तीसरा भदेसरा है। इन तीनों गांवों को नदी काट रही है। ये सारे गांव ठाकुरों के गांव हैं और अगर इन नदियों ने काट दिया, तो उन लोगों को एक पैसा भी भीख मांगने को नहीं मिलेगा, सारी जमीन दूसरे गांव में चली जायगी। मऊनाथ भंजन में बंधा बन रहा था, वह नहीं बना। अगर इन क्षेत्रों में, आजमगढ़, बलिया में पानी का जखीरा बनाया जाता, तो उसमें मछली पैदा होती और बाढ़ पर भी काबू पा लिया होता तो बाढ़ भी नहीं आती, सूखा भी नहीं पड़ता। जब सूखा पड़ता तो हम उस जखीरे से सिंचाई कर लेते। आज अगर इन्सान प्रकृति के नियम का अध्ययन करके, उससे लाभ न उठा सका, तो उससे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है। उन्हीं मूर्खों में हमारी प्रदेशीय सरकार भी है। इससे ज्यादा और क्या आशा कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री जी, आजमगढ़ के बारे में विशेष ध्यान दें। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*डा0 विनोद कुमार तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ और सूखे पर आज जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, कल भी बाढ़ और सूखे पर चर्चा चली और आज भी चर्चा चल रही है और इस सदन में तमाम माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे में मुक्त कण्ठ से अपनी बात इस बाढ़ और सूखे के संबंध में रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस बाढ़ और सूखे के लिए हमारी सरकार ने जिस युद्ध स्तर पर कार्य किया है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने जनपद पीलीभीत और शाहजहांपुर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विगत जुलाई माह में हमारे जनपद में बाढ़ ने बहुत विशाल रूप धारण किया। शारदा नदी के आस-पास में जो भी गांव आते हैं, चाहे वह ट्रांस शारदा क्षेत्र या तराई क्षेत्र या मैदान क्षेत्र हो, उसमें बाढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से काफी क्षति हमारे क्षेत्र में हुई है। अनुदान के रूप में सरकार जितना अनुदान उपलब्ध करा सकती थी, वह कराई। फिर भी मैं आपके माध्यम से सिंचाई तथा राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर और अधिक अनुदान की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में बाढ़ ने जो विकराल रूप धारण किया है, उसके लिए अनुदान की अधिक आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के बारे में जिलाधिकारी महोदय ने 70-80 प्रतिशत तक नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के समस्त छात्रों की फीस माफ की जाय और इनके लिये सरकार तथा मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ से नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों के छात्रों की फीस माफ की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में तकाबी उपलब्ध कराने हेतु धन उपलब्ध नहीं है। तकाबी बांटने हेतु कृपया तुरन्त धन उपलब्ध कराया जाय। इसके साथ-ही साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बाढ़ से देहाती क्षेत्रों में और नगरपालिका क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक अनुदान वहां भेजने की कृपा करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सरकारी देयों की तत्काल वसूली स्थगित की जाय। जिन लोगों का मकान का नुकसान हुआ है उनको छप्पर डालने के लिए वन विभाग से लकड़ी मुफ्त दिलाई जाय।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जिस क्षेत्र में ट्रान्स शारदा एरिया में जहां प्रायः बाढ़ आती है, चाहे जन प्रतिनिधि हों या सरकारी मशीनरी हो, सहायता उपलब्ध कराने हेतु 22 किलोमीटर के बजाय 152 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। जिसका नतीजा होता है कि समय से बाढ़ की सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है। वहां पहुंचने में काफी देर हो जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि शारदा नदी पर धनारा घाट पर पुल बना दिया जाय जिससे बाढ़ सहायता तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ-साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं चाहे जितनी तकाबी आप बांटें जब तक हमारे मैदान क्षेत्र में पानी निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक निवेदन यह भी है कि वहां पर सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान स्थायी रूप से उपलब्ध करा दी जाय ताकि 152 किलोमीटर दूर न जाना पड़े और वहां के लोगों को सरकारी गल्ला सस्ते दामों पर मिल सके। इसके साथ ही साथ मैं सरकार को और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमने जिन बिन्दुओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है उस पर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

*श्री फखरे आलम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले की मैं बाढ़ और सूखे के बारे में कुछ अर्ज करूं मैं एक शेर कहना चाहता हूं।

न हुई गर मेरे मरने से तसल्ली
न सही,

इम्तेहां और भी बाकी हो तो यह
भी न सही।

बाढ़ और सूखा ऐसा हो गया है जैसे कुदरत ने सरकारी कर्मचारियों को जेबें भरने के लिए लिख दिया है। मंत्री जी यहां कहते हैं हमने ग्रान्ट भेज दिया है। यह ग्रान्ट कहां जाती है कहां तकसीम होती है उसका कुछ पता नहीं चलता है मेरे जिले बदायूं में मेरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र में दो ब्लाक हैं, कादरचौथ और ऊसावा । यह दोनों ब्लाक बाढ़ से हर वक्त घिरे रहते हैं ।

मान्यवर, जब बरसात शुरू हुई तो मैंने माननीय मंत्री जी के और माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम पत्र भेजे कि आप इसका इन्तजाम कर दें । कादरचौथ में बाढ़ रोकने का इन्तजाम कर दिया जाये, जिसका इन्तजाम करना आसान भी था । मगर कादरचौथ ब्लाक में और कादरचौथ गांव में कोई इन्तजाम बाढ़ रोकने का नहीं किया गया । नतीजा यह हुआ कि गंगा का पानी भरना शुरू हो गया । लोग पेड़ों पर चढ़ गये, सैकड़ों मकान गिर गये कितनी ही फसल बर्बाद हो गई । यह हाल हो गया कि 12 दिन तक बच्चे, औरतें और मर्द जिसमें बूढ़े और जवान सभी थे पेड़ों के ऊपर चढ़ गये । बहुत से लोग इधर-उधर भागते रहे, उन्हें कहीं पनाह नहीं मिल सकी । क्योंकि इन्तजाम नहीं हो सका । जो डूबने वाले थे डूब गये । मान्यवर, एक शेर अर्ज करना चाहता हूं—

डूबकर मैंने तूफा को दे दी खबर,
नाखुदा बेखबर हो तो मैं क्या करूं।

मान्यवर, नाखुदा को फिर भी खबर न हुई । वह कादरचौथ में अब भी पानी बहा रहे हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, यह ऐसी बात बार-बार कह रहे हैं लग रहा है जैसे गाली दे रहे हैं ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, जाहिदी साहब को कादर-चौथ पर एतराज है यह इन्हें गाली सी लग रही है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जाहिदी साहब जब एम० एल० ए० नहीं थे तो महीने में तीन बार कादर-चौथ जाते थे ।

श्री अधिष्ठाता—

लगता है आप लोग मित्र रह चुके हैं ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मैं कह रहा था बाढ़ से दोनों क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं, मान्यवर, जो पहले आदमी था वह होशियार था जो अब नया आदमी है वह भी होशियार है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो रुपया था वह कहां चला गया, हमारे यहां कोई इन्तजाम नहीं हुआ है । इस गांव के रहने वाले खासतौर से कादरचौथ के रहने वाले लोग बदकिस्मत थे । 153 बीघा जमीन यहां नीलाम हो गई । माननीय खान गुफरान जाहिदी कादरचौथ के नाम पर बार-बार चौंक रहे हैं खान गुफहान जाहिदी जी ने मेरा काफी टाइम बर्बाद कर दिया । मान्यवर, सूखे से बचने के लिए इन्तजाम करना जरूरी है । मान्यवर, जगत ब्लाक में 44 ट्यूबवेल हैं । 44 नम्बर का ट्यूबवेल खराब पड़ा है । मैं बराबर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहता हूं, तो वह कहते हैं कि हमें सरकार से रुपया नहीं आ रहा है । सूखे से वह हाल हो गया, फसल बर्बाद हो गई ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे बहुत सी बातें कहनी थी लेकिन इन्होंने कादरचौथ कहकर सब गड़बड़ कर दिया । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जिला बदायूं में राहत कार्य पहुंचाये जाएं । यह बताया गया है कि सरकार राहत कार्य के लिए रुपया देगी । मैं चाहूंगा कि उसे तकसीम करने की जो तारीख हो उससे मुझे भी सूचित किया जाये ।

*श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, आपने मुझे बाढ़ की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में आभारी हूं । मेरे बस्ती जनपद में नवगढ़ तहसील में इस बार सर्वाधिक बाढ़ आई, इसलिये मेरा क्षेत्र सर्वाधिक पीड़ित रहा । मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्य यह है कि इसके चारों तरफ बंधा बना हुआ, है और राप्ती बूढ़ी राप्ती नदियां और अनेक नालों का पानी उसमें भर जाता है जिससे पूरा क्षेत्र एक कुएं की तरह हो जाता है । सरकार वहां राहत सामग्री भेजती है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका वितरण समय से नहीं किया जाता और जनता में हाहाकार मच जाता है । इस साल भी बाढ़ आयी लेकिन एक भी लेखपाल किसी भी गांव में नहीं गया । यहां तक कि तहसीलदार और एस0डी0एम0 तक नहीं गये । मेरे ध्यान आकृष्ट करने पर उन्होंने उत्तर दिया कि कैसे जायें नाव नहीं है, जान जाने का खतरा है । मैंने कहा कि जब आप ऐसी बात करेंगे तो वहां लेखपाल भी कैसे जायेंगे । मान्यवर, इसी बीच राजस्व मंत्री सरस्वती अम्माल जी वहां पर गयीं और उन्होंने मेरे क्षेत्र में जोगिया क्षेत्र का निरीक्षण किया और तमाम अनियमितताएं पायीं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई । वहां उन्होंने गेहूं का ज्यादा स्टाक पाया, उनके खिलाफ मा0 मंत्री जी ने लिखा लेकिन लीपा-पोती की जा रही है । इसी से मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने वहां के लिए 15 लाख की घोषणा की बांध के लिये । मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यह बांध 15 लाख रुपये में नहीं बनेगा, वह दो करोड़ की योजना है ।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जब बाढ़ आती है उसी समय पीड़ितों की लिस्ट बनती है । इस हिसाब से बनती है कि लेखपाल कहीं बैठ जाता है और लोगों से 5-10 रुपये लेकर नाम लिखता है । जो रुपया नहीं देता है उसका नाम लिस्ट में नहीं आता । मैंने ऐसे 4 लेखपालों की शिकायत की थी दो निलम्बित हो गये हैं, दो के बारे में या कार्यवाही हुई मुझे नहीं पता । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बाढ़ तो हर साल आती है, अभी फिर खबर मिली है राप्ती में बाढ़ आ गई है । मेरा निवेदन है कि यह लिस्ट पहले से ही बना ली जाय ताकि वितरण में दिक्कत न हो । दूसरी बात यह कि जब बाढ़ आती है तब नाव मंगाई जाती है, वह भी फैजाबाद, इलाहाबाद या बनारस से । जब तक नाव आती है तब तक बाढ़ खत्म हो जाती है और नावें लाने ले जाने का व्यय बेकार हो जाता है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जिन गांवों में हर साल बाढ़ आती है, वहां के दो तीन साल के आंकड़े देख लिये जायें और वहां नाव की स्थायी व्यवस्था कर दी जाये । इसके लिये 50 प्रतिशत पैसा ग्राम सभाओं से लिया जा सकता है ।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं फीस के बारे में कहना चाहती हूं । ज्ञात हुआ है कि 3 माह की फीस बाढ़ वाले क्षेत्रों में माफ की जायगी । तीन माह के बाद लोगों के पास पैसा कहां से आ जायगा । उनकी आमदनी कहां से हो जायेगी । जिससे वे लोग अपने बच्चों की फीस भर सकेंगे । इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां-जहां बाढ़ आयी है वहां बच्चों की फीस पूरे साल की माफ कर दी जाय । इसके अतिरिक्त मान्यवर वसूली की बात है । वसूली अभी भी हो रही है जो बहुत परेशानी की बात है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वसूली तत्काल रोक दी जाय और वहां के लोगों को इतना समय और सुविधाएं दी जायें कि वे वसूली के लिये तैयार हो सकें । मेरा निवेदन है कि वहां लगान की माफी कर दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्री जटाशंकर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ के ऊपर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री जटाशंकर सिंह जी आप जरा बैठ जायं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन ह कि इस विषय पर कम से कम 15 मिनट माननीय मन्त्री जी भी लेंगे, इसलिए सभी माननीय सदस्य इस पर बोल सकें, 3-3 मिनट एक माननीय सदस्य को दिया जाता है।

श्री जटाशंकर सिंह--

माध्यवर, बहराइच जनपद के अन्तर्गत मेरा विधान सभा का क्षेत्र नानपारा है। 24 जुलाई और 6 सितम्बर को वहाँ पर दो बार बाढ़ आई। पहली बाढ़ जो 24 जुलाई को वहां पर आई थी उसकी 6 सितम्बर को पुनः जो बाढ़ आई, इसकी विभीषिका से पहले वाली बाढ़ भी कम नहीं थी। इसके बावजूद भी वहां पर राहत कार्य के नाम पर एक दाना गल्ले का नहीं बांटा गया और किसी प्रकार की राहत सामग्री देने की कार्यवाही नहीं की गयी।

माध्यवर, जहां मेरे जनपद में राप्ती, सरयू, भकला और घाघरा जैसी नदियां तबाही का कारण बनती है, वही दूसरी ओर दुर्भाग्यवश सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हो रही है वह है नहर विभाग। सरयू नहर परियोजना अन्तर्गत मुख्य सरयू एवं उसकी लिंक नहरों का जो निर्माण का कार्य हो रहा है, उसके कारण पानी का जो परम्परागत बहाव था, उसे रोक दिया गया है, जिससे समस्या और खतरनाक हो गयी है।

माध्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं प्रत्येक वर्ष माननीय सदन में बहराइच के बाढ़ के बारे में उन्हें आगाह करता रहा हूं कि परम्परागत पानी के बहाव को न रोका जाय और पर्याप्त बहाव की व्यवस्था की जाय, परन्तु आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके कारण मिहीपुरवा, बलुहा शिवपुर आदि ब्लाक बाढ़ से तबाह हो गये हैं। यहां तक कि बहराइच नगर भी बाढ़ की तबाही से विनाश के कगार पर पहुंच गयी है।

माध्यवर, पयागपुर गिलौला आदि जो उपरहार क्षेत्र थे, जहां एक बूंद पानी नहीं जाता था, आप 100 साल का रिकार्ड देख लें, आज ये ब्लाक इस सरयू नहर परियोजना के कारण तबाह हो गये हैं, सरकार की विवेकहीन नीतियों के कारण तबाह हो गये हैं। यहां तक कि बहराइच नगर का जो हास्पिटल है, घसियारीपुरा तथ स्टीलगंज तालाब और उपभोक्ता भंडार हैं, ये सब अधिकारियों और इंजीनियरों की विवेकहीनता के कारण आज डूब गये हैं। तालाब के किनारे जो सड़क बनाने के लिए स्लोप काटा गया था, उस पर बरसात से पहले सड़क बन जानी चाहिए थी या बांध बना देना चाहिये था जिससे पानी तालाब में न उतर पावे। परन्तु न तो सड़क बनी और न ही बांध बन पाया, परिणाम यह हुआ कि तालाब पानी से भर गया, जिससे उसके अगल-बगल जो दुकानें थीं, वे सारी डूब गई और लोगों को अनावश्यक रूप से कई लाख का नुकसान उठाना पड़ा। अधिकारियों व इन्जीनियरों को टेलीफोन किया गया, किन्तु कोई भी आदमी वहां नहीं गया और न ही कोई व्यवस्था की गई।

माध्यवर, आज देश को आजाद हुए 37 साल हो गये हैं, हमें बहुत आगे होना चाहिए था। नदियों के बाढ़ पर कंट्रोल किया जाना चाहिए था, वह तो नहीं किया गया, अपितु कृत्रिम बाढ़ को उपजा कर बहराइच को तबाही के कगार पर लाकर लगभग बरबाद कर दिया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि बाढ़ नियन्त्रण हेतु एक व्यापक योजना बनाई जाय और बहराइच आदि जैसे क्षेत्रों को बाढ़ से मुक्त किया

जाय । इसी के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हमारे विधान सभा क्षेत्र खटीमा जो कि तराई का इलाका है, वहां पर इस वर्ष बाढ़ आयी और हमारा तमाम क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ जिसमें शक्ति फार्म रतन फार्म नं0 1, 2 और 3 । जो बंगाल के विस्थापित हैं उन्हें सरकार द्वारा 3-3 एकड़ जमीन दी गयी है तो यह जमीन भी बाढ़ से कट गयी है और वहां का इससे आवा-गमन आदि का रास्ता भी बन्द हो गया है, जो अ ज भी बन्द ह । वहां पर एक 18 साल का लड़का भी बह गया था, जिसकी लाश तीन दिन के बाद मिली । तो वहां पर हमारी सरकार द्वारा 50-50 रु0 और सौ-सौ रु0 मात्र राहत के रूप में दिये गये हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि 100-100 और 50-50 रु0 मात्र से आज के जमाने में कुछ भी नहीं हो सकता है, वहां पर एक दल भेजा जाए, जो वहां जाकर जांच करें और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाए । इसी प्रकार से ग्राम चन्दनी में भी काफी टान हो गया है, लोगों के मकानों में 5-5 फुट की जगह मात्र रह गयी है, वह भी किसी वक्त कट सकता है, जिससे पूरा गांव तबाह हो सकता है, ऐसी स्थिति में बंगुल नदी द्वारा प्रतापपुर में भी कटान प्रारम्भ हो गया है, टनकपुर में किरोड़ा नाला से कटान हो रहा है । इसी प्रकार से सुनपहर, मजगमी और शारदा सागर आदि में भी कटान हो रहा है ।

*श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि अपने मुझे इस बाढ़ की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, हमारे जनपद बुलन्दशहर में पिछले अनेकों सालों से बाढ़ तो नहीं आयी है, परन्तु पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखे से अवश्य यह जनपद प्रभावित है । इस वर्ष अगस्त के शुरू से वहां पर सूखे का प्रकोप रहा, जिससे खरीफ की फसल 50 प्रतिशत नष्ट हो गयी । इस सिलसिले में वहां पर जो राहत कार्य के नाम पर धन मिला, मुझे एक अधिकारी द्वारा मालूम हुआ जो बाद में प्रमाणित भी हुआ । मान्यवर, दिल्ली और बुलन्दशहर के बीच सौभाग्य से 6-6 मंत्रीगण हमारे यहां हैं, तो मालूम यह हुआ कि यह मंत्रीगण वहां पर ज्यादातर दौड़े पर मौजूद रहते हैं जिनकी खातिर-मदारात के लिए वह राहत का धन इस्तेमाल कर लिया गया । बड़े अफसोस की बात है कि जो धन राहत के लिए दिया गया था वह सब का सब इन कार्यों में खत्म कर दिया गया । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच करवाई जाए कि वह पैसा कहां गया और किन-किन मदों में खर्च हुआ, सही मद में खर्च हुआ है या इन मंत्रीगण के लिए काजू, किशमिस और बादाम पर खर्च हुआ है । इसलिए मैं चाहूंगा कि मामले की जांच शीघ्र करवाई जाए और सरकार को खोखला करने वाले लोगों के प्रति कार्यवाही की जाए । मान्यवर, इसी तरह से कोई कर्जा लेता है फसल के लिये या अपने धंधे के लिये, वह सूखे की वजह से पटा नहीं पा रहा है और जो राहत के लिये पैसा मिलता है, माननीय मन्त्री दौरों में खा जाते हैं । इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बात की जांच करायी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाय कि उसका उपयोग किस-किस तरह से हो रहा है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, अन्त में एक सुझाव देना चाहता हूं कि तीन डिपार्टमेंट्स-सिंचाई विभाग, विद्युत् विभाग और राजस्व विभाग इनकी ऐसे समय में मुख्य भूमिका होत है और राहत कार्य से सम्बन्धित हैं । मैं मांग करूंगा कि बाढ़ और सूखे की राहत के लिये और इसके नियन्त्रण के लिये प्रदेश के अन्दर एक अलग विभाग खोला जाय और जिसका अलग मंत्रालय हो और जिसमें टेक्नोक्रेट्स हो, जिससे कि बढ़ के आने पर, सूखे के आने से पहले, नियन्त्रण किया जाय और जिससे कि राहत कार्य सुचारू रूप से किये जा सके । धन्यवाद ।

श्री हरदेव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ और सूखे की चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, सबसे पहले मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जब-जब सूखे और बाढ़ की दैवीय आपदा आयी है प्रदेश में, शासन ने पूरे तन मन धन से प्रदेश की जनता के राहत के काम में पूरी तरह से सहयोग किया है । इस समय भी 10 सितम्बर, 1984 तक शासन ने 7 करोड़ 39 लाख 33 हजार रुपये प्रदेश के 57 जिलों को राहत कार्य के लिये भेजे हैं, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख 42 हजार रु0 खर्च किये गये हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हर जिला-धिकारी को निर्देश दिये जायं कि इस धन के समुचित उपयोग के लिये शीघ्र ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि पीड़ित जन-जन को वह धन शीघ्र उपलब्ध हो सके । ऐसे ही पिछले साल मेरी सरकार ने 7 करोड़ रुपये सूखे की राहत के लिये दिये थे । मैं मान्यवर, बताना चाहूंगा कि शासन की आज यह मन्शा है, यह भावना है कि सूखे और बाढ़ से पीड़ित लोगों की पूरी तरह से सहायता की जाय । यहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी राहत कार्य में सहयोग करते हैं, उनका यह निर्णय है कि हर जिला-धिकारी जितना चाहे, धन मांग सकते हैं, धन का कोई कमी नहीं है । हालांकि भारत की प्रधान मंत्री के जरिये हमारे यहां राहत के लिए हर साल सहयोग दिया जाता है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र रसड़ा की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर,टोंस नदी और दूसरी घाघरा नदी से यह रसड़ा तहसील पूरी तरह घिरी रहती है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वहां जल प्लावन की वजह से लोगों को बराबर बाढ़ से हर साल प्रभावित होना पड़ता है और बीच के एरिया (क्षेत्र) में बराबर सूखा रहता है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरदेव जी, आपका समय समाप्त । आप बैठें ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, कुछ समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं, अब आप बैठें । दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सूखे से निपटने के लिए शासन की ओर से माननीय सिंचाई मंत्री की ओर से शारदा सहायक परियोजना नहर की खुदाई शुरू करायी गयी थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो पायी है । उसको बनने में 5-6 वर्ष लग जायेंगे । धन के अभाव में वहां काम रुका पड़ा है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरदेव जी, आप बैठें । बिना आज्ञा के अब आप बोल रहे हैं ।

श्री हरदेव--

मैं चाहूंगा माननीय सिंचाई मंत्री जी से कि जब तक वहां पर पूरी तरह से पानी की कोई व्यवस्था न हो जाय तब तक वहां की सूखा की स्थिति से निपटने के लिए कमांड एरिया से बाहर विश्व बैंक की स्कीम के तहत या अन्य किसी योजना के द्वारा वहां पर अधिक स्टेट ट्यूबवेल लगाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरदेव जी, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं आप बैठ जायं, लेकिन आप लगातार बोलते ही चले जा रहे हैं । माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, अतः कोई बात लिखी नहीं जायेगी ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैं अपने जनपद की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने से पूर्व एक अन्य आवश्यक बात कहना चाहता हूं । माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान विशेष-तौर से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में 37 साल में तमाम बाढ़ आयी, तमाम पानी गंगा और जमुना में बह गया लेकिन जो लकीर अंग्रेज देश छोड़ते समय बना गये थे हमारी सरकार उसी को पीट रही है । दैवी आपदाओं से फसलों का नुकसान होता है, उसके लिए छूट का जो नियम है, वह एक नियमावली में है, जिसे रेवेन्यू मैनुअल कहते हैं, यह छूट उसी के अनुसार होती है, जो कि अंग्रेजों ने बनायी थी । उनकी धारणा थी कि हमारे प्रदेश की रबी क्राप मुख्य क्राप है । यदि रबी को नुकसान होता है तो छूट मिलेगी, खरीफ को नुकसान होता है तो छूट नहीं मिलेगी । लेकिन अब खरीफ भी मुख्य क्राप हो गई है । जहां हम गेहूं पैदा करते थे, वहां अब चावल पैदा करते हैं । चावल पैदा करने के बाद गेहूं बोया जाता है । अब खरीफ भी मुख्य क्राप है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस नियमावली को संशोधित करें । इस नियमावली म खरीफ में भी छूट देने का प्राविधान करे । माननीय मंत्री जी ने किसान की खरीफ क्राप में जहां नुकसान हुआ है, वहीं पर 3 महीने के लिए लगान और सरकारी देय की वसूली मुल्तवी कर दी है । मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 3 महीने के बाद उनके अपने क्षेत्र उत्तर काशी, अल्मोड़ा और गढ़वाल में कौन सी फसल आ जायगी, जिससे काश्तकार देयों का भुगतान कर देंगे ? जहां गन्ने का इलाका नहीं है, वहां पर कौन सी फसल आ जायगी ? जब धान की फसल बरबाद हो गयी है तो 3 महीने के बाद काश्तकार कहां से लगान दे देंगे ? जो 3 महीने के लिए माफी दे रहे हैं, उसको बढ़ाइये और कम से कम अगली फसल तक के लिए कीजिए । मेरा सुझाव है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान जहां पर हुआ हो, वहां पर सरकारी देयों को माफ कर दीजिये ।

उन्नाव में सूखा, बाढ़ और अतिवृष्टि तीनों का प्रभाव है । अगस्त के मध्य तक भयंकर सूखा रहा था और उसकी वजह से धान की 50 प्रतिशत फसल रोपाई नहीं हुई । जो रोपाई हुई भी उसमें सूखे की वजह से 50 प्रतिशत का नुकसान हुआ । मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली बरबाद हो गयी । अब अति-वृष्टि से बाकी फसल नष्ट हो रही है । गंगा की बाढ़ की चपेट में उन्नाव और सफीपुर का इलाका आ गया है । इसके अतिरिक्त उन्नाव की तरफ जो गंगा का कटाव हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जाय । अब तक दो करोड़ रुपया खाली योजना बनाने में खर्च हो गया, लेकिन बंधा या बैरज नहीं बना । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर लगान मुल्तवी न किया जाय, बल्कि उसकी माफी कर दी

जाय । जो बेकारी हो गयी है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत ज्यादा पैसा दिया जाय ताकि कुछ काम देहातों में हो सके । रोजगार गारण्टी योजना के तहत जो जिलों में पैसा दिया गया है, वे काम शुरू किये जायं । 2 करोड़ रुपया मेरे जिले में रोजगार गारण्टी योजना में दिया गया है, लेकिन अभी किसी योजना में काम शुरू नहीं हुआ है । इसलिए यह काम शुरू कराइये ताकि जहां पर फसलें बरबाद हुई हैं, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, उन्हें खाना मिल सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके । इसके अलावा जहां 50 फीसदी तक हानि हुई हो वहां आप र जस्व मंत्री जी, सरकारी वसूली की मुल्तवी न कराइये बल्कि उसको आप माफ कीजिये ।

(सिंचाई मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह के खड़े होने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

ये क्या बाढ़ पर बोलेंगे, ये तो बाढ़ को लाते हैं और जानबूझ कर लोगों के बीच में परेशानी पैदा करते हैं । अगर सरकार के अन्दर जरा भी अकल होती तो इन 37 वर्षों में आज देश की यह हालत न होती ।

श्री अधिष्ठाता--

विष्ट जी, मैंने आपको नहीं बुलाया है, आप बैठें और सिंचाई मंत्री जी को बोलने दें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

नदी बढ़ती है तो लोग बरबाद होते हैं, ये तो देश को तबाह करने पर लगे हुए हैं । पहले जनता की बात को सुनना चाहिये । तमाम लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और मर रहे हैं उनकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता है ।

श्री अधिष्ठाता--

विष्ट जी, आप कृपा करके बैठें ।

*सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

प्रदेश की बाढ़ की समस्या पर कल से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में काफी कुछ कहा है, यहां पर प्रदेश की बाढ़ की स्थिति के बारे में काफी बातें हुई और लोगों ने अपने-अपने सुझाव भी दिये ।

मान्यवर, यह इतना बड़ा प्रदेश है और यहां पर बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं जो कि पहाड़ों से ही आती हैं । पहाड़ों से आने वाली नदियां अपने साथ बहुत पानी लाती हैं । इसी तरह से जो नदी नेपाल से आती है जैसे शारदा, घाघरा, राप्ती तथा बूढ़ी गण्डक, यह सब पानी के कारण परेशानी पैदा करती हैं, जिसका निदान हम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं और प्रदेश में बाढ़ और तराई का प्रकोप हो जाता है, यह सब पानी के कारण से होता है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सिंचाई मंत्री जी, क्या राजस्व मंत्री की तरफ से भी आप ही बोलेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, फिर आप जल्दी समाप्त कीजियेगा क्योंकि अनुपूरक अनुदान भी पास होना है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए जब तक पहाड़ों पर बड़े-बड़े रेजर्ववायर नहीं लगते और बिजली का उत्पादन ठीक से नहीं होता है तब तक यह समस्या बर बर हमारे सामने आती ही रहेगी । इसके लिये भारत सरकार और नेपाल सरकार आपस में बात कर रही हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

विष्ट जी, आप बीच में व्यवधान न पैदा करें, पहले पूरी बात को सुनने की चेष्टा करें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

तो मैं कह रहा था कि नैपाल सरकार से भारत सरकार इस सम्बन्ध में बात कर रही है कि कैनाली बांध, राप्ती बांध और पंचेश्वर बांध बनाया जाय तो इससे बाढ़ की समस्या का समाधान होगा तथा पानी के कारण जो तराई से एरिया प्रभावित हो जाता है, तराई का शिकार हो जाता है, उससे राहत मिल सकेगी । अभी इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है, कोई रास्ता नहीं निकल पाया है । परन्तु मुझे आशा है कि नैपाल सरकार और भारत सरकार जरूर कोई बीच का रास्ता निकालेगी जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके ।

इस साल जो बाढ़ आयी उससे जगह-जगह पानी भर गया जैसे बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर सभी पूर्वी जिलों का पानी नदियों के जरिये बलिया तक पहुंच गया । बलिया में बाढ़ का पानी डेंजर के लेविल के ऊपर हो गया जो कि अब जाकर कुछ घटा है । लेकिन और जो भी नदियां हैं, जिनका जल स्तर नीचा है, अब उतनी समस्या नहीं रह गयी है । धीरे धीरे बाढ़ रिसीट कर रही है और तबाही से बच रहे हैं । माननीय मोहन सिंह जो बोल रहे थे, मुझे याद है जब बाढ़ आयी थी तो सारे क्षेत्र का, बलिया, आजमगढ़, मोहन सिंह जी की कान्स्टीटूएन्सी से हो कर गए थे । देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच सारे एरिया को देखा था और तुरन्त आदेश दिए गए कि जो भी सुविधा देनी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही न की जाय । जो भी हो, सरकार हर सहायता देगी किसी प्रकार की कोताही की गयी और किसी को परेशान किया गया, ऐसा नहीं है । इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है । किसी भी जिलाधिकारी ने नहीं कहा कि धन की और आवश्यकता है और सरकार ने नहीं दिया । बांध टूट गए क्योंकि इतना ज्यादा पानी आ गया कि बन्धे उसको रोक नहीं पाए ।

हमारी सरकार को जो करना चाहिए था वह किया । जो काम हुआ है उसको मैं बताना चाहता हूं । 1621 किलो मीटर बन्धे बनाये गये और 12,703 नाले बनाये गए । इन सबके कारण हम 13·5 लाख हेक्टेयर से बाढ़ से बचा सके हैं । हमारे प्रदेश में आज भी करीब 12 लाख हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र है जो पानी की तबाही से परेशान हैं । हमारा प्रयास है कि 7वीं पंच-वर्षीय योजना में इस मद के लिए अधिक धन रखा जाय, जिससे इस प्रकार की जो समस्यायें हैं वह दूर हो जाये, उनका समाधान हो जाये । हमें बाढ़ को रोकने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी । 7वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा धन रखने की व्यवस्था की जायेगी जिससे जो समस्या इस तरह की आये दिन आती है उसको रोका जा सके ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

आपके यहां पर न नहरें हैं, न नाले हैं, पहाड़ पर रहते हैं, पहाड़ पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है । समस्या तो केवल तराई की है, उसी का हम समाधान कर रहे हैं । माननीय सदस्य बहराइच बोल रहे थे, सरयू परियोजना बन जाने से काफी फायदा होगा, लेकिन जल की रुकावट हो जाती है । नहरें बन रही हैं, वहां पर ड्रेने भी बन रही हैं । इन नहरों के साथ साथ ड्रेने भी बना दी गयी है जिससे जल भराव की

समस्या दूर हो सके। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इनके साथ ही साथ नाले भी बनाये जायें जिससे पानी की निकासी हो सके जल भराव की जो समस्या है, वह न हो। मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या सीपेज की आ गयी है, इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार आने वाले सालों में बाढ़ को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी।

श्री धर्मवीर सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। कई माननीय सदस्य सूखे पर बोले हैं, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सूखे का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप माननीय राजस्व मन्त्री जी से कह दें कि वह सूखे के बारे में भी बता दें।

श्री अधिष्ठाता--

पहले आप सुन लें, जब न कहा जायें तो कहें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*राजस्व मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल और आज दो घन्टे बाढ़ और सूखे पर पर चर्चा हुई और माननीय सदस्यों ने कुछ अच्छे सुझाव दिये और कुछ शिकायतें की। इसके बारे में जो अच्छे सुझाव दिये गये हैं उसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही जो शिकायतें की गई हैं उनकी मैं जांच कराऊंगा। अगर वे बातें ठीक निकली तो जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(इस समय 4 बज कर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 440 सहायता केन्द्र खोले हुये हैं। जितने माननीय सदस्यों ने यहां भाषण दिये किसी ने भी यह नहीं कहा कि हम उन सहायता केन्द्रों में गये और हमने वहां कुछ नहीं पाया बल्कि जो बाहर बाहर की शिकायतें उनके दिमाग में किसी ने कह दी वही बात उन्होंने यहां पर कह दी। मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी बात आप ध्यान पूर्वक सुन लें। हमारी 844 बाढ़ की चौकियां हैं उनका निरीक्षण मुमकिन है माननीय मोहन सिंह जी ने किया हो क्योंकि वे ध्यान रखते हैं लेकिन किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। मान्यवर, हमने 4682 नावें लगा रखी हैं जिससे जो लोग पानी के अन्दर घिरे हुये थे उनको तथा उनके बाल-बच्चों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मोटर बोट और मोटर लांच की व्यवस्था भी हमने की है। मैंने कल यहां पर बताया था कि विभाग ने क्या-क्या राहत कार्य किये हैं। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमने अग्रिम तकावी 58 लाख 50 हजार रुपये बांटी है। इसके अतिरिक्त हमने 32 जिलों को छूट दी है। अगर उनका नाम आप सुनना चाहेंगे तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, 2,32,97,570 रुपये हमने 18 जनपदों में बांटा है। इसके अतिरिक्त हमने 3 महीने के लिये लैंड रेवेन्यू की वसूली स्थगित कर दी है। साथ ही जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है बाढ़ से या सूखे से, वहां हमने इसे रोक दिया है और पूरे प्रदेश में यह आदेश दे दिये हैं कि वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय। यह एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। इससे निश्चित ही लोगों को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त जहां तक लेखे की बात है बुंदेलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्र में चौबीसों घन्टे बिजली मिलती है लेकिन बाकी मैदानी क्षेत्रों में 6 घन्टे

दिन में और 8 घन्टे रात्रि में बिजली दी जाती है । सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सिचाई विभाग अपनी नहरों को पूरी क्षमता से चला रहा है और यह निर्देश दे दिये गयें हैं कि जो अवैध कटान नहरों से होता हैं उसको रोकने के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है । इस तरह से शासन की ओर से प्रदेश म सूखे का मुकाबला किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या अब खत्म करूं।

श्री अध्यक्ष--

और क्या, यह लाल बत्ती इसी लिये है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने जो थोड़े से शब्द कहे हैं । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं और जो आलोचना की है उस पर विचार करने का हमको मौका मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

अभी माननीय राजस्व मन्त्री जो ने यह कहा कि किसानों को 6 घन्टे बिजली दिन में और 8 घन्टे रात में दी जा रही है । यह सरकार गलत है और यह इस सदन का अपमान है । यदि 6 घन्टे बिजली मिलती है तो 50 बार ट्रिपिंग होती है ।

श्री जटा शंकर सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि सारे प्रदेश में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर सहायता केन्द्र खोले हैं । मान्यवर, उन्होंने कहा कि वहां पर कोई विधायक देखने के लिए जाते गंवारा नहीं किय । मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधायकों को उन बाढ़ सहायता केन्द्रों की सूची दी गयी जिससे उनको मालूम हो कि यह केन्द्र खोले गये हैं ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यह आदेश अप्रैल 84, में भेज दिये गये थे जिसमें जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये थे कि वे विधायकों से राहत कार्यों में सहायता लें, सांसदों और विधायकों का राहत कार्यों में सहयोग प्राप्त करें ।

दूसरी बात बिजली की कही गयी । जहां सूखा पीड़ित इलाका है वहां ट्यूब वेल चलाने के लिए, या जो छोटे मोटे किसानों के पम्प है उनको चलाने के लिए 6 घन्टे दिन में और 8 घन्टे रात में बिजली देने के लिए व्यवस्था की गयी है ।

श्री बलबीर सिंह--

नहीं की जा रही है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

आपको वह दिखाई नहीं देता है, आपको तो केवल इलेक्शन दिखाई दे रहा है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि टिहरी जिले की 4 लाख 97 हजार की आबादी में से 1 लाख 85,500 की आबादी भयंकर सूखे से प्रभावित है मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी से उनको मिली है अगर मिली है तो वह क्या मिली है । मेरे जिले में अभी जब सरकार बदल रही थी माननीय श्रीपति मिश्रा जो जा रहे थे और माननीय नारायन दत्त तिवारी सरकार संभाल रहे थे तो मेरे आधे जिले में बाढ़ आई और उसमें 8 आदमी मर गये। पंगरिया गांव जहां पर हरिजन लोग हैं उनके मकान टूट गये हैं तो उनके रहने के

लिए मकान नहीं हैं। सरकार ने मकान बनाने के लिए कोई सहायता उनको नहीं दी है। मैं मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि पंगरिया गांव के जिन लोगों के मकान टूट गये हैं उनको मकान बनाने के लिए जमीन देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, टिहरी-गढ़वाल में सूखे की स्थिति है उसके लिए हमने 3,50,000रु0 की आपात सहायता वहां भेजी है और अगर जिलाधिकारी और मांग करेंगे तो वह दी जायेगी।

जहां तक भूमि आवंटन का सवाल है यह अकेले हरिजनों का सवाल नहीं है। टेहरी डैम बनने की वजह से वहां के लोगों के पुनर्वास का प्रश्न है। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और उन लोगों के मकान की व्यवस्था के संबंध में शीघ्र ही सरकार निर्णय लेने वाली है कुछ को तो बसा दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 1984-85 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने 5 अरब से अधिक की अनुपूरक मांगें इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत की हैं। इस पर विचार करना एक औपचारिकता है। आकस्मिकता निधि से धन खर्च कर दिया गया है हमारे अनुमोदन के लिए कुछ राशि बची है जिन पर हमें विचार करना है। सीमित संसाधनों की बात यहां पर बार-बार सरकार द्वारा कही जाती है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि हमारे संसाधन सीमित हैं और विकास की रफ्तार की दर कम है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यहां आते ही कहा कि हमारे उद्योगों के विकास की रफ्तार बहुत मंद है। तो ऐसे समय में हमें एक-एक पैसे की आवश्यकता है बावजूद इसके कि हम बचत करें हमारी फिजूलखर्ची बढ़ती जा रही है। आकस्मिकता निधि से खर्च करने के बारे में अनुपूरक मांगों की प्रस्तावना में उन्होंने स्वयं लिखा है कि जहां तत्काल खर्च करने की आवश्यकता आ जाय वहां खर्च किये बिना काम नहीं चलता है तो उसके लिए हमें अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें 4 लाख रुपया कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट के बंगले की सजावट के लिए उसके नये सिरे से जीर्णोद्धार के लिए इनको खर्च करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ? ऐसा यह कौन आकस्मिक काम था जिसकी उपयोगिता मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और इतना ही नहीं 39 हजार रुपये कीर्तन मंडली जो नैनीताल में है उसको हमारे वित्त मन्त्री जी ने दे दिया। तो किसी समाज-सेवी संस्था को देने की क्या आवश्यकता है परन्तु चूंकि मौजूदा वित्त मन्त्री को कीर्तन की ज्यादा आवश्यकता है और वह भी कभी उसके सदस्य रहे हैं, इसलिए कीर्तन मंडली को 39 हजार रुपये दे दिया।

मान्यवर, एक ऐसा वाणी विलास ट्रस्ट लखनऊ में है जिसका नाम हमने पहली बार अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से सुना है उसको सरकार ने विकास के लिए 31 हजार रुपये दिया है। वह पुस्तकें छपवायें और जब पुस्तकें प्रकाशित कर लें तो 2 लाख 10 हजार रुपये दे दिया हिन्दी संस्थान को कि वह उन पुस्तकों को क्रय कर लें, तो ऐसे कार्यों के लिए आप रुपये दे रहे हैं और वह ऐसी समाज सेवी संस्थाओं को जो अपंग संस्थायें हैं जिनका जनता के लिए कोई योगदान नहीं है और जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया उनको दे देते हैं तो यह उचित बात नहीं है। इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुपूरक अनुदानों में वित्त मन्त्री जी ऊर्जा विभाग के भी मन्त्री हैं उन्होंने 92 करोड़ 80 लाख रुपये ऊर्जा विभाग, जो मरा हुआ विभाग है विद्युत परिषद को दे दिया है। मैं ऐसा समझता हूं विद्युत परिषद के बारे में, कि लोग शंका और संदेह की नजर से इसको देखते हैं क्योंकि चार-चार बार अगजनी हो और अभी तक निश्चित नहीं हुआ कि ओबरा ताप गृह में 25-30 या 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और हम अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया करोड़ों में और हर साल देते चले जायं और वह लेकर इस तरह आगजनी कराकर रुपया बरबाद करने लगें तो यह बात उचित नहीं है।

विद्युत् विभाग ने विद्युत उत्पादन के बारे में अपनी विफलता को स्वीकार कर लिया और उसके कारण अखबारों में वक्तव्य पढ़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में भी विद्युत् उत्पादन हो इसकी छूट देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत परिषद को 92 करोड़ 80 लाख रुपये देना ठीक नहीं है। विद्युत् परिषद की हालत खस्ता होने के कारण जब वह यह कर्ज अदा करने की स्थिति में नहीं रहता है तो बाद में दो साल बाद सरकार कह देगी कि यह धन कैपिटल अंश पूंजी के रूप में रहेगा और कर्ज नहीं रहेगा, उसको साफ करते हैं।

मान्यवर, इसी तरह महत्वपूर्ण बड़ी राशि चीनी उद्योग को दे दिया वह है लगभग 62 करोड़ कुछ लाख रुपये इन अनुपूरक अनुदानों के जरिये दे रहे हैं। जबकि चीनी का दाम और बढ़ गया, और गन्ने का मूल्य जब निर्धारित हुआ तो कहा गया कि चीनी का दाम 3-3·50 रुपये कंट्रोल प्राइज होगा तो 20 से 21·50 रुपये गन्ने का भाव होगा। बीच में केन्द्र सरकार ने कंट्रोल प्राइज चीनी का बढ़ाकर लगभग 4 रुपये कर दिया और कहा कि 65 प्रतिशत चीनी लेवी में तथा 35 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में जायेगी। लेकिन खुले बाजार में चीनी का दाम गिरा नहीं तो मिलों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। इसलिए चीनी के दामों को देखते हुए इनको सक्षम होना चाहिये था कि गन्ने का भुगतान कर देते लेकिन आज वह सक्षम नहीं हैं गन्ने का भुगतान करने के लिए। और 62 करोड़ रुपये से अधिक राशि अनुपूरक मांगों के जरिये चीनी मिलों को गन्ने के मूल्य का भुगतान के लिए अपनी तरफ से दे रहे हैं। दो करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिया और तीन साल बाद कहेंगे कि वह कर्ज अदा करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब वह कैपिटल शेयर में बदल जायेगा।

इसलिए इस तरह से जो प्रदेश की गाढ़ी कमाई का रुपया विभिन्न निगमों को इसलिए देते हैं कि वह अपने और संसाधन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो वह एक प्रकार से हमारी पूंजी को बरबाद करते जा रहे हैं। हमारे प्रदेश को पांच-पांच आशय-पत्र केन्द्र सरकार ने आज से तीन साल पहले दिया था फर्टीलाइजर के कारखाने लगाने के लिए। एक फर्टीलाइजर कारखाने की स्थापना में साढ़े 17 करोड़ से अधिक रुपया लगता है। इस हिसाब से इन चार कारखानों के लिए प्रदेश सरकार को 80 करोड़ रुपये की अंशपूंजी चाहिये। इन 4 उर्वरक कारखानों में अपना प्रदेश धन लगाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जो 80 करोड़ रुपये की अंशपूंजी चाहिये उसको जुटाना इस प्रदेश सरकार के लिए सम्भव नहीं है। केवल एक जगदीशपुर का कारखाना ही लगने जा रहा है। आज हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कोई भी फाइनन्शियल इंस्टीट्यूशन या रिजर्व बैंक आफ इंडिया उसको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। जगदीशपुर, चूंकि वह युवराज का चुनाव क्षेत्र है, वहां पर कारखाना लगाने के लिए सबसे अधिक दर पर अरब के बैंक से उसके

लिए कर्ज लिया गया है और आप उस कर्ज से उस कारखाने को बनाने जा रहे हैं। लेकिन बाकी कारखानें कहां से लगेंगे और उसके लिए संसाधन कहां से जुटाए जायेंगे। हमारे वित्त मन्त्री ने उसके सम्बन्ध में अपनी कोई रूपरेखा नहीं दी है।

आप भू राजस्व का 23 करोड़ रुपया स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकास लिए देने जा रहे हैं। यह एक अच्छी बात हो सकती है लेकिन उनको सुदृढ़ किये बिना यदि आप उनको पैसा दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सारे का सारा रुपया नौकरशाही की जेब में चला जायेगा और जनता के विकास कार्यों में वह नहीं लग पायेगा। उससे हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जितनी भी हमारी स्वायतशासी संस्थाएं हैं उनके चनाव आपने नहीं कराये हैं। उसी प्रकार यद्यपि जिला परिषदों के चुनाव 1 वर्ष 3 माह पहले हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जिला परिषदों को गठित करने की स्थिति और शक्ति इस सरकार में नहीं है। तो जो स्वायत-शासी संस्थाएं हैं उनकी हालत बिगाड़ कर नौकरशाही के चंगुल में छोड़कर भ्रष्टाचार के चलते, ग्रामीण विकास के कार्य चलाए जायेंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो अब तक विभिन्न विकास कार्यों में देखने को मिला है, और जनता के माध्यम से अरबों रुपया हमारा बर्बाद होगा। यदि हमें अपने प्रदेश में विकास दर को तीव्र करना है तो हमारी अधिकतम पूंजी उद्योगों में लगनी चाहिए और उसका अधिकतम उपयोग भी होना चाहिए। इस सबके लिए आवश्यक है कि विद्युत परिषद और उसके तौर तरीकों के बारे में हमें और सरकार को गम्भीरतापूर्वक और बुनियादी तौर-तरीके पर सोचना चाहिए और त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये। स्वायत्त-शासी संस्थाओं से कोई भी धन देने के पहले हमें उनके ढांचे में रक्त संचार की आवश्यकता है, जिससे वह सुदृढ़ हों और सुचारु रूप से वह अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन कर सकें। अब इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री पंचानन राय—

माननीय, वित्त मन्त्री जी ने 5 अरब 48 करोड़ का जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पहली बार हमारे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो आजमगढ़ जनपद की सगड़ी क्षेत्र है, वहां पर छोटी सरजू पर करखिया और बाजार गोसाई में दो पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ आजमगढ़ जिले में ही जो पहले जौनपुर मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग नहीं था, वहां पर एक नये मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव भी इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों में है। मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ मैं अपने आजमगढ़ की कुछ समस्याओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी बाढ़ पर चर्चा हो रही थी, घाघरा नदी के किनारे महुला-गढ़वल बांध को, जो सन् 1941 का बना हुआ है उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने काट दिया, जिसके कारण हमारे निर्वाचन क्षेत्र के करीब ढाई सौ गांव बाढ़ से बुरी तरह से तबाह हो गये।

श्री खैरुल बशर—

उसे तो इंजीनियर्स ने ही कटवाया था और आप कहते हैं कि असामाजिक तत्वों ने काटा है।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पंचानन राय—

माननीय, मैं यह कह रहा था कि यह बंधा जिस क्षेत्र में बना है वहां पर आवागमन का कोई साधन नहीं है। पिछले कई वर्षों से वहां की जनता की मांग रही है कि इस बंधे को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करके

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जसे अन्य बंधों को किया गया है, इस पर पक्की सड़क बना दी जाय जिससे एक साथ दो समस्यायें हल हो जायेंगी। अगर आवागमन होता रहेगा तो बांध के कटान की समस्या नहीं रहेगी। बंधे को 5 घंटे लोग काटते रहे यदि बंधे पर लोग चलते होते, कोई सवारी जाती होती तो असामाजिक तत्व बंधे को नहीं काट सकते थे। इस पर पक्की सड़क बनाने से आवागमन की समस्या हल हो जायगी और दोहरीघाट तथा फैजाबाद की दूरी कम हो जायेगी। इसके साथ में कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। पूरे उत्तर प्रवेश में कोई तहसील मुख्यालय ऐसा नहीं है जहां पर कोई सरकारी अस्पताल न हो। मेरे यहां के संबंध में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, मुझे भरोसा है कि मेरे यहां अस्पताल का निर्माण होगा। आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील ऐसी जगह है जहां पर कोई सरकारी अस्पताल होम्योपैथिक की पुड़िया बांटने वाला भी नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है, पंडित जी मौजूद हैं, उन्होंने वादा किया था मुझे आशा है कि उसको वह पूरा करेंगे। वहां पर एक अस्पताल बनना चाहिये, अगर बड़ा अस्पताल न बना सकें तो एक 30 शैय्याओं वाला अस्पताल बनाने की कृपा करें। वह तहसील मुख्यालय है।

मान्यवर, इसी तरह से बिजली की आपूर्ति की समस्या है। हमारे यहां लालगंज घाट में पिछले कई वर्षों से विद्युत उप केन्द्र का निर्माण स्वीकृत है। यहां पर भी आश्वासन हुआ था कि 1983-84 में निर्माण किया जायगा। फिर दोबारा कहा गया कि मार्च, 1985 में इनरजाइज हो जायगा। अभी उसका निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात की छान-बीन करायें, जो उच्चाधिकारी ढिलाई बरत रहे हैं उनको दंडित करने की कृपा करें और इस विद्युत् उप केन्द्र का निर्माण शीघ्र किया जाय। मैं वर्तमान मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं, माननीय मोहन सिंह जी ने अभी 39 लाख रुपये की बात की थी। वह विद्वान हैं, पूरा बजट उन्होंने पढ़ा होगा। 5 अरब, 48 करोड़ के अनुदान हैं। इसमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में खर्च किया जायगा। ग्रामीण संपर्क मार्गों, अस्पतालों और उद्योगों के लिये प्राविधान किया गया है। अगर 5 अरब 48 करोड़ में से 39 लाख रुपया कहीं लगा रहे हैं तो वह ऐसी बात नहीं है। पहली बार अनुपूरक अनुदानों का हिस्सा उन कामों में लगाया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। वर्तमान मुख्य मंत्री और उनकी सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है। मान्यवर, उन्होंने चर्चा की कि जिला परिषदों का गठन नहीं हुआ है। जब वह सत्ता में थे तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अप्रजातांत्रिक तरीके से उन्होंने भंग कर दिया। हमारी सरकार को उनको बधाई देनी चाहिए कि सरकार ने ग्राम सभाओं के चुनाव कराये और ब्लाकों के चुनाव कराये और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव कराये। इन शब्दों के साथ में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

माान्यवर, पर्वतीय विकास के लिये अनुपूरक अनुदानों की जो मांग की गयी है तो उसमें उसका अधिकांश भाग कर्मचारियों के वेतन तथा उनकी गाड़ियों तथा कार्यालय व्यय के लिये मांगा गया है। मान्यवर, जो पर्वतीय विकास का बजट है देखने में तो यह बहुत बड़ा लगता है लेकिन इसका 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी फिजूलखर्ची में खर्च होता है और योजनाओं पर केवल 20 प्रतिशत ही लग पाता है। आज पर्वतीय क्षेत्रों की यह स्थिति है कि सरकार ने वहां पर कार्यालय पर कार्यालय खोल दिये हैं परन्तु उनमें न तो अधिकारी है और न कर्मचारी हैं। आज सारे प्रदेश में गढ़वाल मंडल ऐसा मंडल है, जहां पर कई महीनों से कमिश्नर नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । अपने पौड़ी में अतिरिक्त निदेशक (कृषि) को कई वर्षों पूर्व नियुक्ति की है, उसके कार्यालय एवं स्टाफ पर प्रति वर्ष लाखों का खर्च होता है, परन्तु अभी तक किसी ने वहां पर कार्यभार नहीं सम्भाला है । मान्यवर, 4 साल हो गये नियुक्ति हुए, अभी तक अतिरिक्त निदेशक (कृषि) पौड़ी में नहीं गये । इस प्रकार से आर0 टी0 ओ0 का काफी दिनों से वहां पर पद रिक्त है, उनको नियुक्ति नहीं की गयी । गोपेश्वर में दो साल पूर्व जिला पर्यटन अधिकारी का कार्यालय स्वीकृत हुआ, परन्तु कोई भी वहां पर अभी तक नियुक्ति नहीं की गयी । स्कूलों के, सड़कों के, पुलों के छोटे-छोटे कार्य अधूरे पड़े हैं । उसके लिये इनके पास रुपया नहीं है । हमारे यहां दो विकास खंड घाट तथा देवाल खोले गये, उनका भवन निर्माण कार्य रुका हुआ है । इनके पास उन भवनों को पूरा करने के लिए रुपय नहीं है । चमोली और गढ़वाल मंडल के साथ इस सरकार का हमेशा ही सौतेला व्यवहार रहा है । अभी तक ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जितनी धनराशि प्रत्येक जनपदों को आवंटित की गयी, गढ़वाल मंडल के जनपदों का बहुत कम धनराशि आवंटित की गयी । चमोली को सिर्फ 25 लाख, उत्तर काशी को 21 लाख रुपया ही मिले । तो इस प्रकार से गढ़वाल मंडल के साथ सौतेला व्यवहार ठीक नहीं है ।

हम हमेशा चिल्लाते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में यातायात का एक मात्र साधन बस सेवा ही है । रेल हेड से अन्तराल के क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर रोडवेज की बसें ही चलती हैं । वहां पर रोडवेज की बस के अलावा दूसरी बस सेवा नहीं चल पाती है । जो रोडवेज सेवायें दूर-दूर तक जाती थीं, उन्हें आपने काट दिया है । इस वजह से लोगों को वहां पर बहुत असुविधा हो रही है । आज तो यह भी हो गया है कि देहरादून डिपो से जो बसें जाती हैं, उनकी छत में रेलिंग नहीं होती है तो सामान जो यात्री ले जायगा, तो वह कैसे ले जायेगा ? तो इस प्रकार से वहां के लोगों को परेशानी ही परेशानी हो गयी है । विष्णु प्रयाग परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, उसके लिए आपके पास रुपया नहीं है । उस योजना को पूरा करने के लिए आपके पास रुपया नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी जब पहले मुख्य मंत्री रहे हैं, आपके लगाये हुए पत्थर अभी भी खड़े हैं, लेकिन वहां पर अभी भी काम नहीं हुआ है हेलंग चमोली में रोपवे का पत्थर वैसे का वैसा लगा है । देवाल में सड़क का उद्घाटन हुआ, परन्तु सड़क बनी ही नहीं । गोपेश्वर में स्टेडियम का उद्घाटन माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दो वर्ष पूर्व किया और पत्थर तक लगवाया तथा स्टेडियम की स्वीकृति सन् 1975 की है, परन्तु अभी तक स्टेडियम नहीं बना और आज तक वहां पर कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ ।

सारे पर्वतीय क्षेत्र में अध्यापक नहीं हैं और न डाक्टर हैं और न वहां पर इनकी नियुक्ति होती है । जिला प्लान के अन्तर्गत हम लोग वहां की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर अस्पतालों एवं स्कूलों की मांग करते हैं, परन्तु प्रदेश स्तर से ये कट जाते हैं, और वहां की समस्यायें वैसी की वैसी रहती हैं । इसलिये मैं जो भी अनुदान की मांग है उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं और यह बिल्कुल फिजूलखर्ची है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

समय का ध्यान दीजिये । इसको जल्दी समाप्त होना है ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान पर विचार रखने का मुझे अवसर दिया । सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वित्तीय अनुशासन लाने के लिये जो कठिन परिश्रम किया है, उसके लिये सरकार और वह स्वयं बधाई के पात्र हैं। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश वित्तीय अनुशासन के बारे में जो ओवर ड्राफ्ट की निर्भरता कम की गई है, उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है। मैंने माननीय मोहन सिंह की बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने जो विचार रखे वह मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि तस्वीर का एक रुख है। आखिर अनुपूरक अनुदान हमेशा प्रस्तुत हुआ है, जनता पार्टी के शासन के जमाने में भी प्रस्तुत हुआ और पास किया गया प्रदेश विकास के लिये धन की आवश्यकता है और उसके लिये अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसकी आलोचना करना न्यायसंगत नहीं है। विकास की दिशा में, विकास कार्यों में गति लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जायं, इसके बारे में मोहन सिंह ने कोई विचार नहीं प्रकट किया। जहां तक इस प्रदेश की सरकार का सवाल है पिछले 4 सालों से निरन्तर आर्थिक विकास के दौर में विकास की पंचवर्षीय योजना के लिये जो धन वर्ष वार आवंटित हुआ है, उसको विकास कार्यों में लगाने में सफल हुआ है।

जब माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री के रूप में आये हैं उन्होंने नया डील नया तोहफा दिया है। सबसे पहली बार ग्रामीण अंचलों में जनतंत्र को मजबूत करने की घोषणा की कि राजस्व की जो धनराशि है, उसके समकक्ष धनराशि ग्राम सभाओं को विकास कार्यों के लिये दिया जायेगा। यह महान उपलब्धि है। इस तरफ बैठने वाले इस पर गर्व कर सकते हैं। विपक्षी लोग बाहर जनता में तो नारा लगाते हैं कि हम जनतंत्र के हितैषी हैं लेकिन जनता पार्टी के शासन में जो जघन्य अपराध हुआ, जो जनतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र की इकाइयों को विकास खण्ड, विकास समितियों, जिला परिषदों को अपने भंग करके साधारण जनता को, साधारण नागरिकों को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। यह श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है कि चुनाव कराकर जनता को उसके अधिकार दिये गये। ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव हुए।

मैं नारायण दत्त तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वह एक नया तोहफा इस प्रदेश को और दें। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि जिलाधिकारी जिला परिषद् की दो-दो, तीन-तीन गाड़ियां लेकर घूमें और जिला परिषद का शासन करें। माननीय मुख्य मंत्री जो आप जिला-परिषदों को गठित घोषित कर दें और महीने में बैठकों को घोषित कर दें। वर्णमाला के हिसाब से जो चुने हुये सदस्य हैं वह उन बैठकों की अध्यक्षता करें। ताकि जिलाधिकारी पर अंकुश लगे। जनतंत्र में यह महान योगदान होगा। मात प्रसाद जी को बुरा लग रहा है। यही बदकिस्मती है कि जब कोई सच बात कही जाती है तो वह इनको अच्छी नहीं लगती है। जब इनका शासन था तो यह कुछ नहीं कर पायें आपके जमाने में विद्युत् की क्या हालत थी? 1979 में और 1978 में 33 परसेन्ट विद्युत मिलती थी अब 63 परसेन्ट मिलती है। मान्यवर आज प्रदेश के सर्वांगीण विकास में माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश कार्य कर रहा है, वह बहुत अच्छा है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

छः बजे तक अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त करनी है। इसलिए प्रत्येक सदस्य दो मिनट ही बोलें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बहुत बड़ी गलती की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो हो गई है और अभी तक इस पर सदन का ध्यान नहीं गया है। यह अतिरिक्त अनुदान वर्ष 1980-81 का लिया है, यह 2 अरब 64 करोड़ का है। 13 करोड़ रुपये का अनुदान था, इसमें पौने तीन अरब की वृद्धि हो गई।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आप बात कर रहे हैं, यह तो मद संख्या 22 की कर रहे हैं। इसको बाद में लिया जाएगा। इस वक्त अनुपूरक अनुदान चल रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मान्यवर, अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों के बारे में एक साथ कह दूं। क्योंकि दो बार बोलने का शायद मुझे समय नहीं मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं दोनों को इसमें ले रहा हूं मैं एक बार में ही अपनी बात कह देना चाहता हूं। मैं अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर जाना चाहता हूं। प्रदेश की जनता के सामने जो आय-व्यय का बजट पेश करते हैं वह इस आशा से करते हैं कि यह खर्च ऋण मात्र होना है। मान्यवर, मैंने भी बजट पेश किया है। शायद वह पहला बजट पेश हुआ है इससे पहले ऐसा बजट पेश नहीं हुआ। 66 करोड़ खर्च करने के बाद भी 85 लाख का बचत का बजट पेश किया गया। जबकि उसमें तीन कर माफ किए और नौ महीने के अन्दर तीन अतिरिक्त महंगाई भत्ते दिए। अब घाटे के बजट आ रहे हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था को जानकार भी फालतू खर्च कर लेते हैं। आप बजट में इतने ही खर्च की व्यवस्था कीजिए जितनी हो सके। मान्यवर, अतिरिक्त अनुदान में आप देखें, दो अनुदान हैं। एक सार्वजनिक निर्माण विभाग का, एक सिंचाई विभाग का। 18 करोड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लिया है और 1 अरब 28 करोड़ सिंचाई विभाग ने लिया है। 2 अरब 64 करोड़ की इसमें बढ़ोत्तरी हुई है। मान्यवर, इस बजट का मतलब क्या है। जब 17 सैकड़ा अधिक खर्च कर सकते हैं तो प्रदेश के बजट का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इससे तो व्यापारियों का ही बजट ठीक है, जो कम से कम आय-व्यय एक साथ तो लिखते हैं। आपके ये अधिकारी तो खर्च करते चले जा रहे हैं और कोई अंकुश नहीं है, इसीलिये मैंने एतराज किया। इस पर ए० जी० और पी० ए० सी० ने भी दुख के साथ कहा कि 17 सैकड़ा अधिक व्यय हुआ। इन विभागों का इतना ज्यादा खर्च होने के बाद भी कोई कारण नहीं बताया गया है। जिन्होंने ज्यादा खर्च करके वित्तीय अनुशासनहीनता की है, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? कैसे यह सरकार चलेगी जो जनता को धोखा दे रही है। फिर खर्च का पता पांच साल के बाद चलता है और उनके लिये कोई सजा नहीं है। वित्तीय अनुशासनहीनता बढ़ती चली जा रही है।

मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये इस सदन को इसकी भर्त्सना करनी चाहिये। जो सरकार वित्तीय अनुशासन नहीं ला सकती है, अपने अफसरों को दण्ड नहीं दे सकती है, वह कुछ नहीं कर सकती है। खर्च ज्यादा करने का औचित्य है अगर वह पूरक या अनुपूरक बजट में लाया जाय किन्तु 4 साल बाद इसका कोई औचित्य नहीं है और फिर 17 सैकड़ा ज्यादा का तो कोई औचित्य ही नहीं है। अनुपूरक अनुदानों में 5 रुपये लिये गये जबकि 40 अरब का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुल बजट था। हम यह जानना चाहते कि वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम बजट बहुत जल्दी बनाते हैं, लेकिन सही बनाएं तब तो ठीक है। अब कहते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसका ही प्रमाण है रिजर्व बैंक के सरकारी आंकड़े कि 59.6 सैकड़ा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि बिहार में सबसे ज्यादा 66 प्रतिशत हैं। ये विकासशील बजट का वास्ता देकर चाहते हैं कि बजट में अप्रत्याशित वृद्धि कर लें और जनता को धोखा देते रहें। जब 59.6 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग यहां हैं तो आप किस मुंह से आप प्रदेश की जनता को सुख-समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। हां कुछ एम0 एल0 ए0 और मंत्री धनी हो गये हैं लेकिन ज्यादातर जनता गरीब हुई है। प्रमाण मौजूद हैं क्योंकि वित्तीय अनुशासनहीनता है। इसको खतम करना जरूरी है।

अगर अनुपूरक बजट 12 सैकड़ा से ज्यादा आए तो उसकी स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये। कन्टीजेन्सी भी 10 प्रतिशत ही होती है। आप तीन बार अनुपूरक बजट लाते हैं और वित्तीय अनुशासन लागू नहीं कर रहे हैं। हम जन प्रतिनिधि हैं, हमको जनता को जवाब देना है। हमारी जनता गरीब होती जा रही है। आप विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम पर पैसा लेते चले जा रहे हैं। इसकी स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये। और कुछ नहीं तो कम से कम इसकी भर्त्सना तो अवश्य ही होनी चाहिये ताकि इस वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन न मिले। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं।

*श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुपूरक बजट मांगों के ऊपर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं बहुत देर से दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की बात को सुन रहा था और थोड़ी देर बाद ये अनुपूरक मांगें पास भी होने जा रही हैं, मेरा दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हमने जो योजनायें बनाई हैं, वह सही हैं और उपयोगी भी हैं, किन्तु बजट में जिस मद के लिए और जिस वर्ग के लिए पैसा दिया जा रहा है, क्या यह उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, इसे हमें देखना है। इसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, इस पर हमें मनन करना है।

मान्यवर, मैं अपनी सरकार से और प्रगतिशील विचारधारा के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के माध्यम से गरीब लोगों के उत्थान के लिए और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जो पैसा दिया गया था, अगर उसका 50 फीसदी भी खर्च किया जाता तो निश्चित ही इन वर्गों के जीवन में तब्दीली आ जाती और इनको एक नया कलेवर मिल जाता। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो 20 सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं और जो समाजवादी व्यवस्था का द्योतक हैं, इन प्रोग्रामों के तहत गरीब तक पैसा पहुंचना अत्यन्त आवश्यक है।

(धन्यवाद)

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। 1980-81 में अधिकारियों द्वारा जो पाप इकट्ठा किया गया था, उन सबके एप्रूवल के लिए आज उन्हें इस आदरणीय सदन में रख दिया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछले वर्षों में अधिकारियों ने जो आदेश निर्गत किये थे, उनके रेगुलेरेजेशन के लिए इस सदन में उनको रखा गया है। 2 अरब 64 करोड़ 10 लाख 51 हजार 43 सौ रुपए का जो कुकर्म किया गया था और जो ए0 जी0 महोदय की रिपोर्ट में आया था, लोक लेखा समिति को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि जो आपने पाप किया है, इसे आप सदन में रखकर रेगुलाइजेशन करवायें, और इस सदन की एप्रूवल लें।

मान्यवर, यह निश्चित है कि जब ए0 जी0 महोदय की रिपोर्ट में यह आया, तो यह भी आया होगा कि इस व्ययाधिक्य के लिए कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। इस अनुपूरक अनुदानों के साथ-साथ यदि हमें यह लिस्ट भी दे दी जाती कि हमने इन-इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की है, तो अच्छा रहता।

मान्यवर, मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि गोमती ब्रिज बना। शुरू में इसकी कीमत 4 करोड़ रुपया थी, जो बाद में बढ़कर 14 करोड़ रुपया हो गई। हमें इस बात की आपत्ति नहीं थी कि यह 14 करोड़ रुपए क्यों हो गया। इसका एक प्रोसीजर होता है। सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर ने इसका डिजायन बनाया होगा, टी0 ए0 सी0 ने उसे देखा होगा फिर वह चीफ इन्जीनियर स्तर से पास हुआ होगा, तभी तो वह 14 करोड़ रुपये हुआ होगा। कहीं न कहीं तो उसका रिकार्ड होगा। लेकिन तज्जुब की बात यह है कि उसका रिकार्ड कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार आज जो यह 2 अरब रुपया का मामला यहां पर रखा गया है, यह भी ठीक 14 करोड़ रुपये की भांति होगा। और आज जो यह यहां पर अनुपूरक बजट रखा गया है, यह भी अन्तिम रूप से नहीं रखा गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जब वे इस प्रकार की चीजें सदन में यहां पर रखते हैं, तो कम से कम उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी करें जिसकी वजह से पब्लिक पर 2 अरब रु0 का भारी बोझ पड़ रहा है। अब बजट भी 5 अरबों में ही है। जैसा कि बताया गया कि इसमें भी केवल 2-3 बातों की तरफ खासतौर से ध्यान दिलाना चाहूंगा एक तो यह कि सप्लीमेंट्री बजट उन हालात में रखा जाता है जब कोई ऐसा खर्चा करना पड़ रहा हो जो कि मूल बजट में न रखा गया हो तो उसे सप्लीमेंट में लाया जा सकता है। अब इसमें एक खर्चा 33 हजार रु0 का दिखाया गया है नं0 तीन लाल बहादुर शास्त्री मार्ग की कोठी की किचेन, बाथरुम, लैटरीन बगैरह में चायना टाइल्स के लगाये जाने पर। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह कौन सा ऐसा खर्चा था जो सप्लीमेंट्री में लाया जाए। दूसरी बात में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान नेशनल इन्टेग्रेशन की ओर दिलाना जरूरी समझता हूं, इसमें जो खर्चा आया।

इसके साथ ही ईद का हमारा मौका आया इस रोज हम लोग कुर्बानी करते हैं जो लोग साहिबे निसाब होते हैं, तो इस कुर्बानी को भी मुरादाबाद के बीसियों गावों में नहीं करने दिया गया जबकि इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का भी लेटर गया और माईनियरिटी कमीशन के कमिश्नर, श्री मोहिउद्दीन साहब के यहां से भी पत्र गया, पर इस पर यह कह कर इनवेशन के नाम पर कि यह नयी चीज है, ऐसा नहीं किया जायगा, यह कह कर नहीं करने दिया गया और यह कहा गया कि जितने लोगों ने पिछले साल इस कुर्बानी के कार्य को किया हो वही कर सकता है, तो मान्यवर, यह ज्यादती है। यह कुर्बानी हमारे उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जो लोग साहिबे निसाब हैं कि जिनके पास 52 तोले चांदी हो या सात तोले सोना

तो उसी पर यह कुर्बानी वाजिब होती है, तो मान लीजिए किसी गांव में अगले वर्ष 10 आदमियों ने कुर्बानी की और अगर इस बार 15 आदमी साहिबे-निसाब हो गये तो 15 करेंगे और अगर इन 10 में से 5 ही लोग साहिबे निसाब रहे तो केवल पांच ही लोग इसे करेंगे तो यह कहना इन्नोवेशन के नाम पर बिलकुल गलत होगा। जबकि अंग्रेजों के पीरियड में यह तय था कि फलां जगह कथा-कीर्तन होगा, फलां जगह पर मिलाद होगा और फलां-फलां जगह पर मोहर्रम होगा, लेकिन जब से हम आजाद हुए हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह इन्नोवेशन के नाम का सहारा लेकर इन पुनीत पर्वों के खुशी-खुशी अदा करने में रोड़ा लगाया जा रहा है और जबकि दूसरी तरफ आप देखें वाजिबुल अर्ज है की जगह-जगह पर भजन कीर्तन व कथा आदि का आयोजन हो रहा है और जगह-जगह पर मंदिरों आदि के नये निर्माण हो रहे हैं, अब अगर कोई मुसलमान यह कहे कि यह नयी चीज है तो यह उसका कहना गलत होगा, इसी प्रकार से हमारे इस त्योहार का यह कहना कि यह इन्नोवेशन है तो क्या यह गलत नहीं होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं आज हर जगह पर हिन्दू और मुसलमान की मिली-जुली आबादी है, उसमें से अगर कोई हिन्दू किसी भी खुशी में कोई भजन कीर्तन का आयोजन करता है तो यदि कोई मुसलमान यह कहे कि यह इन्नोवेशन है तो यह कहना उसका गलत होगा, यह नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से कोई मुसलमान किसी खुशी में दूसरा काम करता है, और वहां हिंदू कहें कि यह नया काम नहीं होना चाहिये, तो अगर यह चीज चलेगी तो श्रीमान् मुल्क का नेशनल इन्टीग्रेशन नहीं होगा, डिसइन्टीग्रेशन होगा और नफरत फैलेगी।

(सदन में कुछ क्षण के लिये विद्युत् व्यवस्था बन्द हो गयी)

(बिजली आने पर)

माननीय, मेरा फिर कहना है कि अगर आप इसी तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को जिलाधिकारी या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रखेंगे, तो वे इस मुल्क की सर्विस नहीं करेंगे, सेल्फ सर्विस करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय, मैं फिर कहना चाहूंगा कि कमीशन जो माइनारटीज के लिये बना है, उस कमीशन के चेयरमेन और सेक्रेटरी का वहां टेलीग्राम गया, लेकिन उसकी भी उन्होंने अवहेलना की। माननीय, मैं उनके चेयरमेन से कहना चाहता हूं कि उनका यहीं नहीं और भी बहुत सूबे में इस तरह की चीज गयी होगी, लेकिन वहां पर भी उनके आदेश का पालन नहीं हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सोचना चाहिये कि ऐसी हालत में उन्हें कमीशन का चेयरमेन रहना चाहिये या नहीं ? मैं अजीज साहब, हफीज साहब, नश्तर साहब से इस बात की चर्चा करता हूं कि वे मुल्क के इंटीग्रेशन के लिये बने हैं या डिस-इन्टीग्रेशन के लिये बने हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो मिनट से ज्यादा का समय देना संभव नहीं हो सकेगा।

*श्री प्रभूनारायण सिंह—

यहां माननीय, अनुपूरक बजट की चर्चा में कुर्बानी की चर्चा होती है, और आप दो मिनट के समय की बात कह रहे हैं यह समझ में नहीं आता।

माननीय, यह अनुपूरक बजट पेश किया गया है, यह इस प्रदेश की तरक्की की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निशानी है। क्योंकि जो काम करेगा, उसको बजट चाहिये, उसकी अनुपूरक बजट चाहिये, यह नितांत स्वाभाविक है। मैं अपनी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद दूंगा कि हमारे क्षेत्र में बनारस-जौनपुर-जलालपुर स्थान पर सई नदी पर एक शाही जमाने का पुल था, उस पुल के टूटे होने की वजह से आवागमन में बाधा पड़ती थी, उस पुल का प्राविधान इस बजट में किया गया है, इसलिए मैं अपनी सरकार को बधाई दूंगा और श्रीमन् जौनपुर जिले में पोलीटेक्निक संस्था नहीं थी। वहां प्राविधिक शिक्षा के लिए इस बजट में पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन की स्थापना के लिये प्राविधान किया गया है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई दूंगा। श्रीमन्, हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने विकास गांव की जड़ तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि यह हमारा प्रदेश गांव का प्रदेश है और करीब 85 फीसदी आबादी गांवों में हमारी निवास करती है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी के माध्यम से इस सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी के साथ में कुछ समस्यायें इसके साथ रखना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे एक भड़ेहरी गांव है, जहां का सर्वेक्षण भी हो चुका है, वहां लिफ्ट कैनाल की योजना थी, लेकिन वह लिफ्ट कैनाल आज तक नहीं बनी। मैं चाहता हूं कि वह लिफ्ट कैनाल भड़ेहरी गांव, जलालपुर ब्लाक में बना दी जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहूंगा कि जनपद जौनपुर जो गोमती नदी के बाढ़ से हमेशा तबाह रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई गई थी, मान्यवर, उसके भी कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक गौराबादशाहपुर कस्बा है, मान्यवर, उसकी आबादी के हिसाब से और उसकी स्थिति के हिसाब से उसे तत्काल टाउन एरिया घोषित करने की आवश्यकता है, और वहां विद्युत् उप केन्द्र की स्थापना की भी आवश्यकता है, ताकि विद्युत् व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके। इसी के साथ-साथ हमारे क्षेत्र में शारदा कैनाल का केराकत रजबहा बहता है, मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मड़ियाहूं से लेकर थानागद्दी तक सड़क को पक्का कर दिया जाय, जिससे आवागमन में आसानी हो सके। इन कुछ शब्दों के साथ मैं फिर से अपनी सरकार को अपने वर्तमान मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

धन्यवाद।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

आज वित्त मन्त्री जी अनूपूरक बजट लेकर आये हैं। हमने सुना था कि तिवारी जी ब्राह्मणों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और 3 तारीख को शपथ ली ब्राह्मणों से पूछकर। पहले 3 सितम्बर को सदन होने वाला था, पता नहीं कौन ब्राह्मण थे...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसका बजट से क्या मतलब है, आप बजट पर बोलिए।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। 10 तारीख को जिस दिन श्राद्ध पर्व शुरू हो रहा था, पता नहीं किन ब्राह्मणों से पूछ कर विधान सभा की बैठक बुलाई गई और जैसे श्राद्ध में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है, उसी तरह से इन प्रदेश की नौकरशाही को दान दक्षिणा पांच अरब रुपयों के अनुपूरक बजट के रूप में बांट रहे हैं। यह सरकार पूरे प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को नौकरशाही के हवाले कर रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देहरादून के अन्दर मीनस-अटाल मोटर मार्ग है। यह 18 कि0 मी0 स्वीकृत हुआ, 5 कि0 मी0

पर 50 प्रतिशत काम हो गया, इसके बाद उसको रोक दिया गया। इस सरकार का खर्चा ऐसे ही वाहियात तरीके से होता है। मेरे जिले में देव-प्रयाग हिन्डोला खाल पेयजल योजना में 3 करोड़ रु0 खर्च होना था, अभी तक 4 करोड़ 25 लाख रु0 खर्च हो चुका है, लेकिन 60 प्रतिशत काम पूरा नहीं हुआ है। लस्तर नहर पिछले 8 वर्षों से बन रही है, लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं चढ़ा। बार-बार अनुपूरक बजट ले आते हैं, काम नहीं करते हैं। जहां पर जल निगम काम करता है, वहां पर उसको वन विभाग की तरफ से नोटिस दे दिया जाता है कि काम बन्द कर दो। उसी के तहत पाइप लाइन के काम को रोका जा रहा है। मेरे जिले में सरकार ने घोषणा की कि 10 की जगह 15 ब्लाक खोले जायेंगे। बहुगुणा जी ने नये ब्लाक अपने यहां तो खुलवा लिये, लेकिन मेरे यहां नहीं खोले गये। विलम्ब की वजह से खर्चे बढ़ते जाते हैं, इस पर कन्ट्रोल करें। अगर सरकार की योजनायें समय के अन्दर पूरी हो जायं तो पूरक और अनुपूरक बजट पास न करने पड़ें।

(5 बजकर 29 मिनट)

*वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

माननीय, पिछले 27 फरवरी को मुझे बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ था कि इस वर्ष हमने बजट साहित्य तैयार करने में नयी प्रक्रिया अपनायी है। अबकी हमने जो नई बात की है, वह यह है कि विगत वर्षों में हम इसे दो खंडों में प्रस्तुत करते थे, जिसमें कम से कम में अनुपूरक मांग की धनराशि होती थी और दूसरे में मांग की धनराशि से सम्बद्ध व्याख्यात्मक टिप्पणी होती थी परन्तु अबकी हमने इसे एक ही खंड में तैयार किया है।

इसके सम्बन्ध में यहां लोगों नें कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। जब हम बजट पेश करते हैं तो उस समय तक पूर्ण परिव्यय प्रकाश में नहीं आता है, केवल रूपरेखा मात्र ही सामने रहती है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष का मूल बजट 1390 करोड़ रु0 के तदर्थ परिव्यय के आधार पर तैयार किया गया था किन्तु अन्ततः राज्य आयोजना का इस वर्ष का परिव्यय 1601 करोड़ रु0 निर्धारित हुआ था। इसको हमने समायोजन करने की इसमें चेष्टा की है।

माननीय सदस्यों नें देखा होगा कि सरकार ने एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है कि भू-राजस्व से जो आमदनी होगी, उसका प्राविधान हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अब करेंगे। जो छोटे ब्लाक हैं, उन्हें हम 3 लाख रु0 देंगे और जो बड़े ब्लाक हैं, उन्हें हम 450 लाख रु0 तक देंगे ताकि वह अपने यहां छोटे-मोटे काम सुचारुरूप से कर सकें। भू-राजस्व से प्राप्त आय की राशि को गांव सभाओं को मुख्यतः प्रकाश व्यवस्था, स्कूल, भवनों, हैन्ड पम्पों तथा ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर व्यय हेतु हस्तांतरित करने के लिये 30 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है।

चीनी मिलों के बारे में माननीय सदस्य, देवरिया ने कुछ एतराज किया तो इसके लिये हमारे सामने दो ही विकल्प थे कि या तो हम पूर्व उदाहरण की तरफ खेतों में खड़े गन्ने को जलवा देते या फिर हम उसका पूरा पेमेन्ट करते। हमारी जो सहकारी और सरकारी चीनी मिल हैं, उनके घाटे को पूरा करने के लिये हमने उनको कर्जा दिया है। निजी क्षेत्र की जो चीनी मिलें हैं, उनके 42 करोड़ रु0 के बकाये को पूरा कर सकने के लिये हमनें परचेज टैक्स की छूट दी। शेष के लिये हमारे मुख्य मन्त्री जी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से बातचीत की है और हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात की कोशिश में हैं कि चीनी के बकाये की राशि का भुगतान हम 15 सितम्बर तक कर सकें। इसके अतिरिक्त अन्य मिलों का भुगतान भी हम 30 सितम्बर तक अवश्य कर लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इस साल के अन्दर हम विशेष प्रयास करने हैं, क्योंकि यह छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है और इसमें हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कृषि के क्षेत्र में हमने लक्ष्य को पूरा किया है।

औद्योगिक क्षेत्र में हमने पिकअप को 34·19 करोड़ रु० दिये हैं, उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम को हमने 8·54 करोड़ रु० दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वस्तु निगम को 1·64 करोड़ रु० दिए हैं। उ० प्र० वित्त निगम को 3·00 करोड़ रु० दिए हैं तथा उ० प्र० खनिज विकास निगम को 4.16 करोड़ रु० दिए हैं।

सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु राज्य सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के लिए 9·78 रु० तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 7·07 करोड़ रु० की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। जिला सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 1·53 करोड़ रु० की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

स्थानीय निकायों की सड़कों की मरम्मत के लिए, सफाई उपकरण के क्रय तथा सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु 10·29 करोड़ रु० तथा बकाया वेतन एवं बकाया भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान के लिए 5·61 करोड़ रु० के अनुदान दिये जाने के लिये व्यवस्था की गयी है।

ग्रामीण जल सम्पूर्ति तथा नगर जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण की योजनाओं के लिये मैदानी क्षेत्र में 9 50 रु० तथा पर्वतीय क्षेत्र में 3·50 करोड़ रु० की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

नलकूपों से निर्माण तथा बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए 16·60 करोड़ रु० तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 1·05 करोड़ रु० की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। राज्य नलकूपों के पुर्ननिर्माण के लिए 11·30 करोड़ रु० की व्यवस्था भी सम्मिलित है।

प्रदेश में विद्युत् की कमी को दूर करने के लिये राज्य विद्युत् परिषद् को कुल 97.06 करोड़ रु० के अतिरिक्त ऋण देने का प्राविधान किया गया है। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि विद्युत् परिषद् को अपने कार्य में कुशलता और अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में जो हमारी योजनायें चल रही हैं जैसे जल विद्युत् योजना और ताप विद्युत् योजना, इसको पूरा करने के लिये अभी करोड़ों रुपये की और आवश्यकता होगी और उसे वे आगे चाहेंग। यहां उत्तर प्रदेश में एक संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञानसंस्थान बन रहा है, जो प्रदेश का गौरव होगा, उसके लिए 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, अल्पसंख्यकों के लिए जिसकी हमेशा से मांग आती थी, हम एक अलग से निगम स्थापित करें, उसके लिए शुरू में 25 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ताकि छोटे 2 दस्तगार जो हैं उनको सीधे मदद दी जा सके। इस तरह की व्यवस्था करने के बाद हम भूतपूर्व सैनिकों के लिए सोच रहे हैं। एक डाक बंगले में 4 लाख का खर्चा हुआ है। मैं एक बात आप को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा विशाल प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां पर हमारे जो प्रशासनिक भवन हैं उनका सुधार होना चाहिये। निरीक्षण भवनों का सुधार होना चाहिये। इस प्रदेश का बजट 5 हजार करोड़ रुपया है तो उसमें 4 लाख रुपया डाक बंगले पर खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, प्रयास किया गया है कि कृषि उत्पादन में और जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अधिक धन

की व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही साथ औद्योगिक वातावरण बनाने में व्यय किया जायें।

श्री जसवन्त सिंह यिष्ट--

मान्यवर, मेरा भी एक सुझाव सुन लिया जाये।

श्री ब्रह्म दत्त--

सुझाव देने लिए भूख हड़ताल से अच्छा कोई जरिया नहीं है। तो मान्यवर, इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। 7 वीं योजना के लिए ठीक से तैयारी की जा रही है, जिससे हमारी नींव सुदृढ़ हो। सप्तम वित्त आयोग ने हमारी आवश्यकता को महसूस किया है, हमारी विशाल जन संख्या का ध्यान रखा है, जिससे हमें और अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। उससे हम प्रशासनिक सुधार करेंगे और प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त रुपये का प्रबन्ध कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सुझाव दिए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और यह बतना चाहता हूं कि हमारे अतिरिक्त अनुदानों के बारे में जो व्यवस्था की गई है उसको पी0 ए0 सी0 ने जांच लिया है और ए0 जी0 ने देख लिया है। जो सुझाव होंगे उन पर ध्यान रखा जायेगा। हमने वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखा है। हमें केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने उन राज्यों में शामिल किया है जिन्होंने वित्तीय अनुशासन रखा है। हमें 100 करोड़ रुपया दिया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह प्रयास किया है कि यह धनराशि और बढ़ाई जाये। मुझे विश्वास है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। जितने प्रयास किए जा सकते हैं वह किए जा रहे हैं। हम कोई वित्तीय अनुशासनहीनता न करें और न योजना के परिव्यय को घटायें, इन दो उद्देश्यों को लेकर हम चल रहे हैं। हम इसमें आप सभी के सहयोग से सफलता की कामना करते हैं।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

गोरखपुर विकास मंडल निगम द्वारा रमुवापुर कली खांडसारी मिल चलायी जाती है। जिसमें तमाम गन्ना किसानों का रुपया बकाया पड़ा है और उसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है और माननीय मन्त्री जी ने 4 लाख रुपया गौरीगंज के डाक बंगले के लिए घोषणा कर दी है। तो कौन चीज जरूरी है?

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, 8 अरब रुपये का बजट है किन्तु उत्पादन पर उसका 10 प्रतिशत ही खर्च किया जा रहा है बाकी ऊल-जलूल खर्च किया जा रहा है। और माननीय मुख्य मन्त्री जी के क्षेत्र में अधिक से अधिक खर्च किया जा रहा है। मैं इसकी भर्तसना करता हूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने अनुपूरक बजट में देखा कि इसमें पुलों और सड़कों का अम्मार लगा हुआ है। मैं एक स्पष्टीकरण इस विषय पर चाहता था कि एक सड़क बस्ती जनपद में गोंडा से चलकर सहजनवा को जोड़ती है जो कि श्रीमती सुचेता कृपालानी के जमाने से चली आ रही है और तब से कहा जा रहा है कि उसमें एक पुल लगना था वह नहीं बन सका। उसमें सिर्फ 35/40 लाख रुपया ही लगेगा। इसमें उसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य इटावा ने कहा कि पूर्वांचल में एक निगम है। गन्ने की बात उन्होंने कही। मैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा हूं। हम लोग उसको देखेंगे कि वह कैसे चल सकता है और कैसे गन्ना किसानों का भुगतान कर सकते हैं। जिस सड़क

बारे में माननीय सदस्य ने कहा, उसका जवाब मैं इस समय सीधे नहीं दे सकता । आप एक पत्र लिख दें । मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से पता करूंगा कि उस पर क्या कार्यवाही हो रही है। यदि नहीं हो रही होगी तो कराने की कोशिश करेंगे ।

श्री खैरुल बशर--

यहां जो सड़कें मंजूर हुई हैं जो कि जिला योजना में चलाई गई हैं उनका बजट इतना नहीं है कि उनको पक्की सड़क से जोड़ दें या पिच की सड़क बना दें । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसा मार्ग है जो कि बहुत खराब हालत में है, उसका पुरसा हाल नहीं है । माननीय मन्त्री जी उस पर भी प्रकाश डालें ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सन् 1982-83 में गवर्नर्स कैटेन्जेन्सी से 5 सड़कें मैनपुरी जिले में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुई । उनकी स्थिति यह है कि उन्हें कच्ची-पक्की कनवर्ट्स में जोड़ दिया गया । 1983-84 और 1984-85 के अनुपूरक अनुदानों से ऐसे काम देहातों में हो रहे हैं और उन पर लाखों रुपया खर्च हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि उनको इस बजट के तहत पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत--

प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि जो सड़क किसी विभाग द्वारा बनायी गई हैं और हमारा अन्दाजा है कि ऐसी लगभग 20 हजार किलोमीटर सड़कें हैं जिनमें मिट्टी पड़ी हुई है तो पुलिया नहीं है, पुलिया है तो पेंटिंग का काम बकी है । हम उसे तीन साल में करेंगे । उसमें 6 हजार किलोमीटर नई सड़कें भी शामिल हैं । इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है । उस पर हम अमल करेंगे जिससे काफी सन्तोष माननीय सदस्यों को होगा ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बता दें ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें ।

1984-85 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 2--आवास एवं नगर भूमि विभाग

आवास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 7,26,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 7,26,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 3--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3-उद्योग

विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 4,66,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3-उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 4,66,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 10,03,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग ग्राम्य एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 10,03,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 67,98,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 67,98,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 39,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 39,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-7 ऊर्जा विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-7 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 92,80,00,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 92,80,00,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8 कार्मिक विभाग

उप मंत्री (श्री श्यामलाल वाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8-कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 18,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 18,57,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विक स)

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 98,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 98,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि)

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 3,41,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 3,41,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 12,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 12,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 65,41,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 65,41,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार)

गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिस से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 31,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस)

गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 7,86,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 से लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 7,86,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय)

राजनैतिक पेन्शन एवं प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन, तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 7,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन, तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 7,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग

सूचना मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 3,26,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 3,26,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 8,64,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 8,64,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 1,18,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 1,18,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 5,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 5,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग

सूचना मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां, नश्तर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 70,02,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 70,02,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 57,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 57,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग

नियोजन मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,09,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,09,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--(प्रोत्साहन विभाग) के अन्तर्गत 86,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 86,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग

सूचना मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 30,10,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 30,10,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 6,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 6,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 24,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 24,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 38,87,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 38,87,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग

पशुधन दुग्धशाला एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 39,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 39,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

पशुधन दुग्धशाला एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश के यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 71,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 71,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,17,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,17,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग

आवास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,61,000 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 4,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 4,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 11,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 11,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46--वन विभाग

वन एवं जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत 67,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत 67,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त मंत्री (श्री बहुगुणा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,76,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,76,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री बहादत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त मंत्री (श्री बहादत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 22,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 22,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री रामरतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 25,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 25,85,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग

विज्ञान एवं प्रोद्योग राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55-विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 1,54,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55-विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 1,54,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती सुनीता चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 26,79,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 26,79,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 76,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 76,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(अनुदान संख्या 58-श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,26,40,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,26,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 3,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 3,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 3,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 3,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 8,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984 85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 8,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग

उप मन्त्री (श्री श्याम लाल वाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 22,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 22,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 13,36,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66 सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 13,36,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती सुनीता चौहान)

श्रीमन्, मैं आपकी अ ज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 36,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 36,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग

उप मन्त्री (श्री श्याम लाल वाजपेयी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्य 69—सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वितीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्य पाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 3,21,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 3,21,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 2,69,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 2,69,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,85,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,85,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 27,41,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 27,41,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(6 बजकर 17 मिनट)

अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 8,16,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 8,16,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 19,73,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 19,73,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग

सूचना मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग के अन्तर्गत 62,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग के अन्तर्गत 62,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृतहुआ ।)

अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

अनुदान संख्या 80--स्पोर्ट्स विभाग

खेलकूद राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80--स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 46,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80--स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 46,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,48,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,48,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग

सूचना मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 12,55,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 12,55,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिय स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 को पुर:-स्थापित करता हूं ।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनपूरक) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984

31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य को संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) अधिनियम, 1984 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1984-85 के लिये 5,48,01,16,000 रुपयों का दिया जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1985 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 5,48,01,16,000 रुपये (पांच अरब अड़तालिस करोड़ एक लाख सोलह हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1985 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	2,28,00	..	2,28,00
		पूंजी	4,98,51	..	4,98,51
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	पूंजी	4,66,00	..	4,66,00
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	5,88,18	..	5,88,18
		पूंजी	4,15,25	..	4,15,25
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	8,05,50	..	8,05,50
		पूंजी	59,93,15	..	59,93,15
6	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	2,92	..	2,92
		पूंजी	36,40	..	36,40

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3	4	5	6
7	ऊर्जा विभाग	पूंजी	92,80,00	..	92,80,00
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	18,57	..	18,57
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	32,81	67	33,48
		पूंजी	65,60	..	65,60
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	3,35,65	..	3,35,65
		पूंजी	5,45	..	5,45
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	12,22	..	12,22
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	23,14,00	..	23,14,00
		पूंजी	42,27,85	..	42,27,85
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	31	..	31
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	7,86,03	968	7,95,71
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	7,34	..	7,34

उत्तर प्रदेश विधान सभा

18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	3,22,67	..	3,22,67
		पूंजी	4,00	..	4,00
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	8,64,38	43	8,64,81
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	1,18,88	35	1,19,23
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	5	..	5
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	65,68,68	..	65,68,68
		पूंजी	4,33,33	..	4,33,33
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	57,58	..	57,58
26	नियोजन विभाग	राजस्व	1,09,34	..	1,09,34
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	19,00	..	19,00
		पूंजी	67,00	..	67,00
29	न्याय विभाग	राजस्व	..	685	685
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	30,07 21	..	30,07,21
		पूंजी	3,45	..	3,45
31	परिवहन विभाग	राजस्व	6,46	..	6,46

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3	4	5	6
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	1,45	..	1,45
		पूंजी	23,00	..	23,00
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	14,76,31	..	14,76,31
		पूंजी	24,11,51	..	24,11,51
34	पशुधन विभाग	राजस्व	22,09	..	22,09
		पूंजी	17,56	..	17,56
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	13,37	..	13,37
		पूंजी	58,29	..	58,29
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1,34,34	..	1,34,34
		पूंजी	83,04	..	83,04
39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1,61	2,97	4,58
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	4,00	..	4,00
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	11,76	..	11,76
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	35	35

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

46	वन विभाग	राजस्व		67,70	22	67,92
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,00		..	1,00
		पूंजी	1,75,00		..	1,75,00
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	2,00		..	2,00
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	पूंजी	22,45		..	22,45
54	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	25,85		..	25,85
55	विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग	राजस्व	1,54,74		..	1,54,74
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	26,55,14		..	26,55,14
		पूंजी	24,80		..	24,80
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	76,75		..	76,75
58	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	1,26,40		..	1,26,40
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	पूंजी	3,75		..	3,75
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	3,63		..	3,63
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व		8,30	..	8,30

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3	4	5	6
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	22,90	..	22,90
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,13,41	..	1,13,41
		पूंजी	12,23,12	..	12,23,12
67	सहायता और पुनर्वासन विभाग	राजस्व	..	30	30
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	36,78	..	36,78
69	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	29	..	29
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	15,00	..	15,00
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	2,18	4,47	6,65
		पूंजी	3,19,65	..	3,19,65
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	7,83	12,70	20,53
		पूंजी	2,61,75	..	2,61,75
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	1,47	..	1,47
		पूंजी	1,84,01	..	1,84,01
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	4,21,90	..	4,21,90
		पूंजी	23,19,27	..	23,19,27

उत्तर प्रदेश विधान सभा

76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	6,00,00	..	6,00,00	
		पूंजी	2,16,53	..	2,16,53	प्र.अ.
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	5,30,00	..	5,30,00	
		पूंजी	14,43,47	19,32	14,62,79	
78	सूचना विभाग	राजस्व	17,28	..	17,28	
		पूंजी	45,00	..	45,00	
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	2,60	..	2 60	
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	46,88	..	46,88	
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	3,48,92	..	3,48,92	
82	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	7,35,00	..	7,35,00	
		पूंजी	5,20,00	..	5,20,00	
	योग ..	राजस्व	2,38,94,66	38,99	2,39,33,65	
		पूंजी	3,08,48,19	19,32	3,08,67,51	
	कुल योग ..		5,47,42,85	58,31	5,48,01,16	

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1984-85 का अनुपूरक) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(थपथपाहट)

1980-81 के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 4--न्याय विभाग

न्याय मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4--न्याय विभाग के अन्तर्गत 46,08,366 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4--न्याय विभाग के अन्तर्गत 46,08,366 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग

उप मंत्री (श्री श्यामलाल वाजपेयी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 77,106 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 77,106 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 26,98,829 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 26,98,829 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग

उप मंत्री (श्री श्यामलाल वाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 5,11,646 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 5,11,646 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत 64,993 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत 64,993 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 22—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 3,99,155 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 3,99,155 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस)

गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,06,90,977 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,06,90,977 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 32,06,824 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 32,06,824 रुपय की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 4,67,582 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 4,67,582 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 9,86,517 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 9,86,517 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती सुनीता चौहान)--

मान्यवर, आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13,62,745 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13,62,745 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रोद्योग विभाग

विज्ञान एवं प्रोद्योग राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 1,52,103 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 1,52,103 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 30,97,649 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकर की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 30,97,649 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 8,81,287 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 8,81,287 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 42,67,254 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 42,67,254 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 37,483 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 37,483 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि)

कृषि राज्य मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 39,12,807 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 39,12,807 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53—कृषि विभाग (औद्योनिक विकास)

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 53—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 90,078 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 90,078 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54—गन्ना विकास विभाग

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54—गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 1,381 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 1,381 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 12,28,407 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 12,28,407 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 59—पशुधन विभाग

सूचना मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 21,35,185 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 21,35,185 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61—मत्स्य विभाग

सूचना मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 58,333 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 58,333 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 17,35,35,518 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 17,35,35,518 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 16,65,750 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 16,65,750 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 74—पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,32,471 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,32,471 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 33,52,76,099 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 33,52,76,099 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव

करता हूं कि अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 54, 04, 091 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 54,04,091 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 84--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण-विभाग-पूंजीगत परिव्यय

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिस से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,07,00,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,07,00,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 17,90,93,217 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 97--खाद्य तथा रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 17,90,93,217 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 100--मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय

सूचना मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 100--मत्स्य विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 9,277 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 100-मत्स्य विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 9,277 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 102—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 102—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 93, 94, 62, 321 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 102—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 93, 94, 62, 321 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 103—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 103—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 35, 13, 57, 398 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 103—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 35,13,57,398 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 104—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 18, 87, 11, 117 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 104—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 18, 87, 11, 117 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 110—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम

सूचना मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 110—स्वायत्त शासन विभाग ऋण और अग्रिम

के अन्तर्गत 39,100 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 110--स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 39,000 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 19, 07, 167 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 115-पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 19,07,167 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 125--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 125--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 30,89,164 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 125--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 30,89,164 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करता हूं ।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984

दिनांक 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा ।

वर्ष 1980-81 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से 2,64,10,51,043 रु० का दिया जाना ।

2--उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को, जिसका कुल योग 2,64,10,51,043 रुपये (केवल दो अरब चौंसठ करोड़ दस लाख इक्यावन हजार तैंतालिस रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा ।

विनियोग

3--इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश संचित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने को प्राधिकृत किया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग दिनांक 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा और किया गया समझा जायगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
4	न्याय विभाग	46,08,366	..	46,08,366
5	निर्वाचन विभाग	77,106	..	77,106
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	26,98,829	..	26,98,829
*16	लोक सेवा आयोग	..	238	238
20	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	5,11,646	..	5,11,646
21	संस्थागत वित्त विभाग	64,993	..	64,993
22	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	3,99,155	..	3,99,155

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	..	8,337	8,337
25	गृह विभाग (पुलिस)	1,06,90,977	..	1,06,90,977
27	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	32,06,824	..	32,06,824
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	4,67,582	..	4,67,582
32	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	9,86,517	..	9,86,517
33	शिक्षा विभाग	13,62,745	..	13,62,745
37	विज्ञान और प्राद्योग विभाग	1,52,103	..	1,52,103
41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	30,97,649	1,80,552	32,80,201
45	श्रम विभाग (सेवायोजन)	8,81,287	..	8,81,287
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	42,67,254	..	42,67,254
49	सहकारिता विभाग	37,483	..	37,483
52	कृषि विभाग (कृषि)	39,12,807	..	39,12,807
53	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	90,078	..	90,078
54	गन्ना विकास विभाग	1,381	..	1,381
58	खाद्य तथा रसद विभाग	12,28,407	..	12,28,407

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

59	पशुधन विभाग	21,35,185	..	21,35,185	
61	मत्स्य विभाग	58,333	..	58,333	
62	वन विभाग	..	35,416	35,416	
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा)	17,35,35,518	..	17,35,35,518	
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	16,65,750	..	16,65,750	
74	पर्यटन विभाग	1,32,471	..	1,32,471	
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	33,52,76,099	..	33,52,76,099	
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	54,04,091	..	54,04,091	
84	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग पूंजीगत परिव्यय	1,07,00,000	..	1,07,00,000	
97	खाद्य तथा रसद विभाग–पूंजीगत परिव्यय	17,90,93,217	..	17,90,93,217	
100	मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय	9,277	..	9,277	
102	सिंचाई विभाग निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	93,94,62,321	..	93,94,62,321	
103	सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	35,13,57,398	..	35,13,57,398	
104	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	18,87,11,117	..	18,87,11,117	
*107	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण	..	40,95,05,103	40,95,05,103	
110	स्वायत्त शासन विभाग–ऋण और अग्रिम	39,100	..	39,100	
115	पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम	19,07,167	..	19,07,167	
125	वित्त विभाग–ऋण और अग्रिम	30,89,164	..	30,89,164	
	योग ..	2,23,13,19,397	40,97,31,646	2,64,10,51,043	

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनु-सूची, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दर्शक दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्तियों को रिहा किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष --

मुझे दो सूचनायें देनी हैं । एक, आज दिनांक 12 सितम्बर, 1984 को जब विधान सभा की कार्यवाही चल रही थी, माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय की सूचना सदन में देने के तत्काल बाद और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के भाषण के दौरान लगभग 01.05 बजे दर्शक दीर्घा नं0 1 में बैठे दो व्यक्ति अपनी सीट से खड़े हो गये और माध्यमिक शिक्षा संघ जिन्दाबाद के नारे लगाये । दीर्घाओं में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप कर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया और दीर्घा से हटाकर सुरक्षित स्थान में ले आये । दर्शक दीर्घा में बैठे उक्त दोनों व्यक्तियों के इस आचरण से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ । जांच करने पर उनके नाम क्रमशः श्री विजय कुमार मित्तल, पुत्र श्री नानक चन्द्र मित्तल, निवासी अमीनगर सराय, मेरठ तथा श्री तिलक राम वर्मा, पुत्र श्री ब्रह्मजीत वर्मा, निवासी खेकड़ा, मेरठ ज्ञात हुए । उनके पास से आज 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक की पाली का दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र सं0 3848 तथा 3849 प्राप्त हुए । उक्त दोनों प्रवेश-पत्र क्रमशः माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र कुमार (गाजियाबाद) तथा श्री झग्गड़ सिंह (मेरठ) की संस्तुति पर जारी किए गए हैं । उक्त माननीय सदस्यों के संस्तुति पत्र (मूल रूप में) तथा प्रयुक्त प्रवेश-पत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं । उक्त दोनों व्यक्ति श्री विजय कुमार मित्तल तथा श्री तिलक राम वर्मा इन दोनों व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा से नारे लगा कर सदन के कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है । यह कार्य सदन की अवमानना का आधार बनता है । उक्त व्यक्ति उस समय से मार्शल की अभिरक्षा में हैं । ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व देना उचित न होगा अतः यदि सदन सहमत हो तो आज के उपवेशन की समाप्ति तक उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को मार्शल की अभिरक्षा में रखा जाये और तदुपरान्त उन्हें रिहा कर दिया जाय ।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने श्री प्रभू नारायण सिंह की सूचना जो जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर के ग्राम लखीमपुर में 11 व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है ।

†छापे नहीं गये ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बज कर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

12 सितम्बर, 1984 ।

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव,

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

	रायबरेली		बाराबंकी		अकबरपुर	
	82–83	83–84	82–83	83–84	82–83	83–84
1	2	3	4	5	6	7
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
1—खेलकूद एवं टूर्नामेन्ट	4272·36	15609·10	13358·34	4969·29	9142·27	13181·27
2—सांस्कृतिक एवं मनोरंजन	46458·52	43201·45	12605·57	26144·10	24954·80	31269·08
3—शैक्षिक सुविधायें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि पर व्यय	3377·25	30.00	1168·75	955·50	484·20	1912·40
4—चिकित्सा व्यय	6687·44	2923·71	465·15	327·03	8994·39	6468·91
5—श्रमिक भ्रमण	..	..	831·60	831·60	..	..
5—अन्य क्रियाकलाप	16183·21	20581·08	194·00	2434·25	2606·32	3956·50
योग	.. 76678·78	88645.34	28623·41	35703·77	46181·98	56788·16

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि0मी0	माह मई, 1984 तक निर्मित लम्बाई कि0 मी0	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	वर्ष 1980-81 के स्वीकृत कार्य—			
1	हवालबाग बसोली मोटर मार्ग, कि0 मी0 5 से 9	5·00	4·00	शेष लम्बाई में वन भूमि हस्तांतरण अपेक्षित ।
2	चायखान थुवासिमल मार्ग भाग 2 कि0 मी0 6 से 25	20·00	..	वन भूमि हस्तान्तरण अपेक्षित ।
3	गणानाथ नाईमगरछीना पाटिया बमसरघाट	10·00	..	तदेव
4	खूंट काकडीघाट भाग-2	3·40	3·40	कार्य पूर्ण ।
5	शीतलाखेत काकडीघाट भाग-1	15·95	..	वन भूमि हस्तान्तरण अपेक्षित ।
6	कोसी बौलाघाट कोरीछीना भाग-2	17·00	..	नाप भूमि अधिग्रहण एवं वन भूमि हस्तान्तरण अपेक्षित ।
7	चमखला खैरला डमरा मार्ग का विस्तार	6·00	5·40	शेष लम्बाई में वन भूमि हस्तांतरण अपेक्षित ।
8	गनियाद्योली टाना बिशालकोट मार्ग	5·00	..	वन भूमि हस्तांतरण अपेक्षित ।
9	पैंसिया पिपना मार्ग का विस्तार कि0मी0 3 से 10	8·00	5·00	शेष लम्बाई में वन भूमि हस्तांतरण अपेक्षित ।
10	चौबटिया कुजलाखेत बमस्यूं मंगडोली मार्ग का विस्तार	8·00	..	मार्ग के आरम्भ में प्रथम 2 कि0 मी0 लम्बाई में कटक पालिका की भूमि उपलब्ध नहीं ।

1	2	3	4	5
11	स्यौनी–धोलीखेत–डयोडाखाल–सिलोर महादेव मार्ग का विस्तार	5·00	1·25	शेष लम्बाई में वन भूमि अपेक्षित ।
12	भिकियासैंण–बारीकोट––बेल्टी विनायक मोटर मार्ग कि0मी0 11 से 17	7·00	4·00	दो कि0मी0 लम्बाई में वन भूमि हस्तांतरण अपेक्षित ।
13	भिकियासैंण–बासोट घट्टी मार्ग	9·00	2·50	शेष लम्बाई में वन भूमि हस्तांतरण अपेक्षित ।
14	चौखुटिया–(गोदी तडागताल भाग 2 कि0मी0 5 से 7	3·00	1·75	तदेव
15	जालीखान–उत्तमछानी–नौबाड़ा मार्ग	4·00	2·75	तदेव
16	बागेश्वर–दफोट मार्ग	5·50	5·00	तदेव
17	कांडा–सानिउडियार–रावतसेरा मार्ग किमी0 5 से 9	5·00	5·00	तदेव
18	डंगोली–स्याली छडिया मार्ग	5·00	3·50	शेष लम्बाई के लिये आगणन पुनरीक्षित किया जा रहा है ।
19	कठपुडिया––छीना शेराघाट मार्ग	10·00	7·45	शेष लम्बाई में वन भूमि अपेक्षित ।
20	घरमधर––कोटमन्या मार्ग	5·00	4·50	मार्ग पूर्ण ।
21	गनियादयोली––सिंगोली–अम्याड़ो मार्ग	12·00	8·00	शेष लम्बाई में वन भूमि अपेक्षित ।
	वर्ष 1981–82 के स्वीकृत कार्य			शून्य
	वर्ष 1982–83 के स्वीकृत कार्य––			
1	खूंट–काकडीघाट मार्ग भाग–3	3·50	..	वन भूमि हस्तान्तरण अपेक्षित ।
2	हवालबाग––बसौली मार्ग कि0 मी0 10–11	2·00	..	तदेव
3	छडौज–चलनीछीना मार्ग कि0 मी0 6 से 10	5·00	..	तदेव

1	2	3	4	5
4	द्वारसों–काकडीघाट भाग 2	मार्ग	5·00	0·20 शेष लम्बाई में वन भूमि हस्तान्तरित अपेक्षित ।
5	द्वाराहाट––असगोली मोटर मार्ग भाग 2 कि0मी0 4 से 6		3·00	.. वन भूमि हस्तान्तरण अपेक्षित ।
6	चमखला–क्वैरला–डभरा मार्ग भाग 2		2·00	.. तदेव
7	सोमेश्वर–गिरेछीना–बागेश्वर भाग 3		2·00	.. तदेव
8	गरुड–देवनाई मोटर मार्ग		2·00	.. नाम भूमि अधिग्रहीत प्रतिकर भुगतान के अभाव में कार्य आरंभ नहीं हुआ ।
9	कपकोट–कर्मी मार्ग कि0 मी0 5 से 7		3·00	.. वन भूमि हस्त न्तरण अपेक्षित ।
10	अल्मोड़ा––खूंट मार्ग		3·00	.. तदेव
11	खेतो–जटेश्वर मार्ग		3·00	.. तदेव
12	ताकुला–गणानाथ––रनमन मार्ग		3·00	.. तदेव
13	चितई–पेटशल–सुवाखान मार्ग		3·00	.. समरेखण का अनुमोदन दिनांक 6–9–1984 को हुआ है ।
14	वृद्ध जागेश्वर––चमुवां मार्ग		2·00	.. वन भूमि हस्तांतरण अपेक्षित ।
15	मजखाली–बग्वालीपोखर मार्ग		2·00	.. समरेखन में स्थानीय जन विवाद ।
16	सांगड–पंतगांव––चमडखान–– भिकियासैण मार्ग		3·00	3·00 कार्य पूर्ण ।
17	कुकूछीना–लीनरीफाल मोटर मार्ग		2·00	.. वन भूमि हस्तांतरण अपेक्षित ।
18	जौरासी–मालोखेत––खल्ड़वा मोटर मार्ग		2·00	.. तदेव
19	शशिखाल–मछोड मोटर मार्ग		2·00	.. तदेव
20	चमखला––सैणमानुर लिंक मार्ग		1·00	.. तदेव

1	2	3	4	5
21	झटक्वाली---हरसिला---कन्या-लीकोट होते हुये सैलानी मार्ग	2·00	..	वन भूमि हस्तान्तरण अपेक्षित ।
22	भानी-रीटाबगड़-हर्रासिगियाबगड-विनायकघाट मोटर मार्ग	2.00	..	तदेव
23	कलनाबैंड से पंतक्वैराली तक मोटर मार्ग	2·00	..	तदेव
24	गिरेछीना-माईथान---देवलधार मोटर मार्ग	2·00	..	तदेव
25	बालीघाट---पन्द्रहपाली---हरबाड सैलानी मोटर मार्ग	2·00	..	तदेव
26	कौसानी---लखनी मार्ग	2·00	..	तदेब
27	हरडा---भिखियासैंण---जालली मोटर मार्ग	3.00	..	तदेव
28	ताडीखेत---पिपली---मजूरखान मार्ग	·00	..	तदेव
29	कौसानी---लक्ष्मी आश्रम लिंक मार्ग	3·00	..	संरेखण तय किया जा रहा है ।

वर्ष 1983-84 के स्वीकृत कार्य

1	छडौज---चलनीछीना मोटर मार्ग	3·00	..	भूमि प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं ।
2	जैती---पिपली---बालिका मोटर मार्ग	3·00	..	तदेव
3	सराईखेत---मोहान बैजरो मोटर मार्ग	3·00	..	भूमि हस्तान्तरण अपेक्षित ।
4	स्योनी---देवलीखेत---डयौडाखाल सिलोर महादेव मार्ग	3·00	..	तदेव
5	गनियाद्योली---सिंगोली---अभ्याड़ी मार्ग	3·00	..	तदेव
6	द्वारसों---काकडीघाट मार्ग भाग-3	5·00	..	वन भूमि प्रस्ताव किये जा रहे हैं ।
7	गरुड---बिनतोली मार्ग	3.00	..	सर्वे कार्य प्रगति पर है ।

1	2	3	4	5
8	शीतलाखेत--काकडीघाट मार्ग भाग 2	3·00	..	वन भूमि प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
9	शशिखाल--मछोड मोटर मार्ग	3·00	..	भूमि हस्तान्तरण अपेक्षित।
10	मजखाली--बिटुलिया मार्ग	3·00	..	तदेव
11	चमखला--क्वैराला--डभरा मार्ग भाग 3	2·00	..	तदेव
12	छडोज--चलनीछीना मोटर मार्ग	3·50	..	वन भूमि प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।
13	भिकियासैण--बसोट घटटी मार्ग का विस्तार (नौरड नाले पर पुल सहित)	4 00	..	तदेव
14	डंगोली--स्यालो छटिया--हरिपुर कुलाऊं होते हुए ग्वालदम तक मार्ग(एल0 वी0 आर0)	6·00	..	सर्वे कार्य प्रगति पर है। वन भूमि हस्तान्तरण अपेक्षित।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर।)

संलग्नक

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचन क्षमता बढ़ाने हे प्रस्तावित योजनायें

क्रम-संख्या	जनपद	योजना का नाम
1	2	3
1	झांसी	सुखबई बैराज क्रम लखेरी बांध योजना ।
2	झांसी	कुरार बांध योजना ।
3	ललितपुर	कचौदा बांध परियोजना ।
4	ललितपुर	भारेट बांध क्रम डटारी बांध योजना ।
5	ललितपुर	लोअर रोहिणी बांध योजना ।
6	ललितपुर	जमरार बांध योजना ।
7	ललितपुर	भवानी बांध योजना ।
8	हमीरपुर	नया पहाड़ी बांध योजना ।
9	हमीरपुर	रिवई बांध योजना ।
10	हमीरपुर	बरखारी बांध योजना ।
11	हमीरपुर	विराट सागर योजना ।
12	बांदा	चिल्लीमल पम्प नहर योजना ।
13	बांदा	पैसनी नहर योजना (आलटरनेटिव ।)
14	बांदा	रसिन बांध ।
15	बांदा	बघेन बांध ।

नत्थी 'घ'

(देखियें अतारांकित प्रश्न संख्या 88 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर ।)

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित राजकीय नलकूप संख्या 37 की सूचना

नलकूप संख्या एवं समूह	(डिस्चार्ज क्षमता) प्रति घंटा	माह	विद्युत उपलब्धि के घंटे	चलित घंटे	सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल (गैलन में)	सिंचित क्षेत्र एकड़ में	क्षमता के प्रयोग का प्रतिशत	बन्दी के दिन	खराबी के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37 एस0 जी0	6666	2/83	280	55	366630	3	19	..	..
,,	6666	3/83	310	156	1039896	8	50	..	..
,,	6666	4/83	300	64	421624	4	21	..	..
,,	6666	5/83	310	113	753258	5	36	..	..
,,	6666	6/83	300	110	733260	5	37	10	मोटर खराब
,,	6666	7/83	310	..	..	..	..	..	मांग न होना
,,	6666	8/83	310	..	..	..	..	.	तदेव
,,	6666	9/83	300	..	..	..	..	..	तदेव
,,	6666	10/83	310	..	..	..	..	..	तदेव
,,	6666	11/83	300	61	406626	4	20	..	..
,,	6666	12/83	310	117	779922	7	38	..	..
,,	6666	1/84	310	45	299970	5	15	..	..
,,	6666	2/84	290	57	379962	4	20	..	..
,,	6666	3/84	310	59	323294	1	19	16	मोटर खराब
,,	6666	4/84	300	..	..	..	..	..	मांग न होना

अतारांकित प्रश्न

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का उत्तर पीछे 60 पृष्ठ पर ।)

आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में स्थित राजकीय नलकूपों का विवरण

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या एवं समूह	कमांड एरिया का क्षेत्र	डिस्चार्ज (गैलन में)	सिंचित क्षेत्र एकड़ में 2/83 से 2/84 तक	चलित घंटे 2/83 से 4/84 तक	जल निकास का नलकूप के निकास क्षमता के अनुपात में	खराबी से बन्दी के कुल दिन	खराबी के दिनों का विवरण	
								यांत्रिक दोष	विद्युत् दोष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सगड़ी								
1	11	300	28371	95	1410	86	—	—	—
2	12	300	24609	207	1914	75	9	9	—
3	32	300	21152	40	725	64	31	31	—
4	39	300	19600	44	603	59	24	24	—
5	40	300	19600	3	146	59	28	28	—
6	41	300	32429	35	253	98	46	34	12
7	42	300	15300	11	225	46	35	24	11
8	59	300	21152	101	774	64	35	26	9
9	60	300	28371	64	540	86	110	33	77
10	73	300	28371	27	242	86	10	10	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	85	300	24609	101	600	75	22	7	15
12	89	300	24609	56	580	75	24	24	—
13	90	300	24609	4	184	75	19	19	—
14	98	300	29354	14	84	89	34	11	23
15	105	300	32429	13	133	98	—	—	—
16	107	300	32429	83	773	98	22	22	—
17	108	300	24609	47	510	75	54	24	30
18	111	300	32429	30	175	98	16	16	—
19	131	300	18112	28	38	55	261	23	238
20	134	300	32429	31	351	98	10	10	—
21	135	300	32429	36	468	98	9	9	—
22	136	300	36813	141	1025	111	21	—	21
23	139	300	28371	30	312	86	17	17	—
24	143	300	36813	75	624	111	18	18	—
25	144	300	28371	109	1116	86	11	11	—
26	145	300	36813	23	110	111	52	12	40
27	146	300	28371	38	380	86	31	31	—
28	147	300	24609	20	251	75	3	3	—
29	150	300	32429	61	586	98	—	—	—

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर।)

आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लाक में स्थित राजकीय नलकूपों का विवरण

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या एवं समूह	कमांड एरिया का क्षेत्रफल	डिस्चार्ज (गैलन में)	सिंचित क्षेत्र एकड़ 2/83 से 4/84 तक	चलित घंटे 2/83 से 4/84 तक	जल निकास का प्रतिशत नलकूप के निकास क्षमता के अनुपात में	खराबी के कुल दिन	खराबी के दिनों का विवरण	
								यांत्रिक दोष	विद्युत् दोष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4 सगड़ी	300	18112	91	1124	55	..	..	..
2	5 ,,	300	32429	78	772	98	22	22	..
3	6 ,,	300	28371	110	812	86	26	26	..
4	7 ,,	300	28371	23	223	86	41	30	11
5	8 ,,	300	32429	148	1044	98	..	..	..
6	9 ,,	300	32429	21	280	98	60	60	..
7	10 ,,	300	28371	293	2083	86	..	..	..
8	13 ,,	230	21152	96	689	64	12	..	12
9	14 ,,	300	32429	68	552	98	12	12	..
10	28 ,,	300	32429	225	1828	98	10	10	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	29	सागड़ी	167	15300	22	599	46	24	24	..
12	30	,,	264	26438	151	2287	80	..	..	..
13	31	,,	300	21152	62	624	64	..	..	..
14	33	,,	300	24609	195	1429	76	20	20	..
15	34	,,	300	28377	147	935	86	34	34	..
16	37	,,	265	6666	14	786	20	16	16	..
17	38	,,	300	2638	60	502	80	23	23	..
18	45	,,	248	28371	15	385	86	26	26	..
19	51	,,	300	30367	67	517	92	35	35	..
20	53	,,	300	24609	68	563	76	28	28	..
21	54	,,	300	20374	90	1339	62	27	15	12
22	55	,,	300	21152	66	835	64	51	51	..
23	56	,,	300	21152	147	1408	64	..	..	..
24	58	,,	300	28371	103	1050	86	3	..	3
25	62	,,	300	26438	47	554	180	39	37	2
26	69	,,	255	28371	73	520	36	28	..	28
27	70	,,	300	32429	104	748	98	12	12	..
28	77	,,	300	36813	79	619	111	..	..	..
29	81	,,	300	36813	63	435	111	..	..	..

30	87	,,	300	32429	123	1102	98	29	29	..
31	101	,,	300	24609	28	5	76	12	..	12
32	102	,,	300	36813	89	675	111	32	82	..
33	103	,,	300	29354	226	4060	89	..	..	..
34	104	,,	300	29354	62	543	89	34	34	..
35	112	,,	300	36813	22	121	111	38	38	..
36	113	,,	300	27404	240	1280	83	21	21	..
37	114	,,	300	31403	191	1484	95	9	9	..
38	118	,,	300	36813	179	1296	111	10	10	..
39	119	,,	300	36813	57	672	111	22	..	22
40	120	,,	300	23733	74	763	72	30	30	..
41	125	,,	300	36813	67	418	111	57	3	54
42	128	,,	300	36813	11	107	111	13	13	..
43	129	,,	300	28371	16	203	86	15	15	..
44	130	,,	300	36813	61	569	111	24	24	..
45	132	,,	300	32429	8	74	98	85	22	63
46	133	,,	300	36813	28	211	111	10	10	..
47	138	,,	250	18112	22	364	55	121	4	117
48	148	,,	250	36813	67	516	111	130	6	124

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 140 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर)।

मांग	स्थिति
1	2
1—अनुबन्धित बसों का संचालन पूर्ण रूप से बन्द किया जाय अथवा उड़ीसा राज्य की भांति सभी प्राइवेट बसों का अधिग्रहण किया जाय तथा शत प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाय	परिवहन निगम के बस बेड़े में संचालन योग्य बसों की कमी को देखते हुए जनता की परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये प्राइवेट बसों की सीमित अनुबन्धन की नीति शासन के निदेशानुसार अपनाई गई है। निगम के बस बेड़ा में पर्याप्त वृद्धि होने पर अनुबन्धित बसों की संख्या कम करने पर विचार किया जायेगा। सभी प्राइवेट बसों के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव निगम स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
2—द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों में व्याप्त विसंगतियों को त्रिपक्षीय वार्ता करके संशोधित किया जाय	द्वितीय वेतन आयोग की विसंगतियों के बारे में शासन स्तर पर गठित सचिवों की समिति द्वारा विचार किया गया था और अधिकांश विसंगतियों का निराकरण उक्त समिति द्वारा किया जा चुका है। कुछ विसंगतियां, जो पुनः कर्मचारी संगठनों द्वारा इंगित की गई है, उन पर समिति द्वारा पुनः बैठक कर शीघ्र निर्णय लिये जाने की आशा है।
3—ड्यूटी पर घायल एवं मृत कर्मचारियों के मामले में अन्य निगमों की भांति मुआवजा देने के नियम बनाये जायं	इस समय परिवहन निगम द्वारा ड्यूटी पर घायल कर्मचारियों को चिकित्सा अवधि का अवकाश नियमानुसार दिया जाता है और मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को रिक्ति उपलब्ध होने पर नियुक्ति देने के निदेश भी निगम द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं। घायल एवं मृत कर्मचारियों के मामले में दुर्घटना होने पर डब्लू0 सी0 ऐक्ट/ई0 एस0 आई0 ऐक्ट के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है।

1	2
4—240 दिन सेवावधि पूरी करने वाले समस्त कर्मचारियों को उनके पदों पर नियमित किया जाय तथा 1983 तक बनी समस्त सूचियों को पुनर्जीवित करके उन्हें सेवा कार्य का अवसर दिया जाय	निगम बोर्ड ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों तथा अल्परिक्त में कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, को रिक्ति उपलब्ध होने पर नियमित करने के आदेश पहले ही दे दिये हैं तथा जिन स्थानों पर स्वीकृति जन शक्ति के भीतर रिक्तियां उपलब्ध हैं वहां यह नियमितीकरण किया भी जा रहा है । जहां तक प्रतीक्षा सूचियों का प्रश्न है इस समय नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगे होने के कारण सूचियों को पुनजीवित करना सम्भव नहीं है परन्तु शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में निगम को बस बेड़े में पर्याप्त वृद्धि होने पर यदि अतिरिक्त परिचालकों, जिन्होंने कुछ दिन कार्य किया है अथवा जिनकी जमानत की धनराशि जमा है तथा प्रशिक्षण प्राप्त है, को सेवा का अवसर देने पर विचार किया जायेगा ।
5—निगम के बस बेड़े में सुधार हेतु नई बसों की खरीद की जाय, आफरोड बसों की मरम्मत हेतु उचित क्वालिटी के कल पुर्जे उपलब्ध कराये जायं और उन्हें निश्चित समय से मार्गों पर लगाया जाय	नई बसें प्राप्त करने हेतु आई0 डी0 बी0 आई0 से 25 करोड़ रुपये का ऋण परिवहन निगम को प्राप्त हुआ है जिससे 1070 चैसिस खरीदी गई हैं तथा उन पर बाडी बनाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है । आशा है कि इन बसों को प्राप्त होते ही निगम के बस बेडे में सुधार हो सकेगा । आवश्यक कल पुर्जे उपलब्ध करके आफरोड बसों को शीघ्र संचालित करने का भी प्रयास किया जा रहा है ।
6—सरकार द्वारा घोषित ई0 पी0 एफ0 बीमा योजना निगम कर्मचारियों के लिये लागू की जाय	परिवहन निगम के कर्मचारियों पर ई0 पी0 एफ0 योजना लागू है तथा इसका अंशदान योजना के अन्तर्गत जमा कराया जाता है ।

1	2
7—कर्मचारियों को जीवनोपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कर्मचारी कल्याण निगम को सुविधा उपलब्ध कराई जाय	कर्मचारी कल्याण निगम की सुविधायें इस समय राज्य कर्मचारियों को ही उपलब्ध हैं ।
8—उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार रिटायर होने तक निजी मकान उपलब्ध कराने की योजना को परिवहन निगम कर्मचारियों के लिये भी लागू किया जाना	निगम के सीमित संसाधनों को देखते हुए अभी यह योजना लागू करना सम्भव नहीं है ।
9—सेवा में उचित संशोधन कर के पदोन्नति तथा स्थायीकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट बनाई जाय तथा आरक्षण नीति का भी ढंग से पालन किया जाय	कर्मचारयों की सेवा विनियमावली 19 जून, 1971 से लागू है तथा उसी के अनुसार सेवा सम्बन्धी मामले निपटाये जा रहे हैं ।
10—समस्त कर्मचारियों को अन्य आफिस स्टाफ की भांति समस्त गजटेड तथा अन्य अवकाशों की सुविधा दी जाय। यदि उपरोक्त अवकाश के दिनों में कार्य लिया जाय तो उन दिनों का नियमानुसार ओवरटाइम भत्ता दिया जाय	कर्मचारियों के अवकाश समय सेवा-विनियमावली 1981 से नियंत्रित है तथा ओवरटाइम का भुगतान नियमानुसार इस समय श्रम कानूनों के अन्तर्गत किया जा रहा है ।
11—पैसेंजर पेनालटी के वर्तमान नियमों को अन्य निगमों में लागू नियमों के अनुरूप सशोधित किया जाय तथा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिना टिकट यात्रियों से नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाय	इस विषय में निगम-प्रशासन ने सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को यह निर्देश जारी किये हैं कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के प्राविधान के अनुसार पैसेंजर पेनाल्टी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय और यदि यात्री मौके पर शमन कराना चाहता है तो उसके लिये भी सक्षम अधिकारी को नामित किया गया है।
12—ड्यूटी पर किसी दुर्घटना में चालक या अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर जमानत और मुकदमें की पैरवी का सम्पूर्ण कार्य तथा खर्च निगम द्वारा किया जाय	दुर्घटना के अन्तर्गत किसी चालक या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलता है तो उसमें निर्दोष सिद्ध होने पर मुकदमें की पैरवी के खर्चे की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा की जाती है।

1	2
13—परिवहन निगम के जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप जांच द्वारा प्रमाणित हो चुके हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय	जिन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप जांच द्वारा प्रमाणित हुये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही निगम/शासन स्तर पर बराबर की जा रही है ।
14—अनुग्रह धनराशि की व्यवस्था समाप्त करके निगम कर्मचारियों को 20 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाय तथा न्यूनतम सीमा का प्रतिबन्ध हटा कर 12·50 प्रतिशत निश्चित की जाय ।	निगम की इस समय आर्थिक स्थिति को देखते हुये यहां मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं है गत वर्ष 9·5 प्रतिशत की दर से अनुग्रह धनराशि का भुगतान निगम द्वारा किया गया ।
15—चिकित्सा भत्तों की वर्तमान दरों का पुनरीक्षण किया जाय	चिकित्सा भत्तों के बारे में सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा जारी आदेशों के अनुसार निगम कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है । (ह0) अस्पष्ट, परिवहन मंत्री ।